माला, खंड 39, अंक 11

मंगलवार, 28 मार्च, 1995
7 चैत्र, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
## का
## हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

( खण्ड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

28 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

.....

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 12 | (व्यवधान) का लोप कीजिए । | |
| [illegible] | नीचे से [illegible] | कार्लोनिक | कार्जीनिक |
| [illegible] | नीचे से 2 तथा 5 | बोलि | [illegible] |
| | 2 | उदल शर्मन | श्री उदल शर्मन |
| [illegible] | नीचे से 5 | रतिलाल वर्मा | श्री रतिलाल वर्मा |
| [illegible] | नीचे से [illegible] | डा॰ कुमाराम कुंगरीमल जेस्वामी | डा॰ कुमाराम कुंगरीमल जेस्वाणी |
| [illegible] | 4 | वाँविद एक्सप्रेस | ओखिनाढ एक्सप्रेस |
| [illegible] | नीचे से [illegible] | बागवान उत्पादन | बागवानी उत्पादन |
| [illegible] | नीचे से [illegible] | अध्यक्ष महोदय | उपाध्यक्ष महोदय |

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 11, मंगलवार, 28 मार्च, 1995/7 चैत्र, 1917 (शक)

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 201-220 | 1—58 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 2042-2273 | 58—297 |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | | 299—304 |

# लोक सभा

मंगलवार, 28 मार्च, 1995/7, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**[अनुवाद]**

**(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, मैंने प्रश्न काल स्थगित करने के लिए नियम 388 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

**(व्यवधान)***

**(व्यवधान)**

**श्री मृत्युन्जय नायक :** उनकी ओर से ऐसा किया जाना उचित नहीं है। यह प्रश्न काल है। हम प्रश्नों को लेंगे। ...**(व्यवधान)**

**11.05 म.पू.**

**इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।**

**अध्यक्ष महोदय :** सभा मध्यान्ह 12 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### प्रदूषण नियंत्रण

***201. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से प्रदूषण से संबंधित मामलों को युद्ध स्तर पर निपटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या-क्या मुख्य निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या प्रदूषण से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में डब्ल्यू पी (सिविल) संख्या 13381/84-एम सी मेहता बनाम भारत सरकार तथा अन्यों में दिनांक 24.2.1995 के अपने आदेश में सरकार से कहा है कि वह इस आशय के सख्त आदेश जारी करें कि पर्यावरण सुरक्षा संबंध मामलों को युद्ध स्तर पर निपटाया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि देश में वायु और जल का बढ़ता हुआ प्रदूषण सर्वाधिक चिन्ता का विषय है और इस पर विशेषकर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप सरकार ने कतिपय प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, चार महानगरों में नए चार पहिए वाले पैट्रोल चालित वाहनों के लिए 1.4.1995 से सीसा रहित पैट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। इन नगरों में विषाक्त यानीय उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए इन वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट किए जाएंगे।

(2) ताजमहल को वायु प्रदूषण के हानिकर प्रभावों से बचाने के लिए एक दस सूत्री पैकेज कार्यक्रम सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ आगरा-मथुरा ट्रेपिजियम में प्रदूषण कम करने के उपायों की शिनाख्त करने के लिए डा. एस वरदराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ने अपना काम तेज कर दिया है।

(3) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय वृहत्त योजना के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं।

(4) बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के भीतर सीमित रखने के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा उद्योगों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं के अनुपालन पर अधिक जोर दिया गया है।

(5) जनवरी, 1994 में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (मई, 1994 में संशोधित) के जारी होने के साथ अधिक प्रदूषण की संभावना वाली परियोजनाओं के लिए प्रयावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा एक प्रभावी पर्यावरणीय प्रबंध योजना तैयार करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(6) केन्द्र सरकार की सहायता से अनेक राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का काम शुरू किया गया है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

## नवोदय विद्यालय

***202. श्री हरिन पाठक :**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के क्या कारण हैं;

(घ) सभी जिलों में ऐसे विद्यालय कब तक खोल दिए जायेंगे; और

(ङ) इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अब तक 373 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) नवोदय विद्यालयों का खोला जाना निःशुल्क भूमि और अस्थायी आवास की व्यवस्था सहित राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले उपयुक्त प्रस्तावों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(घ) प्रत्येक जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक नवोदय विद्यालय खोलने सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में दाखिला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई तथा संचालित एक चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। यह परीक्षा अमौखिक प्रकृति की और कक्षा-निरपेक्ष होती है। इस प्रवेश मानदण्ड का अनुसरण इस योजना की शुरूआत से ही किया जा रहा है।

## स्कूल छोड़ने की दर

***203. श्री सी. श्रीनिवासन :**
**श्री अंकुशराव टोपे :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं योजना के दौरान, राज्यवार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बालकों और बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़े जाने की पृथक-पृथक दर क्या थी;

(ख) क्या इस बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़े जाने की दर में कोई कमी आई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़े जाने की दर कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) और (ख). 1984-85, 1989-90 और 1993-94 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले लड़के और लड़कियों की राज्यवार दरें संलग्न विवरण I, II, III में दी गई हैं। ग्रामीण और शहरी स्कूलों के लिए अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या में इन वर्षों में सामान्यतः कमी होती रही है।

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों से सम्बन्धित पहलू सामाजिक आर्थिक और शिक्षा से संबंधित घटकों से सम्बन्ध रखता है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए माता-पिता में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधनों से नामांकन को बढ़ाने और स्कूल छोड़कर जाने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए संस्थागत वातावरण सृजित होने की आशा है। केन्द्रीय सरकार आपरेशन ब्लैकबोर्ड और शिक्षक शिक्षा योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अल्प महिला साक्षरता वाले जिलों पर अधिक ध्यान दे रहा है।

### विवरण-I

कक्षा-I-V

| क्र.सं. | राज्य | 1984-85 | | 1989-90 | | 1993-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 53.66 | 57.86 | 53.35 | 59.85 | 42.48 | 41.78 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 67.46 | 63.57 | 61.61 | 60.60 | 60.09 | 61.09 |
| 3. | असम | 63.77 | 65.03 | 52.29 | 60.05 | 38.65 | 30.55 |
| 4. | बिहार | 63.53 | 67.27 | 63.72 | 69.12 | 61.85 | 66.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | गोवा | 9.98 | 16.48 | -2.08 | 5.29 | 7.94 | 3.09 |
| 6. | गुजरात | 42.39 | 50.82 | 37.98 | 46.42 | 42.05 | 51.39 |
| 7. | हरियाणा | 28.30 | 35.08 | 26.91 | 29.88 | 1.60 | 6.81 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 31.50 | 33.00 | 29.11 | 31.12 | 24.64 | 28.16 |
| 9. | जम्मू कश्मीर | 37.63 | 46.05 | 51.97 | 40.34 | 53.12 | 42.35 |
| 10. | कर्नाटक | 50.11 | 62.67 | 41.97 | 49.93 | 37.50 | 44.42 |
| 11. | केरल | 1.66 | 3.73 | 5.11 | 3.23 | 5.35 | 3.05 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 41.27 | 53.06 | 34.82 | 41.61 | 23.43 | 34.96 |
| 13. | महाराष्ट्र | 41.28 | 52.33 | 32.96 | 41.83 | 24.10 | 31.63 |
| 14. | मणिपुर | 60.81 | 74.79 | 69.11 | 70.67 | 68.02 | 68.53 |
| 15. | मेघालय | 29.00 | 35.21 | 27.24 | 28.12 | 29.00 | 34.43 |
| 16. | मिजोरम | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 56.73 | 58.54 |
| 17. | नागालैंड | 42.54 | 29.98 | 21.77 | 34.42 | 37.56 | 24.13 |
| 18. | उड़ीसा | 52.26 | 55.54 | 51.60 | 51.31 | 52.78 | 52.23 |
| 19. | पंजाब | 52.64 | 55.80 | 31.17 | 31.82 | 20.69 | 22.94 |
| 20. | राजस्थान | 46.98 | 52.78 | 58.74 | 67.37 | 45.70 | 55.63 |
| 21. | सिक्किम | 57.91 | 60.83 | 61.12 | 52.68 | 63.18 | 61.19 |
| 22. | तमिलनाडु | 21.34 | 25.28 | 18.78 | 23.64 | 16.39 | 18.35 |
| 23. | त्रिपुरा | 63.70 | 65.42 | 58.92 | 59.78 | 60.57 | 66.95 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 34.56 | 43.87 | 29.57 | 42.65 | 19.86 | 20.08 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 57.49 | 62.71 | 63.31 | 68.76 | 36.17 | 45.76 |
| | भारत | 45.62 | 51.41 | 46.50 | 50.35 | 35.05 | 38.57 |

-क्रमशः 6वीं तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1984-85 तथा 1989-90 अनन्तिम वर्ष है।

**विवरण-II**

**कक्षा-I-VIII**

| क्र.सं. | राज्य | 1984-85 | | 1989-90 | | 1993-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 70.42 | 79.33 | 69.30 | 78.28 | 59.94 | 66.46 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 81.49 | 80.33 | 76.49 | 76.08 | 69.62 | 67.45 |
| 3. | असम | 63.41 | 69.15 | 74.15 | 77.75 | 63.81 | 71.80 |
| 4. | बिहार | 79.03 | 86.87 | 77.60 | 83.61 | 76.70 | 82.73 |
| 5. | गोवा | 27.02 | 35.87 | 25.48 | 30.32 | 8.57 | 10.34 |
| 6. | गुजरात | 66.79 | 72.60 | 55.69 | 65.78 | 54.65 | 66.46 |
| 7. | हरियाणा | 20.96 | 44.44 | 42.80 | 51.98 | 17.57 | 32.05 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 24.40 | 42.65 | 16.29 | 28.63 | 13.11 | 27.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 53.20 | 59.77 | 48.03 | 72.77 | 45.25 | 72.73 |
| 10. | कर्नाटक | 71.51 | 78.70 | 57.43 | 72.47 | 56.83 | 69.72 |
| 11. | केरल | 20.66 | 20.97 | 8.67 | 9.10 | 1.24 | 0.57 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 54.13 | 71.98 | 49.50 | 80.16 | 38.12 | 54.15 |
| 13. | महाराष्ट्र | 61.61 | 75.11 | 49.53 | 63.82 | 44.02 | 56.30 |
| 14. | मणिपुर | 78.99 | 82.55 | 76.53 | 79.33 | 72.41 | 72.26 |
| 15. | मेघालय | 33.15 | 34.27 | 83.21 | 82.18 | 58.14 | 57.11 |
| 16. | मिजोरम | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 54.05 | 50.60 |
| 17. | नागालैंड | 62.10 | 61.42 | 55.82 | 48.12 | 36.71 | 39.58 |
| 18. | उड़ीसा | 73.56 | 76.76 | 62.33 | 75.24 | 62.64 | 59.04 |
| 19. | पंजाब | 66.20 | 73.49 | 44.15 | 51.66 | 36.15 | 42.78 |
| 20. | राजस्थान | 59.24 | 70.56 | 78.52 | 84.70 | 62.34 | 72.34 |
| 21. | सिक्किम | 71.35 | 74.72 | 74.21 | 72.26 | 78.83 | 77.93 |
| 22. | तमिलनाडु | 55.59 | 67.22 | 40.87 | 50.65 | 32.15 | 41.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 66.05 | 66.55 | 74.15 | 75.93 | 66.28 | 70.92 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 47.15 | 67.25 | 52.84 | 65.03 | 31.99 | 47.63 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 67.79 | 69.12 | 75.72 | 78.79 | 48.82 | 43.96 |
| | भारत | 61.83 | 70.87 | 61.00 | 68.75 | 49.95 | 56.78 |

-क्रमशः 6वीं तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1984-85 तथा 1989-90 अनन्तिम वर्ष है।

## विवरण-III

### कक्षा-I-X

| क्र.सं. | राज्य | 1984-85 | | 1989-90 | | 1993-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां | लड़के | लड़कियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 71.64 | 79.19 | 75.53 | 83.77 | 76.70 | 82.13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 85.92 | 85.70 | 80.49 | 81.82 | 77.99 | 80.11 |
| 3. | असम | 68.93 | 72.89 | 79.08 | 82.51 | 78.37 | 75.80 |
| 4. | बिहार | 80.71 | 90.13 | 82.27 | 89.01 | 83.83 | 90.96 |
| 5. | गोवा | 81.38 | 82.54 | 52.05 | 56.96 | 42.06 | 42.89 |
| 6. | गुजरात | 72.52 | 78.56 | 69.93 | 75.59 | 64.74 | 71.10 |
| 7. | हरियाणा | 44.50 | 67.76 | 45.55 | 58.57 | 45.80 | 58.81 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 48.39 | 67.43 | 55.15 | 65.70 | 41.00 | 56.91 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 71.92 | 77.61 | 65.70 | 77.09 | 66.12 | 78.30 |
| 10. | कर्नाटक | 71.34 | 85.53 | 67.98 | 78.57 | 65.58 | 76.23 |
| 11. | केरल | 47.49 | 43.72 | 40.19 | 34.88 | 33.42 | 24.51 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 79.01 | 88.02 | 86.16 | 83.38 | 75.46 | 85.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 73.02 | 83.95 | 64:86 | 77.15 | 58.60 | 70.70 |
| 14. | मणिपुर | 84.16 | 83.88 | 74.18 | 77.64 | 75.17 | 79.84 |
| 15. | मेघालय | 74.20 | 75.01 | 73.93 | 72.08 | 67.28 | 67.57 |
| 16. | मिजोरम | उ.न. | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 73.45 | 71.12 |
| 17. | नागालैंड | 70.70 | 73.68 | 75.77 | 73.97 | 75.01 | 78.92 |
| 18. | उड़ीसा | 78.77 | 86.70 | 70.79 | 80.49 | 53.43 | 63.53 |
| 19. | पंजाब | 75.14 | 79.63 | 62.62 | 70.63 | 44.87 | 52.80 |
| 20. | राजस्थान | 74.26 | 82.84 | 74.68 | 82.21 | 77.87 | 88.02 |
| 21. | सिक्किम | 85.30 | 87.46 | 85.02 | 87.96 | 87.37 | 86.21 |
| 22. | तमिलनाडु | 73.29 | 80.96 | 66.10 | 73.85 | 62.98 | 69.85 |
| 23. | त्रिपुरा | 81.18 | 80.91 | 82.96 | 84.49 | 79.12 | 78.49 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 77.69 | 93.23 | 57.94 | 77.56 | 61.78 | 75.40 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 79.83 | 85.14 | 83.85 | 85.58 | 75.68 | 76.53 |
| | भारत | 74.80 | 83.41 | 70.99 | 77.72 | 68.41 | 74.54 |

-क्रमशः 6वीं तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1984-85 तथा 1989-90 अनन्तिम वर्ष है।

[हिन्दी]

## शिक्षा पर व्यय

*204. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में शिक्षा पर योजना व्यय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है;

(ख) सरकार का इसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या शिक्षा पर किये जाने वाले खर्च तथा अन्य विकासशील और विकसित देशों द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले खर्च का कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने शिक्षा के प्रसार हेतु अब तक क्या प्रयास किए हैं;

(च) भविष्य में कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1993-94 के बजट प्राक्कलन में केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा कुल योजनागत व्यय की तुलना में शिक्षा पर योजनागत व्यय की प्रतिशतता 8.4 थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) की तुलना में शिक्षा पर कुल व्यय (योजनागत तथा योजनेतर) की प्रतिशतता 3.5 थी।

(ख) शिक्षा के लिए सातवीं योजना के 5457.09 करोड़ रु. के परिव्यय की तुलना में आठवीं योजना का परिव्यय 19599.73 करोड़ रु. है। इस प्रकार इसमें 3.6 गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ). यूनेस्को स्टैटिस्टीकल ईयर बुक, 1993 के अनुसार, शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में भारत का सार्वजनिक व्यय चीन, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स तथा बांग्लादेश की अपेक्षा अधिक है किन्तु यह व्यय समस्त विकसित देशों की अपेक्षा कम है।

(ङ) और (च). शिक्षा का विकास एक सतत प्रक्रिया है. आजादी के बाद से भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन व संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। शैक्षिक विकास को तेज करने के लिए समय-समय पर आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। इन प्रयासों के संबंध में जानकारी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है।

## खाद्यान्नों का उत्पादन

*205. श्री अमर पाल सिंह :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन मदों का उत्पादन स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता थी?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1992 से 1994 तक चावल और गेहूं का उत्पादन 1992 में मामूली कमी को छोड़कर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

(घ) वर्ष 1992 से 1994 तक मानव उपभोग, तथा बीज, पशु आहार तथा छीजन के लिए अपेक्षित चावल और गेहूं की घरेलू मांग का आंकलन निम्न प्रकार किया गया है।

(मिलियन मीटरी टन में)

| वर्ष | चावल | गेहूं |
|---|---|---|
| 1992 | 74.42 | 56.88 |
| 1993 | 70.47 | 52.20 |
| 1994 | 72.94 | 57.73 |

[अनुवाद]

## खेलों का विकास

*206. **श्री शंकरसिंह वाघेला** :
**डा. साक्षीजी** :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में खेलों का विकास करने, प्राथमिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खेल कम्प्लेक्सों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया और प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

### विवरण

**खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत 1994-95 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | क्र.सं. | प्रस्ताव का नाम | सरकार की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| असम | 1. | जिला स्तर खेल परिसर, सिल्चर | सिद्धांत रूप से 46.75 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 2. | शिशु मंदिर, सिल्चर में खेल मैदान | सिद्धांत रूप से 2,61,750 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 3. | सरब नन्दा सिंह नगर (तिनसुखिया) में खेल परिसर | सिद्धांत रूप से 18.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | | शून्य | शून्य |
| आन्ध्र प्रदेश | 1. | अनंतपुर में जिला खेल परिसर का निर्माण | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 2. | खम्माम, जिला खम्माम में बहुउद्देशीय स्टेडियम | सिद्धांत रूप से 50.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 3. | नालगोंडा में स्टेडियम | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 4. | के.आर. स्टेडियम सिरीकाकलम जिला में तरणताल। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 5. | नारसारूपेटा, सिरीकाकुलम जिला में इंडोर स्टेडियम | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 6. | विजयानगरम में राजीव गांधी खेल परिसर | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 1. | जेंगिंग में एस.पी.डी.ए. केन्द्र | 41.30 लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी गई। |
| बिहार | | शून्य | — |
| चंडीगढ़ | 1. | विवेक उच्च स्कूल, चंडीगढ़ में खेल मैदान का विकास। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| दमन और दीव | | शून्य | — |
| दिल्ली | 1. | रामजस फाउंडेशन में आउटडोर स्टैडियम | सिद्धांत रूप से 5.02 लाख रुपये के अनुदान के लिए स्वीकृति। |
| | 2. | के.वी.एस. द्वारा 25 केन्द्रीय स्कूलों में खेल मैदान | प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है। |
| दादर और नगर हवेली | | शून्य | — |
| गुजरात | 1. | शेरीआस फाउंडेशन, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद द्वारा खेल मैदान | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 2. | गुजरात व्यायाम प्रचारक मंडल द्वारा राजपीपल में बास्केटबाल खेल मैदान | सिद्धांत रूप से 1.80 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 3. | राजपीपल में फुटबाल/क्रिकेट खेल मैदान का विकास | रद्द किया गया। |
| | 4. | राजपीपल में आउटडोर स्टेडियम | सिद्धांत रूप से 11.80 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 5. | गुजरात व्यायाम प्रचारक मंडल द्वारा तरणताल | रद्द किया गया। |
| | 6. | श्री सी.जी. बुटाला सर्वोदया उच्च स्कूल, मदासा, सबरकंठ में बास्केटबाल कोर्ट। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 7 व 8. | कोडाली जिला सबरकंठ में स्केटिंग रिंक/ बास्केटबाल कोर्ट | प्रस्तावों की जांच की जा रही है। |
| गोवा | 1. | पोंडा में तरणताल | सिद्धांत रूप से 43.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| हिमाचल प्रदेश | 1. | बिलासपुर में इंडोर स्टेडियम | सिद्धांत रूप में 52.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। |
| | 2. | शिमला में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर | 1.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 90.50 लाख रुपये (50 प्रतिशत) जारी किए गए। |
| | 3. | शौघी, शिमला में शूटिंग रेंज | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 4. | 17 विभिन्न क्षेत्रों में खेल मैदान | पांच परियोजनाओं के संबंध में और सूचना मांगी गई है। शेष की जांच की जा रही है। |
| | 5. | भुली, जिला मंडी में तरणताल। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| हरियाणा | 1. | सुई, जिला भिवानी में स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 2. | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर, फरीदाबाद | 1.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई और 75.00 लाख रुपये जारी किए गए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 3. | छोटू राम स्टेडियम, रोहतक में बहुउद्देशीय हाल। | प्राप्त संशोधित नक्शे की जांच की जा रही है। |
| | 4. | सिरसा में इंडोर स्टेडियम (बैडमिंटन) | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| जम्मू व कश्मीर | | शून्य | — |
| केरल | 1. | सैंट इफ्रूमस हाई स्कूल, कोट्टायम में खेल मैदान। | सिद्धांत रूप में 1.43 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। |
| | 2. | सीथी साहिब हाई स्कूल कैन्नोर में स्टेडियम। | प्राप्त संशोधित नक्शे की जांच की जा रही है। |
| | 3. | कोचिन में इंटरनेशनल स्टेडियम। | रद्द कर दिया गया। |
| | 4. | इडावेट्टी, इदुक्की में तरणताल। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 5. | मुन्नार तालुक, जिला इदुक्की में हाई एलटीटयूड खेल प्रशिक्षण केन्द्र। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 6. | होली फैमली हाई स्कूल, कासरगोड में स्टेडियम। | संशोधित योजना/प्राक्कलन की जांच की जा रही है। |
| | 7. | लेडी ऑफ लुईस हाई स्कूल, उंझांवूर, जिला कोट्टायम में खेल मैदान। | रद्द कर दिया गया। |
| | 8. | पलाई में खेल परिसर। | सिद्धांत रूप में 25.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। |
| | 9. | सैंट मेरी हाई स्कूल, कक्काडामपोल, जिला कोझीकोड में खेल मैदान। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 10. | इडावन्ना, जिला मालापुरम में (सीथी हाजी स्टेडियम) आउटडोर स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 11. | पालाकाड में इंडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से और स्पष्टीकरण दस्तावेज मांगे गए हैं। |
| | 12. | पालाकाड में तरणताल। | राज्य सरकार से और स्पष्टीकरण दस्तावेज मांगे गए हैं। |
| | 13. | कोट्टायकारा में मिनी स्टेडियम। | रद्द कर दिया गया। |
| | 14. | छालाकुडी, जिला त्रिचुर में तरणताल। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 15. | राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेडुवेली, जिला तिरूअन्नतपुरम में फुटबाज मैदान। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 16. | मितरानी केतन, वेलानाड में इंडोर स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 17. | राजकीय हाई स्कूल, पेरीकालूर, जिला वायनाड में खेल मैदान। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 18. | कलपेट्टा, वायनाड में जिला स्तरीय ओपन स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 19. | वायनाड जिला में विभिन्न स्कूलों में बास्केटबाल/फुटबाल कोर्ट के निर्माण के के लिए 26 प्रस्ताव। | ये प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं और जांच की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 1. | बेलगांव में खेल छात्रावास। | प्रस्तावित की जांच की जा रही है। |
| | 2. | बेलहांगल, बेलगांव जिला में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 3. | गोकाक में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 4. | सनकेश्वरा, बेलगांव जिला में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 5. | होसपेट में तालुका स्टेडियम। | रद्द कर दिया गया। |
| | 6. | हारापांचाली में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 7. | सेरूगुप्पा में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 8. | बागालकोट में इंडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 9. | बादामी, बीजापुर जिला में बहुउद्देश्यीय खेल हाल। | सिद्धांत रूप में 10.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 10. | देवानगरी, चित्रदुर्गा जिला में तरणताल। | रद्द कर दिया गया। |
| | 11. | निर्मला हाई स्कूल, भरामावार में खेल मैदान। | सिद्धांत रूप में 2.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 12. | हावेरी, धारवार जिला में तालुका स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 13. | महिला विद्यापीठ, हुबली में स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 2.36 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 14. | तालुका स्टेडियम, हासन। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 15. | एच.डी. कोटे, जिला मैसूर में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 16. | होसानगरा, जिला शिमोगा में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 17. | सीरा, तुमकुर में तालुका स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 18. | कारवार उत्तर कन्नड में इंडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 19. | श्री कुकांत हाई स्कूल गुडकागाल में खेल मैदान। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 20. | हलियाल, उत्तर कन्नड में तालुका का स्टेडियम। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 21. | जोयडा, उत्तर कन्नड में तालुका स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| महाराष्ट्र | 1. | चोपड़ा एजूकेशन सोसाइटी चोपड़ा, जिला जलगांव में 400 मी. ट्रैक का विकास | सिद्धांत रूप में 6.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृत। |
| | 2. | शिवाजीनगर, जिला परमानी में जिम्नेजियम हाल। | रद्द कर दिया गया। |
| | 3. | चिखलडेरा जिला अमरावती में खेल छात्रावास। | रद्द कर दिया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 4. | सिंबिओसिस इंटरनेशनल पुणे द्वारा इंडोर स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 10.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 5. | पुणे में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 15.65 लाख रुपये के लिए स्वीकृति। |
| | 6. | स्वर्गीय डी.बी. कदम सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, अराले, जिला सतारा के द्वारा बहुउद्देश्यीय हाल। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| मेघालय | 1. | राज्य में विभिन्न खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए 32 प्रस्ताव, जिसमें एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर और 7 जिला स्तरीय खेल परिसर शामिल है। | प्रस्तावों की जांच की जा रही है। |
| मणिपुर | 1. | लांगजिंग अकोबा, इम्फाल में खेल मैदान। | राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है। |
| | 2. | खुमन लम्पक, इम्फाल में खेल मैदान। | 131.00 लाख रुपये के लिए स्वीकृति 87.50 लाख रुपये जारी कर दिए गए। |
| मध्य प्रदेश | | शून्य | — |
| मिजोरम | 1. | विभिन्न खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए 13 प्रस्ताव, एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर, एक जिला स्तरीय खेल परिसर, 6 आउटडोर स्टेडियम और 5 इंडोर स्टेडियम। | 13 प्रस्तावों में से 9 प्रस्तावों एक जिला स्तरीय खेल परिसर 4 आउटडोर और 4 इंडोर स्टेडियम सिद्धांत रूप में स्वीकृत 4 प्रस्तावों के बारे में सूचना मांगी गई है। |
| नागालैंड | 1. | कोहिमा में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण खेल परिसर। | सिद्धांत रूप में 2.00 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत। |
| उड़ीसा | 1. | कियोंझर में खेल छात्रावास | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 2. | पुरी में एस.पी.डी.ए. केन्द्र। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 3. | भकम्पाली, देवगढ़ में मिनी स्टेडियम। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | 4. | विभिन्न स्कूलों/स्थानों में खेल मैदानों के विकास हेतु 36 प्रस्ताव। | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| पंजाब | 1. | पटियाला में 6 लेन ट्रेक के साथ हाकी/बास्केटबाल कोर्ट का विकास। | प्रस्ताव जांच के अधीन है। |
| पांडिचेरी | | शून्य | — |
| राजस्थान | 1. | अलसिसर, जिला झुनझुनू में आउटडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 2. | चोपासी, जोधपुर में स्टेडियम। | अस्वीकृत |
| | 3. | उदयपुर में इंडोर स्टेडियम। | अस्वीकृत |
| | 4. | राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर द्वारा इंडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 5. | हनुमानगढ़ में स्कूल में स्टेडियम। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 6. | कोटा में एक स्कूल में आउटडोर स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 6.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 7. | राजलदेसार, चुरू जिले में आउटडोर स्टेडियम। | सिद्धान्त रूप में 12.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |
| | 8. | पुलिस लाइन, चुरू में बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 9. | जयपुर में तरणताल | अस्वीकृत |
| | 10. | राजस्थान के तीन स्कूलों में तीन खेल के मैदान। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 11. | कोटा जिले में एक स्कूल में खेल का मैदान। | सिद्धांत रूप में 83000/- रुपये के लिए अनुमोदित। |
| सिक्किम | 1. | मंगन में स्टेडियम। | प्रस्ताव जांच के अधीन है। |
| | 2. | ग्यालशिंग में स्टेडियम। | प्रस्ताव जांच के अधीन है। |
| तमिलनाडु | 1. | नागरकोइल, कन्याकुमारी में इंडोर स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 8.00 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |
| | 2. | सिवागंगा में जिला स्तरीय खेल परिसर। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 3. | त्रिची में एक स्कूल में तरणताल। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| त्रिपुरा | 1. | उदयपुर में तरणताल। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 2. | अगरतला में तरणताल। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 3. | अगरतला में कालेज टिल्ला मैदान में क्रिकेट स्टेडियम। | सिद्धांत रूप में 16.30 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |
| उत्तर प्रदेश | 1. | इलाहबाद में इंडोर स्टेडियम। | राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। |
| पश्चिम बंगाल | 1. | चैम्पडैनी म्यूनसिपिलिटी हुगली द्वारा 8 लेन 400 मी. सिंडर ट्रैक। | सिद्धांत रूप में 1.63 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |
| | 2. | राजबरी, जलपाईगुड़ी में खेल परिसर। | राज्य सरकार से सूचना मांगी है। |
| | 3. | जिला मिदनापुर में एक स्कूल में जिम्नेजियम हाल। | सिद्धांत रूप में 1.14 लाख रुपये के लिए अनुमोदित। |
| | 4. | रवीन्द्रनगर, जिला मिदनापुर में इंडोर स्टेडियम। | प्रस्ताव जांच के अधीन है। |

**[हिन्दी]**

### मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*207. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में शामिल की गई मुख्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार को कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.) गैर-औपचारिक शिक्षा (एन एफ ई) तथा शिक्षक शिक्षा और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अंतर्गत 1,43,940

एकल शिक्षक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक संस्वीकृत किए गए हैं : 5,22,399 प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन अध्यापन सामग्री संस्वीकृत की गई है तथा 1.45 लाख कक्षाकक्ष निर्मित किए गए हैं। 390 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) तथा 2.61 लाख गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 7 राज्यों के 42 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रौढ़ निरक्षरता दूर करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) अभी भी मुख्य कार्यनीति के रूप में है। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में 335 जिलों के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) और (ङ). आपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान नामक योजनाओं की समीक्षा की गई है तथा इनका जोरदार ढंग से कार्यान्वयन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिसम्बर, 1994 में ही आरंभ किया गया है।

**[अनुवाद]**

**वर्षा/हिम से हुआ नुकसान**

***208. डा. परशुराम गंगवार :**

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शीत ऋतु के दौरान देश के कुछ भागों में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में हुई अप्रत्याशित ओलावृष्टि, हिमपात और वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्यवार फसल का कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित हुए किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये उन राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, 1995 को शीत ऋतु के दौरान जम्मू व कश्मीर, के कुछ भागों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को पहाड़ियों में कभी-कभी वर्षा और भारी हिमपात हुआ। ओलावृष्टि की सूचनाएं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से मिली हैं।

(ख) और (ग). प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार उपर्युक्त राज्यों में ओलावृष्टि वर्षा से 80 जिले प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 4800 हैक्टेयर, गुजरात ने 15,000 हैक्टेयर, हरियाणा ने 25,000 हैक्टेयर तथा महाराष्ट्र ने 53,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों को क्षति की सूचना दी है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अभी तक हानि का मूल्यांकन पूरा नहीं किया है।

(घ) से (च). राज्य सरकारों को प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष की धनराशि में से सहायता देनी होती है, जिसमें 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 1994-95 के लिये आपदा राहत कोष में से सभी राज्यों को केन्द्रीय अंश की पूरी राशि दी गई है।

**विवरण**

**1995 के दौरान ओलावृष्टि/वर्षा से प्रभावित जिलों की सूची**

**आन्ध्र प्रदेश**

1. अदीलाबाद
2. करीमनगर

**गुजरात**

1. बड़ोदरा
2. साबरकांठा
3. पंचमहल
4. खेड़ा
5. सुरेन्द्रनगर

**हरियाणा**

1. नारनौल
2. भिवानी
3. करनाल
4. रोहतक
5. हिसार
6. सोनीपत

**मध्य प्रदेश**

1. रायगढ़
2. बालाघाट
3. रायपुर
4. जबलपुर
5. छिनवारा
6. सियोनी
7. राजगढ़
8. सागर
9. ग्वालियर

10. रीवा
11. विदिशा
12. साडोल
13. गुना
14. साजांपुर
15. सतना
16. धर
17. शिवपुरी
18. उज्जैन
19. उस्मानाबाद
20. भोपाल
21. मुरैना
22. खंडवा
23. सिहोर
24. मनसौर
25. बेटुल
26. देवास
27. दतिया

**महाराष्ट्र**

1. अमरावती
2. यवतमल
3. सतारा
4. संगली
5. पुणे
6. सोलापुर
7. भंडारा
8. वरदा
9. नासिक
10. अहमदनगर
11. अकोला
12. धुले
13. जलगांव
14. बुलधाना
15. जलना
16. बीड
17. लातूर
18. उस्मानाबाद
19. औरंगाबाद

**पंजाब**

1. अमृतसर
2. जालन्धर
3. फरीदकोट
4. संगरूर

**राजस्थान**

1. अजमेर
2. अलवर
3. बंसवाड़ा
4. बारा
5. भीलवाड़ा
6. बीकानेर
7. बुदनी
8. चित्तौड़गढ़
9. जयपुर
10. झालावाड़
11. झुंझनू
12. कोटा
13. राजसामंद
14. सीकर
15. सवाइमाधोपुर
16. टोंक

**उत्तर प्रदेश**

1. पीलीभीत

**महिला सम्मेलन के लिये प्रारूप पत्र**

***209. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर में बीजिंग में होने वाले चौथे विश्व महिला सम्मेलन के लिये तैयार किया गया प्रारूप पत्र संशोधित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इससे भारत में महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति का किस हद तक पता चल पायेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) से (ग). सरकार ने भारतीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति, परिप्रेक्ष्यों,

विचारों और चुनौतियों को तथा सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों ने इन वर्षों में जिन विभिन्न तरीकों से इनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उन्हें उजागर करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जून, 1994 में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए एक प्रारूप राष्ट्रीय प्रलेख तैयार किया था। इस प्रारूप प्रलेख को तैयार करने के लिए निवेश अनेक वर्गों से प्राप्त हुए थे, जिनमें महिला आंदोलन, स्वैच्छिक क्षेत्र के व्यक्ति तथा सरकारी विभागों और अन्य निकायों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार का प्रारूप प्रलेख तैयार करने का एक मुख्य उद्देश्य देश भर में महिला मुद्दों और महिला परिप्रेक्ष्यों पर विचार-विमर्श आरम्भ करना था। संसद की सलाहकार और स्थाई समितियों से सम्बद्ध माननीय संसद सदस्यों और महिला सांसदों के साथ 16 जून, 1994 को एक बैठक की गई और इस बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुसरण में हैदराबाद, जयपुर, बंगलौर, लखनऊ, कलकत्ता और पुणे में क्षेत्रीय परामर्श बैठकें की गई। राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन संसद और राज्य सभाओं के महिला सदस्य, राज्य महिला आयोगों के सदस्य और समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष प्रतिभागियों में शामिल थे। इसके अलावा, प्रलेख के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न लोगों से लिखित अभ्युक्तियां प्राप्त हुई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इनमें महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक शक्ति सम्पन्नता में सफल और नवीन अनुभवों के उदाहरण, महिलाओं के दर्जे पर मीडिया के प्रभाव, कृषि में महिलाओं का योगदान, प्रवासी महिलाओं, वृद्ध महिलाओं और महिलाओं के अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं पर अलग खण्ड और अध्याय शामिल किये जाने तथा सम्पादकीय परिवर्तन किए जाने के लिए सुझाव शामिल हैं। अब सरकार ने गत 9 महीनों के दौरान इस प्रलेख द्वारा सफलतापूर्वक जनित समृद्ध समृद्ध सामग्री का उपयोग करते हुए इस दस्तावेज को अन्तिम रूप देने का कार्य आरम्भ कर दिया है, ताकि हमारी महिलाओं की स्थिति, योगदान, चुनौतियों तथा सरकार और गैर सरकारी संगठन क्षेत्र की उनके प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावी तरीके से उच्चरित किया जा सके।

## शिक्षा विकास बैंक

*210. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति में एक शिक्षा विकास बैंक स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होंगे?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) से (घ). तकनीकी शिक्षा के लिए संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थाओं की स्थापना और विकास के लिए और जरूरतमन्द छात्रों को उनके अध्ययन के लिए आसान शर्तों पर ऋण के वास्ते लगभग 3000 करोड़ रुपए की पूंजी से एक शैक्षिक विकास बैंक स्थापित करने की सिफारिश की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ परामर्श करके समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

**[हिन्दी]**

## बाघों का संरक्षण

*211. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान राज्यवार कितने बाघों के मारे जाने की सूचना मिली है;

(ख) क्या भारत और चीन ने बाघों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए हाल ही में कोई समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं या कदम उठाये जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (घ). जी, हां। बाघ संरक्षण के सम्बन्ध में एक प्रोटोकॉल पर 2 मार्च, 1995 को बिजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएं हैं :

बाघ की हड्डियों तथा इसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी शिक्षा अभियान, चलाना, संरक्षण में द्विपक्षीय अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, तथा बाघ के उत्पादों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में सूचना का समय-समय पर आदान-प्रदान करना।

(क) एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

(क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मारे गए/मृत बाघों की संख्या दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :—

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए | अन्य कारणों से मौत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 03 | 03 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | 01 |
| 3. | असम | शून्य | 04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 01 | 02 |
| 5. | कर्नाटक | शून्य | 01 |
| 6. | केरल | 01 | 01 |
| 7. | मध्य प्रदेश | शून्य | 02 |
| 8. | महाराष्ट्र | 05 | 04 |
| 9. | मणिपुर | 01 | शून्य |
| 10. | उड़ीसा | 03 | 01 |
| 11. | राजस्थान | शून्य | 01 |
| 12. | तमिलनाडु | शून्य | 02 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 02 | 04 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 02 | 02 |
| | कुल | 18 | 28 |

[अनुवाद]

## राहत कार्य की निगरानी

*212. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा तथा बाढ़ राहत कार्य की निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समिति/निकाय गठित किया है कि राहत कार्य के लिए नियत और राज्य सरकारों को दी गई धनराशि/अनुदान का उचित उपभोग हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राहत कार्य के लिए दी गई धनराशि तथा सामग्री के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो 13 दिसम्बर, 1994 तक सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) और (ख). नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले व्यय को वहन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नामित तथा राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति राहत व्यय के लिए वित्त की व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है जिसमें आपदा राहत निधि के उपयोग की निगरानी शामिल है। केन्द्र स्तर पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाने वाले राहत कार्य का प्रबोधन करना तथा आपदा राहत कोष के कुशल उपयोग के लिए राज्य सरकारों को सहायता करना तथा उन्हें सलाह देना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

## सूखा प्रवण/आपदा प्रभावित क्षेत्र

*213. **श्री एन.जे. राठवा :**
**श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किन-किन जिलों को सूखा प्रवण और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं केन्द्रीय दलों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इन दौरों का क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार वास्तव में कितनी-कितनी सहायता दी गई?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1993-94 के दौरान 94 जिलों के कुछ भाग सूखा से प्रभावित हुए तथा 251 जिले अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए। 1994-95 के दौरान 43 जिलों के कुछ भाग सूखा से प्रभावित हुए तथा 282 जिले अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) राहत व्यय के वित्त व्यवस्था किए जाने वाली वर्तमान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपदा राहत कोष के धन का उपयोग करते हुए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत और पुनर्वास उपाय करें। भारत सरकार भी प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। बाढ़-सूखा तथा चक्रवात के मामलों में पूर्वानुमान और चेतावनी के नेटवर्क के अलावा भारत सरकार संवेद्य क्षेत्रों में अन्य मुख्य कार्यक्रम जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय दल ने 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा किया तथा 1994-95 के दौरान गुजरात का दौरा किया। केन्द्रीय दल

की सिफारिशों के आधार पर राहत और पुनर्वास उपायों के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश में से अग्रिम तौर पर धनराशियां दी गई।

(ङ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदा कोष के केन्द्रीय अंश में से दी गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

## विवरण-I

### 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों की सूची

प्रभावित जिलों की संख्या

| क्र.सं. | राज्य | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सूखा | अन्य प्राकृतिक आपदाएं | सूखा | अन्य प्राकृतिक आपदाएं |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 14 | 2 | 13 | 8 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | 12 | | 8 |
| 3. | असम | | 20 | | 5 |
| 4. | बिहार | | 17 | | 21 |
| 5. | गुजरात | 5 | 7 | | 16 |
| 6. | हरियाणा | | 13 | | 10 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 | | 12 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | | 14 | | 6 |
| 9. | कर्नाटक | 12 | 18 | | 16 |
| 10. | केरल | | 14 | | 14 |
| 11. | मध्य प्रदेश | | | 6 | 29 |
| 12. | महाराष्ट्र | 13 | 21 | 21 | 24 |
| 13. | मिजोरम | | 3 | | |
| 14. | उड़ीसा | 13 | 8 | | 25 |
| 15. | राजस्थान | 25 | 16 | | 17 |
| 16. | पंजाब | | 13 | | 13 |
| 17. | तमिलनाडु | | 23 | | 21 |
| 18. | त्रिपुरा | | 3 | 3 | |
| 19. | उत्तर प्रदेश | | 29 | | 37 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | | 6 | | |
| | योग : | 94 | 251 | 43 | 282 |

**विवरण-II**

**1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता तथा आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश में से दी गई राशियों के ब्यौरे**

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | मांगी गई सहायता | | आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय अंश | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1993-94 | 1994-95 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 645.00 | 559.00 | 49.21 | 49.21 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | 74.00 | 1.50 | 1.50 |
| 3. | बिहार | 1014.00 | — | 26.25 | 26.25 |
| 4. | गुजरात | — | 303.00 | 63.75 | 63.75 |
| 5. | हरियाणा | 205.00 | — | 19.125 | 6.375 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 398.00 | 604.00 | 16.875 | 10.125 |
| 7. | कर्नाटक | 350.00 | 422.00 | 20.25 | 10.12 |
| 8. | केरल | — | 100.00 | 11.62 | 23.25 |
| 9. | महाराष्ट्र | — | 945.00 | 66.00 | — |
| 10. | मध्य प्रदेश | — | 200.00 | 27.75 | 27.75 |
| 11. | मिजोरम | 27.00 | — | 1.125 | 0.375 |
| 12. | उड़ीसा | — | 376.00 | 29.78 | 29.78 |
| 13. | पंजाब | 574.00 | — | 31.50 | 10.50 |
| 14. | तमिलनाडु | 666.00 | 221.00 | 29.25 | 29.25 |
| 15. | त्रिपुरा | 25.00 | — | 2.81 | 1.69 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 414.00 | 281.00 | 39.96 | 39.96 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 165.00 | — | 30.00 | 30.01 |

**[हिन्दी]**

**कृषि अनुसंधान परियोजनायें**

*214. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान परियोजनाओं पर किये गये व्यय का वर्षवार तथा परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के संबंध में क्या उपलब्धियां हुई;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कौन-कौन सी कृषि अनुसंधान परियोजनायें आरंभ की गयीं;

(घ) तथा कुछ परियोजनाओं में विदेशी कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं को भी सहयोजित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान प्रायोजनाओं पर किये गये खर्च का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि में हरेक प्रायोजना की उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू किये गये अनुसंधान यूनिटों के नामों की सूची विवरण-III में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वाली प्रायोजनाएं जिनकी मूलभूत शर्तों में अनुसंधान-कार्य भी शामिल हैं, विवरण-IV में दी गयी है।

## विवरण-I

### पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान प्रायोजना पर किया गया व्यय

| कार्यक्रम/प्लान योजना के नाम | (रुपये लाख में) तीन वर्षों में किया गया व्यय | | |
|---|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(क) फसल विज्ञान** | | | |
| 1. पौध आनुवंशिक संसाधन | 315.95 | 368.86 | 223.98 |
| 2. खाद्य फसलें | 7103.00 | 5907.42 | 6394.87 |
| 3. चारा फसलें | 319.83 | 385.90 | 545.31 |
| 4. वाणिज्यिक फसलें | 1629.95 | 1745.65 | 2172.60 |
| 5. तिलहन | 684.54 | 661.45 | 762.10 |
| 6. पौध संरक्षण | 193.81 | 243.18 | 377.54 |
| 7. मिश्रित अनुसंधान और बीज विकास | 393.57 | 214.02 | 155.32 |
| 8. फल सुधार के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव-प्रौद्योगिकी | 27.68 | 54.32 | 43.43 |
| 9. बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रजनक बीज उत्पादन | 83.79 | 230.27 | 248.00 |
| कुल (सी.एस) | 10752.12 | 9811.07 | 10923.15 |
| **(ख) बागवानी** | | | |
| 10. फल | 671.40 | 730.49 | 832.28 |
| 11. सब्जी | 308.32 | 310.28 | 448.72 |
| 12. आलू और कंद फसलें | 575.09 | 654.49 | 398.08 |
| 13. बागानी फसलें | 650.13 | 650.26 | 421.34 |
| 14. मसाले | 196.89 | 184.09 | 268.07 |
| 15. पुष्पोत्पादन, औषधीय और सुगंधीय पौधे | 130.42 | 133.53 | 197.77 |
| 16. बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी | 145.02 | 109.76 | 225.15 |
| कुल (बागवानी) | 2677.27 | 2772.90 | 2791.41 |
| **(ग) मृदा, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी** | | | |
| 17. संसाधनों की सूची | 355.78 | 388.14 | 442.58 |
| 18. फसल प्रणाली अनुसंधान | 2016.85 | 1611.42 | 1856.12 |
| 19. मृदा प्रबंध | 836.61 | 1014.15 | 696.87 |
| 20. जल प्रबंध | 587.80 | 563.77 | 722.66 |
| 21. पोषण प्रबंध | 603.70 | 618.02 | 829.26 |
| कुल (मृदा, सस्य एवं कृषि वानिकी) | 4400.74 | 4195.50 | 4547.49 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **(घ) कृषि अभियांत्रिकी** | | | | |
| 22. | कृषि औजार और मशीनरी | 318.34 | 325.57 | 448.56 |
| 23. | कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी | 684.84 | 728.69 | 903.56 |
| 24. | कृषि अभियांत्रिकी में ऊर्जा प्रबंध | 94.94 | 122.22 | 136.10 |
| 25. | निकास अभियांत्रिकी | 15.04 | 20.00 | 25.21 |
| | कुल (कृषि अभियांत्रिकी) | 1113.16 | 1196.48 | 1513.43 |
| **(ङ) पशु विज्ञान** | | | | |
| 26. | पशु आनुवंशिक संसाधन | 67.44 | 68.01 | 123.89 |
| 27. | पशुधन सुधार | 2584.46 | 2956.24 | 3276.74 |
| 28. | पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी | 4.90 | 16.55 | 4.51 |
| 29. | पशु स्वास्थ्य | 1652.87 | 1905.56 | 2485.11 |
| | कुल (पशु विज्ञान) | 4309.67 | 4946.36 | 5890.25 |
| **(च) मात्स्यिकी** | | | | |
| 34. | प्रग्रहण मात्स्यिकी | 848.21 | 949.35 | 1230.00 |
| 35. | कल्चर मात्स्यिकी | 424.15 | 565.57 | 620.42 |
| 36. | मत्स्य और मत्स्य उपचार प्रौद्योगिकी | 292.50 | 365.12 | 469.00 |
| 37. | मत्स्य आनुवंशिक संसाधन | 50.16 | 73.44 | 62.49 |
| 38. | मात्स्यिकी शिक्षा | 287.36 | 284.94 | 754.18 |
| | कुल (मत्स्य) | 1902.38 | 2238.42 | 3136.09 |
| **(छ)** | **कृषि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र** | 475.89 | 424.27 | 482.08 |
| **(ज)** | **सहायक सेवाएं** | 6570.72 | 9960.96 | 14914.95 |
| | कुल योग | 32201.95 | 35545.96 | 44198.85 |

**विवरण-II**

**कृषि अनुसंधान प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियां**

**क. फसल विज्ञान अनुसंधान**

**1. पौध विज्ञान अनुसंधान**

भारत विश्व के 8 जीन केन्द्रों में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय जर्मप्लाजम जनन द्रव्य (आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने वाला एक प्रमुख देश है। राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि वाली भंडारण सुविधाओं से युक्त एक राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। इस सुविधा के तहत एक लाख से अधिक जीन प्रतिविष्टयां भंडारित की गई हैं।

प्रजनन की परम्परागत विधियों तथा ऊतक संवर्धन (टिशु कल्चर) सहित नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल द्वारा सभी फसलों के आनुवंशिक आधारों में विस्तार किया गया है। द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा व्यावहारिक रूप से सभी फसलों के अनेक जर्म-प्लाजमों (जनन द्रव्य) का आयात किया गया है। यह काम राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की सहायता से किया गया है। इनमें से अधिकांश जर्म-प्लाजमों का इस्तेमाल अधिक पैदावार, क्वालिटी और जैविक एवं अजैविक प्रतिकूल स्थितियों के प्रतिरोधिता लाने के लिए किया गया है।

**2. खाद्य फसलें**

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों की अनेक उन्नत किस्मों का विकास किया गया है और संबंधित फसलों की कार्यशालाओं की सिफारिशों के अनुसार उन्हें जारी किया गया है/पता लगाया गया है। सातवीं योजना के दौरान प्रमुख फसलों की जारी की गई किस्मों की संख्या इस प्रकार है : चावल की (118) इसमें चावल की चार संकर किस्में भी शामिल हैं, गेहूं की (37), ज्वार की (23), मक्के की (23), जौ की (9), बाजरे की (20) और दालों की (45) किस्में। इन किस्मों में अधिक पैदावार देने के अलावा प्रमुख कीट व्याधियों के सहन करने की भी क्षमता है। इनमें से कुछ किस्में सूखा, लवणता, तापमान की अधिकता और जलमग्न खेत की स्थिति आदि जैसी प्रतिकूल अजैविक स्थितियों को भी सहन करने वाली हैं।

**3. चारे की फसलें**

चारे की 16 किस्में विकसित की गई हैं। इनमें से 4 चारा-ज्वार की, 2 चारा बाजरे की, 2 बैफेल घास, 3 लोविया चारे की तथा एक-एक चारा मक्का, घना ज्वार, लबलब बीन और बरसीम किस्म है।

पूरे वर्ष गहन रूप में चारे के उत्पादन के लिए उत्तर-प्रदेश के तराई क्षेत्र के लिए दीनानाथ घास-बरसीम-मक्का-लोबिया का फसल चक्र सर्वाधिक उपज देने वाला पाया गया है।

यह पाया गया है कि मध्यवर्ती, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में जाड़े की चारे की फसल की उत्पादकता जई और ल्यूसर्न के साथ अन्तः फसल के रूप में जाड़े की मक्का उगाने से 50-100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

**4. व्यावसायिक फसलें**

इसी तरह कपास की उत्पादकता 196 किलो./हैक्टे. से बढ़कर 265 किलो./हैक्टे., गन्ने की 59.86 टन/हैक्टे. से बढ़कर 65.36 टन/हैक्टे., तम्बाकू की 1111 किलो./हैक्टे. से 1340 किलो./हैक्टे., जूट तथा मेस्ता की 1524 किलो./हैक्टे. से बढ़कर 1656 किलो./हैक्टे. पर हो गई है। गन्ने की नई जारी की गई किस्मों से देश में गन्ने की उत्पादकता और चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। भारत में वर्ष 1989-90 से 1990-91 के दौरान विश्व में सबसे अधिक गन्ने और चीनी का उत्पादन हुआ है।

कपास के क्षेत्र में, जहां भारत को विश्व में सबसे पहले संकर कपास विकसित करने का गौरव प्राप्त हुआ है - वहां देसी कपास में अति विशिष्ट गुण वाले संकर कपास के विकास में भी बेजोड़ सफलता प्राप्त हुई है।

**5. तिलहन**

तिलहन में, सूरजमुखी की संकर किस्म एम.एस.एफ.एच.-17 ने देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संकर किस्म की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक बीज की उपज तथा 23 प्रतिशत अधिक तेल की पैदावार की है। यद्यपि की इस संकर किस्म को एक दशक पहले व्यावसायिक उत्पादन के लिए जारी कर दिया गया था - लेकिन अब सूरजमुखी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए हाल ही में 7 संकर किस्में जारी एवं अधिसूचित की गई है, इसलिए किसान अब अधिक किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अब इस फसल को गैर सूरजमुखी वाले सिंचित क्षेत्रों जैसे -पंजाब, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश में बसंत ऋतु के मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। पहली बार, अलसी की दोहरे उद्देश्य वाली 2 किस्में (गौरव तथा जीवन) जिनमें रेशा और बीज उत्पादन की आधी क्षमता है तथा जो फ्लैक्स एवं बीज वाली किस्म के समकक्ष है, जारी और अधिसूचित की गई हैं। इससे तीस के दशक का एक अधूरा स्वप्न भी पूरा हुआ है। अलसी की फसल में फिर पहली बार चुर्णी फफूंद प्रतिरोधी किस्म जवाहर-23 तथा विल्ट, रतुआ और चुर्णी फफूंद प्रतिरोधी किस्म "किरन" की देश के मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों में मांग में वृद्धि हुई है।

**6. पौध संरक्षण**

पौध संरक्षण सभी फसल सुधार कार्यक्रमों का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। केवल रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल या कीट-व्याधियों के प्रकोप को रोकने या उसे न्यूनतम करने से संबंधित पौध संरक्षण उपायों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। समेकित कीट प्रबन्ध की धारणा का अर्थ फसल/बागानी फसलों को कीट-व्याधियों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए सर्वतोमुखी नीति जैसे -प्रतिरोधी किस्मों का विकास, कृषि क्रियाएं तथा जैव-नियंत्रक उपायों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। हमें रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए क्योंकि इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तथा फसल तथा जीव-जन्तुओं सभी को नुकसान पहुंचता है। चावल, कपास, दालों तथा गन्ने आदि के प्रमुख कीट-व्याधियों को रोकने के लिए आसानी से अपनाई जाने वाली तथा कम खर्चीली एक समेकित कीट प्रबन्ध नीति तैयार की गई है। फसलों के कीटों के जैविक नियंत्रण पर भारी सफलता प्राप्त की गई है जिसके लिए जैविक दृष्टि से उपयोगी जीवों का संरक्षण किया गया है- इसके लिए या तो कीट नाशकों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया गया है या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। गन्ने के पायरिला और शीर्ष छेदक कीट, कोफी के मिलीबग, कपास तम्बाकू, नारियल, गन्ना आदि के लेपिडोप्टेरिपस वर्ग के कीट आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां जैव-नियंत्रण ऐजेन्टों को छोड़कर--इनकी रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। कर्नाटक और केरल में जल दुंभी तथा केरल में वाटर फर्न, जैसे जलीय खरपतवारों के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

प्रमुख फसलों के लिए जिन कीटनाशकों की सिफारिश की गई है उनके अपशिष्ट प्रभाव प्रतीक्षा की अवधि का निर्धारण किया गया है तथा बाजार में मौजूद कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी (मोनिटरिंग) की जा रही है।

इटली की मधुमक्खी एपिस मेल्लिफेरा को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और बिहार में सफलता पूर्वक पाला गया है। इस तरह शहद के उत्पादन में आठ गुनी वृद्धि हुई है।

7. संकर अनुसंधान एवं बीज विकास

चावल, अरहर, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरंडी, सूरजमुखी, कपास और तोरिया सरसों में मिश्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किया गया है ताकि समयबद्ध तरीके से संकर बीज विकास कार्य में तेजी लाई जा सके। विश्व में अरहर की पहली संकर किस्म का विकास किया गया है और हाल ही में उसे जारी एवं अधिसूचित किया गया है। नर-बांझपन पद्धति पर आधारित कपास की संकर किस्म एस.ई.सी.एच.-4 का विकास किया गया है। इसी तरह मक्का और बाजरे की आशाजनक संकर किस्में जारी की गई हैं। आशाजनक संकर किस्मों का खेतों पर परीक्षण-संबंधी प्रदर्शन किया गया ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जा सके।

8. फसल सुधार के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी

पौद एवं तीव्र बढ़वार अवधि के दौरान पक्के के साधारण, स्थिर और आसानी से पहचाने जाने योग्य आकृतिमूलक गुणों की पहचान की गई है ताकि क्षेत्र-निरीक्षण के दौरान अन्तः प्रजनकों की पहचान की जा सके। अनेक फसलों और क्षेत्रों/मौसमों में विभिन्न श्रेणियों के बीजों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पृथकता-दूरियों का मानकीकरण किया गया है और उत्पादन तकनीक तैयार की गई है। यह स्थापित की है कि कपास के संकर बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा घुलनशील बीज प्रोटीन के पोलियाक्राईलेमाइड जेल एलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है।

9. बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रजनक बीज उत्पादन

सहयोग/साथी राष्ट्रीय संस्थानों/विभागों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेकर अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर आदि जैसी महत्वपूर्ण फसलों के संकरों के विकास को गति प्रदान करने से संबंधित कार्य की शुरूआत की गई।

तिलहनों (28023 क्विं.), दालों (14603 क्विं.), मोटे अनाज (1242 क्विं.), अनाज (26040 क्विं.) के प्रजनक बीजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आशा की जाती है कि इससे देश में उन्नत और संकर किस्मों के अच्छे बीज की जरूरतों को बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है।

ख. बागवानी अनुसंधान

10. फल

आम की तीन संकर किस्में (अर्क अरुण, अर्क पुनीत और अर्क अनमोल), अंगूर की 6 किस्में, अमरुद की दो किस्में (अर्क अमूल्य और अर्क मृदुला) और उन्नत अम्ल जंमीरी नींबू के एक चयन (सेलेक्शन-49) का विकास किया गया है और उगाने के लिए उनकी सिफारिश की गई है। बेर को "गोला" और "कैथली" किस्में दक्षिण भारत में आशा जनक पाई गई हैं। चीकू की एक संकर किस्म तमिलनाडु के लिए जारी की गई है।

महाराष्ट्र में आम, चीकू और काजू की साफ्टवुड कलम व्यावसायिक तौर पर सफल रही है। प्रति पौधे 5 ग्राम पैक्लोबूट्राजल को मिट्टी में मिलाने से आम के फूल और फल के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रति हैक्टेयर केले के पौदों की सघन रोपाई (4444) से केले की ड्वार्फ केवेन्डीश किस्म के लिए संभव है।

11. सब्जी

सब्जी फसलों में 10 सब्जियों की जिनके नाम ये हैं बैंगन, प्याज, लहसुन, मटर, लोबिया, करेला, लौकी, गाजर, टमाटर और घिया तुरई की 22 अधिक पैदावार वाली किस्में; 5 सब्जी फसलों जैसे - बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी, गाजर और टमाटर की 24 एफ-1 किस्में; 4 सब्जी। फसलों जैसे - बैंगन, टमाटर, मटर और भिंडी की 6 रोगरोधी किस्में विकसित की गई और जारी करने के लिए इनकी सिफारिश की गई।

उत्पादन प्रौद्योगिकी में, 17 उन्नत कृषि तकनीकों को मानकीकृत किया गया और उनकी सिफारिश की गई।

बंदगोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी के प्रमुख रोगों के रोग नियंत्रण विधियों को मानकीकृत किया गया और उसकी सिफारिश की गई।

खुंबी के मामले एगेरिकस की अधिक पैदावार देने वाली एन सी बी-6, एन सी बी-13 और सफेद बटन खुम्बी की 5 किस्में जैसे एन सी एस-1, एन सी एस-5, एन सी एस-12, पी-1 और एम एस-39 को जारी किये जाने के लिए पहचानी गई हैं। सीप खुम्बी के लिए कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के रूप में शिटकेओरिक्यूलेरिया और कालोक्यबी को मानकीकृत किया गया है।

12. आलू और कंद फसलें

आलू की दो संकर किस्मों पी जे-376 और जेड एक्स/सी एल-66 को जारी करने के लिए सिफारिश की गई है।

आलू की फसल को उगाने के लिए आलू के शुद्ध बीज की प्रौद्योगिकी (टी पी एस) को मानकीकृत किया गया है और टी पी एस की दृष्टि से उपयुक्त किस्मों—एच पी एस 1/13 और टी पी एस-3 को व्यापारिक पैमाने पर उगाने की सिफारिश की गई है।

सहचर खेती के लिए सलगुम्रा की तरफ में प्याज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों की फसलें हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में मक्का-मूली-आलू का फसल क्रम सबसे अधिक लाभदायक पाया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में पछेती अंगमारी रोग के लिए रसायनिक नियंत्रण और भूरे सड़न रोग के नियंत्रण के लिए सस्य विज्ञानी क्रियाएं विकसित और सिफारिश की गई है।

सकरकंद की तीन किस्में-किरन, राजेन्द्र सकरकंद-47 और भुवनगोरी तथा छोटी अरबी की "श्रीकला" को जारी करने के लिए सिफारिश की गई है।

13. रोपण फसलें

नारियल की संकर किस्में डब्लू सी टी एम ओ टी एम वाई डी, डब्लू ए टी ने सूखे की स्थितियों में ज्यादा सहनशीलता दिखाई है। जड़ मुरझान रोग से प्रभावित क्षेत्रों के ताड़ के लिए वेस्ट कोस्ट टाल (डब्लू सी टी) चैघाट ग्रीन ड्वार्फ संकर आशाजनक प्रतीत होते हैं।

काजू की चार किस्में बी पी-8, चिंतामणि-1, धाना और उल्लाल काजू-3 जारी करने के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन किस्मों से 1 टन/है. से भी अधिक पैदावार की संभावना है।

14. मसाले

काली मिर्च के आशाजनक संकर 732 और 813 और किस्में 1558, 5128, 5834 को खेती के लिए जारी की गई हैं। काली मिर्च की पन्नीयुर-5 (1255 किलो. सूखे बीज/है.), इलायची की आई.सी.आर.आई.-1, आई.सी.आर.आई-2 और आई.सी.आर.आई.-3, धनिया की डी एच-5, सौंफ की एच एम-57 और लाम सेल-1, हल्दी की रंगा और रश्मि, अदरक की सुरुचि और सुरवि सुधरी हुई किस्में हैं जिन्हें पारी करने की सिफारिश की गई है।

15. पुष्पोत्पादन, औषधीय और सुगंधीय पौधे

गुलाब की बेंजामिन पाल, नूरजहां, रक्तगधा, बंजारन, और सिंदूर, गुलदाउदी की अजय, सोनाली, रतना, स्वर्णा, रवी, आकाश, पीला स्टार्ट, चन्द्रकांत, ग्लैडियोलस की कुमकुम, रंगोली, दर्शन, धीरज, तम्बाई और रिमझिम किस्में उगाए जाने के लिए जारी की गई है।

पुदीना (मेंथा सिकरा) की पंजाब पुदीना-1 नामक नयी किस्म जारी की गई है जिससे 119-20/है. तेल मिलता है। पिपाली (पिपर लौंगम) में "विमथीपाल्ली" सबसे पहले जारी होने वाली किस्म है। रामरोजा आयल ग्रास की-सी आई-68 और आई डब्लू-4498 तथा वेटिवेर की एन सी-66403 और एन सी-664116 किस्में जारी की गई हैं।

16. बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी

प्रीकूलिंग की विभिन्न विधियों के अंतर्गत हवा के बहाव द्वारा शीतलन की विधि नागपुरी संतरे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पाई गई जिसमें संतरों को हवादार एफ.बी. कार्टनों में पैक किया जाता है और फिर शीतलन व भंडारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।

प्याज को जब प्लास्टिक की छेददार क्रेटों में रखा जाता है और इन क्रेटों में प्रति क्रेट 10 कि.ग्रा. प्याज रख कर उन्हें पांच-पांच के कालमों में रख कर उनमें हवा प्रवाहित की जाती है तो प्याज बहुत कम खराब होते हैं।

तीन लाख रुपये की लागत वाली तथा 30 हैक्टर के रोपण की आवश्यकता को पूरा करने की नजर से ताड़ का तेल निकालने वाली एक छोटी यूनिट विकसित की गई।

ग. मृदा, सस्य विज्ञान तथा वानिकी अनुसंधान

17. संसाधन सूची

भू आकृति विज्ञान, मृदा तथा फसल उगाने वाली अवधि की लम्बाई के आधार पर 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों को चित्रित करने वाले कृषि पारिस्थितिकी संबंधी देश का नक्शा तैयार किया गया है। 1:250,000 स्केल में विभिन्न राज्यों तथा 1:1 मिलियन स्केल में देश के नक्शे का संसाधन मानचित्र तैयार किया गया है। मिट्टियों के दर्जे तथा घटिया भूमि के स्तरों का मूल्यांकन किया गया तथा मानचित्र में इसको चित्रित किया गया है। भूमि उपयोग पर घटिया मिट्टियों के सुधार तथा अनुसंधान हेतु विकसित नीतियां तथा कार्यक्रम के लिए इन मानचित्रों की सूचना का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

18. फसल प्रणाली अनुसंधान

फसल प्रणाली अनुसंधान के अंतर्गत टिकाऊ फसल प्रणालियों का विकास हुआ जिससे सिंचित क्षेत्रों में 10-12 टन प्रति हैक्टर उत्पादन की क्षमता मिली। अन्तः फसल प्रणालियों में विभिन्न अनुपात में अन्न तथा फलीदार फसलें शामिल हैं जिसके कारण बारानी स्थितियों में उच्च आर्थिक लाभ मिलता है। जुताई उपकरणों तथा शाकनाशियों का उपयोग करके खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित प्रबंध नीति विकसित की गयी है।

अनुसंधान प्रयत्नों के चलते विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ बहु-उद्देशीय पेड़ प्रजातियों का पता चला है। कृषि वानिकी प्रणालियों जैसे कृषि बागवानी, वन चरागाह, वन पशुचारा, कृषि चारा, कृषि-बागवानी देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए विकसित की गयी है। वार्षिक फसलों जैसे-तिल, ग्वार, बाजरा आदि के साथ वन की प्रजातियों की अंतः फसल जैसे—**प्रोसपिस सिनेरारिया, अकेशिया, निलोटिका, टेकोमेल्ला, अनडूलटा** आदि शुष्क तथा अर्ध शुष्क इको-प्रणालियों के तहत उपयुक्त मेल वाली पायी गयीं।

19. मृदा प्रबंध

मृदा तथा जल संरक्षण तकनीकें विकसित की गयी हैं तथा जलसंभर पर आधारित कार्यक्रमों को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया गया है जिसका उद्देश्य संसाधन संरक्षण तथा उत्पादकता को बढ़ाना है। वायु द्वारा होने वाले कटाव को रोकने तथा रेत के टीलों को स्थिर करने की प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। लवण प्रभावित मृदाएं सिंचित तथा बारानी क्षेत्र दोनों में व्यापक रूप से फैली हैं। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। मृदा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए स्थान विशेष के लिए उपयुक्त प्रबन्ध नीतियां विकसित की गई हैं।

20. जल प्रबंध

अनुसंधान के प्रयत्नों से फसलों की जल संबंधी मांगों का मूल्यांकन, कुशल सिंचाई अनुसूचियां तथा जल उपयोग पद्धतियां, जल मांग के संबंध विवेचनात्मक पैदावार अवस्थाओं का पता लगाना तथा खेत पर उपलब्ध जल आपूर्ति के मेल के लिए कुशल फसल पद्धति का पता लगा है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के तहत पानी को एकत्रित करने तथा अत्यधिक वर्षा के पानी के भण्डारण और फसल उत्पादन के लिए इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी वाले क्षेत्रों में अपनाने के लिए छिड़कावक तथा टपकावक सिंचाई प्रणालियों की खोज की गई है। खराब किस्म के पानी के लाभकारी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

21. पोषण प्रबन्ध

फसलों की वांछनीय पैदावार प्राप्त करने के लिए मृदा जांच मूल्यों पर आधारित उर्वरकों के उपयोग हेतु एक प्रणाली विकसित की गई है। मृदाओं में होने वाली सूक्ष्म तथा गौण पोषक तत्वों की कमी का वर्णन किया गया है तथा उनके सुधार के लिए प्रणालियों का विकास किया गया है और प्रोत्साहन दिया गया है। प्रमुख फसल श्रृंखलाओं के लिए पोषक प्रबन्ध नीतियों का पता लगाया गया है। प्रौद्योगिकीयों में सहजीवी, गैर सहजीवी अवयवों, नीली-हरी काईयों तथा एजोला द्वारा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण पर अनुसंधान को व्यापक रूप से अपनाया गया है।

घ. कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान

22. फार्म उपकरण तथा मशीनरी

कृषि मशीनरी में उल्लेखनीय यंत्रों का विकास हुआ है। ये यंत्र हैं बैल द्वारा खींचे जाने वाला टूल फ्रेम, तवेदार हैरो तथा पडलर, बैल तथा ट्रेक्टर द्वारा चलने वाला बीज तथा उर्वरक ड्रिल्स, बीज रोपाई यंत्र, लम्बे हैण्डल वाला निराई हैरो, मानव, ट्रैक्टर तथा बिजली चलित धान रोपाई यंत्र, मूंगफली तथा आलू प्लांटर, दांतुएदार हंसिया, गन्ना सेट कटर तथा संयंत्र, गन्ना कटाई यंत्र, आम की तुड़ाई करने वाला यंत्र, आलू/मूंगफली की खुदाई वाला यंत्र, सैल्फ प्रोपेलर वाला फसल काटने का तथा गहराई करने का यंत्र।

23. फसल की कटाई के बाद की प्रौद्यागिकी

फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी की अनुसंधान उपलब्धियों में दाने को अलग करने वाले यंत्र का विकास, ग्रेडर्स, शैलर्स, छिलके उतारने वाला यंत्र, नारियल/सुपारी छीलने वाला यंत्र, आम/आलू छीलने वाला, चावल की मिलिंग, दाल की मिलिंग, अनाज का छिलका उतारने वाला यंत्र, कम लागत की अनाज मिलिंग वाला, बीज से तेल निकालने वाला तथा अन्न सुखाने वाला यंत्र आदि शामिल हैं।

भारत में लाख सजावट, वार्निश, पेन्टस तथा मोहर वाली लाख के लिए प्राकृतिक राल (धूना) के रूप में विशेष महत्व रखती है। प्रजनक कीटों तथा पोषक पौधों को संवर्धन के जरिए लाख उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान किये जा रहे हैं। घरेलू तथा निर्यात बाजार के लिए नानाविध लाख उत्पाद विकसित किये जा रहे हैं। खाद्य ग्रेड के लाख रंजक, एल्यूरिटिक अम्ल, खशबू वाले मिश्रणों, जुवेनाइल हारमौन एनालोग्स, कृषि रसायन आदि कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें औद्योगिक उपयोगिता तथा निर्यात की क्षमता है।

पटसन को पैकिंग सामग्री के रूप में मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है, हालांकि अब इसका कृत्रिम रेशों से कड़ा मुकाबला है। इसका भविष्य न केवल पैकिंग सामग्री पर निर्भर है बल्कि इसे तागों के निर्यात तथा उत्पादन सहित विभिन्न उपयोगों में भी लाया जाता है। अनुसंधान तथा विकास के द्वारा पटसन से बने उत्पादों जैसे सजावटी सामान, कमरे का साज सामान, कारपेट बैकिंग कालीन, जियो-टेक्सटाइल आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूजप्रिन्ट तथा पैकिंग बक्सों को बनाने के लिए भी पटसन के उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है।

कपास की किस्मों के विकास तथा उसे जारी करने के लिए रेशे की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु तकनीकी सहायता। पार्टिकल बोर्ड की प्रौद्योगिकी कर्नाटक में कच्चे माल के रूप में काटन स्टिक का उपयोग करके किसानों की सहकारी समिति को स्थानान्तरित कर दी गई।

24. ऊर्जा प्रबन्ध

उपयुक्त नवीन ऊर्जा उपकरण, जुगतों एवजी/कृषि में पूरक व्यावसायिक ऊर्जा, सौर ड्रायर्स, बायो गैस, उत्पादक गैस, सौर कुकर, सौर हीटर के जरिए ऊर्जा संरक्षण/सम्पूरण हेतु उपकरण विकसित किये गये हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं ताकि व्यावसायिक रूप में उपलब्ध हैं।

25. जल-निकासी अभियांत्रिकी

मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल राज्यों में जलाक्रान्त मृदा के लिए सतही तथा उप-सतही निकासी प्रौद्योगिकी विकसित की गई। धान, गेहूं तथा सोयाबीन की फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों के सहयोग से परीक्षण किये गये।

ङ. पशु विज्ञान अनुसंधान

26. पशु आनुवंशिक संसाधन

प्रजातिवार संस्थानों, राज्य पशु पालन विभागों तथा राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों के सहयोग से राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने मूल्यांकन, गुणों, संरक्षण तथा सुधार के लिए कार्यक्रम विकसित किये हैं। हरियाणा अंगोले, थारपारकर तथा गीर पर अनुसंधान कार्यक्रम चालू हैं। भेड़ तथा बकरियों की देसी नस्लों के सुधार पर भी अनुसंधान प्रगति पर हैं। देश में उपलब्ध पशु जननद्रव्य संसाधनों पर सभी प्रकार की सूचना एकत्र करके तथा मिलाकर आंकड़ो पर आधारित बैंक बनाये गये और पशु जीन बैंक स्थापित किये गये हैं।

27. पशुधन सुधार

भारतीय नस्लों की कम उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सुधरी हुई विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन की विधि को अपनाया गया। मवेशियों में कई नई जीनो-टाइप जैसे करणस्विस, करण फ्राइज और

फ्रीजवाल को विकसित किया गया और इन्हें चयन तथा सन्तति परीक्षण के माध्यम से सुधारा जा रहा है।

देश में वर्तमान नस्लों के साथ सन्तति परीक्षण के माध्यम से मुर्रा और सुरती नस्लों के सुधार के कार्यक्रमों में प्रगति जारी है।

तीन नयी अधिक उत्पादन देने वाली भेड़ की उन्नत नस्लों जैसे **अविकालीन, अविवस्त्र और भारत मैरिनो** का विकास किया गया है और उन्हें चयन के माध्यम से सुधारा जा रहा है।

अण्डा देने वाले पक्षियों में मुर्गियों के दो संकरो आई एल आर-90 और आई एल एम-90 से प्रति वर्ष 260 से भी अधिक अण्डों का उत्पादन लिया गया है। इन किस्मों को विकसित करके जारी कर दिया गया है। संबंधित पशुओं के संस्थानों में घोड़ों, ऊंटों, सुअरों, बकरियों, बटैरों, याकों और मिथुनों के उत्पादन/नस्ल सुधार पर पर्याप्त सुसंगठित अनुसंधान किये गये हैं और उनसे उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं।

मुर्गियों के आहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में मक्का के बजाय ज्वार खिलाने के अध्ययनों से यह पता चला है कि ज्वार में मक्का की तुलना में थोड़ी कम ऊजा तो है परन्तु उसमें मक्का की तुलना में प्रोटीन ज्यादा है। मक्का के स्थान पर 50 से 100 प्रतिशत स्तर पर पीली ज्वार देने से ब्रायलर मुर्गियों में उस हालत से बेहतर परिणाम मिले जब उन्हें अकेले मक्का का आहार दिया जाता था।

विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने आम तौर पर भारत/एशिया के बारे में जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार भारतीय जुगाली करने वाले पशु अपेक्षाकृत कुछ कम मिथेन पैदा करते हैं। आहार के समुचित प्रबन्ध से, विशेष रूप से घास पर आधारित आहारों में दाने की मात्रा बढ़ाकर जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन कम किया जा सकता है।

बकरियों में सस्ते दूध उत्पादन के लिए उनके राशन में प्रोटीन की मात्रा को उनुपूरक रूप में ल्यूसिना लीफ आहार देकर पूरा किया जा सकता है और इससे बकरियों के स्वास्थ्य या दूध देने की क्रिया पर किसी प्रकार का स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया।

भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी पर अध्ययन जारी रखे गये। वैजिनल पेसेरिज जिनमें की हारमोन होते हैं उनको अपनाकर मदकाल में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक नयी प्रौद्योगिकी विकसित की गयी। इस प्रौद्योगिकी के अपनाने से समय-समय पर दी जाने वाली हारमोनल दवाओं के टीके की जरूरत नहीं रहेगी। गैर प्रजनन मौसम के दौरान भी इस तकनीक को अपनाकर मादा भेड़ों में उत्तेजना पैदा की जा सकती है। मदकाल में एकरूपता लाने, मादा भेड़ों में भ्रूण संग्रहण तथा स्थानान्तरण का मानकीकरण किया गया है। अब तक भ्रूण प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगभग 20 भेड़ें पैदा की गयी हैं।

गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने तथा पुनर्उत्पादन मूल्यांकन के लिए सम्पूर्ण दूध तथा प्लाज्मा में प्रोगरेसटेरोन के निर्धारण के लिए एक एंजाइम इम्यूनोसरी तकनीक विकसित की गयी। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके गर्भावस्था का पता लगाने वाली एक देसी किट, जिसका नाम "प्रमाण" रखा गया है, विकसित की गयी और इसका मूल्यांकन तथा परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इस किट के इस्तेमाल में गर्भावस्था का पता लगाने के 77 प्रतिशत मामले सही पाये गये और गर्भहीनता के मामले शत् प्रतिशत् सही पाये गये।

**28. पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी**

कच्चे दूध को सुरक्षित रखने की अवधि को 40 लीटर दूध में पोटेशियम थाइसाइनेट और सोडियम पर कार्बोनेट की एक गोली मिला कर 8-10 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

लस्सी पाउडर (सादे तथा फल की सुंगध वाले) तथा मैंगो (आम) शेक पाउडर तथा रसगुल्ला के मिश्रण पावडर को तैयार करने के लिए अल्ट्रा फिलेट्रेशन प्रक्रिया का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

मांस के लिए भैंसों की लाश को ढोने संबंधी विभिन्न विधियों पर भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में अध्ययन किये गये। निर्यात हेतु मांस की साज-संभाल के दौरान ऊतकों के नुकसान से बचाने से संबंधित अग्रिम अध्ययन के लिए कंकालपेशी सक्सिनेट डीहाइड्रोजीनेज तथा मायोग्लोबिन के अनुमान की एक प्रणाली को मानकीकृत किया गया।

न्यूजीलैण्ड की ऊन में दबाव की ज्यादा क्षमता होती है यानी उसे ज्यादा दबाया जा सकता है और उसमें बीवर चोकला (बी.सी.) ऊन के मुकाबले कम ऊन मिलती है। बीवर चोकला को मिलाने से इसने बेहतर परिणाम दिये। ज्यादा मोटी ऊन में दबाव की प्रतिरोधिता ज्यादा होती है और यह कालीन बनाने के लिए बेहतर है।

**29. पशु स्वास्थ्य**

पिछले तीन वर्षों (1991-94) के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्योरे में नैदानिक तथा तकनीकियों का विकास, नैदानिक किट्स, पशु प्लेग, खुरपका तथा मुंहपका रोग, पेस्टे पोटिट्स डेस टिमिनेन्टस (पी.पी.आर.) अश्व इंनफलुएंजा, आश्व संक्रामण, एनीमियां, आश्व परिसर्प विषाणु। ब्लूटंग रोग, बकरी पाक्स, संक्रामण बर्सल रोग (आई बी.डी.) थेहेरोसिस, बेकेसिओसिस आदि के प्रतिरोधी टीके शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर खुरपका तथा मुंहपका रोग के प्रकारों **"ओ, "एष"** तथा एसियल **थेइलेरिया एन्नुलटा, बेबेसिया इक्वी, माइक्रोबेक्टेरियम बोविस** (क्षयरोग) तथा अन्य प्रमुख रोगों के क्लोनिंग तथा सन क्लोनिंग पर उत्साहजनक अनुसंधान परिणाम मिले हैं।

**च. मात्स्यिकी**

**30. अभिग्रहण मात्स्यिकी**

उपयोग में लायी गयी 45 प्रमुख समुद्री फिनफिश और शैल्फफिश के भण्डारों का मूल्यांकन किया गया और अधिकतम पैदावार लेने की नीतियां सुझायी गयीं। उपग्रह से प्राप्त समुद्र संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करके अधिक क्षमता वाली मछली के क्षेत्रों का पता लगाया गया और जहाजों पर किये गये अनुसंधानों द्वारा इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के परिणामों का अध्ययन किया गया।

विभिन्न जलाशयों के विस्तृत पारिस्थितिकी अध्ययनों के आधार पर प्रबन्ध नीतियां अपनायी गयीं जिससे राष्ट्रीय औसत जोकि 20 किलो प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष है, उसके मुकाबले छोटे जलाशय से मछली का उत्पादन 220 किलो प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष लिया गया।

हुगली और नर्मदा के मुहानों पर हिल्सा मछली के कृत्रिम गर्भाधान तथा ताजे जल में मछलियों के बच्चे पालने में सफलता प्राप्त की गयी। हिल्सा के कृत्रिम गर्भाधान के लिए संशोधित पोर्टेबल प्लास्टिक हैचरी का डिजाइन तैयार किया गया और उसे बनाया गया। विशाल, गार्डन स्नेल्स को बाजार में भेजने योग्य संख्या में पालने की टैक्नोलाजी मानकीकृत की गई है--जिससे कि विदेशी मुद्रा मिल सके।

**31. संवर्ध मात्स्यकी**

भारतीय प्रमुख कार्प (शफरी मछली), विदेशी कार्प, कैटफिश और मीठे जल झींगों के उत्प्रेरित प्रजनन के लिए मानकीकृत तकनीक, जल्द परिपक्वता तथा पूरे वर्ष कार्य के बहु प्रजनन और मत्स्य प्रजनन में मिश्रित हार्मोनों (डोपामाइन एंटेगोनिस्ट के साथ एल.एच.आर. एच. एद्ध के प्रयोग से सघन कार्प मछली पालन से 17 टन/है./वर्ष मछली उत्पादन हुआ है। 10 मिलियन प्रति हैक्टर की दर से जीरों के पालन की टैक्नोलाजी व्यावसायिक रूप से अपनाई गई जिसमें 80 प्रतिशत मछलियां जीवित रहती हैं। मीठे जल में पाले गए पर्ल रेगुलर, अर्ध गोलाकार, अनियमित मीठा जल मुसेल से मोती पूर्ण कीटों **लामेल्लिडेंस प्रभाति** का उत्पादन किया गया। गोल्डेन महसीर (टोर पुटिटोस) के मामले में एयर वाटर लिफ्ट एरेशन पद्वति के द्वारा हैचरी में अधिक मात्रा मे स्टॉकिंग मैटीरियल तैयार करने की टैक्नालाजी विकसित की गई। इसमें 99 प्रतिशत जीवित रहीं।

**पीनोस इन्डिकस** और **पीनोस मोनोडोन** के लिए श्रिम्प मछली के जीरे के उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई जिसकी प्रतिवर्ष लार्वा निकलने के बाद 2 मिलियन से 20 मिलियन की उत्पादन दर रही। पी. **मोनोडोन** और **पी इंडिकस** से संबंधित अर्ध-सघन श्रिम्प पालन पद्धति से 3-4 टन/हैक्टर की दर से उत्पादन हुआ। लार्वा के बाद (पी. एल.-1 से पी.एल-20) पालन के लिए माइक्रोपर्टिकुलेट आहार(200-1000 यू एम) और विभिन्न वर्गों के कल्चर आहार और श्रिम्प गो-आऊट सिस्टम के लिए कम्पोजीशन तैयार किए गए। सूक्ष्म जैविक और हिस्टोपैथोलाजिकल ढंग से तैयारी और जांचों के द्वारा श्रिम्प रोग अन्वेषणों के लिए मानक नैदानिक तकनीक विकसित की गई। मिल्कफिश (कैनोस-कैनोस) के हरियाणा के सुल्तानपुर के लवणीय जल के तालाबों में सफल प्रदर्शन से लगभग 3500 कि.ग्रा./है. उत्पादन मिली।

व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण श्रिम्प प्रजातियों, सीपी, मोती उत्पादन, खाने वाली शुक्ति, मिलूसस, क्लास, समुद्री खरपतवार, समुद्री खीरा के प्रजनन, बीज उत्पादन, समुद्री रैचिंग और कल्चर के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायिकीकरण किया गया।

**32. मत्स्य और मत्स्य उपचार प्रौद्योगिकी**

सी.आई.एफ.टी के डिजाइन पर आधारित 15.5 मी. का एक बहु-उद्देशीय स्टील निर्मित मछली पकड़ने की डोंगी का इस्तेमाल शुरू किया गया है। ईधन की कम खपतवाला 4 ब्लेड वाला एक प्रोपेल्लर तैयार किया गया और उसे मध्यम आकार की मछली पकड़ने वाली डोंगी में लगाया गया जिससे 20-35 प्रतिशत ईधन की बचत हुई। समुद्री मौसम-विज्ञान पानी की क्वालिटी, बर्तन की क्षमता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण पैरामीटरों की मानीटरिंग के लिए जहाज पर ही आंकड़े इकट्ठे करने की एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की गई और उसे विकसित किया गया। जमीन की सतह से ऊपर रहने वाली मछलियों के लिए एक 50 मीटर ऊंचा खुला हुआ ट्रावल तैयार किया गया और उसे इस्तेमाल में लाया गया। मछली की अंतड़ी से शल्यक्रिया के लिए एक सीवन (धागा) तैयार किया गया तथा व्यावसायीकरण के लिए उसकी टैक्नोलाजी को प्रमाणिक बनाया गया। भा.कृ.अ. परिषद के अन्तर्गत विकसित चिट्टन/चिटोसन एवं फिश कालेजन का विकास किया गया।

**33. मत्स्य आनुवंशिक संसाधन**

जीन एकत्र करने के लिए दीर्घकालिक कार्यो संरक्षण कार्यक्रम के तहत संकरापन्न महसीर और भारतीय प्रमुख कार्प मछली के मत्स्य शुक्रे को पिछले 3 से 5 वर्ष के लिए रखा जा रहा है। 3 वर्ष का क्रायो संरक्षित रोहू मत्स्य शुक्र और एक वर्ष के महसीर के मत्स्य शुक्र का प्रयोग प्रजनन कार्यक्रमों में किया गया जिनसे स्वस्थ मछलियां उत्पन्न हुई हैं। इससे क्रायों संरक्षित मत्स्य-शुक्र की जीवन क्षमता का पता चलता है।

**34. मत्स्य शिक्षा**

सी.आई.एफ.ई. को भारत का पहला मत्स्य पालन विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त है। मत्स्य पालन, मत्स्य विकास और प्रशासन, मत्स्य विस्तार और व्यावहारिक प्रबन्ध में नियमित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान मत्स्य विज्ञान के विभिन्न विषयों में एम.एस.सी. और पी.एच.डी. के कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

**ङ. 35. कृषि आर्थिकी और सांख्यिकी अनुसंधान**

परीक्षण-उपचार-नियंत्रण तुलना के लिए नेस्टिड रोज और कालम के साथ संतुलित अपूर्ण ब्लाक डिजाइन के निर्माण की कुछ लाभदायक विधियों को विकसित किया गया है। यह सभी एलिमेंन्ट्री कन्टास्ट के लिए इस प्रकार के डिजाइन बनाने हेतु उपलब्ध विधियों को प्रसार द्वारा किया गया है।

मिश्रित मोडेल के तहत ब्लाक डिजाइन की अनुकूलता पर कुछ परिणाम मिले हैं। मिश्रित माडेल के तहत परीक्षण-उपचार नियंत्रण तुलना के लिए डिजाइन की अनुकूलता के भी परिणाम प्राप्त हुए हैं। वे डिजाइन जिनकी अधिकतम अथवा उच्च क्षमता है, की एक सूची भी तैयार की गई।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लिए गेहूं की फसल की पैदावार के सुधरे आंकलन प्राप्त करने के लिए 26 फरवरी, 1986 को सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया।

कृषि उत्पादों पर कमांड एरिआ सिंचाई प्रायोजना के प्रभाग को मापने की उपयुक्त विधि का पता लगाने के लिए अध्ययन किए गए। जिन फसलों पर अध्ययन किये गये वे थीं-धान और मुंगफली। कमान्ड क्षेत्र तथा गैर-नहरी क्षेत्र के उत्पादन के आंकड़ों में काफी अन्तर पाया गया जो 3 और 77 के अनुपात में था जबकि उर्वरकों का प्रयोग सिफारिश की गई मात्रा से काफी कम था। औसत पैदावार और उर्वरकों के प्रयोग का खेत के आकार के साथ कोई संबंध नहीं था।

पशुओं और पौध प्रजनन अनुसंधान में उपयोगी मिले-जुले मॉडेल के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है। प्रायोजना में बढ़वार पर अनुसंधान के लिए संकर बकरियों के आनुवंशिक वर्गों की तुलना के लिए सांख्यिकीय मॉडेलिंग की गई, जो बहु-परीक्षणों, आनुवंशिक पैरामीटर जैसे आनुवंशिक सह-संबंधों, संघटक परीक्षण के लिए नस्ल के साथ-साथ एक माह की आयु तक शरीर भार, पिन शोल्डर लम्बाई, बढ़वार की गति और बढ़वार की दर के आधार पर मिश्रित विशेषताओं का पता लगाया गया।

कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान के राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.पी.) ने (I) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान नीति तैयार करने (2) भा.कृ.अ.प. पद्धति में कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता देने के लिए विधि तैयार करने से संबंधित काम शुरू किया। स्थाई कृषि और पर्यावरण के लिए भारत में चावल पारिस्थितिक पद्धति पर किए गये अध्ययन से पता चला है कि चावल उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में चावल में उर्वरकों के प्रयोग से औसत पैदावार में काफी कमी आई है। इसके अलावा एक अध्ययन जो रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमिगत जल में नाइट्रेट प्रदूषण के प्रति सचेत किया है। कमांड क्षेत्रों में जरूरत से अधिक सिंचाई से मृदा में लवणीयता/क्षारीयता में वृद्धि हुई है और यह वकालत की गई है कि जैव उर्वरकों, जैव कीट नाशक रसायनों, उचित सिंचाई तालिका के साथ अनुकूलतम मिश्रित फसल के ज्यादा उपयोग के साथ समेकित उर्वरता प्रबन्ध (आई.एफ.एम.) और समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) को अपनाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण पर रासायनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव को कम किया जा सके और उत्पादन के और अधिक स्थाई बनाया जा सके।

केन्द्र ने 21-22 सितम्बर 1993 को 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की जिससे कि भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों में कृषि आर्थिक अनुसंधान के वर्तमान स्तर की समीक्षा की जा सके।

**ज. सहायक-सेवाएं**

कृषि अनुसंधान प्रयोजना/कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए ये सहायक सेवाएं हैं जिसमें प्रबंध और सूचना, कृषि शिक्षा और विस्तार शिक्षा कार्यकलाप भी शामिल हैं।

**विवरण-III**

**वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की गई कृषि अनुसंधान प्रायोजना के नाम**

वर्ष 1994-95 के दौरान आठवीं योजना के तहत निम्नलिखित प्रायोजना/अनुसंधान एककों को स्वीकृति दी गई है।

i. राष्ट्रीय आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र
ii. नेटवर्क-सूक्ष्म पोषक तत्व (पशु विज्ञान)
iii. नेटवर्क-पशु उत्पादन में भ्रूण स्थानान्तरण
iv. नेटवर्क-पशु आनुवंशिका संसाधन
v. नेटवर्क-औद्योगिक उपयोग हेतु देसी दूध उत्पादों का दर्जा बढ़ाने की प्रक्रिया के लिये अनुसन्धान तथा विकास सहायता
vi. नेटवर्क-फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली
vii. वैज्ञानिकी तथा तकनीशियनों की प्रबोधन क्रिया-विधि तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना (पशु विज्ञान)
viii. जल जीव-जन्तु पालन में कार्बनिक छीजनों के उपयोग पर व्यावहारिक अनुसन्धान प्रायोजना
ix. कृषि में महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र
x. 78 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

**विवरण-IV**

| अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग यूनिट/प्रायोजना | संदर्भ की मूल शर्तें |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा उपयुक्त टकनोलाजी इन्टरनेशनल (ए.टी.आई.) वाशिंगटन, डी.सी. के साथ शीरा मिश्रित यूरिया के ब्लाक बनाना और उनका व्यावसायिकीकरण। | पूर्व टैक्नालाजी के आधार पर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना और पूर्व कमियों का ध्यान रखने के लिए नए सरूपों का पता लगाना। शीरा मिश्रित यूरिया के ब्लाक तैयार करने के लिए शीत(कोल्ड) तकनीकों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा बचाने वाली विधियों को अपनाना।<br>शीरा मिश्रित यूरिया के ब्लाक के व्यावसायिक उत्पादन के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित करना। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2. प्राकृतिक संसाधन संस्थान, (एन.आर.आई.), ब्रिटेन के साथ त.ना.कृ.वि.वि., कोयम्बटूर में अमेरिकी बोलवार्म (हैलिओथिस) के न्यूक्लिअर पोलिहेड्रोसिस विषाणु, के संसाधन व निर्माण के लिए टैक्नोलाजी का विकास। | एच.आर्मिजेरा के एन.पी.वी. के लिए टैक्नोलाजी का विकास व प्रचालन जिससे कि उनके पानी में घुलने वाले व तेल पर आधारित संरूपों का विभिन्न कृषि-परिस्थितियां में किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा सके। |
| 3. धान अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में एन.आर.आई., ब्रिटेन के सहयोग से फीरोमोन का उपयोग करके तना छेदक के मैथुन में बाधा पहुंचा कर उनके नियंत्रण संबंधी प्रायोजना। | चावल के पीले तना छेदक एस. इन्सेरटुलास के नियंत्रण के लिए फीरेमोन पर आधारित प्रबन्ध तकनीक बनाना। फीरमोन का प्रयोग करते हुए निगरानी की विधियां विकसित करना। |

टिप्पणी : प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी प्रायोजना उचित समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू होती है।

## खतरनाक रसायन

***215. श्री खेलन राम जांगडे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से बड़े शहरों में खतरनाक रसायनों के कारण मौतों, बीमारियों, शारीरिक अपंगता तथा बड़ी दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रसायनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें खतरनाक माना गया है तथा जिनका बड़ी मात्रा में उपयोग और उत्पादन होता है; और

(ग) खतरनाक/विषैले रसायनों के भंडारण और उनके उठाने-रखने आदि को नियंत्रित करने तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के निकट ऐसे उद्योगों की स्थापना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार परिसंकटमय रसायनों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होने की ऐसी किसी प्रवृत्ति का पता नहीं चला है।

(ख) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत "परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली, 1989" नामक नियमों का एक सैट का.आ. 966 (ई), दिनांक 27 नवम्बर, 1989 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में भाग-I, अनुसूची-I में परिसंकटमय रसायनों की शिनाख्त करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। का.आ. 2882, दिनांक 3 अक्तूबर, 1994 द्वारा यथासंशोधित नियमों को अनुसूची -2 में भारी मात्रा में प्रयुक्त और उत्पन्न खतरनाक रसायनों की सूची दी गई है। ये है :—

1. एक्रीलोनीट्राइल
2. अमोनिया
3. अल्यूमिनियम नाइट्रेट
4. अमोनियम नाइट्रेड फर्टिलाइजर्स
5. क्लोरीन
6. ज्वलनशील गैसें
7. अधिक ज्वलनशील द्रव
8. तरल आक्सीजन
9. सोडियम क्लोरेट
10. सल्फरडाई आक्साइड
11. सल्फर ट्राई आक्साइड
12. कार्बोनिल क्लोराइड
13. हाइड्रोजन सल्फाइड
14. हाइड्रोजन क्लोराइड
15. हाइड्रोजन साइनाइड
16. कार्बनडाइ सल्फाइड
17. ब्रोमाइन
18. इथिलीन ऑक्साइड
19. प्रोपीलीन आक्साइड
20. 2-प्रोपेनल (एक्रोलीन)
21. ब्रोमोमिथेन (मिथिल ब्रोमाइड)
22. मिथाइल आइसोसाइनेट
23. टेट्राइथिल लेड या टेट्रामिथिल लैड
24. 1,2 डिब्रोमोइथेन (इथिलिनिडिब्रोमाइड)
25. हाइड्रोजन क्लोराइड (लिक्विफाइड गैस)
26. डाइफिनाइल मिथेन (डाइ-आइसोसाइनेट (एम डी आई)
27. टोलीन डि आइसोसाइनेट (टी डी आई)

(ग) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली में अक्तूबर, 1994 में किए गए संशोधन के परिणाम-स्वरूप निर्धारित मात्रा में खतरनाक/विषैले रसायनों की हैंडलिंग और भण्डारण करने वाले उद्योगों के लिए अपने स्थलों के लिए पूर्ण अनुक्रम प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे उद्योगों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी भी अनिवार्य है। इसके अलावा सुरक्षित संचालन के लिए स्थल और पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त निर्धारित की जाती है।

**[अनुवाद]**

### मरूभूमि विस्तार

***216. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मरूभूमिं के विस्तार को रोकने के संबंध में हाल ही में पेरिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते (कन्वेशन) का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार पर क्या-क्या विशिष्ट और विशेष दायित्व आये हैं; और

(घ) इन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क).जी, हां।

(ख) इस कन्वेंशन का उद्देश्य, जैसा कि इसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है, सूखे और/अथवा मरूस्थलीकरण से गम्भीर रूप से प्रभावित देशों, खासतौर से अफ्रीका में सभी स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी व्यवस्थाओं की सहायता से प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से मरूस्थलीकरण का सामना करना और सूखे के प्रभाव को कम करना है। 14.2.95 की स्थिति के अनुसार 97 देशों और यूरोपीय संघ ने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

(ग) और (घ). भारत एक प्रभावित पक्षकार देश है और कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में बताए गए दायित्वों के प्रति जिम्मेदार है। संक्षेप में, इनमें मरूस्थलीकरण से निपटने, उसके लिए कार्यनीतियां बनाने, सभी संबंधितों में जागरूकता को बढ़ावा देने और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने तथा एक अनुकूल पर्यावरण प्रदान करने को प्राथमिकता देना शामिल है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मरूस्थलीकरण से निपटने और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

**[हिन्दी]**

### कार्बोनिक उर्वरकों का प्रयोग

***217 श्री राम पूजन पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की जल भंडारण क्षमता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए कार्बोनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) एवं (घ). जी हां। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से कार्बनिक (कार्बनिक-उर्वरकों) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग कम खपत वाले बारानी क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग के विकास संबंधी राष्ट्रीय प्रायोजना और जैव उर्वरकों सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रायोजना जैसी केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत कम्पोस्ट खाद के उत्पादन, जैव-कम्पोस्ट खाद बनाने और उसके इस्तेमाल आदि के बारे में किसानों के प्रशिक्षण, हरी-खाद के बीजों के उत्पादन, कम्पोस्ट खाद बनाने के सुधरे तरीकों के प्रदर्शन और जैव-उर्वरकों के उत्पादन के लिए जैव-उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

**[अनुवाद]**

### झींगा मछली पालन

***218. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछली के अन्धाधुंध पालन से प्रदूषण को भारी समस्या पैदा हो गई है;

(ख) क्या सरकार झींगा मछली के पालन से उत्पन्न हुए प्रदूषण के स्तर पर निगरानी रख रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पर्यावरणीय खतरों पर नियंत्रण के लिए झींगा मछली के उत्पादकों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग).(i) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारें, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय खारा जल कृषि संस्थान झींगा फार्मों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थिति का प्रबोधन कर रहे हैं।

(ii) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खारा जल संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस पहलू पर क्षेत्र स्तर पर अध्ययन शुरू किए हैं।

(iii) अपने-अपने राज्यों में झींगा जल कृषि कार्यकलाप का विनियमन करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 15 मार्च, 1995 को राज्य विधान सभा में एक विधेयक पेश किया है तथा आंध्र प्रदेश सरकार विधान के प्रारूप को अंतिम रूप दे रही है। प्रस्तावित विधान में झींगा पालन के पोखरों से बचे हुए जल का निस्सरण करने के लिए मानक निर्धारित करके झींगा पालन कार्यकलाप द्वारा पर्यावरण में होने वाले किसी प्रकार के असंतुलन में सुधार करने की व्यवस्था की गई है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने झींगा पालन के लिए पर्यावरणीय सुरक्षाओं का कार्यान्वयन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत सरकार के परामर्श पर राज्य सरकारें, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने पर्यावरणीय बाधाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता तथा पारिस्थितिकी सह कार्यकलाप के रूप में झींगा पालन के विकास के लिए झींगा पालकों को शिक्षित करने की कार्रवाई शुरू की है। समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसानों को झींगा फार्म प्रबंध को वैज्ञानिक प्रणलियों को अपनाने की सलाह दी है।

**[हिन्दी]**

## 'यूनीसेफ' से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

***219. श्री राम टहल चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के प्रसार हेतु 'यूनीसेफ' की सहायता से इस समय कौन-कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों को शुरू करते समय राज्यवार क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन कार्यक्रमों पर आज की तारीख तक कितनी धनराशि खर्च हुई है :

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) यूनीसेफ चार प्रमुख शैक्षिक कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है :

(i) बिहार शिक्षा परियोजना,

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए शिक्षा हेतु वकालत,

(iii) शैक्षिक नवाचार,

(iv) राज्य एवं जिला स्तरों पर सभी के लिए शिक्षा हेतु वकालत।

(ख) और (ग). बिहार शिक्षा परियोजना में 20 जिलों के 150 ब्लॉकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। अब तक 7 जिलों के 100 ब्लॉकों को शामिल किया जा चुका है। कार्यक्रम की मध्यावधि समीक्षा में वर्तमान 7 जिलों में इसके समेकन की सिफारिश की गई है। अन्य कार्यक्रम प्रक्रियाउन्मुखी हैं और इनके कोई भौतिक लक्ष्य नहीं हैं।

(घ) बिहार शिक्षा परियोजना, राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए शिक्षा हेतु वकालत, शैक्षिक नवाचार और राज्य एवं जिला स्तरों पर सभी के लिए शिक्षा हेतु वकालत के लिए यूनीसेफ की सहायता (1991) के लिए मुख्य कार्य योजनाओं की शुरूआत के बाद से समग्र व्यय क्रमशः 44 करोड़ रु., 11 करोड़ रु., 2.90 करोड़ रु. और 11.61 करोड़ रु. है।

**[अनुवाद]**

## जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

***220. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान राज्यवार कितने जिलों मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम्र शुरू किया गया है;

(ख) 1994-95 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिलों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन 7 राज्यों के 42 जिलों में आरंभ किया गया है। इनमें से चार-चार जिले असम, हरियाणा और कर्नाटक के, महाराष्ट्र के 5 जिले, तीन-तीन जिले तमिलनाडु और केरल के तथा 19 जिले मध्यप्रदेश के हैं।

(ख) चूंकि कार्यान्वयन दिसम्बर, 1994 में शुरू हुआ है, इसलिए अभी इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटन

**2042. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए., सी.एस.एस.एम.आई.सी.डी.एस., एन.सी.एफ. तथा एस.डब्ल्यू.एस.सी. के लिए प्रतिवर्ष योजना-वार तथा वर्ष-वार अंतर्राष्ट्रीय सहायता सहित यदि कोई दी गई हो तो कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्ष वार तथा योजना-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम और निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम के अंतर्गत किया गया वार्षिक आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना 19.90 करोड़ रु. की कोरपस निधि से की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते। इस स्कीम का कार्यान्वयन कोरपस निधि पर अर्जित ब्याज राशि से किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को संस्वीकृत धनराशि विवराण -VI में दी गई है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्मुक्त राशि का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार, वर्ष-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा विवरण II से V में दिया गया है।

**विवरण-I**

**ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिशुगृह कोष और निराश्रित बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान किए गए वार्षिक आबंटन**

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | स्कीम और कार्यक्रम का नाम | किया गया आवंटन | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 19994-95 | |
| 1. | ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास | 7.60 | 11.20 | 23.12 | इसमें विदेशी सहायता शामिल है |
| 2. | बाल उत्तरजीविका और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम | 208.71 | 319.08 | 532.60 | तदैव |
| 3. | समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम-विश्व बैंक परियोजनाओं सहित | 296.74 | 461.76 | 524.00 | तदैव |
| 4. | राष्ट्रीय शिशुगृह कोष | राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई आवंटन नहीं किया जाता | | | |
| 5. | निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम | - | 1.11 | 2.14 | |

**विवरण-II**

**ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान राज्य-वार आबंटन**

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | वर्ष 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 24.3.95 तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 80.84 | 225.23 | 973.03 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.25 | 10.10 | 12.12 |
| 3. | असम | 67.83 | 55.55 | 91.71 |
| 4. | बिहार | 70.70 | 40.40 | 212.20 |
| 5. | गोवा | 3.34 | - | 1.31 |
| 6. | गुजरात | 43.43 | 75.75 | 2.02 |
| 7. | हरियाणा | 49.84 | 53.53 | 39.49 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 36.40 | 41.52 | 14.15 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 23.23 | 10.63 | 98.27 |
| 10. | कर्नाटक | 51.78 | 60.60 | 40.00 |
| 11. | केरल | 39.29 | 81.61 | 6.36 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 89.89 | 94.94 | 141.40 |
| 13. | महाराष्ट्र | 65.65 | 45.45 | 60.60 |
| 14. | मणिपुर | 23.23 | 22.22 | 10.50 |
| 15. | मेघालय | 11.44 | 13.13 | 30.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | मिजोरम | 11.11 | 12.12 | 11.11 |
| 17. | नागालैंड | 36.99 | 40.40 | – |
| 18. | उड़ीसा | 48.96 | 46.46 | 81.81 |
| 19. | पंजाब | 34.07 | 47.97 | 100.50 |
| 20. | राजस्थान | 55.57 | 30.30 | 46.79 |
| 21. | सिक्किम | 7.89 | 16.83 | 7.58 |
| 22. | तमिलनाडु | 67.43 | 45.45 | 45.65 |
| 23. | त्रिपुरा | 12.54 | 6.06 | 9.09 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 168.79 | 111.10 | 108.07 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 34.34 | 35.35 | 60.60 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5.32 | – | – |
| 27. | चंडीगढ़ | – | – | – |
| 28. | दादर और नगर हवेली | – | – | – |
| 29. | दमन और दीव | 2.02 | – | – |
| 30. | दिल्ली | – | – | – |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.03 | – | – |
| 32. | पांडिचेरी | 3.03 | – | – |
| | समस्त भारत | 1173.23 | 1224.70 | 2204.66 |

## विवरण-III

### बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार आबंटन

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | वर्ष 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (24.3.1995 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 593.33 | 933.15 | 1521.77 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 22.32 | 22.62 | 55.73 |
| 3. | असम | 366.99 | 524.33 | 1099.94 |
| 4. | बिहार | 721.10 | 1301.43 | 1099.94 |
| 5. | गोवा | 15.85 | 17.54 | 24.20 |
| 6. | गुजरात | 485.44 | 730.19 | 1016.75 |
| 6. | हरियाणा | 269.74 | 336.92 | 483.29 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 122.45 | 182.00 | 230.39 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 88.04 | 228.95 | 259.76 |
| 9. | कर्नाटक | 494.02 | 798.63 | 1123.92 |
| 10. | केरल | 294.27 | 472.84 | 710.27 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 886.23 | 1383.17 | 2505.55 |
| 12. | महाराष्ट्र | 676.40 | 1145.95 | 1613.73 |
| 13. | मणिपुर | 46.85 | 72.31 | 81.67 |
| 14. | मेघालय | 41.03 | 45.89 | 53.65 |
| 15. | मिजोरम | 24.69 | 25.69 | 27.65 |
| 16. | नागालैंड | 35.33 | 36.72 | 42.15 |
| 17. | उड़ीसा | 400.97 | 676.24 | 1312.50 |
| 18. | पंजाब | 263.34 | 404.60 | 487.87 |
| 19. | राजस्थान | 608.14 | 1091.24 | 2054.60 |
| 20. | सिक्किम | 18.25 | 21.50 | 20.46 |
| 21. | तमिलनाडु | 573.45 | 978.38 | 1262.88 |
| 22. | त्रिपुरा | 34.65 | 56.50 | 75.40 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 1599.55 | 2357.80 | 4500.03 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 739.02 | 845.12 | 1254.57 |
| 25. | अंडमान और | | | |
| 26. | निकोबार द्वीपसमूह | 8.60 | 6.69 | 6.07 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 4.94 | 5.85 | 11.93 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 1.56 | 2.93 | 9.81 |
| 29. | दिल्ली | 55.30 | 137.91 | 275.72 |
| 30. | दमन और दीव | 1.81 | 14.33 | 1.28 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.38 | 1.73 | 1.02 |
| 32. | पांडिचेरी | 26.18 | 20.51 | 21.72 |
| | जोड़ | 9523.22 | 14879.66 | 24622.06 |

## विवरण-IV

### समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (विश्व बैंक सहायता सहित) के सतत् कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त केन्द्रीय अनुदान की राज्य-वार राशि

(रु. लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य/के.शा. प्रदेश का नाम | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3209.68 | 3319.26 | 3006.79 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 254.72 | 501.43 | 358.44 |
| 3. | असम | 875.90 | 2558.93 | 1093.95 |
| 4. | बिहार | 3456.41 | 2867.11 | 5887.86 |
| 5. | गोवा | 102.20 | 180.26 | 141.77 |
| 6. | गुजरात | 1496.87 | 2270.17 | 1914.53 |
| 7. | हरियाणा | 597.30 | 829.86 | 683.53 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 471.48 | 587.34 | 480.04 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 572.17 | 710.25 | 671.96 |
| 10. | कर्नाटक | 2123.30 | 3201.45 | 2114.71 |
| 11. | केरल | 839.39 | 1259.01 | 1207.44 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3406.00 | 3506.69 | 6277.08 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2484.09 | 3484.91 | 2532.87 |
| 14. | मणिपुर | 300.24 | 409.47 | 332.47 |
| 15. | मेघालय | 334.21 | 462.88 | 329.11 |
| 16. | मिजोरम | 206.53 | 315.19 | 241.40 |
| 17. | नागालैंड | 304.76 | 316.38 | 285.43 |
| 18. | उड़ीसा | 2952.50 | 2222.28 | 3590.81 |
| 19. | पंजाब | 672.50 | 1285.40 | 739.59 |
| 20. | राजस्थान | 1463.98 | 2258.58 | 1864.06 |
| 21. | सिक्किम | 49.84 | 115.23 | 16.62 |
| 22. | तमिलनाडु | 1551.48 | 2104.08 | 735.84 |
| 23. | त्रिपुरा | 274.12 | 245.96 | 228.77 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 4721.76 | 6977.27 | 5306.91 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2855.99 | 3588.95 | 3521.19 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 51.84 | 53.07 | 58.82 |
| 27. | चंडीगढ़ | 29.80 | 42.84 | 36.39 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 15.62 | 17.24 | 15.67 |
| 29. | दमन और दीव | 24.80 | 32.83 | 20.82 |
| 30. | दिल्ली | 446.01 | 494.41 | 545.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 14.90 | 14.70 | 15.65 |
| 32. | पांडिचेरी | 74.00 | 115.33 | 105.82 |

## विवरण-V

### निराश्रित बच्चों के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार आवंटन

(रु. लाखों में)

| क्र.सं. | राज्यों का नाम | निर्मुक्त राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (13.3.95 की स्थिति के अनुसार) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | | 0.62 | 22.57 |
| 2. | असम | | - | 3.08 |
| 3. | दिल्ली | | 8.05 | 13.58 |
| 4. | गुजरात | शून्य | 6.44 | 10.85 |
| 5. | कर्नाटक | | 17.11 | 9.96 |
| 6. | मणिपुर | | - | 5.54 |
| 7. | महाराष्ट्र | | 12.32 | 32.31 |
| 8. | मध्य प्रदेश | | - | 8.61 |
| 9. | राजस्थान | | - | 1.85 |
| 10. | तमिलनाडु | | 27.74 | 25.65 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | | 18.22 | 15.26 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | | 20.95 | 61.71 |
| 13. | मिजोरम | | - | 1.23 |
| 14. | केरल | | - | 1.23 |
| 15. | उड़ीसा | | - | 1.23 |
| | जोड़ | | 111.45 | 214.66 |

## विवरण–VI

### वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सस्वीकृत आंगनवाड़ी–सह–शिशुगृह केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

(राशि रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | संस्वीकृत आंगनवाड़ी सह–शिशुगृह केन्द्रों की संख्या | आंगनवाड़ी सह शिशुगृह केन्द्रों के लिए संस्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10 | 53,500 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 10,700 |
| 3. | असम | 4 | 21,400 |
| 4. | बिहार | 11 | 58,850 |
| 5. | गोवा | 2 | 10,700 |
| 6. | गुजरात | 8 | 42,800 |
| 7. | हरियाणा | 4 | 21,400 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 10,700 |
| 9. | कर्नाटक | 9 | 48,150 |
| 10. | केरल | 5 | 26,750 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 11 | 58,850 |
| 12. | महाराष्ट्र | 11 | 58,850 |
| 13. | मणिपुर | 2 | 10,700 |
| 14. | मेघालय | 2 | 10,700 |
| 15. | मिजोरम | 2 | 10,700 |
| 16. | नागालैंड | 2 | 10,700 |
| 17. | उड़ीसा | 9 | 48,150 |
| 18. | पंजाब | 4 | 21,400 |
| 19. | राजस्थान | 7 | 37,450 |
| 20. | सिक्किम | 2 | 10,700 |
| 21. | तमिलनाडु | 6 | 32,100 |
| 22. | त्रिपुरा | 2 | 10,700 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 14 | 74,900 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 11 | 58,850 |
| 25. | अंडमान और निकोबार | 1 | 5,350 |
| 26. | चण्डीगढ़ | 1 | 5,350 |
| 27. | दादर और नगर हवेली | 1 | 5,350 |
| 28. | दमन और दीव | 1 | 5,350 |
| 29. | दिल्ली | 2 | 10,700 |
| 30. | लक्षद्वीप | 1 | 5,350 |
| 31. | पांडिचेरी | 1 | 5,350 |
| | जोड़ | 150 | 8,02,500 |

## मैट्रो रेल

**2043. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो रेलवे को परिचालनात्मक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मैट्रो रेलवे के परिचालनात्मक घाटे को कम करने और उन्हें अर्थक्षम तथा मुनाफा अर्जन में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैट्रो रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने/ आधुनिकीकरण करने के लिए निवेश/विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). मैट्रो रेलवे, कलकत्ता भारी घाटे उठा रही है और 1994-95 तक अनुमानित घाटा 55.84 करोड़ रुपये है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से मेट्रो रेलवे के लिए लागू बिजली दर कम करने और इसे ट्रामवेज, जो मेट्रो रेलवे की भांति ही जनोपयोगी सेवा है, के लिए लागू बिजली दर के बराबर करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) ऊर्जा संरक्षण।

(iii) स्थापना लागतों में कमी।

(iv) कतिपय स्टेशनों पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विज्ञापनों तथा पट्टे पर देने हेतु स्थान।

(v) राजय सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि विभिन्न मैट्रो स्टेशनों तक फीडर बस सेवाएं चलाई जाएं और बसें मैट्रो सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में न चलें, ताकि मैट्रो गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो।

(घ) आठवीं योजना के दौरान और 1994-95 तक मैट्रो रेलवे के विकास हेतु 481.47 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए 140.80 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

[हिन्दी]

## राज्यों को सहायता

**2044. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के किसानों को कृषि ऋणों का वितरण करने हेतु कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी सहायता दी गई; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान राज्य-वार दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार किसानों को कृषि आदानों अर्थात उर्वरकों, बीजों तथा कृमिनाशियों को खरीदने तथा समय पर किसानों को इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए खरीफ, 1993 से प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी मौसमों में अलग-अलग लघु आवधिक ऋण दे रही थी। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों को मंजूर किए गए लघु आवधिक ऋणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) रबी 1993-94 से राज्यों के लिए लघु आवधिक ऋण मंजूर करने की पद्धति समाप्त कर दी गई है।

### विवरण

### वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों को मंजूर किया गया लघु आवधिक ऋण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 30.10 | 15.55 |
| 2. | कर्नाटक | 12.80 | 6.50 |
| 3. | केरल | 2.65 | 0.93 |
| 4. | तमिलनाडु | 18.20 | 7.61 |
| 5. | गुजरात | 12.70 | 6.85 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 20.55 | 10.77 |
| 7. | महाराष्ट्र | 23.80 | 18.32 |
| 8. | राजस्थान | 24.60 | 10.51 |
| 9. | हरियाणा | 12.60 | 5.45 |
| 10. | पंजाब | 16.25 | 8.45 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 42.55 | 17.60 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 2.40 | 1.08 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 3.15 | - |
| 14. | बिहार | 31.60 | 19.10 |
| 15. | उड़ीसा | 11.15 | 7.85 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 38.00 | 12.81 |
| 17. | असम | 4.70 | - |
| 18. | त्रिपुरा | 0.80 | 0.51 |
| 19. | मणिपुर | 1.15 | - |
| 20. | मेघालय | 0.20 | 0.10 |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश | 0.05 | - |
| | कुल | 310.00 | 149.99 |

## निजी और सहकारी डेयरी क्षेत्र

**2045. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डेयरी उद्योग के निजी और सहकारी क्षेत्रों ने भारतीय डेयरी उत्पादों के बाजार पर प्रमुख बहुराष्ट्रीय डेयरी कम्पनियों द्वारा कब्जा जमाने के प्रयास को संयुक्त रूप से विफल करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार गेट की उरुग्वे दौर की हाल ही में सम्पन्न हुई वार्ता और आर्थिक उदारीकरण को देखते हुए प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा डेयरी उत्पादों के भारतीय बाजार पर कब्जा जमाने से रोकने के लिए निजी और सहकारी डेयरी उद्योग की किस प्रकार सहायता करने का है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) और (ख). आर्थिक उदारीकरण के साथ ही दुग्ध उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। तथापि, वांछित गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति को बनाये रखना तथा उसकी मात्रा को बढ़ाना और दुग्ध उद्योग के क्रमबद्ध/ क्रमिक विकास हेतु, सरकार द्वारा जारी किये गये दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रण करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

## ऑयल पाम की खेती

**2046. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑयल पाम की खेती के अन्तर्गत और अधिक भू-क्षेत्र लाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या केरल सरकार ने राज्य में आयल पाम की खेती का विस्तार तथा विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). देश में लगभग 7.96 लाख हैक्टेयर का कुल क्षेत्र आयल पाम की खेती के लिये उपयुक्त पाया गया है। ऑयल पाम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात राज्यों में आठवीं योजना(1992-97) के दौरान 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र को ऑयल पाम के अंतर्गत लाया जा रहा है।

(ग) और (घ). देश में बीज की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिये केरल के थाडूपुझा में 30 हैक्टेयर का एक ऑयल पाम बीज उद्यान लगाया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार और केरल सरकार के बीच 75:25 के आधार की सहभागिता पर लागू की जा रही है।

केरल सरकार ने कुट्टानाड की कड़ी जमीनों के 200 हैक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती के लिए प्रस्ताव भेजा था। कड़ी जमीनों की अत्याधिक अमलीयता और कम-उर्वरता के कारण राज्य सरकार को कड़ी जमीनों में ऑयल पाम की खेती की संभावना का अध्ययन करने के लिये 10 हैक्टेयर की एक प्रायोगिक परियोजना तैयार करने और आवश्यक वित्तपोषण के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गयी है। बहरहाल, केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

### गंगा दामोदर रेलगाड़ी

**2047. डा. सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा दामोदर 3329/3330 को धनबाद के रास्ते आसनसोल से पटना तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां।

### बॉडेल रोड पर उपरि पुल

**2048. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बॉडेल रोड तथा लेक गार्डन्स, कलकत्ता में रेलवे उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार "निजी स्रोतों" (इन-हाउस) के आधार पर या खुली बोली के आधार पर इन उपरि पुलों के निर्माण का है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी हां।

(ख) मूल अनुमानित लागत निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| बडेल रोड़ पर ऊपरी सड़क पुल के लिए : | |
| रेलवे का हिस्सा | 3.44 करोड़ रुपए |
| राज्य सरकार का हिस्सा | 6.61 करोड़ रुपए |
| जोड़ | 10.05 करोड़ रुपए |
| लेक गार्डन पर ऊपरी सड़क पुल के लिए | |
| रेलवे का हिस्सा | 3.97 करोड़ रुपए |
| राज्य सरकार का हिस्सा | 7.81 करोड़ रुपए |
| जोड़ | 11.78 करोड़ रुपए |

(ग) ऊपरी सड़क पुलों पर रेलवे के हिस्से से संबंधित कार्य के लिए खुली/सीमित निविदाओं के माध्यम से ठेका दिया जाएगा।

[हिन्दी]

### राजस्थान में रेल परियोजनाएं

**2049. प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अजमेर में बड़ी लाइनों की आवश्यकताओं के अनुपात में रेलवे लोको तथा कैरियेज कारखानों की वर्तमान क्षमता की वृद्धि करने के संबंध में सरकार की क्या कार्य-योजना है;

(ख) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) राजस्थान में ये कारखाने कौन-कौन से हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें से किसी कारखाने को बन्द करने अथवा स्थानानतरित करने का है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) 1995-96 के दौरान ब.ला. के चल स्टाक का आवधिक ओवरहाल करने के लिए अजमेर कारखाने का आमान परिवर्तन करने की योजना है।

(ख) 1995-96 के दौरान परियोजना के लिए 4.92 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(ग) राजस्थान में चार कारखाने हैं जो अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, और कोटा में स्थित हैं।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

## एयर ब्रेक प्रणाली

2050. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में रेलवे को कितने स्लैक एडजस्टरों और एयर ब्रेक प्रणाली की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में क्रयादेश दे दिए गए हैं;

(ग) क्या इस तरह के स्लैक एडजस्टर और एयर ब्रेक प्रणाली भारत ब्रेक्स एंड वाल्व लिमिटेड से प्राप्त करने की संभावना का पूरी तरह से पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 1994-95 में कुल 7072 अदद वात ब्रेक तंत्रों और 24864 स्लैक एडजस्टर्स की आवश्यकता का अनुमान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) 1994-95 में मै. भारत ब्रेक्स एवं वाल्वस लिमिटेड को 4637 अदद स्लैक एडजस्टर्स के लिए आदेश दिया गया था। वात ब्रेक तंत्र का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि फर्म द्वारा आवश्यकता प्रोटोटाइप तैयार नहीं किया जा सका।

## आमान परिवर्तन

2051. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काठगोदाम-बरेली-मथुरा-आगरा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). पहले चरण में, आगरा अछनेरा (आगरा-बांदीकुई तथा मथुरा-अछनेरा का भाग) खंड के आमान परिवर्तन को 1995-96 के बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है। मथुरा-कासगंज को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है तथा इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा। कासगंज-बरेली-लालकुंआ को कार्य योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लालकुंआ काठगोदाम खंड का आमान परिवर्तन पूरा कर लिया गया है।

(ग) जी, हां।

## डीजल जेनरेटिंग सेट

2052. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ताज ट्रेपेजियम और दून-घाटी में डीजल जेनरेटिंग सेटों के लगाए जाने पर निषेध है;

(ख) क्या ये सेट डीजल चलित वाहनों की तुलना में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कम अहितकर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में जब डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिंध नहीं हैं तो इन सेटों पर प्रतिबंध के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डीजल वाहनों में रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है जबकि एक डीजल जेनरेटिंग सेट में निर्गत विद्युत ऊर्जा होती है। अतः दोनों की तुलना संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वाहन प्रदूषण एक ही स्थान पर नहीं होता है और तेजी से फैल जाता है जबकि डीजल जेनरेटिंग सेट एक स्थान पर रखे रहते हैं और इनसे स्थानीकृत प्रदूषण होता है।

## विद्युतीकरण

2053. **श्री अमल दत्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा, सियालदाह, आसनसोल, माल्दा और खड़गपुर डिवीजनों की किन-किन लाइनों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या उक्त डिवीजनों में 1995-96 के दौरान दोहरी लाइन बिछाने तथा किसी लाइन का विद्युतीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (घ). विवरण नीचे संलग्न है :—

खड़गपुर मंडल

1. खड़गपुर-भद्रक
2. खड़गपुर-बांगरीपोसी

**हावड़ा मंडल**

1. खाना-सैंथिया-साहिबगंज
2. नलहाटी-आजमीगंज
3. कटवा-अहमदपुर
4. बर्द्धमान-कटवा (छो.ला.)
5. कटवा-आजमीगंज

**सियालदह मंडल**

1. रानाघाट-गेडे
2. कृष्णानगर सिटी-लाल गोला
3. रानाघाट-बोनगांव-पेतरापोल
4. बारासात-हसनाबाद
5. संतीपुर-कृष्णानगर सिटी-नाबाद्वीपघाट (छो.ला.)

**आसनसोल मंडल**

1. अंडाल-सैंथिया-भीमगढ़-प्लासथाली
2. अंडाल-इकरा-गौरंगडीह
3. इकरा-बारबानी-सीताराम पुर
4. तापसी-बाराबानी
5. मधुपुर-गिरिडीह

**मालदा मंडल**

1. आजीम गंज-तिलडांगा-मालदा टाउन
2. चामग्राम-बड़हरवा
3. बड़हरवा-धनौरी
4. तिनपहाड़-राजमहल
5. जमालपुर-मुंगेर
6. भागलपुर-मदार हिल

भाग (ख) से (घ). 1.1 जसीडीह-वैद्यनाथ धाम सहित (आसनसोल मंडल) मंडेल-कटवा) (हवड़ा मंडल) और सीतारामपुर-झा झा का विद्युतीकरण कार्य चल रहा है।

1.2 खड़गपुर-भुवनेश्वर खंड के भाग के रूप में खड़गपुर-भद्रक (खड़गपुर मंडल) के विद्युतीकरण को 1995-96 में नए कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

2. हवड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा और खड़गपुर मंडल के अंतर्गत दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव इस प्रकार है :-

**चालू काम**

1. साहिब गंज-न्यू फरक्का-मालदा टाउन
2. दत्तपुकुर-हबरा
3. खाना-सैंथिया (चरण-I)
4. झापटेरढाल-गुसकरा (चरण-II)
5. चंदनपुर-गड़प-तीसरी लाइन

**1995-96 के बजट में शामिल नये काम**

1. गुसकारा-बोलपुर (चरण-III)
2. बज बज-अकरा (चरण-I)

**दूसरे प्लेटफार्म का निर्माण**

**2054. श्री आबनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सियालदाह मंडल के लालगोला स्टेशन पर उपरि पुल के साथ-साथ दूसरे प्लेटफार्म के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

**[हिन्दी]**

**आमान परिवर्तन**

**2055. श्री ललित उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची-लोहारदगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर इसका विस्तार बिहार में तोरी तक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). रांची-लोहारदगा (69 कि.मी.) छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और इसके टोरी तक (44 कि.मी.) विस्तार करने के सर्वेक्षण को 3.39 लाख रुपये की लागत पर 1995-96 के बजट में एक नये सर्वेक्षण के रूप में शामिल किया गया है। यह कार्य संसद द्वारा बजट पास करने पर शुरू किया जाएगा। परियोजना के संबंध में आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संभव होगा।

[अनुवाद]

## भू-संरक्षण

**2056. श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केरल को भू-संरक्षण के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ख) केरल सरकार ने कितनी राशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया; और

(ग) राज्य में भू-संरक्षण योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (ग). केन्द्रीय कृषि मंत्रालय दो योजनाएं नामत : (I) नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को केन्द्रीय प्रायोजित योजना और (II) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, मृदा संरक्षण जिसका एक मुख्य घटक है, क्रियान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों और उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है :-

(रुपये लाख में)

| वर्ष | जारी की गई निधि | | उपयोग की गई धनराशि | |
|---|---|---|---|---|
| | नदी घाटी परियोजना | वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना | नदी घाटी परियोजना | वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना |
| 1992-93 | 160.0 | 300.0 | 133.65 | 753.9 |
| 1993-94 | 180.0 | 1360.0 | 91.16 | 360.0 |
| 1994-95 | 55.0 | 180.0 | प्रतिक्षा की जा रही है | प्रतिक्षा की जा रही है। |

नदी घाटी परियोजनाओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन केरल राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 7190 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। वर्षा-सिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना 88267 हैक्टेयर में शुरू की गई है, जल संरक्षण जिसका एक मुख्य घटक है। यह परियोजना 1996-97 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का परती भूमि विकास विभाग केरल में समेकित परती भूमि विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिसके लिए 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान 676.17 लाख रुपये की कुल धनराशि जारी की गई है। इन निधियों में से धनराशि का 20 प्रतिशत तक मृदा और जल संरक्षण कार्य के लिए खर्च करने की अनुमति है।

## रेलवे के निर्माणकारी एकक

**2057. श्री संदीपन भगवान थोरात :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के अंतर्गत प्रमुख निर्माणकारी एककों के कार्य के निष्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या हाल ही में कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रस्तावित परिव्ययों का प्रावधान क्या है;

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्माण कार्य के आधुनिकीकरण, क्षमताओं के विस्तार परियोजनाओं के विविधिकरण तथा नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान है; और

(च) इस संबंध में प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों और विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों की 5 प्रमुख उत्पादन इकाइयों के कार्य निष्पादन ब्यौरा दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) इन इकाइयों द्वारा भेजी गई आवधिक विवरणियों के जरिए कार्य निष्पादन की आवधि समीक्षा की जाती है।

(घ) रेलवे बोर्ड के 1995-96 के चल स्टाक कार्यक्रम में रेल उत्पादन इकाइयों के लिए लगभग 16.96 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ङ) इन उत्पादन इकाइयों की क्षमता के बढ़ने के लिए 1995-96 के दौरान की गई राशि व्यवस्था इस प्रकार है :-

**(i) चितरंजन रेल इंजन कारखाना**

| | |
|---|---|
| बिजली रेल इंजन निर्माण क्षमता को 100 से बढ़ाकर 130 रेल इंजन करना। | 3.76 करोड़ रुपये |

**(ii) पहिया एवं धुरा संयंत्र**

| | |
|---|---|
| क्षमता में वृद्धि | 5.80 करोड़ रुपये |

(घ) इन इकाइयों के लिए किसी संयुक्त उद्यम और विदेशी निवेश का प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

| उत्पादन इकाइयां | मद | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|
| चितरंजन रेल इंजन कारखाना | बिजली | 115 | 125 | 140 |
| चितरंजन | रेल इंजन | | | |
| | डीजल रेल इंजन | 45 | 30 | - |
| डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी | डीजल | 150 | 151 | 152 |
| | रेल इंजन | | | |
| सवारी डिब्बा कारखाना पेरम्बूर मद्रास | सवारी डिब्बे | 1016 | 1023 | 1038 |
| रेल सवारी डिब्बा कारखाना कपूरथला | सवारी डिब्बे | 915 | 1115 | 1025 |
| पहिया और धुरा संयंत्र | पहिये | 69632 | 80129 | 69484 |
| येलहंका, बेंगलूरू | धुरे | 43624 | 49503 | 47698 |
| | (बी.ओ.एक्स.एन) यूनिटों में | | | |

### नेशनल को-आपरेटिव कन्जुमर्स फेडरेशन में कथित अनियमितताएं

**2058. डा. रमेश चन्द तोमर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल को-आपरेटिव कन्जुमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लि. के चेयरमैन के पद पर अनियमित रूप से बने रहने के संबंध में सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार को कतिपय संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) और (ख). नेशनल को-आपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लि. (एन.सी.सी.एफ.) के वर्तमान चेयरमैन के पद पर अनियमित रूप से बने रहने के संबंध में कतिपय संसद सदस्यो से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चेयरमैन के अनियमित रूप से बने रहने का वास्तविक कारण यह था कि मेहसाणा जिला सहकारी क्रय एवं बिक्री संघ लि., जिसके निदेशक मंडल का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने एन.सी.सी.एफ. को सामान्य निकाय से उनका प्रतिनिधित्व वापिस ले लिया था। इस मामले को एन.सी.सी.एफ. को टिप्पणी हेतु भेजा गया था। उन्होंने सूचित किया है कि वर्तमान चेयरमैन ने मेहसाणा जिला सहकारी क्रय एवं बिक्री संघ लि. के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व किया। जबकि इस सोसाइटी ने एन.सी.सी.एफ. की सामान्य निकाय से उनका प्रतिनिधित्व वापिस ले लिया था, वह निदेशक मंडल में कार्य करते रहे क्योंकि वह एन.सी.सी.एफ की सामान्य निकाय में दूसरी सोसाइटी अर्थात गुजरात राज्य कन्जूमर्स कापरेटिव फेडरेशन लि. का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस मामले को एन.सी.सी.एफ. के साथ उठाया जा रहा है।

### यूरिया का प्रयोग

**2059. श्री पी.सी. चाको :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को कम करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इन निर्देशों का पालन किया है;

(घ) क्या यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण को भी नुकसान होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए देश में यूरिया के उत्पादन में कमी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार का इन निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (ग). सरकार ने यूरिया के अत्याधिक प्रयोग को कम करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश नहीं दिया है।

(घ) यूरिया सहित सभी उर्वरकों का अत्याधिक प्रयोग रेतीली मिट्टी और अत्यधिक सिंचाई/भारी वर्षा की स्थिति में नाइट्रेट के जरिए भू-जल को प्रदूषित कर देता है लेकिन उर्वरकों के उपयोग के

वर्तमान स्तर पर यूरिया के प्रयोग से प्रदूषण होने का कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं मिला है।

(ङ) से (ज). उपर्युक्त (घ) को दृष्टि से सरकार ने देश में यूरिया के उत्पादन में कमी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

### कुष्ठरोग धर्मार्थ संगठनों को पास जारी करना

**2060. श्री अन्ना जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में कई कुष्ठरोग धर्मार्थ संगठनों को प्रथम श्रेणी के पास जारी करता है; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक संगठन को कितने पास जारी किये गये?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) रेल मंत्रालय द्वारा मानार्थ कार्ड पास, पहले दर्जे या दूसरे दर्जे के पास कुष्ठ रोग धर्मार्थ संगठनों सहित सामाजिक गतिविधियों को समर्पित संगठनों को, प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) कुष्ठ रोग निवारण के कार्य में लगे निम्नलिखित संगठनों को 23.3.1995 तक वैद्य मानार्थ कार्ड पास जारी किये गए हैं :-

| क्र. सं. | संगठन का नाम | जारी किए गए पासों की संख्या | पास का दर्जा |
|---|---|---|---|
| 1. | गांधी मेमोरियल लेपरोसी फाउन्डेशन वर्धा | एक | पहला दर्जा |
| 2. | सुम्माना हल्ली लेपरोसी रिहेबीलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेन्टर, बेंगलूरू | एक | पहला दर्जा |

### आनुवंशिक इंजीनियरिंग

**2061. श्री पी. कुमारासामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पौधों को और अधिक लचीला बनाने हेतु देश में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कीटों एवं रोगों जैसे जैविक आपदाओं के कारण क्षति और बाढ़ एवं लवणीय मिट्टी जैसे अजैविक अवारोधों का सामना करने की क्षमता वाले आनुवांशिकी इंजिनियरी द्वारा पौधों के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनेक अनुसंधान कार्य शुरू किए गए हैं। कपास, तम्बाकू, घना, सरसों और चावल जैसी फसलों पर अनुसंधान कार्यक्रम चालू किए गए हैं। तम्बाकू, सरसों और चने में कीट प्रतिरोधी जीन पहले ही से स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल अनुसंधान संस्थान के सभी अनुसंधानों में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जैव प्रौद्योगिकी और पौध विज्ञान में वांशिक इंजिनियरिंग में अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थाओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सुक्ष्म पौध जीवविज्ञान के केन्द्र स्थापित करने में मदद दी जाती है

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

### कृषि विज्ञान केन्द्र

**2062. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी जिले के चांदपुर गांव में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र ने पूर्णतः कार्य करना आरम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे आरम्भ करने के संबंध में सरकार को किन-किन बाधाओं का पता चला है;

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्णरूपेण कब से काम करना शुरू कर देगा?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) चांदपुर गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति अक्तूबर, 1994 में दी गई थी और यह केन्द्र जल्द से जल्द पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दे इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(ख) और (ग). कोई बाधा नहीं है।

(घ) संरचनात्मक सुविधाओं जैसे-भवन, उपकरण आदि के उपलब्ध होने तथा गारंटी स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही केन्द्र पूर्णरूप से कार्य करना शुरू कर देगा।

[अनुवाद]

## फोटोग्राफी प्रदर्शनी

**2063. श्री जगमीत सिंह बराड़ :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी ने हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी, 1995 का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इसमें भाग लेने हेतु फोटोग्राफरों के लिए कुछ अर्हताएं और औपचारिकताएं निर्धारित की गयी थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस प्रदर्शनी के उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) इस प्रदर्शनी के लिए अकादेमी द्वारा किए गए व्यापक प्रचार के आधार पर, उन्हें प्रविष्टियों के रूप में 1300 छायाचित्र प्राप्त हुए। सामान्य परिषद् द्वारा नियुक्त जूरी ने, जिसमें सर्वश्री एन. त्यागराजन, अविनाश पसरीचा, पी.सी. लिटिल ओर ओ.वी. शर्मा शामिल थे, प्रदर्शनी के लिए 222 छायाचित्रों का चयन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छायाचित्रकारी को एक दृश्य कला के रूप में मान्यता प्रदान करना था।

(ग) से (ङ). प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए नियम एवं विनियम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(च) और (छ). जी, हां। विजेता घोषित किए गए कलाकारों और उनके प्रतिष्ठापूर्ण उल्लेख-प्रमाणपत्रों की सूची विवरण-II में दी गई है।

### विवरण-I

### प्रथम राष्ट्रीय छायाचित्रकारी प्रदर्शनी, 1995

**पुरस्कार**

1. उत्कृष्ट योग्यता की पांच कृतियों के लिए दस-दस हजार रुपये के पांच नकद पुरस्कार होंगे।
2. इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय अकादेमी पुरस्कार कहा जायेगा।
3. यदि राष्ट्रीय छायाचित्रकारी प्रदर्शनी के लिए नियुक्त जूरी को पुरस्कार दिये जाने योग्य 5 से कम प्रदर्श मिलते हैं, तो यह सभी पांच पुरस्कार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगी।
4. पुरस्कारों के अतिरिक्त, जूरी अपने विवेक से पांच प्रतिष्ठापूर्ण उल्लेख प्रमाणपत्र जारी करेगी।
5. पुरस्कार विजेताओं को एक स्मृति चिन्ह और एक पुरस्कार/प्रतिष्ठापूर्ण उल्लेख-प्रमाणपत्र दिया जायेगा।
6. केवल सीधे स्तर की प्रविष्टियों को अनुमति दी जायेगी।

**सामान्य**

7. जूरी/क्रय समिति के सदस्यों के प्रदर्शों को पुरस्कृत अथवा खरीदा नहीं जायेगा।
8. अकादेमी के कार्यकारी मंडल/सामान्य परिषद् द्वारा नियुक्त जूरी प्रदर्शन के लिए कृतियों का चयन करेगी और पुरस्कार की अनुशंसा करेगी।
9. प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत और प्रदर्शन के लिए जूरी द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्येक प्रदर्श पर प्रतियोगिता के लिए स्वतः विचार किया जायेगा, जब तक कि इसे अनुसची में "प्रतियोगिता के लिए नहीं" चिन्हित नहीं किया जाता है।
10. अकादेमी के अधिसदस्यों के प्रदर्शों पर चयन की शर्त लागू नहीं होगी, बशर्ते कि वे प्रतियोगिता के लिए नहीं हैं। यदि वे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो भागीदारी के नियम उन पर भी लागू होंगे।
11. अकादेमी द्वारा प्रदर्शनी की कुछ कला कृतियों का चयन और अधिप्राप्ति की जा सकती है। अतः कलाकारों को अपनी कलाकृतियों का उचित मूल्य रखना चाहिए ओर अपना पूर्ण जीवन-वृत्त भेजना चाहिए।
12. प्रदर्शों की बिक्री लाभों में से दस प्रतिशत की राशि अकादेमी द्वारा "कलाकार सहायता निधि" के लिए रख ली जायेगी।
13. राष्ट्रीय छायाचित्रकारी प्रदर्शनी से अधिग्रहीत प्रदर्शों का कॉपीराइट अकादेमी के पास रहेगा। कलाकारों को जब उनकी कृतियों की खरीद के बारे में सूचित किया जाय, तो उन्हें इस आशय का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता होगी।
14. प्रदर्शकों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में अकादेमी को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। गलत पते के कारण यदि डाक-सामग्री भूल-भटक जाय, तो इसके लिए अकादेमी उत्तरदायी नहीं होगी।
15. सभी पत्राचार सचिव, ललित कला अकादेमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली 110001 के पते पर किया जाना चाहिए।
16. विवरणिका में दिए गए किसी नियम का अनुपालन न होने पर प्रदर्शों को रद्द किया जा सकता है।
17. उद्घाटन में आमंत्रण देने के अतिरिक्त, प्रत्येक कलाकार, जिसकी कृतियों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया जाता है, एक सचित्र सूचीपत्र के लिए पात्र होगा।

**प्रदर्श**

18. किसी कलाकार के एकरंग और या रंगीन अधिकतम चार छायाचित्रों पर चयन के लिए विचार किया जायेगा।

19. विषय-वस्तु पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। छायाचित्र, चित्रयुक्त, फोटोपत्रकारिता युक्त अथवा प्रदर्शनी की गुणवत्ता और दीर्घकालीन स्वरूप के हो सकते हैं।

20. ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित किसी अखिल भारतीय प्रदर्शनी या भारत में हुई किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पहले से ही प्रदर्शित कोई प्रदर्श स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी प्रदर्शों का निर्माण-कार्य दिनांक 1.1.1990 के बाद होना चाहिए।

21. चयन एवं निर्णय के मामले में जूरी का निर्णय अंतिम होगा और इस विषय में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

22. अकादेमी के पास प्रदर्शनी के लिए स्वीकृत किसी प्रदर्श को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार है।

23. दिनांक 31 जनवरी के बाद प्राप्त प्रदर्शों पर चयन के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

24. किसी प्रदर्शक को जिसकी कृतियों प्रदर्शित की गई हैं, प्रदर्शनी के समापन से पूर्व प्रस्तुत किसी प्रदर्श को हटाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

25. एक रंगी और रंगीन छायाचित्रों का आकार 30.5 सें.मी. × 38 सें.मी. (12+15 इंच) होगा। छायाचित्र की लंबाई 38 सें.मी. (15 इंच) से कम नहीं होना चाहिए।

26. भेजे गए प्रदर्शों में ढांचे और उभार नहीं होने चाहिए। अकादेमी सभी चयनित प्रदर्शों के लिए ढांचे उभार प्रदान करेगी।

27. प्रत्येक प्रदर्श के पीछे एक लेबल चिपकाया जाना चाहिए। विवरणिका के साथ लेबल की पूर्ति की जाती है।

28. प्रदर्शों की प्रस्तुति का अर्थ ऊपर वर्णित सभी नियमों और विनियमों की स्वीकृति से है।

**अनुसूची**

29. संलग्न अनुसूची में विस्तुत जीवन-वृत्त सही-सही भरा जाना चाहिए और इसे प्रदर्शों के साथ दिनांक 16 से 31 जनवरी, 1995 के मध्य सचिव, ललित कला अकादेमी को डाक से या वैयक्तिक रूप से भेजा जाना चाहिए और इसकी प्राप्ति रसीद भी ली जानी चाहिए।

30. एक बार प्राप्त हो जाने के बाद, अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुसूची में निहित विवरण प्रदर्श के पीछे के लेबल पर वर्णित ब्यौरा से मेल खाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, अनुसूची में दिए गए विवरण को अंतिम माना जायेगा।

31. अनुसूची अकादमी द्वारा उपलब्ध कराए गए शासकीय फार्मों पर ही होनी चाहिए।

**पैकिंग, प्रेषण, रेलवे रियायत, प्राप्ति, माल-भाड़ा, बीमा और प्रदर्शों की वापसी के लिए नियम**

**पैकिंग और प्रेषण**

32. प्रदर्शों को मजबूत केसों में पैक किया जाना चाहिए ताकि वे डाक परिवहन की प्रक्रिया में सुरक्षित रहें। अकादेमी रेलवे के इस इंकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगी कि यह पैकेज रेल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है।

33. प्रदर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के खर्चों पर डाक परिवहन बीमा के अंतर्गत केसों में प्रेषण भेजें, ताकि डाक विभाग इसका सावधानीपूर्वक निपटान सुनिश्चित कर सके।

34. हवाई जहाज या डाक द्वारा प्रदर्शनी के लिए प्रत्यक्षतः भेजे गये प्रदर्शों वाले सभी पैकेज चिन्हित होने चाहिए।

**ये विषय प्रथम राष्ट्रीय छाया चित्रकारी प्रदर्शनी, 1995 नई दिल्ली के लिए हैं।**

35. विवरणिका के साथ भेजी गई प्रेषण-पर्ची पार्सल के शीर्ष पर चिपकाई जानी चाहिए।

सभी पैकेजों के माल-भाड़े का भुगतान कर दिया जाना चाहिए और निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए :

सचिव,

ललित कला अकादमी,

रवीन्द्र भवन,

नई दिल्ली-110001

**बाहरी और स्थानीय प्रदर्शों की प्राप्ति**

36. वायुयान, पोस्ट पार्सल द्वारा भेजे गए प्रदर्श इस प्रकार से प्रेषित किए जाने चाहिए, ताकि वे 16 और 31 जनवरी, 1995 के बीच ललित कला अकादमी तक पहुंच जाएं।

37. केवल स्थानीय कलाकारों के प्रदर्श 16 और 31 जनवरी, 1995 के मध्य सभी कार्य दिवसों में 10.00 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 12 बजे और अपराह्न 2.30 से 4.30 तक ललित कला अकादेमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में सुपुर्द किए जा सकते हैं।

**बीमा**

38. चयन की तिथि से शुरू होने वाले तीन महीनों की अवधि के लिए केवल चयनित प्रदर्शों के लिए अकादेमी द्वारा बीमा किया जायेगा।

(I) बीमा के उद्देश्य से सभी प्रदर्शों, जिसमें 'बिक्री नहीं' के लिए प्रदर्श शामिल हैं, का मूल्य अनुसूची में दिया जाना चाहिए।

(II) अकादेमी प्रदर्शक द्वारा किए गए बीमें संबंधी बीमा-प्रभार के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(III) अकादेमी प्रस्तुत प्रदर्शों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन यह इस धारा (38) में यथाविहित बीमा द्वारा कवर की गई क्षति को छोड़कर किसी अन्य क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(IV) दावे के मामले में, अकादेमी और बीमा कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।

39. व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त प्रदर्श सूचना पत्र में दिए गए निश्चित समय-सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। अन्यथा अकादेमी जिस ढंग से उपयुक्त समझे, इसका निबटान कर सकती है।

40. प्रदर्श अनुसूची में प्रदर्शक द्वार दिये गये पते अथवा बाद में प्रदर्शक द्वारा दिये गये किसी अन्य पते पर पंजीकृत डाक द्वारा वापस किया जायेगा। यदि, प्रदर्शक संपर्क वाले पते पर प्रेषित सामग्री एकत्र करने में विफल रहता है अथवा यदि डाक विभाग प्रदर्श भेज नहीं पाता, तो अकादमी प्रदर्शों को वापस नहीं लेगी अथवा किसी तरीके से स्वयं उत्तरदायी नहीं होगी।

**आमंत्रित व्यक्ति**

41. ललित कला अकादेमी अपने कार्यकारी मंडल/सामान्य परिषद् द्वारा यथानिर्णात अधिनिर्णय में राष्ट्रीय छाया-चित्रकारी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए देश से अधिकतम पांच कलाकारों को आमंत्रित कर सकती है। ये कलाकार चार-चार कृतियां भेज सकते हैं और इनकी कृतियां चयन और प्रतियोगिता के लिए नहीं होंगी। तथापि, खरीद हेतु उन पर विचार किया जा सकता है।

**विवरण-II**

**निम्नांकित कलाकारों को पुरस्कार विजेताओं के रूप में घोषित किया गया :**

1. श्री अनिल दलवी, बम्बई।
2. सुश्री चित्रांगदा शर्मा, दिल्ली।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, दिल्ली।
4. श्री एच. सतीश, बंगलौर।
5. श्री एस. एन. सिन्हा, दिल्ली।

**अकादेमी ने निम्नांकित कलाकारों को पांच प्रतिष्ठापूर्ण उल्लेख-पत्र भी प्रदान किये :**

1. श्री सुशांत बनर्जी, कलकत्ता।
2. सुश्री चित्रा एन. गोखले, बम्बई।
3. श्री अदित अग्रवाल, कलकत्ता।
4. श्री भूपेश चन्द्र लिटेले, लखनऊ।
5. श्री अविनाश सी. अग्रवाल, नौएडा।

**रेमी अनुसंधान केन्द्र**

**2064. उद्धव बर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेमी फाइबर की वैज्ञानिक खेती और प्रयोग हेतु असम में जिला बारपेडा के सोरभोग में रेमी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस अनुसंधान केन्द्र को कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) क्या इस केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय रेमी अनुसंधान केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका दर्जा कब तक बढ़ाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां। रेमी की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करने के निमित्त बैरकपुर में केन्द्रीय जूट और संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान के एक रेमी उप-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित कोष निम्न प्रकार है :

| वर्ष | आवंटित कोष (लाख में) |
|---|---|
| 1991-92 | 17.43 लाख |
| 1992-93 | 20.28 लाख |
| 1993-94 | 18.48 लाख |

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रेमी की फसल देश के बहुत ही सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है और इसके सभी पहलुओं पर सोरभाग स्थित अनुसंधान केन्द्र पर अनुसंधान किया जाएगा।

**निजामुद्दीन एक्सप्रेस**

**2065. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
**श्री के.जी. शिवप्पा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया यात्री यातायात में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली और बंगलौर के बीच चलने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने अथवा इन शहरों के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की लगातार मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) इस संबंध में कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

## उचित दर की दुकानें

**2066. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में सर्किल-वार कितनी उचित दर की दुकाने हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकांश उचित दर की दुकानों के मालिकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनता में अलोकप्रिय हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (छ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के 197 उचित दर दुकानधारियों ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए दुकानें छोड़ दी हैं। दिल्ली में उचित दर दुकानों की कुल संख्या लगभग 3450 बताई गई है। यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोकप्रिय नहीं है फिर भी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन की दुकानों की मंडल-वार संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

## कृषि फार्म

**2067. डा. आर. मल्लू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से बड़े कृषि फार्मों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पिछले महीनों के दौरान ऐसे प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कृषि फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नीति भी अपनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से बड़े कृषि फार्मों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). लिखित रूप में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं।

## रेल लाइन

**2068. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हरिहर-कोट्टरू रेल लाइन बिछाने के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) इस लाइन की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और पूरा हो जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) 65.94 करोड़ रुपये।

(ग) जी, हां।

(घ) 65 किलोमीटर।

(ङ) कार्य को 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है और जो सी.सी.ई.ए. द्वारा आवश्यक स्वीकृति दे दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

**[हिन्दी]**

## राष्ट्रीय महिला आयोग

**2069. श्री मंजय लाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1995 के "जनसत्ता" में "अभी कागजी है महिला आयोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात् गत तीन वर्षों से कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ग) क्या महिलाओं से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के संबंध में इस आयोग की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार इस आयोग की गतिविधियों को व्यापक और रचनात्मक बनाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने हेतु विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 को की गई। आयोग ने 31 जनवरी, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि के सम्बन्ध में अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट हाल ही में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ). आयोग ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में कानूनी सुधारों के सुझाव दिए हैं, महिलाओं के लिए अभिरक्षा में न्याय, बाल बलात्संग की समस्याओं, प्रचार माध्यमों के प्रभाव और उनमें महिलाओं के चित्रण, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और आदिवासी महिलाओं के विकास की समस्याओं आदि का अध्ययन किया है। महिलाओं से सम्बद्ध सभी प्रमुख मुद्दों पर केन्द्र सरकार ने नियमित रूप से आयोग से परामर्श किया है। आयोग को अत्याचारों के संबंध में 830 से भी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है और आयोग ने उनके बारे में कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इन्हें उठाया है।

आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वाह हेतु पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है।

अधिनियम के उपबन्धों, आयोग की सवायत्त प्रकृति तथा आयोग द्वारा किए गए कार्यकलापों की व्यापक और रचनात्मक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करती।

**[अनुवाद]**

## राष्ट्रीय महिला कोष

**2070. श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला कोष ने धनराशि स्वीकृति, वितरण और वसूली आदि के विषय में अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने संचालन के छः वर्षों में 2 लाख महिला लाभप्राप्तकर्त्ताओं को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में पहले दो वर्षों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 (20.3.95 तक) में 58,524 महिलाओं को कवर करने के लिए 46 गैर-सरकारी संगठनों को ऋण स्वीकृत किया।

वित्तीय निष्पादन के हिसाब से कोष ने 1993-94 और 1994-95 (20.3.95 तक) के दौरान 9.39 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 5.55 करोड़ रुपयों का संवितरण किया। वूसली के हिसाब से, 1.60 करोड़ रुपए की कुल देय राशि की तुलना में 1.54 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। वूसली का प्रतिशत 96 बनता है।

**[हिन्दी]**

## भूमिगत जल में प्रदूषण

**2071. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से भूमिगत जल के प्रदूषित होने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रदूषित भूमिगत जल के संबंध में कोई सर्वेक्षणे कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पता लगाए गए स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भूमिगत जल के प्रदूषण की रोक-थाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के 24 परगना (उत्तरी), 24 परगना (दक्षिणी), नदिया, बर्दमान, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बड़ी मात्रा में आर्सेनिक संदूषण के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक बहिस्राव और मलजल के रिसाव के कारण भूमिगत जल के प्रदूषित होने के बारे में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक भूमिगत जल गुणवत्ता निगरानी परियोजना शुरू की है और निम्नलिखित क्षेत्रों में 134 भूमिगत जल प्रतिदर्श स्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

भद्रावती (कर्नाटक), चेम्बूर (महाराष्ट्र), धनबाद (बिहार), दुर्गापुर (पं. बंगाल), मंडी गोबिन्दगढ़ (पंजाब), ग्रेटर कोचीन(केरल), हावड़ा (पं. बंगाल), जोधपुर (राजस्थान), कालाअंब (हिमाचल प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश), मनाली (तमिलनाडु), नागदा-रतलाम (मध्य प्रदेश), नजफगढ़ नाला बेसिन, (दिल्ली), नार्थ अरकॉट (तमिलनाडु), पाली (राजस्थान), परवानू (हिमाचल प्रदेश), पतनचेरू बोलरम (आंध्र प्रदेश), सिंगरौली (उत्तर प्रदेश), तलचेर (उड़ीसा), वापी (गुजरात), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)।

(ङ) सरकार ने भूमिगत जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल में आर्सेनिक की उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्रों में अध्ययन किए गए हैं। अब तक किए गए अध्ययनों से पता चला है कि आर्सेनिक भौगोलिक सैल-समूहों में स्वतः ही बन जाता है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल प्रणाली की स्थापना के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव मानव निर्धारित किए गए हैं।

(3) उद्योगों से कहा गया है कि वे बहिस्राव उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणें की स्थापना करने के लिए तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले नान-कान फार्मिंग क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन किए जाते हैं।

(5) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(6) सांझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूहों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की गई है।

(7) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में एक भूमिगत जल गुणवत्ता निगरानी स्कीम चलाई गई है।

[अनुवाद]

**पलक्कड़ किले पर "फ्लड लाइटिंग" की व्यवस्था**

2072. **श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पलक्कड़ किले पर स्थिर "फ्लड लाइटिंग" की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बहुत समय पहले भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सामान्य शर्तों पर पलक्कड़ किले को स्थिर "फ्लड लाइटिंग" के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी है।

(ख) पलक्कड़ किले में "फ्लड लाइटिंग" का प्रस्ताव जिला पर्यटन उन्नयन परिषद द्वारा दिनांक 18.9.94 को प्रस्तुत किया गया था और इसके तुरन्त बाद अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**गर्म मसालों के लिए नर्सरियां**

2073. **श्री महेश कनोडिया :**
**श्री राम कृपाल यादव :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्म मसालों के उत्पादन तथा उनकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गर्म मसालों के उत्पादन हेतु केन्द्रीय नर्सरियों की स्थापना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी कुछ नर्सरियों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) गरम मसालों के उत्पादन और क्वालिटी में सुधार हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) काली मिर्च की जड़दार कलमें, अदरक हल्दी, मिर्च के न्युक्लियस बीजों, बीज वाले मसालों तथा मसालों की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये 26 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में नर्सरियां स्थापित की गई है।

(ङ) मसाला उगाने की संभावना वाले लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

### खाद्य तेल का आयात

**2074. श्री तारा सिंह :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत खाद्य तेल के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत खाद्य तेल की अनुमति देने से पूर्व देश में इसके उत्पादन का आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य तेल के आयात से भारतीय उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी, हां। नारियल का तेल, ताड़ गिरि का तेल, आर.बी.डी. ताड़-तेल और आर.बी.डी. ताड़ स्टीयरिन को छोड़कर, सभी खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग). देश में सभी देशीय स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलभ्यता और वर्तमान आवश्यकता के बीच लगभग पांच से छः लाख मी. टन का अन्तर है।

(घ) और (ङ). चुनिंदा खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत् आयात करने का निर्णय, उनकी उपलभ्यता बढ़ाने और देश में खाद्य तेलों के खुले बाजार के मूल्यों को संयत करने की दृष्टि से किया गया है।

### कच्चे माल का मूल्य

**2075. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कपड़े धोने के साबुनों, डिटर्जेंटों आदि के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्यों मे भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट आदि के निर्माताओं/सप्लायरों ने सुपर बाजार को उनकी आपूर्ति दरों में कमी करने हेतु लिखा था और क्या सुपर बाजार ने दरों में संशोधित करने में काफी समय लिया था;

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर विचार करने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इनके बारे में शीघ्र निर्णय लेने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(च) उक्त मूल्य केन्द्रीय भंडार के मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (ग). लॉण्ड्री साबुन और अपमार्जकों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री के संबंध में हाल ही के थोक मूल्य सूचकांक दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि आंशिक रूप से मूलभूत आदानों की उत्पादन लागत में वृद्धि तथा मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर के कारण हुई है। इस कच्ची सामग्री यथा कॉस्टिक सोडा, सोडाक्षार आदि के मूल्यों में वृद्धि का कारण यह भी है कि ये बहुमुखी आदाम हैं जिनका उपयोग विविध उद्योगों में दिया जाता है। देश में औद्योगिक गतिविधि के पुनरुज्जीवित होने के फलस्वरूप इस प्रकार की कच्ची सामग्री की मांग भी बढ़ गई है, जिससे इनके दामों में कुछ वृद्धि हुई है। देश में सर्वतोमुखी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा नीति संबंधी अनेक पहल की गई है।

(घ) से (च). सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार में लॉण्ड्री साबुन और अपमार्जकों के उत्पादकों से दरों में संशोधन हेतु प्राप्त सभी मामलों का सामान्यतः मौजूदा नियमों के अनुसार निर्णय किया जाता है तथा इस समय कोई भी अनुरोध लम्बित पड़ा हुआ नहीं है। केन्द्रीय भण्डार में इन वस्तुओं के मूल्य सुपर बाजार की दरों से तुलनीय हैं।

### विवरण

**लॉण्ड्री साबुन और अपमार्जकों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल के थोक मूल्य सूचकांक।**

(आधार 1981-82 -100)

| रसायन/तेल | चालू सप्ताह (11.3.95) | एक सप्ताह पहले (4.3.95) | चार सप्ताह पहले (11.2.95) | 3 महीने पहले (10.12.94) |
|---|---|---|---|---|
| सोडियम हाइड्रोक्साइड (कॉस्टिक सोडा) | 315.7 | 315.7 | 315.3 | 300.9 |
| सोडियम कार्बोनेट (सोडा क्षार) | 389.1 | 389.1 | 389.1 | 377.9 |
| सोडियम फॉस्फेट | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 312.4 |
| अलसी का तेल | 278.3 | 280.2 | 271.7 | 246.0 |
| एरण्ड का तेल | 362.2 | 366.1 | 357.3 | 333.5 |
| बिनौले का तेल | 313.3 | 310.7 | 310.7 | 300.5 |

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

### पुरुलिया एक्सप्रेस

**2076. श्री सुखेन्दु खां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया एक्सप्रेस के अनियमित रूप से चलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहरहाल, पिछले तीन महीनों के लिए किए गए गाड़ी चालन विश्लेषण से पता चला है कि समय पालन संतोषजनक रहा है। तथापि गाड़ी के विलंब से चलने के सभी कारणों को दूर करने के सामान्य उपाय के रूप में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

### केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं

**2077. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
**श्री सत्यदेव सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सेकेन्ड्री परीक्षा के लिए इस वर्ष से आगे सभी पांच विषयों में उत्तीर्ण होना होगा, जबकि इससे पहले इस परीक्षा में पांच में से चार विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सफल घोषित किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) एकरूपता स्थापित करना क्योंकि देश के अधिकांश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी पांच विषयों में उत्तीर्ण होने के मानदंड का अनुपालन कर रहे हैं।

(ii) अन्य परीक्षा निकायों के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश पाने के इच्छुक घुमन्तु आबादी की समस्याओं में कमी लाना।

(ग) इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

### मूंगफली का तेल

**2078. श्री दिलीप भाई संघाणी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान गुजरात में मूंगफली के तेल कीं कीमतें तेजी से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मूंगफली के तेल की कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख). जी हां। अहमदाबाद तथा राजकोट में 16.11.1994 और 15.3.1995 को मूंगफली के तेल के थोक मूल्य निम्नलिखित बताए गए हैं।

(रु. प्रति क्विंटल)

| | 16.11.1994 | 15.3.1995 |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | 3453 | 3900 |
| राजकोट | 3400 | 3880 |

(ग) सरकार ने नारियल के तेल, ताड़ गिरि के तेल, आर.बी.डी. ताड़ तेल तथा आर.बी.डी. ताड़ स्टीयरिन को छोड़कर सभी खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी है और खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।

[हिन्दी]

### दामोदर नदी में प्रदूषण

**2079. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दामोदर नदी के तटों के समानांतर पर्यावरण की स्थिति प्रदूषित नदी जल के कारण गंभीर हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है/करने का विचार है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). बिहार में दामोदर नदी का जल परम्परागत उपचार के बाद कुल मिलाकर नहाने और पीने के लिए उपयुक्त है। तथापि, थर्मल पावर स्टेशनों से निकलने वाली पतली राख और म्युनिसीपल सीवेज के निसतारण से नदी मुख्यतः चार स्थानों पर प्रदूषित हो रही है। ये स्थान संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ग) प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों द्वारा बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसीपल सीवेज आदि से होने वाले दामोदर नदी के प्रदूषण के निवारण के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

**विवरण**

**बिहार में दामोदर नदी के प्रदूषित क्षेत्र**

1. राजरप्पा अधोप्रवाह से भैरवी नदी मिलन स्थल के अधोप्रवाह तक
2. बोकारो नदी और कोनार नदी अधोप्रवाह के दामोदर नदी में मिलन स्थल तक जिसमें तेलमुच्चु पुल तक दामोदर का क्षेत्र शामिल है।
3. कतारी नदी मिलन से लगभग 2 किलोमीटर अधोप्रवाह।
4. डोमागढ़ वाटर वकर्स के निकट दामोदर नदी क्षेत्र मोड़।

[अनुवाद]

**अतिरिक्त लाइनें**

**2080. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त रेल लाइनें प्रदान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**किए गए सर्वेक्षण और उन पर लिए गए निर्णय**

| सर्वेक्षण का नाम | वर्ष | लम्बाई (कि.मी.) | अनुमानित लागत | प्रतिफल का प्रतिशत | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| लालाबाजार-वेरंग्टी (मी.ला.) | 1982 | 20.00 | 16.10 | ऋणात्मक | परियोजना रोक दी गई |
| टिपलिंग-ईटानगर लंका-सिलचर (ब.ला.) | 83-84 | 33.00 | 25.82 | ऋणात्मक | यथोक्त |
| विकल्प लमडिंग-बदरपुर मी.ला.को. | 84-85 | 210.00 | 650.00 | ऋणात्मक | यथोक्त |
| दिमापुर-छुमुकेदिमा (ब.ला.) | 1985 | 13.00 | 6.30 | ऋणात्मक | यथोक्त |
| जीरीबाम-मकडू (मी.ला.) | 1987 | 19.00 | 75.00 | ऋणात्मक | यथोक्त |
| बोगीबिल (मी.ला.) पर ब्रह्मपुत्र के ऊपर रेल-एवं सड़क पुल | 1984 | | 242.49 | 9.40 | स्वीकृति समिति द्वारा नयीं परियोजना के रूप में पहचाना गया। 97-98 में शुरू किया जाएगा। |
| नौगांव-जोरहाट के रास्ते गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ ब.ला. | 1986 | 464.00 | 343.00 | 1.40 | परियोजना रोक दी गई |
| गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ मी. ला.सेब.ला. में सीधा आमान परिवर्तन | 1986 | 545.00 | 327.00 | .17 | अनुमोदित कार्य चालू है |
| डीफू-करोंग-इम्फाल | 1989 | 150.00 | 389.00 | ऋणात्मक | कार्य रोक दिया गया है |
| मकोंग सेलेक से पासीघाट तक मी.ला. के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण | 1990-91 | 30.00 | 48.23 | ऋणात्मक | यथोक्त |
| लेखपानी से खरसांग तक मी.ला. के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण | 1990-91 | 26.00 | - | - | यथोक्त |
| **सर्वेक्षण चल रहा है** | | | | | |
| कुमारघाट-अगरतला (मी.ला.) एफएलएस | 1991-92 | 130.00 | - | | रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। |
| जोगीघोपा पुल-सिलचर | 1993-94 | 200.00 | 1200.00 | - | सर्वेक्षण किया जाना है। |
| दिगारू से बर्नीहाट तक नई ब.ला. के लिए सर्वेक्षण | 1993-94 | - | 291.00 | - | यथोक्त कार्य चल रहा है। |

## अर्जुन पुरस्कारों के लिए खेलों के नाम

**2081. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भारतीय खेलों के लिए अर्जुन पुरस्कार देने पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या मलखम्ब खेल के लिए भी अर्जुन पुरस्कार देने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपर्युक्त प्रयोजनार्थ इस खेल पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) अर्जुन पुरस्कारों के लिए नियमों में उन खेल विधाओं के नाम नहीं बताए गए हैं जिन पर अर्जुन पुरस्कारों के लिए विचार किया जाता है। पूर्व में यह पुरस्कार कबड्डी और खो-खो नामक दो भारतीय खेलों में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों से प्रतिवर्ष आमंत्रित की जाती है। भारतीय ओलम्पिक संघ और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है। भारत सरकार किसी भी खिलाड़ी/महिला को अर्जुन पुरस्कार प्रदान कर सकती है जिसे वह उत्कृष्ट समझती है।

## माल डिब्बों की खरीद

**2082. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान माल डिब्बों के क्रयादेश में 42 प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

**2083. श्री लोकनाथ चौधरी :**
**श्री मुही राम सैकिया :**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां अब तक सहायक आयुक्त का पद सृजित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). सरकार में पदों के सृजन के लिए अनेक स्तरों पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नए प्रदेशिक कार्यालयों के लिए सहायक आयुक्त के पद सृजित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

## रेल पथों में खराबी

**2084. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल पथों में आई खराबी का पता लगाने के लिए कोई तकनीकी विधि अपनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). रेल पथ की खराबी (रेल लाइनों की खराबी) का पता लगाने के लिए रेलपथ की नियमित अंतराल पर अल्ट्रॉसाभिक फला डिटेक्टर से जांच की जाती है। जांच के दौरान किसी भी रेलपथ के भाग को खराब पाए जाने पर उसे रेलपथ से हटा दिया जाता है।

**[हिन्दी]**

## उपनगरीय रेल सेवा

**2085. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग को उपनगरीय रेल सेवा के लिए अलग से धनराशि आबंटित करने हेतु लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने इस विषय पर योजना आयोग के साथ पत्र व्यवहार किया है जिसमें मंत्रालय द्वारा समिति को दिए गए विचारों के साथ-साथ उपनगरीय रेलों के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों का उल्लेख किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## सुपर बाजार में पूंजी निवेश

**2086. श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सुपर बाजार में कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या इस पूंजी निवेश में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वित्तीय स्थिति के खराब होने के क्या कारण हैं और सुपर बाजार ने इन वित्तीय स्थितियों को सुदृढ़ करने तथा स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) सरकार ने पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार में सरकार द्वारा अंश-पूंजी निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं। सुपर बाजार की वित्तीय शक्ति तथा स्थिति में सुधार हो रहा है।

(घ) सुपर बाजार के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत सरकार सुपर बाजार को प्रत्येक वर्ष योजना सहायता मुहैया करा रही है। 1995-96 के बजट में सुपर बाजार को शेयर पूंजी के रूप में 16 लाख रुपए राशि देने का प्रावधान है।

### विवरण

**सरकार द्वारा सुपर बाजार की अंश-पूंजी के रूप में किए गए निवेश का ब्यौरा**

| वर्ष | अंश-पूंजी |
|---|---|
| 1993-94 | 8,00,000/- |
| 1994-95 | 8,00,000/- |
| 1995-96 | 16,00,000/- (बजट प्रावधान) |

[हिन्दी]

## यौन-शिक्षा

**2087. रतिलाल वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). 12 तथा 13 अप्रैल, 1993 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद् ने किशोर शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया, जिसमें स्कूल पाठ्यचर्या में किशोर शिक्षा की शुरूआत करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद् ने यौन-शिक्षा सहित किशोर शिक्षा के सामान्य ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त सन् 1980 से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन पी ई पी) में यौन शिक्षा के संबंधित संघटक भी हैं। जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शामिल की गई है।

[अनुवाद]

## संस्कृति संबंधी सलाहकार परिषद्

**2088. श्री शिव शरण वर्मा :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कला और परंपरा की आदिवासी संस्कृति को पुनरूज्जीवित करने के लिए पृथक रूप से एक संस्कृति संबंधी सलाहकार परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक गठन किया जायेगा और यह कब से कार्य आरंभ करेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना आयोग में दिनांक 20.2.95 को हुई बैठक में, कुछ अध्येताओं ने ऐसी परिषद् के गठन का सुझाव दिया था। लोक और जनजातीय कला के प्रलेखन के लिए संस्कृति विभाग में एक विषय-निर्वाचन समिति है।

[हिन्दी]

## रेल परियोजनाएं

**2089. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
**डा. सत्यनारायण जटिया :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रेलवे प्रणाली में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कई योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में शुरू की गई रेल परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने ऊपरी पुलों का निर्माण किया गया तथा निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इन पुलों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

**रेल मंत्री मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सिफारिश की है :—

**1. नई लाइनें**

(1) दाहोद के रास्ते गोधरा-इंदौर तथा देवास-मकसी बड़ी लाइन

(2) दल्ली राजहरा-जगदलपुर बड़ी लाइन।

(3) बिलासपुर-मांडला-जबलपुर बड़ी लाइन।

(4) बिलासपुर-अंबिकापुर बड़ी लाइन।

**2. आमान परिवर्तन**

(1) नीमच-रतलाम

(2) जबलपुर-गोंदिया

(3) रायपुर-धमतरी आमान परिवर्तन तथा इसका बलोद तक विस्तार

(4) परसिया-छिंदवाड़ा

**3. विद्युतीकरण**

कोई नहीं।

(ग) इन परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

**1. नई लाइनें**

(1) दाहोद के रास्ते गोधरा-इंदौर तथा देवास-मकसी बड़ी लाइन (बहरहाल, कार्य को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।)

(2) दल्ली राजहरा-जगदलपुर बड़ी लाइन (कार्य को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है।)

**2. आमान परिवर्तन**

(1) नीमच-रतलाम (कार्य चल रहा है)

**3. विद्युतीकरण**

कोई नहीं।

अन्य परियोजनाओं पर आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता तथा उनकी यातायात संभाव्यता/व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जाएगा।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की नवीनतम प्रगति इस प्रकार है :—

| परियोजना का नाम | प्रतिशत प्रगति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **1. नई लाइनें** | |
| (1) सतना-रीवा | पूरी हो गयी है। |
| (2) गुना-इटावा बड़ी लाइन | 55 प्रतिशत |
| (3) गोधरा-दाहोद-इंदौर तथा देवास-मकसी | अस्थायी रूप से काम बंद कर दिया गया है। |
| **2. आमान परिवर्तन** | |
| (1) नीमच-रतलाम | 8 प्रतिशत |
| (2) परसिया-छिंदवाड़ा | 1 प्रतिशत (कार्य हाल ही में शुरू किया गया है) |
| **3. दोहरीकरण** | |
| (1) नर्मदा पुल | पूरा हो गया है। |
| (2) कीरतगढ़-काला आखर तथा मैंटपंजारा-भरतवाड़ा | पूरा हो गया है। |
| (3) अनास पुल-पंचपिपलिया सुरंग तथा माहीपुल (पंचपिपलिया-माहीपुल का कार्य पूरा हो गया है) | 50 प्रतिशत |

| 1 | 2 |
|---|---|
| (4) पिरूमरोद–बेड़छा तथा बोलाई–अकोदिया (बोलाई–अकोदिया पूरा हो गया है) | 50 प्रतिशत |
| (5) बैरागढ़ फांदा | 75 प्रतिशत |
| (6) कालापीपल–फांदा | कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। |
| (7) मकसी–बैरागढ़ | बेड़छा से बोलाई के बीच 4 ब्लाक खंडों पर कार्य को हाल ही में पुनः शुरू करने का विनिश्चय किया गया है तथा इसे शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। |
| (8) अकलतारा–शिरापरि उपस्करों सहित तीसरी लाइन | |

4. विद्युतीकरण

कोई नहीं।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य में 1.3.95 की स्थिति के अनुसार उपरिपुलों के निर्माण की स्थिति नीचे दी गई है :–

| | ऊपरी/निचले सड़क पुलों का ब्यौरा | स्वीकृत का वर्ष | वर्तमान–स्थिति रेलवे | वर्तमान–स्थिति राज्य सरकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अशोक नगर | 1987–88 | 100% | 85% |
| 2. | इटारसी | 1981–82 | 100% | 65% |
| 3. | गुना | 1986–87 | 100% | 95% |
| 4. | होशंगाबाद | 1992–93 | निष्पादन हेतु योजना बनाई जा रही है। | |
| 5. | खंडवा | 1992–93 | निष्पादन हेतु योजना बनाई जा रही है। | |
| 6. | दमोह | 1990–91 | निष्पादन हेतु योजना बनाई जा रही है। | |
| 7. | ग्वालियर | 1986–87 | 100% | 75% |
| 8. | सिंथौली | 1988–89 | पूरा हो गया है तथा 10.2.94 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। | |
| 9. | विदिशा | 1988–89 | पूरा हो गया है तथा 8.3.94 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। | |
| 10. | रतलाम–सैलाना रोड | 1986–87 | 100% | 95% |
| 11. | रतलाम–जेओरा रोड | 1986–87 | राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू नहीं किया गया है। | |
| 12. | इंदौर | 1987–88 | भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण कार्य रुक गया है। | |
| 13. | सतना–कोतवाली (निचला सड़क पुल) | 1993–94 | कार्य को 1994–95 में शामिल कर लिया गया है तथा इसके निष्पादन हेतु योजना बनाई जा रही है। | |
| 14. | बिड़लानगर | 1988–89 | 100% | 35% |
| 15. | छिंदवाड़ा | 1993–94 | निष्पादन हेतु योजना बनाई जा रही है। | |

(च) रेलवे के हिस्से का कार्य अर्थात् रेल लाइन पर पुल का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य निष्पादित कर दिए जाने के साथ-साथ पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

## काबली चने का मूल्य

**2090. श्री जीवन शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 और 1995 के दौरान इससे पहले के दो वर्षों की तुलना में काबली चने के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 के दौरान समय-समय पर इस जिन्स मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है तथा 1992-93 में इसके मूल्य कितने-कितने थे और इसके मूल्यों में इस अत्यधिक बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले वर्षों की तुलना में कई दालों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने देश में काबली चने तथा अन्य दालों के मूल्यों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) 1992 से 1995 तक के वर्षों में चुनिन्दा केन्द्रों पर काबली चने का थोक मूल्य इस प्रकार है :—

| थोक मूल्य | केन्द्रों/राज्यों का नाम | | |
|---|---|---|---|
| वर्षवार | बिहार/पटना | बम्बई/महाराष्ट्र | दिल्ली |
| | | (रुपया प्रति क्विंटल) | |
| 1992 | 1000-1300 | 1150-1350 | 1000-1500 |
| 1993 | 1250-1350 | 1150-1350 | 1250-1525 |
| 1994 | 1300-1400 | 1000-2150 | 1400-2450 |
| 1995 (जनवरी-मार्च) | 1600-2200 | 2150-2300 | 2700-2800 |

काबली चने की कीमतों में तेजी से होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण मूल्य वृद्धि के आम कारकों के अलावा, इसकी सापेक्षतः कम आपूर्ति होने को ठहराया जा सकता है।

(ग) और (घ). पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अन्य दलहनों के थोक मूल्य सूचकांक में मामूली वृद्धि हुई है। ऐसा मुख्य रूप से सापेक्षतया दलहनों के उत्पादन को धीमी प्रगति, कीमतों में होने वाली आम वृद्धि और जनसंख्या तथा प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी होने से इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण हुआ है।

(ङ) घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दलहनों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए मात्र 10 प्रतिशत के आयात शुल्क पर दलहनों का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

## आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

**2091. श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राशन प्रणाली के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में भंडारण हेतु खाद्यान्नों, खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई तथा उसकी कीमत क्या थी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा वास्तव में प्राप्त की गई तथा दुर्गम क्षेत्रों में इनकी कितनी मात्रा का भंडारण किया गया;

(ग) इन भंडारित वस्तुओं की कितनी मात्रा को इन क्षेत्रों में बरसात के मौसम में वितरित किया गया तथा इनकी कितनी मात्रा बरबाद हो गई तथा इनकी कितनी मात्रा का वितरण बरसात के मौसम के बाद हुआ; और

(घ) इन अतिरिक्त खराब तथा बरबाद हुई वस्तुओं का मूल्य क्या है तथा इन्हें दुर्गम क्षेत्रों में ले जाने पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## चीनी की जमाखोरी

**2092. श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री राजेश कुमार :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमाखोरी की गई चीनी के भंडार को खुले बाजार में लाने के लिए कोई बहुउद्देशीय कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और इसके अधीन जारी किए गए विभिन्न नियामक आदेशों के अधीन जमाखोरी, काला बाजारी जैसे कदाचारों को नियंत्रित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए नीति सम्बन्धी विभिन्न निर्णय लिए हैं। इनमें शामिल हैं :-

1. मान्यता प्राप्त डीलरों के पास रखे चीनी/खाण्डसारी के स्टाक के लिए स्टाक रखने सम्बन्धी सीमा और कारोबार अवधि सम्बन्धी प्रतिबंध लागू करना।
2. यह प्रतिबंध लगाया गया है कि एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे को चीनी की बिक्री का लेन-देन केवल एक बार किया जा सकेगा और ऐसा भी केवल तभी होगा जब स्टाक की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी की जाएगी।
3. चीनी फैक्ट्रियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक पखवाड़े के दौरान चीनी के मुक्त बिक्री के रिलीज किए गए मासिक कोटे में से कम से कम 47.5 प्रतिशत की बिक्री करें और भिजवाएं।

राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे उपर्युक्त नियामक आदेशों को कठोरता से लागू करें और उनके लेखों और अन्य रिकार्डों तथा उनके स्टाक का निरन्तर निरीक्षण करके गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों पर भी रोक लगाएं।

(ग) पिछले महीनों के दौरान खुले बाजार में मुक्त बिक्री के मूल्य उचित स्तर पर बने रहे। चीनी का थोक मूल्य सूचकांक जो जून, 1994 में 247.1 था, अक्तूबर, 1994 में गिरकर 228.0 हो गया और यह सूचकांक फरवरी, 1995 में 219.8 था।

**[अनुवाद]**

## विद्युतीकरण

**2093. श्री रमेश चेन्नितला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में वर्तमान में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण कार्य चल रहा है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) कोचीन हार्बर टर्मिनस खंड सहित इरोड-एर्णाकुलम का विद्युतीकरण कार्य चल रहा है और इसके मार्च, 98 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ग) 194 मार्ग किलोमीटर।

## मछली/झींगी का उत्पादन

**2094. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**
**श्री सुधीर गिरि :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94, और 1994-95 के दौरान मछली/झींगे के समुद्री तथा अन्तरस्थलीय दोनों प्रकार के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार क्या उपलब्धियां रही;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन की प्रतिशतता कम हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) और (ख). सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). मछली/झींगी का उत्पादन काफी बढ़ रहा है तथा 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्धारित लक्ष्य भी सामान्यतया प्राप्त कर लिए गए हैं या उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही हैं। भारत सरकार मछली/झींगी पालन और कृषि के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को चलाकर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता की जा रही है तथा उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

## विवरण

### वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मछली/झींगी उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि

(000 मीटरी टन में)

| क्र.सं. राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | 1992-93 लक्ष्य | | | 1992-93 उपलब्धि | | | 1993-94 लक्ष्य | | | 1993-94 उपलब्धि (अनंतिम) | | | 1994-95* लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | समुद्री | अन्त-देशीय | योग | समुद्री | अन्त-देशीय | योग | समुद्री | अन्त-देशीय | योग | समुद्री | अन्त-देशीय | योग | समुद्री | अन्त-देशीय | योग |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 133.74 | 148.84 | 282.58 | 113.07 | 151.48 | 264.55 | 135.00 | 155.00 | 290.00 | 154.32 | 167.05 | 321.37 | 150.00 | 165.00 | 315.00 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | . | 1.34 | 1.34 | . | 1.60 | 1.60 | . | 2.00 | 2.00 | . | 1.70 | 1.70 | . | 1.70 | 1.70 |
| 3. असम | . | 83.06 | 83.06 | . | 140.00 | 140.00 | . | 143.00 | 143.00 | . | 151.65 | 151.65 | . | 145.00 | 145.00 |
| 4. बिहार | . | 174.68 | 174.68 | . | 164.07 | 164.07 | . | 175.00 | 175.00 | . | 200.71 | 200.71 | . | 202.00 | 202.00 |
| 5. गोवा | 58.95 | 3.36 | 62.31 | 101.49 | 2.77 | 104.26 | 105.00 | 3.00 | 108.00 | 102.11 | 3.33 | 105.44 | 110.00 | 6.00 | 116.00 |
| 6. गुजरात | 554.80 | 49.16 | 603.96 | 589.00 | 49.00 | 638.00 | 600.00 | 52.00 | 652.00 | 619.84 | 65.02 | 684.86 | 560.00 | 79.00 | 639.00 |
| 7. हरियाणा | . | 25.34 | 25.34 | . | 20.15 | 20.15 | . | 23.00 | 23.00 | . | 22.58 | 22.58 | . | 25.00 | 25.00 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | . | 5.70 | 5.70 | . | 6.39 | 6.39 | . | 6.50 | 6.50 | | 6.63 | 6.63 | | 6.50 | 6.50 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | . | 14.26 | 14.26 | . | 14.30 | 14.30 | . | 17.00 | 17.00 | . | 14.50 | 14.50 | . | 17.00 | 17.00 |
| 10. कर्नाटक | 204.16 | 57.89 | 262.05 | 174.19 | 65.70 | 239.89 | 180.00 | 70.00 | 250.00 | 174.52 | 74.63 | 249.15 | 180.00 | 90.00 | 270.00 |
| 11. केरल | 570.63 | 39.60 | 610.23 | 496.24 | 38.16 | 534.40 | 534.00 | 40.00 | 574.00 | 559.20 | 45.48 | 604.68 | 582.00 | 46.00 | 628.00 |
| 12. मध्य प्रदेश | . | 40.27 | 40.27 | . | 55.71 | 55.71 | . | 57.00 | 57.00 | . | 54.53 | 54.53 | . | 57.00 | 57.00 |
| 13. महाराष्ट्र | 860.60 | 69.80 | 430.40 | 387.55 | 77.19 | 464.74 | 404.00 | 80.00 | 484.00 | 350.40 | 83.22 | 433.62 | 405.00 | 85.00 | 490.00 |
| 14. मणिपुर | . | 9.23 | 9.23 | . | 11.20 | 11.20 | . | 11.50 | 11.50 | . | 11.51 | 11.51 | . | 12.00 | 12.00 |
| 15. मेघालय | . | 1.68 | 1.68 | . | 3.56 | 3.56 | . | 3.79 | 3.79 | . | 3.98 | 3.98 | . | 4.00 | 4.00 |
| 16. मिजोरम | . | 3.19 | 3.19 | . | 3.38 | 3.38 | . | 3.80 | 3.80 | . | 2.50 | 2.50 | . | 2.50 | 2.50 |
| 17. नागालैंड | . | 0.84 | 0.84 | . | 1.50 | 1.50 | . | 2.00 | 2.00 | . | 1.82 | 1.82 | . | 2.00 | 2.00 |
| 18. उड़ीसा | 86.51 | 90.95 | 177.46 | 119.38 | 93.76 | 213.14 | 123.00 | 108.00 | 231.00 | 103.93 | 128.35 | 232.28 | 120.00 | 100.00 | 220.00 |
| 19. पंजाब | . | 12.25 | 12.25 | . | 16.00 | 16.00 | . | 17.00 | 17.00 | . | 19.00 | 19.00 | . | 22.00 | 22.00 |
| 20. राजस्थान | . | 6.54 | 6.54 | . | 10.92 | 10.92 | . | 12.00 | 12.00 | . | 12.22 | 12.22 | . | 13.00 | 13.00 |
| 21. सिक्किम | . | 0.17 | 0.17 | . | 0.09 | 0.09 | . | 0.01 | 0.01 | . | 0.10 | 0.10 | . | 0.10 | 0.10 |
| 22. तमिलनाडु | 320.53 | 89.61 | 410.14 | 308.00 | 98.00 | 406.00 | 315.00 | 107.00 | 422.00 | 317.72 | 107.20 | 424.92 | 330.00 | 130.00 | 460.00 |
| 23. त्रिपुरा | . | 23.16 | 23.16 | . | 23.37 | 23.37 | . | 27.00 | 27.00 | . | 24.50 | 24.50 | . | 30.00 | 30.00 |
| 24. उत्तर प्रदेश | . | 113.94 | 113.94 | . | 121.43 | 121.43 | . | 125.00 | 125.00 | . | 132.37 | 132.37 | . | 120.00 | 120.00 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 138.83 | 606.26 | 745.09 | 145.00 | 612.00 | 757.00 | 147.00 | 633.50 | 780.50 | 153.00 | 653.00 | 806.00 | 145.00 | 650.00 | 795.00 |
| 26. संघशासित क्षेत्र/अन्य | 123.25 | 6.88 | 130.13 | 142.33 | 7.32 | 149.65 | 147.00 | 7.80 | 154.00 | 152.65 | 5.70 | 158.35 | 148.50 | 8.70 | 157.20 |
| जोड़ | 2552.00 | 1678.00 | 4230.00 | 2576.25 | 1789.05 | 4365.30 | 2690.00 | 1882.00 | 4572.00 | 2687.69 | 1993.28 | 4680.97 | 2730.50 | 2019.50 | 4750.00 |

* 1994-95 की उपलब्धि वर्ष समाप्त होने के बाद ज्ञात होगी

### राज्य फार्म निगम

**2095. श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
**प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

**क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य फार्म निगम का वर्तमान दर्जा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान राज्य फार्म निगम के कार्य निष्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य फार्म निगम को उक्त अवधि के दौरान घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस निगम को बंद करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) भारतीय राज्य फार्म निगम लि. सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान हुई हानि (-)/लाभ (+) का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

| | |
|---|---|
| 1992-93 | (-) 603.88 |
| 1993-94 | (-) 176.44 |

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण

भारतीय राज्य फार्म निगम को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में हानि हुई लेकिन 1994-95 के दौरान इसे लाभ होने की संभावना है।

उपर्युक्त दो वर्षों में हानि होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(क) सूरतगढ़ और सरदारगढ़, राजस्थान, में स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म घग्गर नदी की पूर्व नदी तलहटी में है और खरीफ की बाढ़ का पानी धान की रोपाई के लिये सिंचाई की सुविधाओं के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि इन फार्मों के प्रणाली के अन्त में स्थित होने के कारण सिंचाई पद्धति में पानी अपर्याप्त है। 1992-93 के दौरान बाढ़ का पानी जुलाई के पहले सप्ताह जब यह आम तौर पर पहुंचता है, की जगह 5 अगस्त, 1992 को फार्म पर जिसके कारण बहुत कम क्षेत्र में धान की रोपाई पूरी हो सकी। इससे उत्पादन में भारी कमी हुई और इसके फलस्वरूप हानि हुई।

(ख) 21 अगस्त, 1992 को रात को बाढ़ संरक्षक बांध में दरार आ जाने के कारण केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में बोया गया 129 हैक्टेयर क्षेत्र और केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में 107 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्णतया नष्ट हो गया।

(ग) राजस्थान में सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जेतसर में स्थित केन्द्रीय राज्य फार्मों पर फरवरी, 1993 में घना पाला पड़ा, जिसके कारण चने की फसल को व्यापक क्षति पहुंची, जो डोडा बनने की अवस्था में थी और इसके फलस्वरूप 30 से 45 प्रतिशत की हद तक उत्पादन की हानि हुई।

(घ) वर्ष 1992 में सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेतसर स्थित केन्द्रीय राज्य फार्मों में पेंटेड बग की महामारी से सरसों की फसल के 650 हैक्टेयर क्षेत्र में व्यापक क्षति हुई।

(ङ) दिसम्बर, 1992 में केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर की नहर 24 दिन तक अभूतपूर्व रूप से बंद रही और जनवरी, 1993 में यह नहर 14 दिन बंद रही जिसके कारण गेहूं की फसल की बुवाई और सिंचाई पर बुरा असर पड़ा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की हानि हुई।

(च) जुलाई, 1993 के तीसरे सप्ताह में जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ और सरदारगढ़ में 17880 क्यूसेक की हद तक बाढ़ का पानी आ गया जबकि सामान्यतया 6000 से 7000 क्यूसेक तक पानी आता है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में 174 हैक्टेयर क्षेत्र में धान, कपास, उड़द और बाजरा की फसलें नष्ट हो गई तथा खरीफ की फसलों की भी अनुकूलतम बुवाई नहीं हो सकी। इसी कारण से केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में 181 हैक्टेयर में धान, कपास, मूंग, उड़द तथा बाजरा की फसलें भी नष्ट हो गई।

(छ) सूरतगढ़, सरदारगढ़ था जेतसर स्थित केन्द्रीय राज्य फार्मों में रबी 1993-94 के सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों में लगभग 19-20 दिन के लिये नहर बंद हो गई, जिसके कारण रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य, विशेषकर गेहूं और सरसों के मामले में, प्राप्त नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। नहर के रोस्टर में बार-बार परिवर्तन होने से भी फसलों की बुवाई अनिश्चित बनी रही।

(ज) चने के बीज की मांग 50-75 प्रतिशत कम होने के कारण 1992-93 तथ 1993-94 के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ तथा सरदारगढ़ में इस फसल अधीन क्षेत्र को बीज उत्पादन के लिये

इस्तेमाल करने की बजाय वाणिज्यिक के लिये प्रयोग में लाया गया। इसी प्रकार, इसी अवधि में सरसों के बीज की मांग कम होने के कारण इस फसल का 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र बीज उत्पादन की बजाय वाणिज्यिक उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया गया। चूंकि बीज उत्पादन इन फसलों को वाणिज्यिक फसल की तुलना में अधिक लाभदायी है, इसलिये बीज उत्पादन के बदले इस क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलें उगाने के कारण निगम को राजस्व में घाटा हुआ।

(झ) 22 जुलाई, 1992 से 26 जुलाई, 1992 की अवधि में 222 मि.मि. तक की भारी वर्षा होने के कारण केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में पानी भर जाने से 233 हैक्टेयर क्षेत्र में कपास,उड़द, अरहर, सोयाबीन तथा बाजरा को फसल नष्ट हो गई।

(ट) जुलाई, 1993 के तीसरे सप्ताह में केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में लगातार वर्षा हुई और वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लगभग 3 दिन में इस फार्म पर 280 मि.मी. वर्षा हुई जबकि सामान्य वर्षा पूरे महीने में 122 मि.मी. होती है। इसके परिणामस्वरूप, 245 हैक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई कपास, मूंग, अरहर, बाजरा की फसलों का क्षेत्र पानी से लबालब हो गया और इसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र में ये फसलें नष्ट हो गई जिसके कारण इस फार्म पर उत्पादन की हानि हुई।

(ठ) कर्नाटक में केन्द्रीय राज्य फार्म, रायपुर तथा तमिलनाडु में केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम में नवम्बर, 1992 के तीसरे सप्ताह में भारी चक्रवाती वर्षा (350 मि.मी.) हुई जिससे पटसन और सूरजमुखी की पकी हुई फसलों को भारी क्षति हुई।

(ड) 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या कांड के कारण पो.ओ. एल. आदि की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय राज्य फार्म गिरिजापुरी, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में करीब आठ दिन तक कृषि कार्य पूर्णतया ठप्प रहा।

(ढ) केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी, जिला बाड़पेटा, असम बोडो क्षेत्र में स्थित है और असम में गड़बड़ी के कारण, विशेषकर बोडो आन्दोलन के कारण उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण, इस फार्म का कार्य गम्भीरता से रुका रहा तथा फार्म परिकल्पित क्षेत्रों में विभिन्न फसलें नहीं उगा सका।

(ण) केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, केरल में लगभग चार महीनों तक कर्मचारियों को लम्बी हड़ताल चली जिसके कारण उस फार्म पर कार्यनिष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस अवधि में रोपण सामग्री नष्ट हुई तथा फसलों की कटाई सही समय पर पूरी नहीं हो सकी।

(त) इस निगम के फार्मों पर अधिकांश फार्म मशीनरी की मियाद पूरी हो चुकी है तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के तहत सम्मिलित बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में विलम्ब के कारण तथा नियमित रूप से धन उपलब्ध न होने के कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा मशीनरी को बदलने का कार्य पूरा नहीं हो सका।

(थ) नियंत्रण हटाने तथा राजसहायता में कमी करने के कारण उर्वरकों की लागत में भारी वृद्धि हुई है, विशेषकर डी.ए.पी., यूरिया तथा एम.ओ.पी. की लागत में, जिससे निगम पर आदानों की लागत का भार बढ़ गया है जबकि फार्म के उत्पादों के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।

(द) उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित कारकों ने भी निगम की हानि बढ़ाई है :-

(1) मंडी में अधिक माल आ जाने के कारण गेहूं के 35,000 क्विंटल तथा धान के 16,000 क्विंटल बीज को अनाज के रूप में बेचा गया।

(2) जिन कर्मचारियों ने औद्योगिक वेतनमानों का विकल्प चुना, उनको बकाया वेतन के भुगतान के कारण वेतन और मजदूरी की सांविधिक वृद्धि के कारण 1.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी।

(3) नकद ऋण प्रतिबंध के कारण 23.00 लाख रुपये की अतिरिक्त ब्याज की देनदारी।

(4) मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों, कृमिनाशी दवाइयों, पी.ओ.एल., खुले हिस्से पुर्जों जैसे आदानों की लागत में 80,00 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

## मध्य प्रदेश में प्रदूषण

**2096. श्री भवानीलाल वर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश, विशेष रूप से नगर कोरबा में वायु प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न नगरों में वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). सामान्यतः मध्य प्रदेश और विशेष रूप से कोरबा में वायु प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कोरबा के बारे में शिकायत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित है।

(ग) और (घ). भिलाई, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, कोरबा, नागदा, रायपुर और सतना शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि उद्योगों, यानीय यातायात और मानवीय कृत्यों के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तथापि, सल्फरडाईआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों का स्तर सीमाओं के भीतर है किन्तु वायु मंडल में निलम्बित धूलकणों की मात्रा कई बार निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाती है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में मुख्य इस प्रकार है :—

(1) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(3) उद्योगों से उत्सर्जन को निर्धारित मानकों के भीतर सीमित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहा गया है। दोषी इकाइयों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(6) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत वाहनों के लिए द्रव एवं ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

[अनुवाद]

## चीनी के ठेके को रद्द करना

**2097. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी के आयात के ठेके को रद्द करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) से (ग). सरकार ने चीनी के आयात के लिए कोई अनुबंध नहीं किया है। तथापि, राज्य व्यापार निगम लि./खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. ने लगभग 3.63 लाख टन आयातित चीनी की खरीद के लिए आगे अनुबंध किए हैं।

[हिन्दी]

## फूलों की खेती

**2098. श्री नवल किशोर राय :**
**श्री जगमीत सिंह बराड़ :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने देश में फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) सितंबर, 1994 के अंत तक इसमें से कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस धनराशि के उपयोग की कोई नई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक किन-किन राज्यों ने इस योजना के कार्यान्वयन में विशेष रूचि ली है; और

(च) उपरोक्त समय तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इन राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) कृषि मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से व्यापारिक पुष्प कृषि की एक केन्द्रीय योजना क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास फूलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन एवं विपणन पर समेकित परियोजनाओं के विकास हेतु नियत धनराशि भी सुलभ है। कई राज्यों के पास भी पुष्पकृषि विकास हेतु योजनाएं हैं।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों को 10 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया जा चुका है, जिसमें से 1992-93 से 1994 के अंत तक 63.91 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। कोई भी नयी योजना तैयार नहीं की जा रही है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जिन राज्यों ने विशेष रूचि ली है, वे आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली हैं।

(च) धन की राज्यवार निर्मुक्ति तथा इसका दिसम्बर, 1994 तक उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**व्यापारिक पुष्प कृषि की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1992-94 के दौरान धन की राज्यवार निर्मुक्ति तथा उपयोग**

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | निर्मुक्ति | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5.50 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.50 | 0.00 |
| 3. | असम | 0.50 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 1.00 | 0.00 |
| 5. | गुजरात | 2.00 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 1.00 | 0.45 |
| 7. | हरियाणा | 3.00 | 3.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4.00 | 0.00 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 18.31 | 0.00 |
| 10. | कर्नाटक | 19.81 | 20.26 |
| 11. | केरल | 16.31 | 21.50 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3.00 | |
| 13. | महाराष्ट्र | 41.41 | 0.00 |
| 14. | मणिपुर | 2.00 | 0.50 |
| 15. | मेघालय | 0.50 | 0.50 |
| 16. | मिजोरम | 0.50 | 0.00 |
| 17. | नागालैंड | 0.50 | 4.51 |
| 18. | उड़ीसा | 1.00 | 1.00 |
| 19. | पंजाब | 29.31 | 10.11 |
| 20. | राजस्थान | 3.00 | 0.76 |
| 21. | सिक्किम | 17.01 | 0.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 19.31 | 0.00 |
| 23. | त्रिपुरा | 1.00 | 0.07 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 19.81 | 0.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 19.31 | 0.00 |
| 26. | अंडमान व निकोबार | 0.50 | 0.00 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.25 | 0.00 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 0.25 | 0.00 |
| 29. | दमन व दीव | 0.25 | 0.25 |
| 30. | दिल्ली | 2.00 | 1.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0.25 | 0.00 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 1.00 | 0.00 |
| | योग | 234.09 | 63.91 |

**[अनुवाद]**

**विश्व बैंक से सहायता**

**2099. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस मामले पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितनी राशि मिलने की अपेक्षा है; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की जाने वाली विकास गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). चालू परियोजनाओं के अलावा विश्व बैंक, भारत सरकार से हुए विचार-विमर्श के आधार पर कृषि क्षेत्र में अपनी ऋण कार्यनीति के भाग के रूप में व्यापक कृषि विकास परियोजना शुरू कर रही है। असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्यों की परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में फसलोत्पादन, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण सड़कें, जल संसाधनों का विकास, कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यकलापों सहित कार्यक्रमों का समेकित पैकेज शामिल है।

ये परियोजनाएं तैयार करने तथा मूल्यांकन करने की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विश्व बैंक सहायता की राशि सहित परियोजना के ब्यौरे की जानकारी मिलेगी।

**मैट्रो रेल प्रणाली का विस्तार**

**2100. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर में बेलघोरिया और पश्चिम में बराहनगर तक वर्तमान मैट्रो रेल प्रणाली का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). बेलघोरिया के रास्ते दमदम से बैरकपुर तक मैट्रो रेलवे के विस्तार, के लिए एक प्रारंभिक टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को 1995-96 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के काम को शुरू करना सर्वेक्षण के परिणाम एवं आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपब्धता पर निर्भर करेगा।

मैट्रो रेलवे का पश्चिम में बराहनगर तक विस्तार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[हिन्दी]**

## घटिया स्तर के खाद्यान्न

**2101. डा. लाल बहादुर रावल** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों को घटिया स्तर के गेहूं, चीनी तथा चावल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है है कि राशन कार्डधारी उचित दर की दुकानों से मात्र चीनी खरीदते हैं लेकिन गेहूं तथा चावल के घटिया स्तर के कारण खुले बाजार में महंगे होने पर भी उन्हें उचित दर की दुकानों से खरीदना पसन्द नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में उचित दर की दुकानों में अच्छे किस्म के गेहूं, चावल तथा चीनी की आपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं, चावल और चीनी की किस्म घटिया होने के बारे में शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों में ऐसे स्टॉक को बदलने हेतु कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गेहूं और चावल की उठान में कमी का कारण मुख्यतः खुले बाजार में इन खाद्यान्नों को ऐसे मूल्यों पर, जिनमें दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तिम खुदरा मूल्यों से बहुत अधिक अन्तर नहीं है, आसान उपलभ्यता को माना जा सकता है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। भारतीय खाद्य निगम को कीड़ों से मुक्त तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण करने तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा उनके नामितियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेने से पहले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उन खाद्यान्नों का निरीक्षण करने का मौका दिया जाता है। यदि स्टॉक निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उसे अस्वीकार करने का अधिकार है।

## माल की ढुलाई

**2102. श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल द्वारा माल की ढुलाई के संबंध में इस आशय का कोई सर्वेक्षण कराया है कि सरकार की आमदनी क्यों घट रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि अर्जित की गई और इस अवधि में कितने माल की ढुलाई की गई;

(ग) क्या रेल द्वारा माल की ढुलाई के पर्याप्त अवसर हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) माल यातायात की संभावना का मूल्यांकन अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है और इसके लक्ष्य में कोई अनुवर्ती कमी प्राप्तियों में कमी के कारण है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों द्वारा लगभग 32,922 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 946.61 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात की ढुलाई की गई।

(ग) और (घ). वर्ष 1995-96 के लिए संभावित यातायात का अनुमान 398 मिलियन टन लगाया गया है। रेलवे प्राप्त माल यातायात को ढोने में समर्थ रही हैं और 1995-96 के दौरान भी उनके ऐसा कर पाने की संभावना है।

**[अनुवाद]**

## माल परिवहन

**2103. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** :
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने 1994-95 के दौरान माल परिवहन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में इस निर्धारित लक्ष्य की दिशा में वास्तव में कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या रेलवे ने राजस्व अर्जित करने वाले माल परिवहन के लक्ष्य में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह संशोधन करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने विशेष रूप से "कोर" क्षेत्रों से और अधिक माल परिवहन को आकर्षित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 380.00 मिलियन टन।

(ख) अप्रैल-जनवरी (मिलियन टन में)

| वास्तविक लदान 1993-94 | लक्ष्य 1994-95 | वास्तविक लदान 1994-95 |
|---|---|---|
| 290.36 | 308.25 | 297.17 (अनंतिम) |

(ग) और (घ). राजस्व उपार्जक माल यातायात के लक्ष्य को संशोधित करके 373.00 मिलियन टन किया गया है।

(ङ) अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रां से यातायात की कम पेशकश।

(च) अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से माल यातायात के अनुमानों के आधार पर, 1995-96 के लिए 398.00 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यातायात प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्त्ता एजेंसियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है और, जहां कहीं आवश्यक है, अभिनव विपणन नीतियां अपनाई गई हैं।

## क्षेत्रीय नैदानिक अनुसंधान केन्द्र

**2104. डा. असीम बाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय नैदानिक अनुसंधान केन्द्रों के विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विकास कार्यक्रम, यदि कोई हो, तो उन्हें शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता के क्षेत्रीय केन्द्र में आरंभ किये गये विकास संबंधी कार्य ये हैं- (i) मवेशियों और मुर्गियों के रोगों के नियंत्रण के लिए जांच सेवाओं का प्रावधान, (ii) क्षेत्रीय महत्व के रोगों पर अनुसंधान कार्य करना, (iii) संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

(ख) चल रही अनुसंधान गतिविधियों के लिए विकास कार्यक्रमों को चलाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

**[हिन्दी]**

## फूलों की खेती

**2105. डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
**श्री जगमीत सिंह बरार :**

(क) देश में इस समय कुल कितने क्षेत्र में फूलों की खेती होती है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों की तुलना में इस समय फूलों का लगभग कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या अपेक्षित सुविधाओं और समुचित बुनियादी सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण खेती के बाद बिना उचित उपयोग के ही उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो देश में फूलों के कुल उत्पादन में से बिना उपयोग हुए कितने प्रतिशत फूल नष्ट हो जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पिछले वर्षों के दौरान कोई कार्य योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) देश में पुष्प कृषि के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 50351 हेक्टेअर (1992-93) है।

(ख) 1993-94 से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1991-92 और 1992-93 के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|
| (i) परम्परागत पुष्प | 1,48,603 मी.टन | 2,06,681 मी.टन |
| (ii) आधुनिक कलमी पुष्प | 22 लाख | 45.42 करोड़ फूल |

(ग) जी, हां।

(घ) कुल उत्पादन में से खराब हो जाने वाले पुष्पों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत सरकार आठवीं योजना में पुष्पों की वाणिज्यिक खेती के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चला रही है। इस योजना का एक प्रमुख घटक है; नौ चुनिन्दा स्थानों पर "आदर्श पुष्प-कृषि केन्द्रों की स्थापना करना, जहां पर फसलोत्तर प्रबन्ध की सुविधओं का सृजन किया जायेगा ताकि फूलों की हो रही बर्बादी में कमी लायी जा सके। निजी क्षेत्र में फसलोत्तर कारोबार की वृहद इकाइयों की स्थापना किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी फूलों सहित सभी बागवानी फसलों के फसलोत्तर कारोबार के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता देता है।

**लोक अभिलेख अधिनियम**

**2106. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक अभिलेख अधिनियम और राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों संबंधी विधेयक के संबंध में सांविधिक नियम और विनियम बनाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख के बारे में विधेयक कब तक पुनः स्थापित किया जाएगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) लोक अभिलेख अधिनियम के संबंध में सांविधिक नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख संबंधी विधेयक का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में अनुशीलन न किया जाय क्योंकि लोक अभिलेख अधिनियम के कुछ प्रावधानों में राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों की पहुंच, देखरेख/रक्षा को नियंत्रित करने और उन अभिलेखों को व्यक्तिगत/निजी संरक्षण में रखने की व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**जैव-विविधता संरक्षण हेतु कार्य योजना**

**2107. श्री शरत पटनायक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैव-विविधता संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). सरकार ने जैविक विविधता के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्रवाई आरंभ की है। इसके लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप गठित किया गया है जिसमें संबंधित मंत्रालयों, सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के अधिकारी एवं वैज्ञानिक शामिल हैं।

(ग) अभी तक इस प्रयोजन के लिए कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

**रेलवे उत्पादन एकक**

**2108. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उत्पादन एककों के निगमीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकार को क्या लाभ मिलेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

**शिकायतों के निवारण हेतु प्रकोष्ठ**

**2109. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की कठिनाइयों/शिकायतों के निवारण हेतु कोई प्रभावी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक महानगर में एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलों तथा मंडलों में क्रमशः अपर महाप्रबंधकों तथा अपर मंडल रेल प्रबंधकों की अध्यक्षता में एक पूर्ण विकसित जन शिकायत निवारण तंत्र पहले से मौजूद है। यह तंत्र उपनगरीय दैनिक यात्रियों सहित जनता के विभिन्न वर्गों से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करता है। जनता को उनकी शिकायतों के बारे में इन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का भी मौका दिया जाता है।

महानगरों के सभी मुख्य स्टेशनों पर जन शिकायतें प्राप्त करने और उनके तत्काल निवारण के लिए जन शिकायत बूथ स्थापित किए गए हैं। स्टेशन अधीक्षक भी इन बूथों के कार्यकलापों पर नजर रखते हैं और उनके समुचित संचालन को सुनिश्चित करते हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार करने हेतु सुझाव भी मांगे जाते हैं और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। यात्री एसोसिएशनों

को मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों/क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में विधिवत प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति न्यास**

**2110. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री अंकुशराव टोपे :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति न्यास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान न्यास के लिए कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत हुआ और न्यास को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) न्यास द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितना वास्तविक व्यय किया गया;

(घ) क्या न्यास के कार्यकरण के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) इस न्यास के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं :- भारत की सांस्कृतिक और नैसर्गिक विरासत के परिरक्षण के लिए जन-सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना और उसे अभिप्रेरित करना, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाना, सांस्कृतिक संपदा को अधिप्राप्त करना, सार्वजनिक संरक्षण परियोजनाएं व सांस्कृतिक एवं नैसर्गिक विरासत का प्रलेखन-कार्य करना, पारंपरिक कलाओं व शिल्पों के परिरक्षण को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के लिए वित्तीय, तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करने की बाबत सांस्कृतिक बैंक के रूप में कार्य करना, प्रान्तीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग देना और उसे सुदृढ़ करना, आदि।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान संस्कृति विभाग ने उक्त न्यास को कोई अनुदान प्रदान नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संस्कृति विभाग ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा विकास**

**2111. श्री येल्लैया नंदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में विस्तार तथा विकास हेतु कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 90

(ख) कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और उनके पूरा होने की तिथियां आगामी वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

**कोदण्ड रामास्वामी मंदिर का संरक्षण**

**2112. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के अन्तर्गत कोंटिमिटला सिति श्री कोदण्ड रामास्वामी मंदिर का संरक्षण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) छत की लुप्त प्रस्तर-पट्टियों को बदलने के बाद उत्तरी और दक्षिणी गोपुर के प्रवेशद्वारों की संरचनात्मक मरम्मत तथा समस्त बाहरी खंभों वाले दालान को जलरोधी बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिस पर 75,600/ रु. के व्यय का अनुमान है। अब तक 49,058/-रु. खर्च हो चुका है।

(ग) इस कार्य के शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना है।

**कीटनाशक दवाइयों के कारण मृत्यु**

**2113. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक दवाइयों के विष से बहुत से किसानों की

मौत हो जाती है जबकि देश में करोड़ों रुपये मूल्य की रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का आयात किया जाता है;

(ख) क्या हानिकारक जीवाणुओं और रोगवाहकों द्वारा रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेने के कारण कीटनाशक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण को हर तरफ से अत्यधिक क्षति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर पर्यावरण की दृष्टि से सही कीट नियंत्रण प्रौद्योगिकी जैसे-जैव नियंत्रण एजेंट, प्राकृतिक कीटनाशक तथा पर्यावरणानुकूल रसायनों का प्रयोग करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये समुचित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). रासायनिक कीटनाशक, चाहे वे आयातित/स्वदेश में निर्मित हों, विषैले होते हैं, यदि उनका उपयोग सिफारिश की गई पद्धतियों के अनुसार नहीं किया जाता है तो इन कीटनाशियों का विष मानव जाति के लिए तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध/अनुचित प्रयोग से कीट/रोगवाहक रासायनिक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध भी विकसित कर लेते हैं।

(ग) रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करने लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :-

(1) सरकार कृमि नियंत्रण हेतु समेकित कृषि प्रबंध का पारिस्थितिकी सह-दृष्टिकोण कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त कृषि संबंधी और यांत्रिक पद्धतियों, जैव नियंत्रक एजेंटों के संरक्षण और वृद्धि, नीम आधारित कृमिनाशियों का उपयोग तथा जैव कृमिनाशियों तथा कृमियों के आर्थिक सीमा स्तर के आधार पर रासायनिक कृमिनाशियों की आवश्यकता आधारित उचित उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(2) राज्य विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच समेकित कीट प्रबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए 26 वर्तमान केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंध केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आठवीं योजना के दौरान 4 नए समेकित कृमि प्रबंध केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(3) चावल, कपास और खेतों में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में राज्य कृषि विभागों के सहयोग से किसानों और राज्य विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। 1994-95 के दौरान लगभग 1000 समेकित कृषि प्रबंध कृषक क्षेत्रीय विद्यालय खोले गए हैं। प्रशिक्षित विषयवस्तु विशेषज्ञों के नेतृत्व में फसल मौसम के दौरान प्रत्येक सप्ताह में एक बार कृषकों के खेतों पर आयोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण में 5 कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं और 30 किसानों ने भाग लिया।

(4) कृषकों और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने/प्रशिक्षण देने के लिए समेकित कृषि प्रबंध नियम पुस्तक के साथ-साथ कृषक क्षेत्र निर्देशिका तथा पोस्टर प्रकाशित करके वितरित किए गए हैं।

(5) जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के वास्ते 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 360 लाख रुपये का सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

**2114. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) 21.3.1995 को पश्चिम रेलवे में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त (कमी) पड़े पदों की कुल संख्या इस प्रकार है :-

| वर्ग | भर्ती | | पदोन्नति | |
|---|---|---|---|---|
| | अनु. जाति | अनु. जनजाति | अनु. जाति | अनु. जनजाति |
| "ख" | सीधी भर्ती | नहीं होती | 2 | 12 |
| "ग" | 129 | 113 | 508 | 318 |
| "घ" | 31 | 103 | कोई नहीं | कोई नहीं |

(ख) पदोन्नति कोटियों के पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त पड़े हैं :-

(1) चयन-पूर्व समुचित प्रशिक्षण देने के बावजूद अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों का अपेक्षित संख्या में चयन में उत्तीर्ण न हो पाना;

(2) भरण ग्रेड में अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार न मिल पाना;

(3) अपग्रेड किए गए पदों के मामले में आरक्षण लागू किए जाने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में

अदालतों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों विशेषकर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बम्बई के प्रतिकूल आदेश;

(4) पेनल में रखे गए अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्त रखी जा रहीं रिक्तियां ताकि उन्हें दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर पदोन्नत किया जा सके;

(5) अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत लंबित पड़े मामले;

भर्ती कोटियों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) आशुलिपिक एक्स-रे तकनीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स तथा अन्य पैरा-मेडीकल कोटियों हेतु अपेक्षित तकनीकी/शैक्षिक अर्हता वाले अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप पद रिक्त रहते हैं;

(2) रेल भर्ती बोर्डों के साथ भर्ती संबंधी प्रक्रिया चल रही हैं

अनु. जाति/अनु. जनजाति की भरी न गई रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) ग्रुप ग और घ की वे पदोन्नति कोटियां, जिनके लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति के पात्र उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें संभव स्तर तक पदोन्नत किया गया है ताकि उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सके।

(2) केन्द्रीय अधिकरण/बम्बई के दिनांक 11.10.94 के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(3) रेलों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए भरण कोटियों में दो वर्ष की सेवा शर्त के महाप्रबंधकों के व्यक्तिगत अनुमोदन से अपरिहार्य सीमा तक छूट दे दी जाए (रनिंग कोटियों के अलावा) बशर्ते कि तत्काल निम्न ग्रेड में एक वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी होती हो।

(4) रेल भर्ती बोर्डों को पश्चिम रेलवे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आशुलिपिकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य पैरा-मेडीकल आरक्षित पदों को अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरने के लिए फिर से प्रयत्न करने का निदेश दिया गया है।

(5) वर्ग "घ" सेवा में अनु. जनजाति के 64 उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की अनुमति दे दी गई है।

(6) पश्चिम रेलवे को वर्ग "ख" के 2 अनु. जाति तथा 12 अनु. जनजाति के पदोन्नति पदों को भरने के लिए एक विशेष पदोन्नति अभियान चलाने का निदेश दिया गया है।

## दोहरी रेल लाइन

2115. **श्री तरित बरण तोपदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा और बोंगांव के बीच दोहरी लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). सर्वेक्षण किया जा रहा है। हावड़ा और बोंगांव लाइन के दोहरीकरण पर आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगी।

## कोंकण रेल परियोजना

2116. **श्री सुधीर सावंत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोंकण रेल परियोजना के लिये जिन लोगों की भूमि अधिगृहित की गई है, उन्हें रोजगार में प्राथमिकता देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निगम के लिए एक प्रथम भर्ती बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). कोंकण रेलवे निगम, उस परिवार के एक आश्रित को रोजगार देने की नीति अपना रहा है जिसकी भूमि अधिगृहित की गई हो, बशर्ते कि भूमि के अधिग्रहण से उस परिवार की जीविका का, जो एकमात्र साधन था, वह समाप्त हो गया हो।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

## सांस्कृतिक संगठनों की सहायता

2117. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वामी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सांस्कृतिक संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच मांगी गई धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन अनुदानों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**रेलवे अस्पताल**

**2118. श्री तेजनारायण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल स्तर पर रेलवे अस्पतालों में कैट स्कैन मशीनें उपलब्ध की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन मशीनों को प्राप्त करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) ये मशीनें कब तक प्राप्त कर ली जाएंगी?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). रेलों पर सरकारी/निजी संस्थानों से बिल प्रणाली या प्रतिपूर्ति के आधार पर सी टी स्कैन जांच करवाने की व्यवस्था है। यह प्रणाली संतोषजनक और किफायती ढंग से चल रही है। उक्त मशीनें खरीदने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[अनुवाद]**

**मोरों का चोरी-छिपे शिकार**

**2119. श्री अनंतराव देशमुख :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "पीकॉक पोचिंग इन संजय वन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का राजधानी में संजय वन में मोरों के अंधाधुंध शिकार और पेड़ काटे जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, हां। "पीकॉक पोचिंग इन संजय वन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) दिल्ली के मुख्य वन्य जीव वार्डन की रिपोर्ट के अनुसार संजय वन में मोरों का अन्धाधुन्ध शिकार नहीं किया जा रहा है, यद्यपि स्वाभाविक मृत्यु तथा परभक्षियों द्वारा इनके मारे जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा संजय वन में वृक्षों की अंधाधुन्ध कटाई की पुष्टि नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर राष्ट्रीय पक्षी और सामान्यतः वन्य जीवजन्तुओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) मोर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है जिससे इस प्रजाति को अधिकतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रजातियों के अनधिकृत शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(3) वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वन्यजीवों की किसी भी तस्करी को रोकने के लिए अधिकांशतया देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय वन्यजीव परिरक्षण कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(5) वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(6) राज्य/संघ राज्य सरकारों के अनुरोध पर चोरी छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और वन्यजीवों की आबादी तथा वासस्थलों की सुरक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(7) आवश्यकता पड़ने पर चोरी छिपे शिकार करने वालों तथा अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल तथा सेना की सहायता ली जाती है।

(8) सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

**चावल की नई किस्म**

**2120. डा. जी.एल. कनौजिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1994 के दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सुपर राइस टू बूस्ट आउटपुट

बाइ 25 प्रतिशत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने सुपर चावल की एक ऐसी किस्म विकसित की है, जिसकी पैदावार से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में चावल की इस नई किस्म के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से चावल की अधिक सक्षम किस्म पौध को विकसित करने में लगा हुआ है जो सबसे अच्छी बौनी किस्म आई. आर-8 से भी 25 प्रतिशत अधिक पैदावार दे सके। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार की सामग्री अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर है और इसको अभी भी आम खेती के लिए जारी किया जाना है।

(घ) भारत में किए जाने वाले अनुसंधान में इस बात पर अधिक जोर दिया जाता रहा है कि ऐसी बौनी किस्मों का विकास किया जाय, जिनमें जैविक/अजैविक दवाओं को सहन करने की अधिक क्षमता हो। फिर, पैदावार का स्तर और अधिक बढ़ाने के लिए हाईब्रीडटैक्नोलाजी के विकास पर, को भी प्राथमिकता दी जाती है। भारत इन प्रयासों में सफल रहा है- फलतः हाल ही में चावल की चार संकर किस्में जारी की गई हैं, जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध किस्मों की तुलना में प्रति हैक्टर एक टन से भी अधिक पैदावार देती हैं।

## लहसुन की कीमतें

**2121. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आठ महीनों के दौरान लहसुन का खुदरा मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं; और

(ग) इसके खुदरा मूल्यों को वहनीय सीमा तक नीचे लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) पिछले आठ महीनों के दौरान लहसुन का खुदरा मूल्य यद्यपि तुलनात्मक रूप से अधिक रहा, तथापि यह 100 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे रहा। फिर भी सुपर बाजार, दिल्ली में लहसुन का खुदरा मूल्य दिसम्बर, 94 और जनवरी, 95 में क्रमशः 84 रुपये प्रति किलोग्राम और 95/- रुपये प्रति किलोग्राम रहा।

(ख) लहसुन के खुदरा मूल्य में असामान्य वृद्धि का मुख्य कारण था जिसकी मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन तथा अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति का रूख होना।

(ग) सह्य सीमा तक खुदरा मूल्यों को नीचे लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा सुपर बाजार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए अन्य सब्जियों के साथ-साथ लहसुन की बिक्री निर्धारित मूल्यों पर कर रही है।

## रेल परियोजना

**2122. श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-आमटा रेल परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). हावड़ा से बड़गछिया (24 कि.मी.) तक लाइन को पहले ही खोला जा चुका है तथा बड़गछिया से आमटा तक के शेष खंड पर कार्य को, संसाधनों की तंगी तथा इस लाइन की निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। निधि की स्थिति में सुधार होने पर इस कार्य को पुनः शुरू किया जाएगा। कार्य के पुनः शुरू होने पर ही लक्ष्य तिथि निर्धारित की जा सकती है।

## रेलवे नेटवर्क

**2123. श्री सुब्रतो मुखर्जी :**
**श्री पूर्ण चन्द मलिक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु रेलवे नेटवर्क के विस्तार तथा सुधार संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ लाइनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन लाइनों का पता लगा लिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित नई रेल लाइनों का बिछाया जाना और दोहरीकरण परियोजनाएं चल रही हैं, जो पूरा होने पर राज्य के संपूर्ण विकास में सहायक होंगी :—

1. नई लाइनें

(i) लक्ष्मीकांतापुर-नामखाना

(ii) हावड़ा-आमटा-चंपाडांगा

(iii) तामलुक-दिगा

(iv) इकलाखी-बालुरघाट

**(II.) दोहरीकरण**

(i) दत्तापुकुर-हावड़ा

(ii) साहिबगंज-लिंक केबिन-न्यू फरक्का-मालदा टाउन

(iii) खाना-झापटेरढ़ाल (चरण-I)

(iv) झापटेरढ़ाल-गुसकारा (चरण-II)

(v) आलुआबाड़ी रोड-किशनगंज

**1995-96 के रेल बजट में शामिल नए दोहरीकरण कार्य**

(i) गुसकारा-बोलपुर (चरण-III)

(ii) बज बज-अकरा (चरण-I)

(ग) जी, हां।

(घ) दोहरीकरण के लिए नियत की गई लाइनें इस प्रकार हैं :—

(i) खाना-सैंथिया

(ii) अंडाल-सैंथिया

विद्युतीकरण के लिए नियत की गई लाइनें इस प्रकार हैं :—

(i) बडेल-कटवा

(ii) आद्रा-मिदनापुर

(iii) पुरूलिया-कोटशिला

(iv) खड़गपुर-दांतन

(ङ) इन कार्यों को 95-96 में पूरा करने के लिए रेलवे को आवश्यक निधि और सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

विद्युतीकरण के लिए, बंडेल-कटवा खंड में काम चल रहा है। आद्रा-मिदनापुर और पुरूलिया-कोटशिला खंडों पर 1995-96 में काम शुरू कर दिया जाएगा।

**[हिन्दी]**

**रोजगार के अवसर**

**2124. श्री लाल बाबू राय :**
**श्री अर्जुन सिंह यादव :**
**श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे तथा उत्तरी रेलवे में कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है और इस जोन में रोजगार के अवसर भी कम हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों की छटनी की गयी और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर रेलवे का परिसमापन करने का है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) उत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में घट-बढ़ होती रही है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

| वर्ष | उत्तर रेलवे | पूर्वोत्तर रेलवे |
|---|---|---|
| 1991-92 | 2,46,057 | 1,05,966 |
| 1992-93 | 2,52,105 | 1,04,084 |
| 1993-94 | 2,48,856 | 1,02,282 |

रेलों में रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों का सृजन नई लाइनें/खंड चालू करके, नई उत्पादन इकाइयां खोलने और चल-स्टाक अवसरंचना का अनुरक्षण शुरू करके किया जाता है। तथापि, अप्रचलित प्रौद्योगिकी समाप्त करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी के चलन से, परिणामस्वरूप अनिपुण श्रमिकों की संख्या में कमी होती है। रोजगार में समग्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आमान परिवर्तन, बाहरी एजेंसियों से सामग्री, उपस्कर, मशीन एवं संयंत्र की खरीद करके रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों में वृद्धि की जा रही है। रेलों ने इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (इरकान), कंटेनर कार्पोरेशन आदि जैसे सहायक संगठनों की स्थापना की है, जिनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था होती है। बोल्ट (निर्माण, परिचालन, पट्टा और हस्तांतरण) जैसी योजनाएं शुरू करने से भी रेलवे अभिमुख रोजगार के स्वरूप में विस्तार होगा। इनके फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

(ग) अधिक नौकरियों का सृजन परिचालनिक और व्यावसायिक अवसरों पर निर्भर करता है। तदनुसार 31.3.91 से 31.3.94 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर और उत्तर रेलों में लगभग 21,508 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

**[अनुवाद]**

**कोयले का प्रयोग**

**2125. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विकसित देशों ने भारत तथा अन्य विकासशील देशों से कोयले का प्रयोग पर्यावरण की खातिर बन्द करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## तितलियां और कीट पतंगा

**2126. कुमारी सुशीला तिरिया :**
**श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में तितलियों और पतंगों की किन प्रजातियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या ये तितलियां विलुप्त हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल तितलियों और पतंगों की प्रजातियों के नाम (कुल 471) संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (अनुसूची 1 में 128, अनुसूची 2 भाग 2 में 323 और अनुसूची 4 में 20)

(ख) और (ग). वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल तितलियों और पतंगों की प्रजातियों को, यदि बचाया नहीं गया, तो उनके विलुप्त होने का खतरा है। विलुप्त होने के खतरे के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ उनके वासस्थलों का क्षत-विक्षत और अवक्रमित हो जाना, प्रजनन क्षेत्रों में कमी और उनका शिकार (संग्रहण) किया जाना शामिल है।

(घ) इन प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रजातियों के अनधिकृत शिकार को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(2) जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

(3) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वन्य जीवों के किसी प्रकार की अवैध तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(5) वन्य जीव प्राधिकारियों को जब भी वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, वे छापे मारते हैं।

(6) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर चोरी छिपे शिकार-रोधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा वन्यजीव आबादी को बचाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

## विवरण

### वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसूची में उल्लिखित तितलियों और पतंगों की सूची।

### अनुसूची-1 भाग-4

| | |
|---|---|
| फेमिली अमान्थसिडा | सामान्य अंग्रेजी नाम |
| डिस्कोफोरा देव देव | डफर बैंडेड |
| रिस्कोफोरा सोण्डाइका युसिना | डफर कॉमन |
| फौनिस फौनुला फौनुलायडस | पालिड फौना |
| फेमिली अनाइडा | |
| डानौस गौतमा गौतामोइड्स | टाइगर |
| यूपलोइया क्रेमेटी निसेविलै | क्रो स्पाटेड ब्लेक |
| यूपलोइया मिडान्स रोइपटोफ्टी | क्रो ब्ल्यू स्पटेड |
| फेमिली लिकाइन्डिा | |
| एलोटिन्स ड्रुमिला | डार्कि, क्रंमुलेट/ग्रेट |
| एलोटिनस फेवियस पेवोरमिस | एंगलड डार्कि |
| एम्बलीपाला एबिडियाना | हेयरस्ट्रीक चाइनीज़ |

| | |
|---|---|
| एम्बलीपोडिया एस आराटा | लीफ ब्लू |
| एम्बलीपोडिया एलिया कांस्टानसिया | रोजीओख ब्ल्यू |
| एम्बलीपोडिया अझोन एरियल | मलयन बुश ब्लू |
| एम्बलीपोडिया आर्विना आर्डिया | पर्पलब्राउन टेल लैस ओक ब्लू |
| एम्बलीपोडिया कोमिका | प्लेन टेल लैस ओक ब्लू |
| एम्बलीपोडिया कोपिका | कोमिक ओक ब्लू |
| एम्बलीपोडिया ओपालिका | ओपाल ओक ब्लू |
| एम्बलीपोडिया जेटा | अण्डमान टेललैस ओक ब्लू |
| बिड़आण्डा मेलिया साइना | ब्लू पोजी |
| केलोफिरस लीची | हेयर स्ट्रोक फेसगिनॉस |
| कास्टालियूस रोसीमोन अलारवस | फाइरोट कॉमन |
| चाराना सेफेइस | मण्डराइन ब्लू, कावर |
| क्लिओरिया ओबोना | टिट आर्किड |
| डियूडोरिक्स इपिजारबास अमारियस | कोमेलियन स्कवेयर्स |
| एवरेस भूरी | कुपिड मूरीन |
| ग्रेडस विग्गसी | विग्स ब्रोनी |
| हेलियोफोरस हाइब्रिडा | साफायस |
| होर्गा अल्वीकाकुला | ओनीक्सेस |
| जामिडेस फेरारी | केम लियलस् |
| लिपयारा ब्रासोलिस | ब्यूटैरीफाई, मोथ |
| लिसटेरिया डूडगेनी | लिस्टर्सहेयर स्ट्रीक |
| लोगेंनिया बाट्सनियाना सबफासियेटिया | मोटेल वाट्सन्स |
| लायकेनोप्सिस बिंगहामी | हेड्ज ब्लू |
| लायकेनोप्सिस हाराल्ड्स अनानगा | हैड्ज ब्लू, फेलडरस् |
| लायकेनाप्सिज परपा प्रोमोनेन्स | कामन हेड्ज ब्लू |
| लायकेनोप्सिस कुआडरीप्लाजा दोहेरती | नागा हेड्ज ब्लू |
| नाकाड्युबा नोरिया हाम्पसोनी | लाइन्न ब्लू, व्हाइट टिप्ड |
| पोलीमाट्स आर्बीटयूट्ल्स लीला | ग्रीनिथ माउंटेन ब्लू |
| प्रतार आइसटास मिशापिया | रॉयल, डार्क ब्लू |
| सिमिसकिना फालेना हार्टेटेरी | ब्रिलियंट, ब्राडलैंडिड |
| सिंथुसा विरगो | स्पार्क, पेल |
| स्पिनडेसिस इलेवेसी | सिल्वरलाइन, इलेबेसी |
| स्पिनडेसिस रूकमिनी | सिल्वर लाइन, खाकी |
| स्ट्राइमोनिदिया मैकवुडी | हेयरस्ट्रीक, मैकवुड्स |
| ताजुरिया इसटेर | रॉयल, अनसर्टेन |
| ताजुरिया ल्यूक्यूलेंटस नेल | रॉयल, चाइनीज़ |
| तजुरिया यजना, यजना | रॉयल, चेस्टनल एण्ड ब्लैक |
| तेक्ला अटैक्रास ज्यूला | वंडरफुल हेयरस्ट्रीक |
| तेक्ला बेटी मेनलेरा | इंडियन पर्पल हेयरस्ट्रीक |
| तेक्ला लेथा | वाट्सन हेयरस्ट्रिक |
| तेक्ला पाओना | आओना हेयरस्ट्रिक |
| थेक्ल पावो | पीकॉक हेयरस्ट्रिक |

| | |
|---|---|
| विवाचोला स्माइलस | गावा ब्ल्यूर्स |
| फैमिली नायमफेलेडिया | |
| अपातुरा उलुपी उलुपी | एम्परर, तावने |
| आरगेनिस हेगेपोने | सिल्वर वाशड् फ्रीटीलरी |
| कालीनेगा बुद्धा | फ्रीक |
| चारएक्सेस डर्नफोर्डी निकहोली | राजाह, चेस्टनट |
| काइरोचोरा फेमियेट | येओमैन |
| डाइगोरा नाइसविली | सीरेन, स्क्रेस |
| दिलीपा मॉरजीयाना | एम्परर, गोल्डन |
| डोलेचालिया बिसालटाइड एण्डामाना | ऑटम लीफ |
| ऐरीबोइया स्क्रेबरी | ब्लू नवाब |
| ऐरीबोइया पूरी सण्डाकनस | मालायन नवाब |
| यूलेयूरा मैनीपुरेसिस | एम्परर, टेलरर्स |
| युथालिया दुर्गा स्प्लैनडेस | बारोन्स/काउंट्स/डचेसिस |
| यूथालिया ईवा | ड्यूक, ग्रैंड |
| यूथालिया कहामा क्यूरविफासिया | ड्यूक, नागा |
| यूथालिया टैलचीनिया | बारोन, ब्लू |
| हेलकायरा हेमीनिया | एम्परर, व्हाइट |
| हायपोलिमनास मिसीपस | एगफ्लाइ, डेनेड |
| लिमैनीटस आस्टेनिया परपरएसेंस | कॉमोडोर, ग्रे |
| लिमैनीटस जूलेमा | एडमिरल्स |
| मेलिटाइया शान्दुरा | फर्टिलारिज/सिल्वरस्ट्रीप्स |
| नेप्टीस एण्टीलोप | सेलर, वैरीगेटिड |
| नेप्टीस एसपेसिया | सेलर ग्रेट, हॉकीस्टिक |
| नेप्टीस कालमेला कानकेना | सेलर, शॉर्ट, बैंडेड |
| नेप्टीस कायडिपे किरबारनेसिस | सेलर, चानीज़ यैलो |
| नेप्टिस एबुसा | सेलर, लास्कार |
| नेप्टिस जुम्बाह बिंगहामी | सेलर, चेस्टनट स्ट्रिकड |
| नेप्टिडस मनासा | सेलर, पेल हॉकीस्टिक |
| नेप्टिस नाइक्टेन | सेलर, हॉकीस्टिक |
| नेप्टिस पूना | लास्कर, टैलर्स |
| नेप्टिस सानकारा | सेलर, ब्राड बॉडिड |
| पान्थोपोरिया जीना जीना | भूटान, सरजेंट |
| पंथोपोरिया रेट मूरी | मलाय स्टाफ सरजेंट |
| प्रोथो फ्रांसकी रीजेल्स | बेगल, ब्लू |
| सासाकिया फ्यूनेब्रीस | एम्परेस |
| सेफीसा चन्द्रा | कोर्टयर, ईस्टर्न |
| सायम्ब्रन्थिया सिलाना | जेस्टर, स्क्रेस |
| बेनेसा एंटीओपा येदनुला | एडमायरेबल् |
| फैमिली पापीलिओनीडे | |

| | |
|---|---|
| थिलासा क्लाइटिया कलाटिया कॉमिक्सटस | कॉमन माइम |
| पापिलिओ एलीपेनर | स्पैनगल, यैलो क्रसटिड |
| पापिलिओ लिओमेडन | स्वालोबटेल, मालाबार बैंडिड |
| परनासियू ऐकडे जेमिनिफर | अपोलो |
| परनासियू डेलफीअस | बैंडिड अपोलो |
| परनासियू हैनीनगटोनी | हैनीनगटोन्स अपोलो |
| परनासियू इम्पेरेटर ऑग्स्टस | इम्पीरियल अपोलो |
| परनासियू स्टोलिकजाकनस | लद्दाख बैंडिड अपोलो |
| पोलीडोरस कूनसामबिर्लेज | कॉमन क्लबटेल |
| पोलीडोरस क्रासिपेस | ब्लैक विंडमिल |
| पोलीडोरस हेक्टर | क्रीमसन रोज़ |
| पोलीडोरस नेविली | नेविलीस् विण्डमिल |
| पोलीडोरस प्लूटोनिस पेम्बरटोनी | चाइनीज़ विण्डमिल |
| पोलीडोरस पोला | डिनाइसेलेस विण्डमिल |
| फैमिली पियेरिडा | |
| अपोरिया हैरीएट हैरीएट | ब्लैक वेन्स |
| बाल्टिया बुटलेरी सिक्किमा | व्हाइट बटरफ्लाई |
| कोलियास कोलियास थ्रासिबुल्स | क्लाउडिड येलोस् |
| कोलियास डूबी | ड्वार्फ क्लाउडिड यैलो |
| डेलियास सानाया | जेज़बेल, पेल |
| पाइरिस क्रूपेरी देवता | बटरफ्लाई कैबेज/व्हाइट II |
| फैमिली सत्यारिडा | |
| कोयलिटेस नोथीस एडमासोनी | केट्स आई, स्क्रेस |
| काइलोजेनेस जेनेटा | ईवनिंग ब्राउन, स्क्रेस |
| एलाइम्नियास पेली | पॉमफ्लाई, पेल्स |
| एलाइमिनियास पेनान्जा फिलैन्सिस | पॉमफ्लाई, पेंटिड |
| अरेबिया अन्नाडा अन्नाडा | आरगस, रिंगड |
| अरेबिया नरसिंघा नरसिंहा | आरगस, मोटल्ड |
| लेथ, डिर्स्टेस | फारस्टर स्क्रेस रेड |
| लेथ ड्यूरा जेमी | लीलाफोर्क, स्क्रेस |
| लेथ यूरोपा टागुना | बैम्बू ट्री ब्राउन |
| लेथ जेमिना गाफुरी | टेलर्स ट्री ब्राउन |
| लेथ गुलूझाल गुलूझाल | फॉरेस्टर, डल |
| लेथ मारगारिटा | ट्री ब्राउन, भूटान |
| लेथ ओसेलाटा लायनकस | मायेस्टिक डेसेमल |
| लेथ रामादेव | सिल्वरसिट्रप, सिंगल |
| लेथ सत्यावती | फारेस्टर, पालिड |
| मायकालेसिस ओरसिस नावटिल्स | बुशब्राउन, पर्पल |
| परारगेमेनाद्दा मेरोडिस | वॉल डार्क |
| पृथिमा डोहर्टटाई पर्सिमिल्स | फाइव रिंग, ग्रेट |

## अनुसूची–2, भाग–2

फैमिली क्रायसोमेलिडे
एक्रोक्रेप्टा रोटनडाटा
बिमला इण्डिका
क्लीटिया इण्डिका
गोपाला पिटा
ग्रीवा साइनिपेन्निस
निसोत्रा कार्डोनी
निसोत्रा मैडूनसिस
निसोत्रा निग्रीपेन्निस
फैमिली अमाथूसिड्स
ऐमोना एमाथूसिया एमाथूसिया
अमाथूसिया फिलीप्पस एण्डामेनीकस
डापाथूसिया अमाएथोनम
डिसकोफोरा डिया डियोडोडिस
डिसकोफोरा लेपीडा लेपीडा
डिस्कोफोरा टिमोरा एण्डार्मेसिस
एनिस्पे साईक्नस
फोनिस सूमेस अस्सामा
स्टिकोपथालमा नॉरमाहाल
थायूरिया एलीरिस एम्प्लीफेसिया
फैमिली डानाईडे
यूप्लोइआ मेलानोल्यूका
यूप्लोइआ पिडामस रोगेनहोफरी
निसोट्रा सेमिकोकूले
निसोट्रा स्ट्रैट्रीपेनीस
नोनार्था पाकिया
साइलियोडस प्लाना
साइलियोडस शीरा
सेबेथ सरविना
सेबेथे पाकिया
स्फाराडरमा ब्रेवीकोर्न
फैमिली कूकूजिदा
कैरीनोफ्लोस राफेरी
कूकूजस बिकोलोर
कूकूजस ग्रोवेले
कूकूजस इम्पीरियलिस
हेट्रोजीनस सेमीलैक्टानेस

लेमोफ्लस बेली
लेमोफ्लस इंसरट्स
पेडीकस रेफीपेस
फैमिली इनोपेप्लीडे
इनोपेप्लस एलबोनोटाल्स
एम्ब्लोई पोडिया एलिसी
एमब्लोई पोडिया फ्यूला इगनारा
एमब्ला पोडिया गानेसा वाटसोनी
एमब्लाइपोडिया पारागेनसा जेफप्रिटा
एम्ब्लाइपोडिया पाराके
एम्ब्लाइफोडिया सिलेटेंटिस
एम्ब्लाइफोडिया सुफूता सुफूता
एमब्लाईपोडिया येन्दावा
अफारटिस टिलासिनस
अराटेस लापीथिस
आटिपे इरैक्स
बिंधारा फोसिहेस
बोथरिना चेन्नेल्ली
कास्टालियस रॉक्सस मान्यएना
काटापोसिलमाडेलिकाटम
फैमिली हेसपरलिडे
बाओरिस फिलिपीना
बेबासा सैना
हाल्पे होमोलिआ
फैमिली लाइकेनीडे
अलाटीनस सबबिओलासियस मैनीषस
एमब्लाइफोडिया एबेरेन्स
एमब्लापोडिया ऐन्आ
एमब्लापोडिया एगबायूरेला
एमब्लाईपोडिया एग्रेटा
एमब्लाईपोडिया एलेस्टा
एमब्लाईपोडिया एपीडेनस एहैम्स
एमब्लाईपोडिया अरेस्टे अरेस्टे
एमब्लाईपोडिया बाजालीडिस
एमब्लाईपोडिया कामडेओ
महाथाला एटकिनोसोनी
मागिस्बा मलाया प्रैसबायटर

नाकाडुबा एन्कायरा एबेरेन्स
नाकाडुबा हेलीकोन
नागाडुबा हर्मस मेजर
नाकाडुबा पैक्टोलस
नेयूचरितरा फैब्रोनिया
निफाण्डा कायम्बिया
आर्थोमिला पॉन्टिस
पेयेकोप्स फ्लगेन्स
पॉलीम्पाटस देवेनिका देवेनका
काटापोसिलमा एलिगन्स
मायोसिटिना
चरना जालिन्दरा
चेरीटेरल्ला दूनसिपेन्नीस
चिल्लिरिया कीना
ड्यूडोक्स हाइपारगेरिया
गेटूलिया
एनकराईसोपस ऑनजस
एवरेस कालारोई
लेलीपचेरस एण्ड्रोकलस मूरी
होरागा ऑनेक्स
होरागा बिओला
हाईपोलीकेना नीलगिरिका
हाईपोलीकेना थेक्लोडेस निकोबारिका
ईराओटा रोचाना बोस्वेलीना
जामिडेस एलेकटोकानडूलाना
जामिडेस सेलेडस प्यूरा
जामिडेस कानकेना
सैम्फीडेस बॉयटीकस
लियाके एलबोकेरला
लियाके एट्रीग्यूटा
लियाके लियाके
लियाके मेलेना
लियाके मिनीमस
लोगेनिया मसालिया
लाइकनेस्थेस लाइकेनिया
महाथाला अमेरिया
ताजुरियाइलुरगुइस
ताजुरिया इलुरगिस
ताजुरिया जंगला एण्डामेनिका
ताजुरिया थेडिया
तजुरिया यजना आइस्ट्रोडेस
टारूकस कालीनारा
तारूकस धात्रा
थाडुका मल्टीक्यूडाटा कनारा
थेक्ला एटाक्सस एटाकसस
थैक्ला बाइटी
थेक्ला आइकाना
पॉलिम्माटस मेटेलिका मेटेलिका
पॉलीम्माटस आर्बिटलस जालोका
पॉलीम्माटस येओंगहसबैंडी
पोर्टिया इराईसिनोएडिस एलिसी
पोर्टिया हेव्डिसोनी
पोर्टिया प्लसरेटा गेटा
प्रतापा भोटेस
प्रतापा ब्लैंक
प्रतापा देवा
प्रतापा आईसटास
रापाला चन्द्राना चन्द्राना
रापाला नासला
रपाला रीफ्यूलजेंस
रपाला रूबिडा
रपाला साइनटाइला
रपाला ऑफिक्स ऑफिक्स
रपाला वरूण
स्पिनडास एलिया एलिमा
स्पिनडासिस निपालिकस
सुरेन्द्र टोडारा
तजुरिया एल्बीप्लागा
तजुरिया चिप्पस चिप्पस
तजुरिया क्यूलटा
तजुरिया डायस
चाराक्सिस फैब्यूजस सल्फ्यूरस
चाराक्सिस नबखा
चाराक्सिस पार्थक्स
चाराक्सिस पॉलिक्सना हीमेन
चेरसोनिसा राहरिया अराहरियोडेस
क्रीस्टिस कोक्लेस
दियागोरा पर्सिपिल्स

डोलेस्चालिया बिस्लटाइड मालाबारिका
इरीबोइया आथामास एण्डामानिक्स
इरीबोइया डेल्फिन्स
इरीबोइया डोलोन
ऐरीबोइया लिसाइनई
यूरीपस कॉन्सीमिल्स
यूरीपस हैलीथेरसस
थेक्लाजाकमेनसिस
थेक्ला कार्बिया
थेक्ला खासिया
थेक्ला क्रीबारिनासिस
थेक्ला सुरोइया
थेक्ला साएला असामिका
थेक्ला विटाटा
थेक्ला जीवा
थेक्ला जोआ
ऊना उस्ता
फैमिली नाइमफालाइडे
अदोलिआस सायनीपार्डस
अडोलिआस दिरतिआ
अडोलियास खासियाना
अपातुरा चेवाना
अपातुरा पर्वता
अपातुरा सोरडिडा
आरगाएनिस आल्टीसिमा
आरगाएनिस पेल्स होरला
एटेला आइसीप्पे
कालिंगा बुद्धा ब्रहामन्
चाराक्सिस एरीस्टोगिटन
नेप्टिस नंदिना हामसोनी
नेप्टिस नारायणा
नेप्टिस राधा राधा
नेप्टिस सोमा
नेप्टिस जैदा
न्यूरोसिगमा डबलडाई डबलडाई
पैण्टापोरिया अस्पूरा अस्पूरा
पैण्टापोरिया लारेयामना सियार्मेसिस
पैण्टापोरिया प्रावरा एक्यूटीपेम्निस
पैण्टापोरिया रेंज
पार्थेन्स सिल्विया
पेन्थेमा लाइसार्ड
सायमब्रेथिमा निफाण्डा
वानेसा ईगेआ एजीनिकुला
यूथलिया अनोसिया
यूथालिया कोकाएट्स
यूथलिया ड्यूडा
यूथालिया दुर्गा दुर्गा
यूथालिया इवेलिना लैंडविलिस
यूथालिय गायूडा अर्कोटिअस
यूथालिय लेपेडिया
यूथालिया मेरेटा इरीफालिया
यूथालिया नारा नारा
यूथालिया पाटाला टोएना
यूथालिया टेयूटा
हरीना माराथस एण्डामाना
हाइफोलीम्नास मिसिपस
हाइपोलिम्नास पॉलीनाइस बिरमाना
कालाइपा एलाम्पोरा
कालाइमा एल्बोफासिटा
कालाइमा फिलारचस हार्सफील्डाई
लेमेण्टस आस्टिनिया आस्टिनिया
लिमेण्टिस वामावा
लिमेण्टिस डूडू
मैलिटिआ रोबेरटिस ल्यूटको
नेप्टिस अनन्ता
नेप्टिस अनजाना नामौना
नेप्टिस यूरेलिया
नेप्टिस मगधा खासियाना
पॉलिडोरस प्लूटोनियस टायटलेरी
टेनीपाल्पस इम्पीरियलाइज़ इम्पीररियलाइज़
फैमिली पैरीडा
अपोरिया नावेलिका
अप्पाइस अल्बीना दारादा
अप्पाइस लाएन्सिडा लैटीफैसिटा
अप्पाइस इंदिरा शिवा
अप्पाइस बाराडिका
बाल्टिया बुटलेरी बुटलेरी
सेपोरा नेरीस्सा डापाह

सेपोरा नादियान रेम्बा
कोलियास इकोण्डिका हिंदक्यूसिया
वानेसा ईगेआ ऐजीनिकुला
वानेसा पॉलीक्लोरोस फेरविडा
वानेसा प्रारसोइडसदौहरती
वानेसा आर्टिको रिज़ामा
फैमिली पाप्लिओनिडा
भूटानिटिस लाइडरडालिया
चिलासा इपाइसिड्स इपाइसिड्स
चाइलिसा पैराडीकसा टैलीआर्चस
चिलासा स्लाटेरी स्लाटेरी
ग्राफियम आर्सिट्स एंटीग्रेट्स
ग्राफियम आर्रियाकल्स आर्रियाकल्स
गाफियम इरूपाइल्स मैक्रानिअस
ग्रेफियम इवेमान एलबोसीलेटेस
ग्राफियम मेगारूस गेगारूस
ग्राफियम गायस गायस
पापिलिओ बूटस
पापिलिओ बुद्धा
पापिलिओ फसकस एण्डार्मेकस
पापिलिओमचीन बैरीटाई
पापिलिओ मायो
पर्नासिअस चार्लटोनिअस चार्लटोनिअस
पर्नासिअस ऐपाप्स हिलैन्सिरा
पर्नासिअस जैक्यूमोण्टी जैक्यूमोण्टी
पॉलीडोरस लाट्रेल्ली कावरूआ
लेथ गोलापारा गोलापारा गोलापारा
लेथ इंसाना इंसाना
लेथ जालुरिडा
लेथ काबरूआ
लेथ लेटियारिस लेटियारिस
लेथ मोइलेरी मोइलेरी
लेथ नाइसटेला
लेथ नागा नागा
लेथ प्यूलाहा
लेथ स्कैण्डा
लेथ सिदेरिया
लेथ सरबोनसिस
लेथ सिनारिक्स

कोलियास इओगेना
कोलियास लाडाकेनसिस
कोलियास स्टोलीकज़काना मिराण्डा
डिलाइस लाटीविटा
डेलकास लायोकोरियास
यूकोले एण्डरसोनी ओरमिसटोनी
मेटापोरिया एगेथॉन
पाइरिस देओता
पोन्टिया क्लोरीडाइस एलपाइना
सालेतारा पाण्डा क्राइसेआ
वालेरिया अवतार अवतार
फैमिली सत्यारिडा
ऑलोसरा ब्राहमिन्स
साइलोजेनस सूर्योदेवा
एलायपिन्यास मिलाम्बा
एलायपिन्यास वासुदवा
इरेबिया आनन्दा सुरूइया
अरेबिया हाइग्रिवा
अरेबिया कालिण्डा कालिण्डा
अरेबिया मानी मानी
अरेबिया सेण्डा ओमाइमा
इराइट्स फाल्सीपेनिस
हिप्पारचीज़ हाईडेनिनरिचा शान्दुरा
लेथ आटकिन सोनी
लेथ बालादेवा
लेथ ब्रीसाण्डा
लेथ ट्रीस्टीगमाता
लेथ वायोलेसियोडिकेटा कांजुपकुला
लेथ विसरावा
लेथ यामा
मैनीओला देवेन्द्र देवेन्द्र
माइकेलेसिस एण्डापसोनी
माइकालेसिस अनेक्सिया
माईकेलेसिस बोटामा चाम्बा
माइकेलेसिस हेरी
माईकेलेसिस लेप्चा बेथामी
माईकेलेसिस मसारिडा
माईकेलेसिस मिसेनस
माईकेलेसिस मेस्ट्रा

माईकेलेसिस माईस्टेस
माईकेलेसिस स्यूवोलेंस
नेओरिना हिल्डा
नेओरिना पाट्रिया वेस्टवुडी
ओएनेइस बुद्धा गुरूवालिया
पारान्टिरहोइया मार्शली
पारागे मेरूला मेफुला
रामादिया क्रिसिल्डा क्राइटो
रहापीसेरा स्ट्रीक्स काबुआ
यपथीमा बोलान्सिया
यपथीमा लाइक्स लाइक्स
यपथीमा माथोरा माथोरा
यपथीमा स्मीलिस अफैक्टाटा
जिपोटिस सेटिंस

## अनुसूची-4

फेमिली डानाइडी
यूप्लोइया कोर सिमुला ट्रिक्स
यूप्लोइया क्रासा
यूप्लोइया डाओइलिसियानस रमसहाइ
यूप्लोइया वल्सीबेर
फेमिली हेस्पेटिडी
वोरिस फारी
हसोरा बिट्टा
हियारोटिस आड्रार्टस
ओरियन्स कोनसिन्ना
ऐलोपिडास असमन्सिस
पेलोपिडास सिनेन्सिस
पोलीट्रेमा डिसक्रेटा
पोलीट्रेया रूब्रिकन्स
थोरेक्सा होरिओरी
फेमिली लिकेनिडी
ताक्रकस आनन्दा
फेमिली निप्कटिडा
इथुथालिया लुबेन्टिना
फेमिली पिठोरिडी
एफियास अगाथेन एरियाका
एप्पियन्स लिबिथिया
एप्पियास नेटो गल्बा
प्राइओनेरिस सिटा

## रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

**2127. प्रो. के.वी. थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाधिंद एक्सप्रेस 2.3.1995 को पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके पटरी से उतरने के क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(घ) पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) :** (क) जी हां। 1.3.95 को लगभग 21.03 बजे गाड़ी सं. 6304 अप, तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम वांचिनाड एक्सप्रेस का इंजन तथा 4 सवारी डिब्बे, दक्षिण रेलवे के तिरुवनन्तपुरम मंडल के तिरुपुन्नीतुरा और एर्णाकुलम जंक्शन स्टेशनों के बीच, पटरी से उतर गए थे।

(ख) इस दुर्घटना की जांच की जा रही है तथा रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) न तो कोई घायल हुआ या न ही मारा गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गाड़ी के पटरी से उतरने सहित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) 10 वर्ष से कम की सक्रिय सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग की गई है और जिनमें कमी पाई गई है उन्हें पाठयक्रमेतर गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की भी विशेष स्क्रीनिंग की गई है और जिनके काम में कमी पाई गई है उन्हें संरक्षा से संबंधित पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों को नियमित परामर्श दिया जाता है।

(4) गाड़ियों की गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों को कड़ा दंड दिया जाता है जिसमें "बर्खास्तगी" और "सेवा से हटाया जाना" शामिल है।

(5) रेलों के महाप्रबंधकों के लिए भिड़ंत को समाप्त करना एक मिशन के रूप में माना गया है।

(6) पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 60,000 कर्मचारियों ने संरक्षा शिविरों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

### बाघ परियोजना का मूल्यांकन

**2128. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ परियोजना कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें आने वाली प्रमुख बाधाओं से निपटने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). मंत्रालय ने अक्तूबर, 1994 में परियोजना का मूल्यांकन करने तथा इसे और अधिक सार्थक एवं परिणाम उन्मुख बनाने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से इसके संपूर्ण कार्यकलापों की समीक्षा करने हेतु जे.जे. दत्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति से 30 अप्रैल, 1995 तक अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

### नई रेल लाइन

**2129. श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे में प्रतापगंज और बीरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नई रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

### राउरकेला में चक्का तथा एक्सल संयंत्र

**2130. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चक्का तथा एक्सल संयंत्र तथा रेल के डिब्बे बनाने वाली कोई कंपनी राउरकेला में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

### चीनी मिलें

**2131. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई चीनी मिलें घाटे पर चल रही हैं और वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मिलों के कार्यकरण को कारगर बनाने की दृष्टि से इन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार इन्हें कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) और (ख). केन्द्र सरकार चीनी मिलों से संबंधित लाभ व हानि का कोई लेखा-जोखा नहीं रखती।

(ग) और (घ). चीनी मिलों को पुनःस्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं और उनका बी.आई.एफ. आर./सहयोगी एजेन्सियों से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनः स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस. डी.एफ.) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते वे उनमें निहित शर्तें पूरी करती हों।

[अनुवाद]

### अल्पसंख्यक दर्जे के विद्यालय

**2132. श्री पीयूष तीरकी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित अल्पसंख्यक दर्जे वाले उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जो सैन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन और आई. सी.एस.ई. पाठयक्रमों से सम्बद्ध हैं;

(ख) सरकार द्वारा किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इन संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करने और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (शिक्षा निदेशालय) द्वारा भेजी गई दिल्ली स्थित अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों की सूची का विवरण संलग्न है। भारतीय पब्लिक स्कूल, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली।

स्कूल प्रमाणित परीक्षा परिषद् से सम्बद्धन प्राप्त फ्रैन्क एंथनी पब्लिक स्कूल, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली के अतिरिक्त इस सूची में उल्लिखित सभी स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) से सम्बद्ध हैं।

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 2 (ओ) के अनुसार, "अल्पसंख्यक स्कूल" का तात्पर्य ऐसे स्कूलों से है, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित तथा प्रबंधित किये जाते हैं।

(ग) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान है कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल उपर्युक्त अधिनियम तथा नियमावली में निर्धारित की गई मान्यता की विभिन्न शर्तों तथा आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**विवरण**

**दिल्ली में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों की सूची**

**पश्चिमी जिला**

1. कलगीधर खालसा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सुभाष नगर।
2. सेण्ट सोफिया सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ए-2, पश्चिम विहार।
3. सेण्ट सोफिया, सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, डी-23, कीर्ति नगर।
4. खालसा नेशनल पब्लिक स्कूल, कीर्ति नगर।
5. एस.एस. मोटा सिंह पब्लिक स्कूल, गुरू हरिकृष्ण नगर।
6. नियो कान्वेन्ट पब्लिक स्कूल, जी एच-2, पश्चिम विहार।
7. गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग।
8. भाई बीबा सिंह सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, मोती नगर।
9. गुरू नानक पब्लिक स्कूल, राजौरी गार्डन।
10. गुरू नानक पब्लिक स्कूल, मोती नगर।
11. भाई जोगा सिंह खालसा गर्ल्स स्कूल, ईस्ट पटेल नगर।
12. ए ई एस स्कूल, प्रसाद नगर।
13. श्री गुरू अर्जुन देव स्कूल, शादिखामपुर।
14. फेथ अकादेमी, प्रसाद नगर।
15. सेण्ट मेरी पब्लिक स्कूल, वेस्ट पटेल नगर।
16. कलगीधर नेशनल पब्लिक स्कूल, इन्द्रपुरी।
17. श्री गुरू नानक के जी एस एस एस, दिल्ली कैण्ट।
18. माउण्ट सेण्ट मेरी स्कूल, दिल्ली कैण्ट।
19. लार्डो कान्वेन्ट स्कूल, दिल्ली कैण्ट।
20. सेण्ट मार्टिन डायोसेसर स्कूल, दिल्ली कैण्ट।
21. दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल, पालम।
22. आन्ध्र एजुकेशनल सोसायटी, जनकपुरी।
23. डी.टी.ई.ए. जनकपुरी।
24. एस.एस. मोटा सिंह, जनकपुरी।
25. सुखो खालसा एस.एस.एस., जनकपुरी।
26. गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, फतेहनगर।
27. सेण्ट फ्रान्सिस, जनकपुरी।
28. केरल स्कूल, विकासपुरी।
29. सेण्ट सेसिलिया, विकासपुरी।
30. होली क्रास, नजफगढ़।
31. होली चाइल्ड स्कूल, टैगोर गार्डन।
32. शहीद एस.एस.एम. स्कूल, मानसरोवर गार्डन।

**जिला उत्तर**

33. एस.एस.एल.टी. गुजराती एस.एस.एस., राज निवास मार्ग।
34. दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन एस एस एस, राज निवास मार्ग।
35. बंगाली बॉयज एस एस एस, सिविल लाइन्स।
36. गुरू नानक एस एस एस, शक्ति नगर।
37. बटलर मेमोरियल एस एस एस, तीस हजारी।
38. बी एम गंगा ऐस एस एस, राज निवास मार्ग।
39. विक्टोरियर गर्ल्स एस एस एस, राज निवास मार्ग।
40. सेण्ट जेवियर्स एस एस एस, आर एन मार्ग।
41. सेण्ट जॉन्स स्कूल, खेड़ा खुर्द।
42. माउन्ट फोर्ट स्कूल, अशोक विहार।
43. सेण्ट जेवियर्स स्कूल, समाईपुर।
44. अपैक्स स्कूल, सन्त नगर।

**जिला पूर्व**

45. तक्षिला एस एस स्कूल, ज्योति कॉलोनी।
46. गुरू हरिकृष्ण एस एस स्कूल, ज्योति कॉलोनी।
47. दसमेश पब्लिक एस एस स्कूल, विवेक विहार।
48. रियान इण्टरनेशनल पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल, हरगोविन्द एनक्लेव।
49. जैन बॉयज सेकेण्डरी स्कूल, शाहदरा।
50. वनस्थली पब्लिक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, पटपड़गंज।
51. वर्द्धमान शिक्षा निकेतन सेकेण्डरी स्कूल, लक्ष्मी नगर।
52. गुरू नानक गर्ल्स एस.एस. स्कूल, गान्धी नगर।

**जिला मध्य**

53. मुनि माया राम जैन पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा।
54. फतेहपुरी मुस्लिम एस एस एस, फतेहपुरी।
55. हजरूल इस्लाम सेकेण्डरी स्कूल, धरमपुरा।
56. जैन संस्कृत, वाणिज्य, एस एस एस, धरमपुरा।
57. एस जी टी बी गर्ल्स एस एस एस, सीसगंज।
58. जैन गर्ल्स एस एस एस, धरमपुरा।
59. एस एस के खालसा एस एस एस, दरियागंज।
60. एंग्लो अरेबिक एस एस एस, दरियागंज।
61. हकीम अजमल खान सेकेण्डरी स्कूल, दरियागंज।
62. फ्रान्सिस एस एस एस, दरियागंज।
63. गुरू नानक एम.डी. स्कूल, दिल्ली।
64. आन्ध्र एस एस एस, राउज एवेन्यू।
65. क्वीन मेरी तीस हजारी।
66. शफीक मेम एस एस एस, बाड़ा हिन्दु राव।
67. क्वीन बायज एस एस एस, शाही ईदगाह।
68. गुरू नानक खालसा एस एस एस, अहाता, किदारा।
69. एल.डी. जैन (जी), सदर बाजार।
70. जेरा लाल जैन एस एस एस, सदर बाजार।
71. एस जी टी बी (बी), देव नगर।
72. एस जी टी बी (जी), देव नगर।
73. पिण्डी घेब खालसा एस एस, दरीबा कलां।
74. अकाली बाबा फूला सिंह खालसा एस एस एस, राजेन्द्र नगर।

**जिला दक्षिण**

75. एस ई एस नेबराज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
76. श्री गुरु सिंह सबना, सेकेण्डरी स्कूल, लाजपत नगर।
77. न्यू होरीजन स्कूल, नार्थ आव हुमायू टॉम्ब, नई दिल्ली।
78. के ई एस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कैनिंग रोड, नई दिल्ली।
79. गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, पुराना किला, नई दिल्ली।
8. एस.जी.टी.बी. (खालसा) गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, अलीगंज, नई दिल्ली।
81. दिल्ली कन्नड़ सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली।
82. डी टी ई ए सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लोधी इस्टेट।
83. राय सिन्हा बेंगाली स्कूल।
84. गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल।
85. एस.एस. खालसा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल।
86. फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल।
87. नौटेरडम स्कूल।
88. आन्ध्र एजुकेशन सोसायटी।
89. सेण्ट एंथनी (को-एजुकेशन), सफदरजंग डवलपमेण्ट एरिया।
90. फादर एंगनेल स्कूल, डी-15, एन डी एस ई पार्ट-II, नई दिल्ली।
91. डी टी ई ए सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली।
92. जैन गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
93. खालसा मिडिल स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
94. कार्मेल कान्वेन्ट स्कूल, चाणक्यपुरी।
95. सेण्ट मेरी पब्लिक स्कूल, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली।
96. होली चाइल्ड, वसन्त विहार।
97. गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, वसन्त विहार।
98. सेण्ट पॉल स्कूल, सफदरजंग डेवलपमैंट ऐरिया।
99. रियान इन्टरनेशनल, वसन्त कुंज।

### विद्युतीकरण

2133. **श्री के. मुरलीधरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचि-इरोड रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोचि-इरोड रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य कब शुरू किया जायेगा तथा यह कब तक पूरा हो सकेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कोचीन हार्बर टर्मिनस सहित इरोड-पालघाट-एर्णाकुलम का विद्युतीकरण कार्य चल रहा है और इसके मार्च, 98 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

**[हिन्दी]**

### बागवानी/खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाली भूमि

2134. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितनी भूमि पर खाद्यान्नों की खेती की जाती है तथा कितनी भूमि पर बागवानी की जाती है; और

(ख) खाद्यान्नों की खेती और बागवानी के कार्य में लगे किसानों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) 1991-92 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान महाराष्ट्र राज्य में खाद्यान्नों

की खेती और बागबानी के अधीन कुल क्षेत्र क्रमशः 13263 और 429 हजार हैक्टेयर है।

(ख) खाद्यान्नों और बागवानी फसलों में लगे हुए किसानों की संख्या के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1991 की संगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में इस्तेमाल की जा रही जोतों की संख्या 94.70 लाख थी।

## रेलवे के डिब्बे तथा इंजन

2135. **श्री दत्ता मेघे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितने डिब्बों तथा इंजनों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या यह मांग के अनुकूल है; और

(ग) यदि नहीं, तो, लगभग सभी रेलगाड़ियों में जीर्ण-शीर्ण डिब्बों की हालत में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों (बिजली तथा डीजल) की कुल संख्या इस प्रकार है :—

| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| सवारी डिब्बे | 2248 | 2454 | 2205 |
| रेल इंजन | 322 | 318 | 304 |

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

## बिक्री स्टॉल (वेंडिंग स्टॉल)

2136. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन पर बिक्री (वेंडिंग स्टॉल) निजी ठेकेदारों तथा विख्यात होटलों को देने का प्रस्ताव है/लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने ठेके दिए गए?

**रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) :** (क) वर्तमान नीति के अनुसार, सभी नई खानपान/वेंडिंग यूनिटें निजी क्षेत्र के प्रसिद्ध और व्यावसायिक खानपान प्रबंधकों को आबंटित की जा रही हैं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## राज्य सहकारी परियोजनाओं को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता

2137. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में सहकारी विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये गत तीन वर्षों के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आने वाले वर्षों के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लागू करने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के विकास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन यह सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर तथा बजट संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। 1994-95 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिये क्रमशः 1668.38 लाख और 2678.40 लाख रुपये का अनन्तिम आबंटन किया गया है। आने वाले वर्षों का आबंटन बजट संसाधनों और राज्यों की जरूरतों पर निर्भर करेगा।

## विवरण

### राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गयी राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | वित्तीय सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1650.521 | 1229.031 | 1061.894 |
| 2. | असम | 298.406 | 838.426 | 21.837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 638.809 | 465.796 | 547.336 |
| 4. | गुजरात | 553.461 | 518.590 | 376.558 |
| 5. | हरियाणा | 312.795 | 173.233 | 217.820 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 343.579 | 424.163 | 411.354 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 132.990 | 149.704 | 15.346 |
| 8. | कर्नाटक | 3963.988 | 3186.457 | 1562.837 |
| 9. | केरल | 2566.028 | 900.170 | 2317.585 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3901.978 | 2799.381 | 2074.821 |
| 11. | महाराष्ट्र | 9510.195 | 7044.927 | 5915.366 |
| 12. | मणीपुर | 209.597 | 210.437 | 35.237 |
| 13. | मेघालय | 18.671 | 28.478 | 14.215 |
| 14. | नागालैंड | 132.146 | 32.077 | 277.857 |
| 15. | उड़ीसा | 627.684 | 561.333 | 854.630 |
| 16. | पंजाब | 1389.607 | 1278.972 | 1377.509 |
| 17. | राजस्थान | 2616.742 | 4360.963 | 2275.232 |
| 18. | सिक्किम | 3.300 | 0.000 | 82.360 |
| 19. | तमिलनाडु | 806.694 | 4090.898 | 6349.753 |
| 20. | त्रिपुरा | 58.035 | 49.597 | 41.511 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1998.482 | 3651.653 | 583.917 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 648.272 | 910.752 | 766.979 |
| 23. | मिजोरम | 14.290 | 29.024 | 178.861 |
| 24. | गोवा | 20.00 | — | — |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | 3.200 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 8.540 | — | — |
| 27. | दीव | 7,757 | — | — |
| | योग | 32432.547 | 32934.062 | 27364.015 |

## प्रदूषण नियंत्रण

**2138. डा. विश्वनाथम कीनिथी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शुरू किए जाने के बाद से तत्संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उद्योग में उदारीकरण की घोषणा के बाद से इस क्षेत्र में उत्पन्न नई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) :** (क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एक केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों की स्थापना कर ली है। प्राप्त किए गए मुख्य लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के अभिनिर्धारित उद्योगों में प्रदूषण फैलाने वाली

1551 बड़ी और मझौली यूनिटों की शिनाख्त कर ली है और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(3) बहिस्राव शोधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं।

(4) जल और वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(5) अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्टों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय संपरीक्षा शुरू की गई है।

(6) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा उद्योग के उदारीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी इक्विटी भागीदारी के जरिए उद्योगों के विकास में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण होने की संभावना है और इसलिए प्रदूषण नियंत्रण विनियमों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। बढ़ी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता स्कीमें तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयता कार्यक्रमों के तहत राज्य बोर्डों को सुदृढ़ बनाया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं। राज्य बोर्डों के संसाधनों का विस्तार करने तथा उद्योगों द्वारा जल के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पहले जल उपकर दरों में वृद्धि कर दी है और राज्य बोर्डों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 80 प्रतिशत उपकर की उन्हीं को प्रतिपूर्ति की जाती है।

### रेल आरक्षण

**2139. डा. पी. वल्लल पेरूमान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अग्रिम आरक्षण हेतु समय-सीमा में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग). यह निर्णय लिया गया है कि 1.7.95 से अग्रिम आरक्षण अवधि 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी जाए।

### भारतीय खाद्य निगम में पेंशन योजना

**2140. श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त है।

### उपरि-पुल

**2141. डा. राजागोपालन श्रीधरण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से छाटकोपर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में किसी नये सड़क उपरि-पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा और यह कब तक पूरा हो जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) बंबई नगर निगम के अनुरोध पर निक्षेप शर्तों पर लगभग 2.24 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा उपरि-सड़क-पुल के निकट, कि.मी. 18/15-16 पर एक उपरि-सड़क-पुल के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) बंबई नगर निगम द्वारा सभी आवश्यक प्रारंभिक कार्य, यथा अनुमान का अनुमोदन, राशि जमा कराना, पूरा कर लेने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा तथा इसे पूरा होने में लगभग दो या तीन वर्ष लगेंगे।

### पाम की खेती

**2142. श्री चितेन्द्र नाथ दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में उत्तरी क्षेत्र की मिट्टी पाम की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में पाम की खेती के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ). नारियल विकास बोर्ड आठवीं योजना के दौरान नये नारियल बागानों के लिये 600 हैक्टेयर में नारियल उगाने के लिये

6000/-रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता दे रहा है। आयल पाम के विकास के लिये, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर चलाए जा रहे आयल पाम विकास कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र का पता लगाया गया है। लेकिन, पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू नहीं की जा रही है क्योंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार से आयल पाम विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### यूनिसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

**2143. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार देश के विभिन्न भागों में "यूनीसेफ" सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) गोवा में शुरू की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं का वित्तीय स्वरूप क्या है; और

(घ) देश में "यूनीसेफ" द्वारा चलायी गई योजनाओं की समीक्षा के क्या परिणाम निकले?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) यूनीसेफ से सहायता 5 वर्षीय वृहत कार्य योजना (1991-95) द्वारा विनियमित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। "यूनिसेफ" से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और आठवीं योजना के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार गोवा में कोई विशेष स्कीमें शुरू नहीं की गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, महिला सहभागिता, सूचना और संचार के कार्यक्रम, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भांति गोवा में भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) स्कीमों का वित्त पोषण दो तरीकों से किया जा रहा है :—

(i) सामान्य संसाधन, और (ii) पूरक संसाधन।

1991-95 की मौजूदा 5 वर्षीय वृहत कार्य योजना के लिए निर्धारित सामान्य संसाधनों से लगभग 525 करोड़ रुपए (175 मिलियन अमरीकी डॉलर) और पूरक संसाधनों से लगभग 870 करोड़ रुपए (290 मिलियन अमरीकी डॉलर) है।

(घ) 1993 में यूनिसेफ के कार्यक्रमों की मध्यावधि समीक्षा में यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया कि बाल विकास, पोषाहार, महिला विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, बाल श्रम, कठिन परिस्थितियों में बच्चे, जल और स्वच्छता, सूचना और संचार तथा सेवाओं के समुदाय आधारित संकेन्द्रण जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी होगी। यह महसूस किया गया कि बाल विकास के क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. एक प्रमुख साधन होगा और इसलिए इसे सर्वव्यापी बनाए जाने की आवश्यकता है।

### विवरण

### वर्षवार कुल यूनिसेफ संसाधन

(दस लाख अमरीकी डॉलर में)

| क्र.सं. | कार्यक्रम | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | बाल विकास | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 50.0 |
| 2. | महिला विकास | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 24.7 |
| 3. | शहरी बुनियादी सेवाएं | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 19.0 |
| 4. | समुदाय आधारित संकेन्द्रण सेवाओं के लिये सहायता | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 12.5 |
| 5. | स्वास्थ्य | 25.5 | 26.0 | 28.4 | 21.7 | 21.0 | 122.6 |
| 6. | शिक्षा | 16.0 | 19.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 120.0 |
| 7. | पोषाहार | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 15.0 |
| 8. | पानी और स्वच्छता | 13.5 | 14.85 | 17.77 | 17.72 | 14.16 | 78.0 |
| 9. | बाल्यावस्था अक्षमता | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | विशेषकर कठिन परिस्थितियों में बच्चे | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 |
| 11. | सूचना और संचार | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 2.8 |
| 12. | आयोजना और कार्यक्रम सहायता | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13.5 |
| | योग | 76.7 | 87.7 | 105.2 | 100.2 | 95.2 | 465.0 |

इस कार्य योजना के कार्यान्वयन और विकास के लिये यूनिसेफ सहायता में समुचित आपूर्ति और उपकरण, परिवहन, तकनीकी कर्मचारी, समर्थन, अनुसंधान और अध्ययन, परामर्श सेवाओं के लिये राशि, कार्यक्रम विकास, प्रबोधन और मूल्यांकन, सूचना और सहायता, संचार, अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्य-कलाप तथा कर्मचारी सहायता शामिल है।

[हिन्दी]

### केन्द्रीय नवोदय विद्यालय

**2144. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर निगरानी रखती है कि सभी केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं हों तथा सफाई का स्तर भी ठीक हो; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार उन केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). सरकार का प्रयत्न यह आश्वस्त करने का रहा है कि केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो और वे सफाई संबंधी न्यूनतम स्तर बनाए रख सकें।

[अनुवाद]

### भारत-जापान बैठक

**2145. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान रेलवे कार्यकारी दल की छठी बैठक के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार ने परिचालन एवं रखरखाव से जुड़े भारतीय रेल अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जापान के सहयोग की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे कार्यकरण/रखरखाव तथा परिचालन के क्षेत्र कौन-कौन से हैं अर्थात विद्युत यांत्रिकी, सिविल सिगनल तथा दूरसंचार संबंधी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग). इंडो-जापान रेलवे कार्य दल की छठी बैठक नई दिल्ली में 28 फरवरी से 6 मार्च, 1995 तक आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष ने परामर्श तथा अध्ययन सहित 2x25 के.वी. बिजली कर्षण प्रणाली, 25 के.वी. ए.सी. ब.ला.ई.एम.यू./1500 के.वी.डी.सी.ई.एम.यू. में 3 फेज ड्राइव उपस्कर के परिचालन तथा अनुरक्षण रेलपथ एवं पुल प्रौद्योगिकी, कलकत्ता मैट्रो की अनुरक्षण प्रणाली और मैट्रो रेलवे में ध्वनि का स्तर कम करने के उपायों के संबंध में भारतीय रेल के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जापानी सहयोग की मांग की है।

जापानी पक्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए विभिन्न ग्रुप प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भारतीय रेल के कुछ पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए सहमत हो गया। जापानी पक्ष ऐसे पाठ्यक्रमों की तारीख और कार्यक्रम के बारे में सूचित करेगा।

[हिन्दी]

### खुदाई कार्य

**2146. श्री एन.जे. राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई पुरातात्विक सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान आदिवासी जिलों में खुदाई कार्य करने के संबंध में राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित स्थलों पर उत्खनन कार्य किए गए हैं : वर्ष 1991-92, 1992-93 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा

धौलावीरा, जिला कच्छ में; वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान दक्कन कालेज, पुणे द्वारा पादरी जिला भावनगर में; वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा दतराना, जिला बनासकांठा में; वर्ष 1992-93 के दौरान एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा मोती पिपली, जिला बनासकांठा में तथा वर्ष 1993-94 के दौरान एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा सांथली, जिला बनासकांठा में तथा वर्ष 1993-94 के दौरान पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, अमरीका के प्रो. जी.एल. पोस्सेल के सहयोग से गुजरात राज्य पुरातत्व द्वारा रोजदी, जिला राजकोट में उत्खनन से प्राप्त सामग्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। 1994-95 के दौरान, कामरेज स्थल, जिला सूरत, जो एक जनजाति क्षेत्र है, पर उत्खनन-कार्य करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बड़ौदरा की उत्खनन शाखा-V से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की।

(घ) चूंकि इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई थी, इसलिए उत्खनन-कार्य शुरू नहीं किया गया था।

**विवरण**

**धौलावीरा**

धौलावीरा में उत्खनन से तीन कालों के मौजूद होने का पता चला है तथा निम्न पुरावशेष प्राप्त हुए हैं :— एक चहारदीवारी, जलाशयों का समूह तथा अनेक मुहरें।

**पादरी**

पादरी में उत्खनन से हड़प्पा काल की संरचनाओं तथा पूर्व-हड़प्पा काल की विद्यमानता का पता चला है। पूर्व-हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर उत्कीर्ण हड़प्पाकालीन अक्षर, तांबे की छेनियां तथा पूर्व-हड़प्पाकालीन तांबे के बने मछली फंसाने की बंसियां पाई गई हैं।

**सांथली**

सांथली में उत्खनन से दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कालों का पता चला है जिसमें पहला काल मध्यपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है तथा दूसरा काल ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। दूसरे काल के दो शवाधानों का पता चला है।

**दतराना**

दतराना के उत्खनन के विशिष्ट मध्यपाषाणकालीन शिल्पकृतियों तथा ताम्रपाषाणकालीन फलक उद्योग और तांबे/कांसे से बने नुकीले छेदक का पता चला है।

**मोती-पिपली**

मोती-पिपली के उत्खनन से तीन कालों अर्थात् मध्यपाषाणकाल, ताम्रपाषाणकाल से संबंधित हड़प्पा काल और ऐतिहासिक काल का पता चला है।

**रोजदी**

रोजदी में उत्खनन से विभिन्न प्रकार के निर्माणों का पता चला है, जिसमें पत्थरों के दुहरे वलय के खुले क्षेत्र से लेकर परस्पर जुड़े पत्थरों से बनी बड़ी और ठोस गोलाकार सीढ़ियां तक शामिल हैं। ये गोलाकार सीढ़ियां हड़प्पा में पाई गई गोलाकार सीढ़ियों से मिलती-जुलती हैं।

**हैप**

हैप में उत्खनन से 16 वीं शताब्दी ईसवी की एक चहारदीवारी वाली छोटी बस्ती के खंडहरों का पता चला है।

**[अनुवाद]**

**रफी अहमद किदवई की जन्मशती**

**2147. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रफी अहमद किदवई की जन्मशती मनाने कि लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन-किन कार्यक्रमों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) अन्य स्वीकृत कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक 36 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। रफी अहमद किदवई की जन्म-शताब्दी मनाने के लिए गठित समिति की दिनांक 27.1.94 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(i) श्री रफी अहमद किदवई की जीवनी को प्रकाशित कराना;

(ii) मसौली गांव का विकास करना;

(iii) शताब्दी-वर्ष के दौरान धारावाहिक का प्रसारण करना;

(iv) एक स्मारक डाक टिकट और लिफाफा जारी करना; और

(v) खाद्य-सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का नामकरण श्री रफी अहमद किदवई के नाम पर करना;

(ग) (i) श्री रफी अहमद किदवई की जीवनी प्रकाशित करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है। लेखकों का एक पैनल हाल ही में तैयार किया गया है।

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मसौली ग्राम में स्थित स्मारकों के सुन्दरीकरण सहित गांव के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना की है। संस्कृति विभाग ने उक्त प्रयोजन के लिए 20 लाख रुपये संस्वीकृत किए हैं।

(iii) दूरदर्शन ने स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई पर वृत्तचित्र तैयार करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है।

(iv) स्वर्गीय श्री किदवई के सम्मान में एक स्मारक डाक-टिकट दिनांक 18.2.95 को जारी कर दिया गया है।

(v) राष्ट्रीय समिति के निर्णय से सभी संबंधित एजेंसियों को अवगत करा दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**श्री रफी अहमद किदवई की जन्म-शती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रधान मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | मानव संसाधन विकास मंत्री | सदस्य |
| 3. | गृह मंत्री | सदस्य |
| 4. | कृषि मंत्री | सदस्य |
| 5. | सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री | सदस्य |
| 6. | ग्रामीण विकास राज्य मंत्री | सदस्य |
| 7. | विदेश राज्य मंत्री | सदस्य |
| 8. | उप मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) | सदस्य |
| 9. | श्री एन.डी. तिवारी | सदस्य |
| 10. | श्री राम निवास मिर्धा | सदस्य |
| 11. | श्री बी.एन. पांडे | सदस्य |
| 12. | डॉ जेड अहमद | सदस्य |
| 13. | श्रीमती मोहसिना किदवई | सदस्य |
| 14. | डॉ सैयदा सम्यद्दा-इन | सदस्य |
| 15. | श्री बी.आर. नंदा | सदस्य |
| 16. | श्री एम. हाशिम किदवई | सदस्य |
| 17. | श्री सोमजीत "बंकर" राय | सदस्य |
| 18. | श्री एस.आर. शंकरन | सदस्य |
| 19. | श्री लोचन सिंह | सदस्य |
| 20. | श्री मुलायम सिंह यादव | सदस्य |
| 21. | श्री कुंवर महमूद अली खान | सदस्य |
| 22. | श्री शील भद्र याजी | सदस्य |
| 23. | श्री सादिक अली | सदस्य |
| 24. | श्री प्रेम भाटिया | सदस्य |
| 25. | श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी | सदस्य |
| 26. | श्री एस.एम. जाफर | सदस्य |
| 27. | सचिव (संस्कृति) | सदस्य |
| 28. | श्री बंसी लाल | सदस्य |
| 29. | श्री ए.जे. किदवई | सदस्य |
| 30. | श्री सुधाकर पांडे | सदस्य |
| 31. | श्री ज्ञानी हरनाम शाह सिंह | सदस्य |
| 32. | श्री सिकन्दर बख्त | सदस्य |
| 33. | श्री रिशाद कामिल किदवई | सदस्य |
| 34. | श्री ब्रज मोहन शर्मा | सदस्य |
| 35. | श्री मोहन लाल खन्ना | सदस्य |
| 36. | श्री मोती लाल वोरा | सदस्य |

[हिन्दी]

**आमान परिवर्तन**

**2148. प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में आज तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) आमान परिवर्तन के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) आमान परिवर्तन की अवधि के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए समयानुकूल प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) छोटी/मीटर लाइनों के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लक्ष्य मार्गवार रखे जाते हैं, न कि राज्यवार। राजस्थान और गुजरात से गुजरने वाले निम्नलिखित मार्गों का 1992-93 और 1993-94 के दौरान आमान परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा गया था :—

| खंड | कि.मी | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| लालगढ़-मेड़ता रोड | 177 | राजस्थान |
| लालगढ़-कोलायत | 47 | -वही- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| सवाई माधोपुर-जयपुर | 125 | राजस्थान |
| नडियाड-कपडवंज | 45 | गुजरात |
| जयपुर-फुलेरा | 55 | राजस्थान |
| दुर्गापुरा-जयपुर | 8 | -वही- |
| फुलेरा-जोधपुर | 261 | -वही- |
| मेड़ता-रोड-मेड़ता सिटी | 15 | -वही- |

(ख) इन सभी खंडों का लक्ष्यों के अनुसार आमान परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा रेवाड़ी-जयपुर का आमान परिवर्तन (225 कि.मी. और हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाली), जिसे 1992-93 में शुरू किया गया था और जोधपुर-जैसलमेर (297 कि.मी. राजस्थान) का आमान परिवर्तन, जिसे 1993-94 के दौरान शुरू किया गया था, 1994-95 के दौरान पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद का आमान परिवर्तन (572 कि.मी. और राजस्थान और गुजरात से गुजरने वाली), जिसे 1993-94 के दौरान शुरू किया गया है, निरंतर प्रगति पर है, और इस मार्ग पर पड़ने वाले फुलेरा-अजमेर और कोड़ियार-मेहसाणा खंडों को मार्च, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है और समूची परियोजना का 1995-96 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) समूचे रेल तंत्र पर लगभग 13000 कि.मी. के लिए बनाई गई कार्य योजना के पहले चरण को दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन के लिए 4300 करोड़ रुपये मुहैय्या कराये गए हैं। नौवीं और दसवीं योजनाओं के लिए अभी परिव्यय का विनिश्चय नहीं लिया गया है।

(ङ) आमान परिवर्तन के दौरान राज्य सरकारों के सहयोग से, जहां व्यावहारिक होता है, ब्लाक, अतिरिक्त बस सेवाओं की व्यवस्था की जाती है।

**[अनुवाद]**

### डी.एम.यू. पशु पुल रेक्स

**2149. श्री अजय मुखोपाध्याय :**
**श्री आयनल अबेदिन :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के कृष्णनगर और लालगोला पर तथा कटवा-अगीमगंज-नलहाली सैक्शनों पर डी.एम.यू. पशु पुल रेक्स शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

### रेल लाइन का दोहरीकरण

**2150. श्री अमल दत्त :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरुईपुर और डायमण्ड हार्बर के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### सड़क ऊपरि-पुल

**2151. श्री आयनल अबेदिन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर बरहामपुर कोर्ट स्टेशन के नजदीक समपार पर सड़क पर ऊपरि-पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

### सहकारी समितियों को सहायता

**2152. श्री खेलन राम जांगडे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा देश में जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समितियों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इन सहकारी समितियों के कार्य-निष्पादन की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के प्रभावी कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उपभोक्ता माल के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 31.3.94 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों के लिए अपनी ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अधीन की गयी वित्तीय सहायता की राज्य/संघ शासित क्षेत्र व निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1990 में अपनी ग्रामीण उपभोक्ता योजना का अध्ययन करने का कार्य ग्रामीण और सहकारी विकास परिषद् को सौंपा। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय में जुटी सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए 1991 में इन राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों को उक्त अध्ययन में की गयी सिफारिशों की सूचना दी गई है। उस अध्ययन की मुख्य सिफारिशें विवरण-II में दी गयी हैं। 1994 में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लिए दूसरा अध्ययन शुरू किया गया है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) ग्रामीण उपभोक्ता योजना का इस उद्देश्य से संशोधन किया गया कि सहकारी समितियां वित्तीय सहायता को कवरेज और मात्रा दोनों के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपना सकें ताकि वे अपने ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय में वृद्धि कर सके। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(i) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों, चुनिंदा थोक उपभोक्ता भंडारों और राज्य उपभोक्ता परिसंघों की शाखाओं को मार्जिन धन राशि की सहायता प्रदान करेगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवसाय शामिल हैं, में उपभोक्ता व्यवसाय में लगी हुई समितियों को सहायता दी जाएगी।

(iii) दी जाने वाली मार्जिन धनराशि सहायता की रकम उनकी आवश्यकताओं और पात्रता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(iv) समितियों का चयन उनकी सुधार क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

(v) सहायता समिति की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परिवहन वाहनों को सहायता दी जाएगी तथा यह ऋण के रूप में होगी।

**विवरण-I**

**उपभोक्ता माल के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 31.3.94 तक दी गई संचयी सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण क्षेत्रों में | जनजाती क्षेत्रों में | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 267.44 | 32.85 | 300.29 |
| 2. | असम | 70.90 | 24.63 | 95.53 |
| 3. | बिहार | 284.03 | 11.78 | 295.81 |
| 4. | गोवा | 7.66 | - | 7.66 |
| 5. | गुजरात | 228.60 | 48.91 | 277.51 |
| 6. | हरियाणा | 139.52 | - | 139.52 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 247.95 | 22.50 | 270.45 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 33.51 | - | 33.51 |
| 9. | कर्नाटक | 511.78 | 19.92 | 531.70 |
| 10. | केरल | 179.51 | 15.54 | 195.05 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 1243.46 | 265.69 | 1509.15 |
| 12. | महाराष्ट्र | 485.97 | 52.81 | 538.78 |
| 13. | मणिपुर | 4.85 | 14.48 | 19.33 |
| 14. | मेघालय | - | 8.99 | 8.99 |
| 15. | मिजोरम | - | 14.80 | 14.80 |
| 16. | नागालैंड | - | 7.92 | 7.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | उड़ीसा | 335.86 | 98.17 | 434.03 |
| 18. | पंजाब | 522.45 | - | 522.45 |
| 19. | राजस्थान | 622.35 | 37.27 | 659.62 |
| 20. | सिक्किम | - | 24.75 | 24.75 |
| 21. | तमिलनाडु | 1633.04 | 140.33 | 1773.37 |
| 22. | त्रिपुरा | 40.53 | 39.44 | 79.97 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 2096.48 | 34.87 | 2131.35 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 267.00 | 104.55 | 371.55 |
| 25. | पाण्डिचेरी | 1.10 | - | 1.10 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 4.00 | 5.60 | 9.60 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 0.60 | - | 0.60 |
| | योग | 9228.59 | 1025.80 | 10254.39 |

### विवरण-II

### राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ग्रामीण उपभोक्ता योजना पर ग्रामीण और सहकारी विकास परिषद के अध्ययन की मुख्य सिफारिशें

(क) एक बार जब किसी समिति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सौंपा जाए तब उसे वापिस न लिया जाए। यदि कुछ मदों को वापिस लेना बिल्कुल ही आवश्यक हो जाता है तो संबंधित समितियों को पर्याप्त समय से पहले सूचना दी जाए ताकि वे आवश्यक समायोजन कर सकें।

(ख) समितियों के व्यवसाय का रूख उतार-चढ़ाव का बना रहता है। अतः वे स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी, अस्थाई को संविदा आधार पर, दोनों ही रखें। व्यवसाय की एकाएक वापसी की स्थिति में अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है।

(ग) अग्रणी समितियां, जिनके पास कुछ खुदरा दुकानें हैं और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कर रही हैं, उन समितियों, जो अपना व्यवसाय थोक कार्य तक ही सीमित रखती हैं, से बेहतर वित्तीय स्थिति में हैं। इस प्रकार, अग्रणी समितियों के लिए यह लाभकारी होगा यदि उनके पास थोक कार्यों के अलावा 3 या 4 खुदरा बिक्री केन्द्र हों।

(घ) नियंत्रण रहित तथा नियंत्रित कपड़ा, नियंत्रण रहित चावल, गेहूं, दाल, चाय, नमक, टायर, ट्यूब और साबुन जैसी गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनिवार्य) मदों पर अधिक लाभ मिलता है। समितियां अपने हित में ऐसी मदों में व्यवसाय शुरू करें।

(ङ) खुदरा बिक्री तकनीकी में सुधार करने की जरूरत है। दुकानों को ज्यादा साफ-सुथरी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। सेल्समैन को व्यवसाय कुशल और ग्राहकों के प्रति नम्र होना चाहिए। इस पर सहकारी विभाग का बेहतर पर्यवेक्षण हो।

(च) कुछ समितियों ने यह उल्लेख किया है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा उपभोक्ता व्यवसायों के लिए समितियों को अपने द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की ऊंची दर लगा रही है, हालांकि नाबार्ड ने उन्हें केवल 13.5 प्रतिशत प्रभारित करने की सलाह दी है। बैंकों को उपभोक्ता व्यवसाय के लिए ऋण पर 13.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर प्रभारित नहीं करनी चाहिए।

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के खुदरा व्यवसाय में कुछ कमी आ जाना अपरिहार्य है। लेकिन, नागरिक आपूर्ति विभाग माल कम हो जाने पर किसी प्रकार का भत्ता नहीं देता। खुदरा व्यवसाय में लगी हुई समितियों के लिए उचित मात्रा में कुछ कमी की अनुमति दी जानी चाहिए जो उनकी हानि में मामूली कमी लायेगी।

(ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों पर लाभ की गुंजाइश मार्जिन में और अधिक संशोधन की जरूरत है यदि इस गुंजाइश में संशोधन नहीं किया जाता है, तो अन्ततः सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाली समितियों को नुकसान होगा तथा राज्य सरकारों के समक्ष समाधान करने के लिए अन्य समस्याएं आएंगी। यदि इस गुंजाइश में वृद्धि करना संभव नहीं है तो राज्य सरकार समितियों को कुछ प्रबंधकीय राजसहायता देन पर विचार करें।

[अनुवाद]

### विद्युतीकरण

**2153. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, रतलाम तथा अन्य मण्डलों के अंतर्गत रेल लाइनों के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कितनी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ङ) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) इन मंडलों के अंतर्गत किसी रेल लाइन खंड को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि विद्युतीकरण परियोजनाओं में भारी पूंजी निवेश होता है इसलिए केवल उन्हीं मार्गों के विद्युतीकरण पर विचार किया जाता है, जिन मार्गों पर उच्च यातायात घनत्व हो और पूंजी निवेश पर प्रतिफल की दर न्यूनतम निर्धारित सीमाओं से अधिक होने पर विद्युतीकरण के लिए अर्हक हो।

(घ) और (ङ).

| वर्ष | खंड | खर्च |
|---|---|---|
| 1991-92 | कोई नहीं | कुछ नहीं |
| 1992-93 | साबरमती-चांदोलिया | 2.98 करोड़ |
| 1993-94 | चांदोलिया-गांधी नगर | 13.74 करोड़ |
| | जोड़ | 16.72 करोड़ |

### काजू की खेती

**2154. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्तमान समय में देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में काजू की खेती की जा रही है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल कितने कच्चे काजू का उत्पादन होता है;

(घ) क्या काजू के प्रत्येक पौध से प्राप्त काजू की पैदावार बढ़ाने तथा उनकी किस्म को सुधारने के लिए केरल सरकार ने कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) आठवीं योजना के दौरान काजू के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्रियान्वयन करने वाले उपायों, जैसे क्षेत्र विस्तार, व्यापक उत्पादन, प्रौद्योगिकी अपनाने, गहन कृषि नियंत्रण उपायों को अपनाने, क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए काजू की खेती के अधीन राज्यवार क्षेत्र इस प्रकार है :-

| राज्य | क्षेत्र है. में |
|---|---|
| केरल | 155810 |
| कर्नाटक | 74790 |
| गोवा | 46160 |
| महाराष्ट्र | 51220 |
| तमिलनाडु | 96770 |
| आन्ध्र प्रदेश | 72090 |
| उड़ीसा | 60190 |
| पश्चिम बंगाल | 6900 |
| अन्य | 1490 |
| योग | 565420 |

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए काजू की राज्यवार पैदावार निम्नवत् है :-

| राज्य का नाम | पैदावा (किग्रा./है.) |
|---|---|
| केरल | 899 |
| कर्नाटक | 421 |
| गोवा | 749 |
| महाराष्ट्र | 552 |
| तमिलनाडु | 198 |
| आन्ध्र प्रदेश | 645 |
| उड़ीसा | 721 |
| पश्चिम बंगाल | 578 |
| अन्य | 241 |
| अखिल भारत | 615 |

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

## रेलवे स्टेशन

**2155. श्री थाइल जॉन अंजलोस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में कलावूर, कसरूवत्ता और ठाकाझ स्टेशनों पर प्लेटफार्म और शेडों के निर्माण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग). कलावूर, करूवत्ता और तकाजी स्टेशनों पर प्रत्येक पर पटरी की सतह का एक प्लेटफार्म एवं 47.14 वर्ग मी. का प्रतीक्षालय उपलब्ध है। इन स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात के मौजूदा स्तर के लिए इन्हें पर्याप्त समझा जाता है। इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के स्तर और शेडों की व्यवस्था पर यातायात में वृद्धि के कारण, आवश्यक होने पर विचार किया जाएगा।

## लौंग की खेती करने वाले लोग

**2156. श्री पी.सी. चाको :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लौंग की खेती करने वालों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौंग की खेती करने वालों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) लौंग की उपज के देश की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त होने के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों से लौंग की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या सरकार का विचार लौंग की खेती करने वालों की शिकायतों का निवारण करने और उन्हें लौंग का लाभकारी मूल्य भी देने के लिये कदम उठाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) और (ख). भारतीय लौंग उत्पादक संघ ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :—

(i) लौंग के आयात पर तीन वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाना अथवा 200 रु प्रति किग्रा. का आयात शुल्क लगाना और स्वदेशी लौंग हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिए आयात करना; और

(ii) अगले दस वर्षों में लौंग उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित योजना तैयार करना।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिक आयात के कारण घरेलू बाजार में लौंग के मूल्य में लगातार गिरावट रही है।

(ङ) और (च). इस मंत्रालय को भारत में लौंग की तस्करी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, लौंग का घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(छ) और (ज). आठवीं योजना के दौरान देश में लौंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय अर्थात पौधों का उत्पादन तथा वितरण और प्रदर्शन, खंडों का निर्माण, क्रियान्वित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान केरल में 100 रु. प्रति किग्रा. की दर पर 100 टन लौंग क्रय करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना भी मंजूर की है।

## प्रदूषणरोधी अधिनियम

**2157. श्री अन्ना जोशी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और 1994-95 के दौरान विभिन्न प्रदूषण रोधी अधिनियमों के अंतर्गत राज्यवार कितने मामले दर्ज हुए; और

(ख) न्यायालयों ने राज्यवार कितने-कितने मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में और इसके विरूद्ध निर्णय दिए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख). राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को लागू कर रहे हैं। जनवरी, 1993 से 31 जनवरी, 1995 तक इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में या उनके विरूद्ध न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| क्र. स. | राज्य का नाम | पंजीकृत मामलों की संख्या | वे मामले जिनके संबंध में न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए हैं | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बोर्ड के पक्ष में | बोर्ड के विरुद्ध |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | असम | - | - | - |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 16 | 4 | 2 |
| 5. | गोवा | - | - | - |
| 6. | गुजरात | 197 | 93 | 212 |
| 7. | हरियाणा | 144 | 30 | 6 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | - | - | - |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 27 | - | - |
| 10. | केरल | - | - | - |
| 11. | कर्नाटक | 8 | 16 | 15 |
| 12. | महाराष्ट्र | 25 | 37 | 21 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 9 | 4 | 8 |
| 14. | मेघालय | - | - | - |
| 15. | मणिपुर | - | - | - |
| 16. | मिजोरम | - | - | - |
| 17. | नागालैण्ड | - | - | - |
| 18. | उड़ीसा | 6 | 26 | 3 |
| 19. | पंजाब | 91 | 170 | 4 |
| 20. | राजस्थान | 65 | - | - |
| 21. | सिक्किम | - | - | - |
| 22. | तमिलनाडु | 28 | 15 | 5 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 3 | 46 | 11 |
| 24. | त्रिपुरा | - | - | - |
| 25. | पश्चिम बंगाल | - | 6 | - |
| 26. | दिल्ली | - | 52 | - |
| | कुल | 619 | 500 | 287 |

न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों संबंधी इन आकंड़ों में वे मामले भी शामिल हैं, जो 1 जनवरी, 1993 को न्यायालयों में पहले से लम्बित थे।

**[हिन्दी]**

## प्लेटफार्म को ऊंचा करना

**2158. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी रेलवे के कांटा डिवीजन में गरोथ और शामगढ़ रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने और इनके शेडों के विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग). गरोथ रेलवे स्टेशन की डाउन लाइन पर रेल सतह का एक प्लेटफार्म है और अप लाइन पर उच्च सतह का प्लेटफार्म है जिस पर क्रमशः 92 वर्ग मी. और 80 वर्ग मी. माप का प्लेटफार्म सायबान और प्रतीक्षालय है। शामगढ़ रेलवे स्टेशन की डाउन लाइन पर कम स्तह का एक प्लेटफार्म है तथा अप लाइन पर मध्यम सतह का एक प्लेटफार्म है और अप एवं डाउन प्लेटफार्मों पर क्रमशः 173 वर्ग मी. तथा 363 वर्ग मी. माप के प्लेटफार्म सायबान हैं। व्यवस्थाएं इन स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

**[अनुवाद]**

## खरीद योजना

**2159. श्री पी. कुमारासामी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1995 के "हिन्दू" में "सेंटर डायरेक्टस एफ.सी.आई. टु लांच स्पेशल स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे गेहूं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

## जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

**2160. श्री जगमीत सिंह बरार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). सरकार ने सभी पर्यावरणीय अधिनियमों को समेकित करने तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद संवर्धनात्मक एवं विनियामक गतिविधियों के रूप में उनकी बदलती हुई एवं महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का नाम बदल कर पर्यावरण सुरक्षा बोर्ड करने के लिए कार्यवाई आरम्भ कर दी है।

### चावल अनुसंधान केन्द्र

**2161. श्री उद्धव बर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के बारपेट जिले में चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा;

(ग) क्या इस केन्द्र के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस केन्द्र के लिए भूमि अधिग्रहण करने में क्या-क्या समस्यायें आ रही हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

### रेल लाइन

**2162. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास टुमकुर से बंगलौर तक सीरा और हिरिपुर होते हुई एक नई रेल लाइन तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). टुमकुर और बेंगलूरू के बीच एक बड़ी रेल लाइन पहले से ही मौजूद है। सीरा के रास्ते हिरिपुर से टुमकुर के बीच किसी नई लाइन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

### सैंड स्टोन एन्टिक्स की तस्करी

**2163. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9वीं तथा 10वीं शताब्दी के बहुमूल्य "सैंड स्टोन एन्टिक्स" हाल ही में एक तस्कर के पास से पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित एन्टिक्स का मूल्य क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा 14.12.94 को पांच प्रस्तर-प्रतिमाएं पकड़ी गई थीं तथा इन सभी पांचों प्रस्तर-प्रतिमाओं को महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरा-वस्तु घोषित कर दिया है। इन मूर्तियों का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू कर तथा सावधानीपूर्वक चौकसी और सीमा-शुल्क स्थानों की गहन जांच द्वारा पुरावशेषों की चोरी तथा उनकी तस्करी रोकने के कदम उठाए गए हैं।

### क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र

**2164. श्री ललित उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्र अपने कर्मचारी संवर्गों का ही विस्तार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संभागीय कंप्यूटर केन्द्रों को क्षेत्रीय केन्द्रों के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों के कर्मचारी संवर्गों में संभागीय कंप्यूटर केन्द्रों को भी शामिल किया जायेगा ताकि इनमें नियोजित कर्मचारियों के कैरियर को बढ़ाया जा सके?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) "उपयोगकर्ता के अनुकूल" साफ्टवेयर की उपलब्धता और "आन-लाइन" परिचालन का विकास करने के निर्णय को देखते हुए पाया गया कि मंडल कंप्यूटर केन्द्रों के लिए कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता ही होगी और उनके लिए एक संवर्ग बनाना अपेक्षित नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

### म्यांमार से आए विस्थापितों हेतु सीटों का आरक्षण

**2165. श्री मंजय लाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार से विस्थापित हुए भारतीयों के बच्चों हेतु इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). केन्द्रीय संस्थाओं में ऐसे कोई आरक्षण नहीं किए जाते हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने नियमों के अनुसार स्थानों के आरक्षण के लिए व्यवस्था करती हैं।

**[अनुवाद]**

## उर्वरक

**2166. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री तारा सिंह :**
**कुमारी ममता बनर्जी :**
**श्री हरि केवल प्रसाद :**
**श्री राम प्रसाद सिंह :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बाजारों में नकली उर्वरक बहुतायत से बेचे जा रहे हैं;

(ख) क्या देश में उर्वरकों के मूल्यों में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति, गुणवत्ता और मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उर्वरकों के मूल्यों, गुणवत्ता, उपलब्धता और आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, नहीं। लेकिन कुछ राज्यों से छुट-पुट मामलों की सूचना मिली है।

(ख) से (ङ). मुख्य उर्वरकों में से फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों के मूल्यों में अगस्त, 1992 में उनके मूल्य, वितरण और संचलन पर से नियंत्रण हटा लेने के बाद वृद्धि हुई है। फिर भी सभी उर्वरक, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन गुणवत्ता विनियमों के अध्यधीन हैं, जो राज्य सरकारों को नकली, अमानक और मिलावटी उर्वरकों के निर्माण/आयात और बिक्री के संबंध में शिकायतों पर कार्यवाही करने का अधिकार देता है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के प्रभाव से कम करने के लिए सरकार रियायती दर पर किसानों को नियंत्रण रहित उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रही है। यूरिया की उपलब्धिता आपूर्तिकर्ताओं, रख-रखाव करने वाली एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ आवधिक रूप से प्रबोधन किया जाता है। राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा किया जाता है।

## उर्वरक

**2167. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर दी गई वार्षिक राजसहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी गयी कुल राजसहायता इस प्रकार हैं :—

| वर्ष | कुल राजसहायता (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 1991-92 | 4799.60 |
| 1992-93 | 5796.11 |
| 1993-94 | 4398.97 |

उपर्युक्त के अलावा, सरकार रबी 1992-93 से किसानों को विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की रिआयती दर पर बिक्री करने की एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत 1992-93 के दौरान 339.73 करोड़ रुपये और 1993-94 के दौरान 517.34 करोड़ रुपये दिये गये।

## चीनी

**2168. श्री हरिन पाठक :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान चीनी की कितनी आवश्यकता रही और 1995 में कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है, राज्यवार ब्यौरा दें;

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में चीनी का उत्पादन कितना हुआ और इसकी खपत कितनी हुई, वर्षवार ब्यौरा दें; और

(घ) चीनी मिलों को कुल कितना गन्ना दिया गया और उससे कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) चीनी वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी की अखिल भारतीय खपत निम्न प्रकार है :—

| चीनी वर्ष | खपत (लाख टन) |
|---|---|
| 1993-94 (अनंतिम) | 111.37 |
| 1994-95 (अनुमानित) | 117.93 |

(ख) चीनी वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान (28 फरवरी, 1995 तक) चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात राज्य में पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान चीनी का उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

| चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) | उत्पादन (लाख टन में) |
|---|---|
| 1991-92 | 17.53 |
| 1992-93 | 7.51 |
| 1993-94 (अनंतिम) | 8.26 |

गुजरात राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु लेवी चीनी का सामान्य मासिक आबंटन 16194 टन है। इसके अतिरिक्त गुजरात को 4878 टन प्रति वर्ष लेवी चीनी का त्यौहार कोटा भी आबंटित किया जाता है।

चूंकि खुली बिक्री चीनी के अंतर-राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है अतः खुली बिक्री चीनी की राज्यवार खपत का ब्यौरा प्रस्तुत करना मुश्किल है।

(घ) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पेरे गए गन्ने की मात्रा और गन्ने से प्राप्त चीनी का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

| चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) | पेरा गया गन्ना (लाख टन) | गन्ने से प्राप्त चीनी का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1991-92 | 67.63 | 11.14 |
| 1992-93 | 66.25 | 11.34 |
| 1993-94 (अनंतिम) | 74.42 | 11.09 |

### विवरण

### वर्ष 1993-94 और 1994-95 मौसमों के दौरान (28 फरवरी, 1995 तक) चीनी उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

| क्र.स. | राज्य | 1993-94 (अनन्तिम) | 1994-95 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | अक्तूबर-सितम्बर 28.2.95 तक | | |
| 1. | पंजाब | 3.11 | 2.98 |
| 2. | हरियाणा | 3.08 | 2.72 |
| 3. | राजस्थान | 0.16 | 0.15 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 27.15 | 23.93 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 0.37 | 0.49 |
| 6. | गुजरात | 8.26 | 5.99 |
| 7. | महाराष्ट्र | 27.34 | 31.84 |
| 8. | बिहार | 2.21 | 2.31 |
| 9. | असम | 0.04 | 0.04 |
| 10. | उड़ीसा | 0.24 | 0.31 |
| 11. | पश्चिमी बंगाल | 0.05 | 0.06 |
| 12. | नागालैंड | 0.01 | 0.00 |
| 13. | आन्ध्र प्रदेश | 6.47 | 5.07 |
| 14. | कर्नाटक | 8.31 | 7.66 |
| 15. | तमिलनाडु | 10.85 | 7.41 |
| 16. | पांडिचेरी | 0.37 | 0.32 |
| 17. | केरल | 0.02 | 0.07 |
| 18. | गोवा | 0.08 | 0.11 |
| | अखिल भारतीय | 98.12 | 91.46 |

[हिन्दी]

### रेल-संपर्क

2169. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छपरा को गया और रांची से रेल द्वारा जोड़ने हेतु एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). पूर्व रेलवे द्वारा हजारीबाग टाउन और छपरा के रास्ते रांची से गया तक प्रारंभिक-इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

(ग) सर्वेक्षण कार्य 1995-96 में पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

### बम विस्फोट

2170. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :**
**श्री मोहन रावले :**
**डा. सत्यनारायण सावित्री :**
**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री लेखनारायण सिंह :**
**श्री सुधीर सावंत :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्रह्मपुत्र मेल में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को इस विस्फोट से अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) इस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) विस्फोट के कारण रेलवे को लगभग 9,21,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) नौ घायल व्यक्तियों को 250 रुपये प्रति घायल की दर से 2250 रुपये।

(ii) ग्यारह गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1000 रु प्रति दर से 11,000 रुपये।

(iii) पांच मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 5,000 रुपये प्रति दर से 25,000 रुपये।

पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान भी किया जाएगा, जिसकी मात्रा रेल दावा अधिकरण द्वारा तय की जाएगी।

## बाल विकास

**2171. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
**श्री राम नाईक :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल विकास के लिये अनेक नीतियां और कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बाल स्वास्थ्य सुधार, पोषण और शिक्षण पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास सरकार के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल कार्रवाई योजना (1992) अपनाई है जिसमें बच्चों के लिए उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा संबंधी ऐसे लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ष 1995 और 2000 ई. तक प्राप्त कर लिया जाना है। मातृ स्वास्थ्य, पोषाहार और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य स्कीमों में किशोर बालिका स्कीम सहित समेकित बाल विकास सेवा, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम और सर्वव्यापी रोगप्रतिरोधक टीकाकरण कार्यक्रम, स्तनपान संवर्धन सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। बालिकाओं पर विशेष रूप से जोर देते हुए प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की बेहतर प्रवेश, पढाई जारी रखने और शिक्षा प्राप्ति दर को बढावा देने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की कार्यनीति तैयार की गई है। सरकार ने 1993 में एक राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाई है, जिसमें छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए पोषाहार के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पोषाहारीय और अवसंरचनात्मक परिवर्तनों वाले अप्रत्यक्ष नीति अनुदेश तथा अनेक प्रत्यक्ष पोषाहारीय उपाय विशिष्ट रूप से शामिल हैं।

(घ) 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाए जाने के समय से ही सरकार ने संकेन्द्रित पोषाहारीय और स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से शिशुओं और बच्चों के पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। वर्ष 1975-76 में 33 ब्लाकों में प्रारम्भ किये गये समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का विस्तार 3837 परियोजनाओं तक हो गया है, जो 3613 सामुदायिक विकास खण्डों और 240 शहरी गन्दे इलाकों को कवर करने के लिए स्वीकृत की गई है। लगभग 2.15 करोड़ लाभप्राप्तकर्ता, जिनमें 1.76 करोड़ स्कूल पूर्व बच्चे और 0.39 करोड़ माताएं शामिल है, इस स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्रों के अन्तर्गत 3-5 वर्ष के आयु वर्ग के 2.29 लाख बच्चे और 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के 3.00 लाख बच्चे पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे हैं। मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सर्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम, अतिसार नियन्त्रण कार्यक्रम, रक्तक्षीणता और अंधेपन के खिलाफ रोगप्रतिरक्षण के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित सेवाएं मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ऐसे क्षेत्रों के 255 जिलों को कवर किया जाता है जो मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं है। बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,31,476 उप केन्द्रों, 21254 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2328 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित की जाती है। 96 प्रतिशत बच्चों को बी.सी.जी. और 93 प्रतिशत बच्चों को डी.पी.टी. की सुविधा प्रदान की जाती है। टिटनस टाक्साईड के संबंध में गर्भवती महिलाओं की कवरेज 82 प्रतिशत है।

बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के प्रभाव के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जो 1971 में प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 129 से कम होकर 1993 में 74 रह गई।

## यात्री सुविधायें

**2172. श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर बम्बई के संदर्भ में सरकार उपनगरीय रेलों पर व यात्रियों को प्राप्त सुविधाओं में किस तरह के सुधार करने का विचार रखती है;

(ख) विगत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में उपनगरीय रेलों में यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधायें देने पर वर्षवार अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितना व्यय किया गया; और

(ग) 1995-96 के दौरान इन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कितनी राशि दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) स्टेशनों पर उपयुक्त बुकिंग व्यवस्था, प्लेटफार्म, बैंच, प्रतीक्षा सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, पेय जल, मूत्रालय आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था/वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है और यह संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा पर और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में कार्य प्रति वर्ष, रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तदनुसार रेलों द्वारा 1995-96 में भी उपयुक्त कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त ई एम यू गाड़ियों को शामिल करके उपनगरीय सेवाओं में वृद्धि की जाएगी और 9 कार वाले रेकों के बदले 12 कार वाले रेक लगाए जाएंगे। बोरीविली-बसईरोड के बीच रेलपथ के चौहरीकरण को 1995-96 के बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है और बम्बई सेंट्रल-सांताक्रुंज के बीच छठीं लाइन की व्यवस्था के काम को भी लिया जा रहा है।

(ख) इस संबंध में स्वीकृत/खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 227 लाख रुपये |
| 1993-94 | 198 लाख रुपये |
| 1994-95 | 169 लाख रुपये (अनंतिम) |

(ग) 349 लाख रुपये।

**[हिन्दी]**

## उपरि-पुल का निर्माण

**2173. श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिकोहाबाद स्टेशन पर उपरि-पुल के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त उपरि-पुल का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहले ही ऊपरी पैदल पुल मौजूद है जो स्टेशन पर यात्री यातायात की मौजूदा मात्रा सम्हालने के लिए पर्याप्त है।

**[अनुवाद]**

## फ्लाई ओवर का निर्माण

**2174. श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर नडिकुडे सेक्शन के अंतर्गत सत्तनपल्ली में फ्लाई ओवर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा क्या कदम उठाए जाएंगे?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

## युवा क्लब

**2175. श्री काशीराम राणा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवा केन्द्रों के युवा क्लबों की संख्या क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन्हें दी गयी वित्तीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्लबों की कार्यपद्धति की पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शीघ्र अध्ययन के एक भाग के रूप में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा युवा क्लबों की कार्यपद्धति की पुनरीक्षा की गई थी। पी.ई.ओ. ने मार्च, 1991 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि युवा क्लब सक्रिय स्वयंसेवी संगठन रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण कार्यकलापों में खेलकूद के बाद मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यकलाप, लोगों में जागरूकता पैदा करना, सामाजिक सेवा, परिसम्पत्तियां का सृजन और कार्य शिविरों का आयोजन शामिल है।

विवरण

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सहायता पाने वाले युवा क्लबों की संख्या | | | स्वीकृत राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 71 | 64 | 34 | 1.42 | 1.28 | 1.70 |
| 2. | असम | 3. | 22 | 10 | 0.06 | 0.44 | 0.50 |
| 3. | बिहार | 41 | 4 | 7 | 0.82 | 0.08 | 0.35 |
| 4. | गुजरात | 32 | 9 | 8 | 0.64 | 0.18 | 0.40 |
| 5. | हरियाणा | - | 30 | 38 | - | 0.60 | 1.90 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 62 | 30 | 28 | 1.24 | 0.60 | 1.40 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | - | - | 1 | - | - | 0.05 |
| 8. | कर्नाटक | 8 | 23 | 36 | 0.16 | 0.46 | 1.80 |
| 9. | केरल | 125 | 67 | 40 | 2.50 | 1.34 | 2.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 25 | 28 | 42 | 0.50 | 0.56 | 2.10 |
| 11. | महाराष्ट्र | 26 | 66 | 91 | 0.52 | 1.32 | 4.55 |
| 12. | मणिपुर | 7 | 7 | 26 | 0.14 | 0.14 | 1.30 |
| 13. | नागालैंड | - | 1 | - | - | 0.02 | - |
| 14. | उड़ीसा | - | 13 | 23 | - | 0.26 | 1.15 |
| 15. | पंजाब | - | - | 1 | - | - | 0.05 |
| 16. | राजस्थान | 11 | 19 | 26 | 0.22 | 0.38 | 1.30 |
| 17. | तमिलनाडु | 99 | 33 | 21 | 1.98 | 0.66 | 1.05 |
| 18. | त्रिपुरा | - | 1 | 6 | - | 0.02 | 0.30 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 15 | 1 | 39 | 0.30 | 0.02 | 1.95 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 2 | 37 | 19 | 0.04 | 0.74 | 0.95 |
| 21. | अ.व.नि. द्वीप समूह | - | - | 1 | - | - | 0.05 |
| 22. | दिल्ली | - | - | 3 | - | - | 0.15 |
| | कुल | 527 | 455 | 500 | 10.54 | 9.10 | 25.00 |

टिप्पणी : 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रत्येक क्लब को 2000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि 1993-94 में प्रत्येक क्लब को 5000/- रुपये स्वीकृत किए गए।

[अनुवाद]

## रेल सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

2176. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामपंथी दलों राष्ट्रव्यापी आंदालेन के दौरान देश के विभिन्न भागों में रेलवे सेवाएं बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सितंबर, 1994 के दौरान आन्दोलन के समय रेलवे संपत्ति की भारी क्षति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## तिलहनों का उत्पादन

**2177. श्रीमती भावना चिखलिया :**
**श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
**श्री नवल किशोर राय :**
**श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
**श्री गोपीनाथ गजपति :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ऑयल पाम सहित विभिन्न तिलहनों का जिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अलग राज्यों के लिए निर्धारित ऑयल पाम सहित विभिन्न तिलहनों के किस्मवार और राज्यवार उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश के कुछ भागों में तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(च) चालू वर्ष के दौरान तिलहनों की आवश्यकता की तुलना में इसके उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(छ) क्या राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम की कारगरता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** (क) तिलहनों की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है लेकिन प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं:- मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा। ये राज्य मुख्य रूप से मूंगफली, सोयाबीन, एरण्ड, तोरिया-सरसों, सूरजमुखी, तिल कुसुम, अलसी और रामतिल का उत्पादन करते हैं।

आयल पाम की खेती केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों में शुरू की गयी है।

(ख) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ). असम, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में तिलहनों के उत्पादन में मामूली कमी आई है। उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण इन राज्यों में मानसून की गड़बड़ी है, विशेषकर खरीफ मौसम में इससे उत्पादकता के स्तर में भी कमी आयी है।

(ङ) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(च) वर्ष 1994-95 में 22 मिलियन मीटरी टन तिलहनों की आवश्यकता होने का अनुमान है। तिलहनों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(छ) कृषि वित्त निगम द्वारा प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से पता चला है कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम से तिलहन उत्पादन में वांछित वृद्धि लाने में बहुत सफलता मिली है।

### विवरण-I

**(क) तिलहन उत्पादन**

ल- लक्ष्य उत्पादन लाख मीटरी टन में।
क- उ./उत्पादन में उपलब्धि लाख मी. टन।

| क्र.सं. | राज्य | 1991-92 | | 1992-93 | | 1993-94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ल. | उ. | ल. | उ. | ल. | उप. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 23.30 | 24.90 | 24.70 | 23.12 | 25.00 | 28.45 |
| 2. | असम | 2.05 | 1.89 | 1.70 | 1.49 | 2.00 | 1.45 |
| 3. | बिहार | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.17 | 1.80 | 1.52 |
| 4. | गुजरात | 28.40 | 16.44 | 25.00 | 31.86 | 31.50 | 15.72 |
| 5. | हरियाणा | 5.05 | 8.27 | 7.60 | 5.88 | 8.00 | 8.70 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | 0.20 | 0.04 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | - | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 |
| 8. | कर्नाटक | 15.45 | 18.17 | 14.60 | 17.61 | 19.00 | 19.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मध्य प्रदेश | 27.15 | 29.80 | 29.45 | 35.83 | 34.00 | 45.76 |
| 10. | महाराष्ट्र | 17.05 | 10.95 | 17.00 | 17.71 | 18.00 | 23.46 |
| 11. | उड़ीसा | 10.00 | 8.58 | 9.10 | 2.40 | 9.00 | 2.55 |
| 12. | पंजाब | 2.65 | 2.58 | 1.30 | 2.31 | 2.70 | 2.32 |
| 13. | राजस्थान | 19.00 | 27.10 | 24.75 | 25.41 | 25.00 | 24.03 |
| 14. | तमिलनाडु | 11.70 | 15.98 | 13.35 | 18.66 | 14.00 | 20.25 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 13.66 | 13.76 | 13.45 | 12.02 | 13.00 | 15.33 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 4.20 | 4.51 | 5.70 | 4.11 | 5.00 | 4.36 |
| 17. | अन्य | 3.54 | 0.97 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | 0.97 |
| | अखिल भारत | 185.00 | 185.99 | 190.00 | 201.06 | 210.00 | 214.79 |

**(ख) आयल पाम**

| | | कच्चे पाम आयल का उत्पादन (मीटरी टन में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1. | केरल | 2323 | 2232 | 2949 |
| 2. | अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 562 | 1266 | 1525(अ) |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | – | – | 186 |
| 4. | कर्नाटक | – | – | 29 |
| | योग | 2885 | 3498 | 4689(अ) |

अ-अनन्तिम

**विवरण-II**

| क्र.सं. | राज्य | तिलहन | | | आयल पाम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 824.50 | 855.50 | 1436.55 | 266.24 | 338.68 | 717.06 |
| 2. | असम | 146.50 | 149.00 | 155.743 | – | 15.00 | – |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | – | 6.75 | 29.91 | – | – | – |
| 4. | बिहार | 48.77 | 158.00 | 69.12 | – | – | – |
| 5. | गुजरात | 658.75 | 725.50 | 931.449 | 31.02 | 44.35 | 67.42 |
| 6. | हरियाणा | 96.92 | 215.00 | 160.81 | – | – | – |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 9.75 | 30.00 | 14.46 | – | – | – |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 48.19 | 41.50 | 66.397 | – | – | – |
| 9. | कर्नाटक | 519.18 | 685.00 | 750.00 | 270.79 | 235.35 | 421.53 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 520.60 | 730.35 | 1005.849 | – | – | – |
| 11. | महाराष्ट्र | 492.89 | 733.71 | 985.03 | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मणिपुर | 15.00 | 15.00 | 22.026 | - | - | |
| 13. | मेघालय | - | 6.75 | 15.825 | - | - | - |
| 14. | उड़ीसा | 227.90 | 315.08 | 430.747 | - | 8.10 | 6.00 |
| 15. | पंजाब | 179.00 | 128.50 | 187.500 | - | - | |
| 16. | राजस्थान | 341.63 | 551.00 | 820.438 | - | - | - |
| 17. | सिक्किम | 38.63 | 43.00 | 55.857 | - | - | - |
| 18. | तमिलनाडु | 635.00 | 653.50 | 1425.00 | 80.38 | 108.45 | 137.54 |
| 19. | त्रिपुरा | 7.37 | 15.47 | 67.276 | - | 5.40 | - |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 409.50 | 459.63 | 193.24 | - | - | - |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 115.06 | 187.17 | 224.792 | - | - | - |
| 22. | गोवा | - | - | - | 4.50 | 24.47 | 17.12 |
| 23. | केरल | - | - | - | 6.95 | - | - |
| | कुल | 5334 | 6699.91 | 9048.00 | 659.88 | 780.00 | 1366.67 |

### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

**2178. डा. सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय काम करने लग गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, हैदराबाद, पुणे, भोपाल और गाजियाबाद स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। गुवाहाटी और कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगे।

**[हिन्दी]**

### रेल नेटवर्क

**2179. डा. साक्षीजी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में उत्तर प्रदेश हेतु रेल नेटवर्क प्रयोजनार्थ रेल बजट में नियत धनराशि उत्तरी रेलवे को आबंटित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) बजट राज्य-वार तैयार नहीं किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम रेलों द्वारा सेवित है और 1994-95 के बजट में इस राज्य में निर्माण कार्यों के लिए आबंटित राशि इन सभी रेलों को आबंटित की गई है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख रेल निर्माण कार्यों के संबंध में उत्तर रेलवे को 5457.65 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) परियोजना-वार दी गई राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। उपयोगिता के आंकड़े वर्ष की समाप्ति अर्थात् जून, 95 के लेखा के बाद उपलब्ध होंगे।

**विवरण**

**उत्तर रेलवे में स्थित उत्तर प्रदेश के निर्माण कार्यों के लिए रेलवे बजट में निम्नलिखित राशि निर्धारित की गई है**

| क्र.सं. | कार्य | लाख रुपये में |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | लखनऊ-उन्नाव दोहरीकरण | 412.37 |
| 2. | रामपुर-बरेली दोहरीकरण | 320.03 |
| 3. | मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद अतिरिक्त सुविधाएं | 50.00 |
| 4. | गाजियाबाद बार्डर के ढांचे में परिवर्तन | 175.04 |
| 5. | मुगलसराय-इलाहाबाद-गाजियाबाद अतिरिक्त सुविधाएं। | 327.66 |
| 6. | मुरादाबाद-गाजियाबाद टोकनरहित कार्य प्रणाली | 104.94 |
| 7. | इलाहाबाद यात्री आरक्षण प्रणाली | 29.96 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | लखनऊ यात्री आरक्षण प्रणाली | 6.25 |
| 9. | गंगा नदी पर इलाहाबाद फाफामऊ पुल | 282.01 |
| 10. | गंगा नदी पर मुरादाबाद-सहारनपुर बलवली पुल | 380.33 |
| 11. | ऊपरी सड़क पुल | 201.38 |
| 12. | मुरादाबाद-सहारनपुर पुल सं. 1268 पर पुनः गर्डर लगाना | 21.88 |
| 13. | इटावा निचला सड़क पुल | 10.00 |
| 14. | चल दूर संचार के नियंत्रण के लिए दिल्ली-मुगलसराय गाड़ी | 645.00 |
| 15. | टूंडला-मुगलसराय-माइक्रोवेव लिंक का बदलाव | 1019.92 |
| 16. | इटावा-मुगलसराय दूसरा ब्लाक | 28.48 |
| 17. | लखनऊ-इलाहाबाद दूसरा रेलपथ परिपथन | 58.07 |
| 18. | लखनऊ-मुगलसराय रेलपथ परिपथन | 80.00 |
| 19. | इलाहाबाद मंडल | 30.00 |
| 20. | अन्य बिजली संबंधी कार्य | 513.98 |
| 21 | लखनऊ डीजल शेड | 200.00 |
| 22. | खान आलमपुरा कारखाना | 300.00 |
| 23. | लखनऊ सवारी डिब्बा कारखाना | 100.00 |
| 24. | कानपुर टी टी कारखाना | 20.00 |
| 25. | कानपुर टी एम एस | 75.00 |
| 26. | कानपुर अनुरक्षण सुविधाएं | 35.00 |
| 27. | गाजियाबाद अलीगढ़ प्लेटफार्म की सतह उठाना | 30.35 |
| | जोड़ | 5457.65 |

### खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए शिविर

**2180. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और राष्ट्रीय टीमों में चयन के लिए प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, खेल परियोजना विकास क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र खेल योजनाओं के अंतर्गत अपनाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जाता है।

**[अनुवाद]**

### गदब में रेलवे स्टेशन

**2181. प्रो. राम कापसे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोंकण रेलवे के अंतर्गत गदब में एक रेलवे स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). गदब गांव मध्य रेलवे के दीवा-रोहा खंड पर पेन और कासु स्टेशनों के बीच स्थित है और कोंकण रेल मार्ग पर नहीं पड़ता। इस स्थान पर रेलवे स्टेशन खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस संबंध में प्रो. राम कापसे से हाल ही में प्राप्त सुझाव पर मध्य रेलवे के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

### डिब्बाबंद सामान

**2182. श्री शिव शरण वर्मा :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने और पैकर समस्या का समाधान करने के लिए बाट और माप मानक अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों में संशोधन करने के संबंध में हाल ही में आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (ग). बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में 1994-95 में तीन बार संशोधन किया गया है। सबसे हाल के संशोधन में उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण

प्रदान करने तथा उसके साथ ही विनिर्माताओं/पैकरों की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन शामिल किए हैं :—

(i) मात्रा की घोषणा के आस-पास के क्षेत्र में मुद्रित सूचना नहीं होनी चाहिए, ताकि निवल मात्रा को पढ़ने में कोई अस्पष्टता तथा कठिनाई न हो।

(ii) 2 कि.ग्रा. या 2 लीटर या उससे कम के पैकेजों पर विक्रय मूल्य तथा पैकिंग के महीने एवं वर्ष की घोषणा पैकेज के शीर्ष भाग या निचले भाग पर करने की अनुमति दी जाए।

(iii) कुछ नई रीति से नए परीक्षण पैकों आदि को शुरू करने के मामले में संशोधन में ऐसे पैकेजों के लिए नियमों के कुछ उपबंधों को लागू किए जाने के बारे में गुण-दोष के आधार पर सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऐसे मामलों के लिए, जिनका प्रवर्तन स्तर पर प्रशमन किया गया हो, उक्त संशोधन में विनिर्माताओं को इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु कुछ समयावधि देने का प्रावधान किया गया है।

(iv) डिब्बियों में दियासलाइयों को अब विनिर्माता उपभोक्ता की मांग के अनुरूप पैकों में पैक कर सकते हैं।

### खेल संघ

**2183. श्री जीवन शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी खेल संघ/एसोसिएशनों को सरकार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान दे रही है;

(ख) क्या इन संघों/एसोसिएशनों के खातों का लेखा परीक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संघों/एसोसिएशनों की वार्षिक आम सभा करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) इक्कतीस।

**(ख) और (ग).** जी, नहीं। तथापि, परिसंघों द्वारा प्रत्येक प्रतियोगिता, जिसके लिए सरकारी अनुदान दिया जाता है, के संबंध में सनदी लेखपाल द्वारा प्रमाणित परीक्षित लेखें भेजे जाते हैं।

(घ) और (ङ). मान्यता प्राप्त परिसंघों के संविधान में वार्षिक सामान्य बैठक का प्रावधान है। चूंकि, राष्ट्रीय परिसंघ स्वतंत्र निकाय है, इसलिए सरकार इस संबंध में उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

**[हिन्दी]**

### माल की ढुलाई

**2184. श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय माल ढुलाई हेतु प्रदत्त सभी प्रकार की राजसहायता और रियायतों को वापिस लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) माल यातायात के लिए आर्थिक सहायता और रियायतें सामाजिक-आर्थिक आधार पर दी जाती हैं।

**[अनुवाद]**

### रेल परियोजनाएं

**2185. श्री रमेश चेन्निथला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जनता से राशि एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) कोंकण रेलवे निगम लि. ने 1991-92 और 1994-95 के बीच परिचित स्रोतों और कर-मुक्त बंध-पत्रों के सार्वजनिक निर्गम के जरिए 1272.62 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

### आमान परिवर्तन

**2186. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आमान परिवर्तन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जोनवार कुल कितने किलोमीटर रेल लाइनों का आमान परिवर्तन किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया गया;

(घ) क्या सरकार मद्रास क्वीलोन मीटरगेज रेल लाइन के आमान परिवर्तन के द्वितीय चरण पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू होगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 133.84 करोड़ रु. |
| 1992-93 | 693.91 करोड़ रु. |
| 1993-94 | 999.52 करोड़ रु. |
| जोड़ | 1827.27 करोड़ रु. |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोनवार पूरा किया गया आमान परिवर्तन इस प्रकार है :—

| जोन/रेलवे | दूरी /कि.मी |
|---|---|
| **1991-92** | |
| दक्षिण मध्य | 114 |
| पूर्वोत्तर | 21 |
| जोड़ | 135 |
| **1992-93** | |
| मध्य | कुछ नहीं |
| पूर्व | कुछ नहीं |
| उत्तर | 446 |
| पूर्वोत्तर | 68 |
| पूर्वोत्तर सीमा | कुछ नहीं |
| दक्षिण | 405 |
| दक्षिण मध्य | 227 |
| दक्षिण पूर्व | 35 |
| पश्चिम | 170 |
| जोड़ | 1351 |
| **1993-94** | |
| मध्य | 42 |
| पूर्व | कुछ नहीं |
| उत्तर | 436 |
| पूर्वोत्तर | 220 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 181 |
| दक्षिण | 263 |
| दक्षिण मध्य | 332 |
| दक्षिण पूर्व | 82 |
| पश्चिम | 63 |
| जोड़ | 1619 |

(ग) कुछ नहीं

(घ) जी, हां।

(ङ) यह कार्य कार्य-योजना में शामिल है और इसे नौवां योजना में शुरू किए जाने की संभावना है।

## खाद्य तेल का आयात

**2187. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री के. मुरलीधरन :**

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में शामिल करने से नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए भारी संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन खाद्य तेलों पर से आयात प्रतिबंध हटा लिया गया है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होगी;

(च) इस निर्णय का बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य नियंत्रक पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) इस निर्णय से सामान्य उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग). सरकार देश में खाद्य तेलों की अनुमानित मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच लगभग पांच से छः लाख मी.टन के अन्तर को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात का सहारा ले रही है। खाद्य तेलों के आयात और नारियल के तेल के मूल्यों के स्तर के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अलावा, नारियल के तेल को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।

(घ) और (ङ). नारियल के तेल, ताड़ गिरि तेल, आर.बी.डी. ताड़ तेल और आर.बी.डी. ताड़ स्टीयरिन को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत करने की अनुमति दी गई है। ऐसे आयात से अर्जित किए जाने वाले संभावित राजस्व के बारे में आकलन करना अभी संभव नहीं है।

(च) और (छ). खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय, उपलब्धता बढ़ाने के लिए तथा खुले बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों को संयत करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

## विश्व बैंक सहायता

**2188. श्री नवल किशोर राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1995 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "वर्ल्ड बैंक एंड फार रेलवे लाइंग अनयूज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक से ऋण के रूप में मंजूर करायी गई 13,277 मिलियन डालर की राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका;

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में से अब तक कुल कितनी राशि का प्रयोग किया गया और कुल कितनी राशि अप्रयुक्त रही;

(घ) क्या सरकार ने इस राशि पर प्रतिबद्धता प्रभार का भी भुगतान किया है;

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1994 तक प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(च) सरकार द्वार भविष्य में ऋण की बकाया राशि का कब तक प्रयोग किया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1963 से अब तक रेलवे ने विश्व बैंक से 951.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के 9 आई डी ए ऋण प्राप्त किए हैं तथा इस समूची राशि का उपयोग किया जा चुका है। 1949 से विश्व बैंक ने 857 मिलियन अमरीकी डालर के 8 आई बी आर डी ऋण भी उपलब्ध कराए हैं जिसमें से 850 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग किया जा चुका है। इन ऋणों (ऋण सं. 2417-आई एन) में अंतिम ऋण की समाप्ति पर शेष 7 मिलियन अमरीकी डालर की राशि विश्व बैंक द्वारा अगस्त, 1993 में रद्द कर दी गई थी।

विश्व बैंक से प्राप्त एक अन्य ऋण (सं. 2935-आई एन) का इस समय उपयोग किया जा रहा है। यह ऋण दिसंबर, 1995 तक वैध है। 252.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि में से, दिसंबर, 1994 के अंत तक 237.4 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक से पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं तथा शेष 15.1 मिलियन अमरीकी डालर का अभी उपयोग किया जाना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 दिसंबर, 1994 तक विश्व बैंक को प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में 10,06,089 अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया गया है।

(च) 15.1 मिलियन अमरीकी डालर की शेष राशि का उपयोग ऋण बंद होने की अवधि अर्थात 31 दिसंबर, 1995 तक कर लिए जाने की संभावना है।

## रेलवे की भूमि

**2189. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के स्वामित्व में कुल कितना भू-क्षेत्र है;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) लगभग 4.19 लाख हेक्टेयर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

## नई रेल लाइन

**2190. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-शोलापुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस लाइन की कुल लम्बाई कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान कोई राशि खर्च की है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) इस समय गडग, बीजापुर तथा होतगी के रास्ते हुबली और शोलापुर के बीच एक मीटर लाइन मौजूद है।

हुबली-गडग-हौसपेट खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। होतगी के रास्ते शोलापुर-गडग खंड के आमान परिवर्तन के लिए योजना आयोग से हाल ही में अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।

(ख) (i) हौसपेट-गडग-हुबली खंड के आमान परिवर्तन की स्वीकृत लागत-80 करोड़ रुपये

(ii) शोलापुर -गडग खंड के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत -180 करोड़ रुपये

(ग) कुल दूरी :-

शोलापुर-गडग-हुबली खंड-359 कि.मी.

(घ) 1994-95 के दौरान खर्च की गई राशि

(31.12.1994 तक)

(i) हौसपेट-गडग-हुबली खंड-21 करोड़ रुपये

(ii) शोलापुर-गडग खंड -0.001 करोड़ रुपये

## रेल पथ

**2191. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल पथ की कुल लम्बाई और चौड़ाई कितनी है;

(ख) कितनी लम्बाई के रेल पथ का विद्युतीकरण किया गया है और कितना लम्बाई के रेल पथ का दोहरीकरण किया गया है तथा कितनी लम्बाई के रेल पथ को बड़ी लाइन में बदला गया है; और

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 31.3.1994 को भारतीय रेलों पर कुल मार्ग किलोमीटर 62462/कि.मी. था।

(ख)(i) 31.3.94 को विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर (सभी आमान) 11793 कि.मी. था (जिसमें यातायात के लिए न खोला गया) विद्युतीकृत मार्ग कि.मी. शामिल है।

(ii) 31.3.94 को तिहरी/बहु लाइन (सभी आमान) सहित दोहरी लाइन की लंबाई 15051 कि.मी. थी।

(iii) 31.3.94 को बड़ी लाइन मार्ग किलोमीटर (विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत 37824 कि.मी. था।

(ग) एक-आमान परियोजना के अंतर्गत ब.ला. में आमान परिवर्तन हेतु 13000 कि.मी. लंबे चुनिंदा मी.ला./दो.ला. मार्गों की पहचान की गई है। इसमें से 6000 कि.मी. का आठवीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन करने की योजना है।

रेलपथ का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कार्य परिचालनिक आवश्यकता, यातायात के घनत्व आदि तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किए जाते हैं।

## नये रेलवे स्टेशन

**2192. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम से आगे मेट्रो रेलवे टर्मिनल के निकट कोई नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## साबारी रेलवे स्टेशन

**2193. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राइट्स" द्वारा केरल में साबारी रेलवे स्टेशन की सम्भाव्यता संबंधी प्रारम्भिक अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## सघन कपास विकास कार्यक्रम

**2194. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन कपास विकास कार्यक्रम को चालू रखने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र का हिस्सा 61.43 करोड़ रुपये और सभी राज्यों का हिस्सा 21.27 करोड़ रुपये होगा;

(ग) यदि हां, तो इस योजना से कौन-कौन से मुख्य कपास उत्पादक राज्यों को लाभ हुआ है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रजनन, आधारी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकृत बीजों के वितरण और अम्ल द्वारा छिलका उतारे गए बीज के उपयोग का प्रदर्शन एवं प्रचार हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो यह योजना राज्य सरकारों के लिए कितनी सहायक और लाभप्रद सिद्ध हुई;

(च) राज्यों ने इन परियोजनाओं के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का कितना उपयोग किया है; और

(छ) इन राज्यों में कपास उत्पादन में कितना सुधार हुआ है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत पूरी आठवीं योजना अवधि (1992-97) के लिये केन्द्रीय अंश 61.43 करोड़ रुपये और सभी राज्यों का हिस्सा 20.27 करोड़ रुपये का है।

(ग) कपास उगाने वाले जिन राज्यों को इस योजना से लाभ मिला है, वे हैं : आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश।

(घ) जी, हां। राज्यों को इस योजना के अंतर्गत प्रजनक, आधारी और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के वितरण और अम्ल द्वारा छिलका रहित बनाए गये बीजों सहित उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन से अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन और वितरण, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार, कपास उत्पादकों के प्रशिक्षण आदि में सहायता मिली है।

(च) आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों (1992-93 से 1993-94) के दौरान राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत उन्हें दी गई 16.276 करोड़ रुपये की केन्द्रीय धनराशि में से 14.084 करोड़ रुपये इस्तेमाल कर लिये हैं।

(छ) इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, कपास का अखिल भारतीय स्तर का उत्पादन सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1991-92) के दौरान 97.14 लाख गांठ से बढ़कर 1992-93 में 114.02 लाख गांठ और 1993-94 में 107.12 लाख गांठ हो गया। वर्तमान वर्ष (1994-95) के दौरान कपास का उत्पादन 116-120 लाख गांठ के बीच होने की संभावना है।

## टैक्नोलाजी-अपग्रेडेशन

**2195. श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**
**श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक "टैक्नोलोजी अपग्रेडेशन मिशन" का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इससे रेलवे को किस हद तक लाभ हुआ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (च). भारतीय रेल ने रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, मालडिब्बों तथा रेलपथ संरचना आदि के क्षेत्रों मे रेल प्रौद्योगिकी के ग्रेडोन्नयन के लिए 1987 में एक प्रौद्योगिकी विकास योजना तैयार की है। अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यों में, भारी कर्षण माल गडियां चलाने, यात्री तथा माल गाड़ियों की रफ्तार में सुधार करने तथा परिसंपत्तियों की संरक्षा तथा विश्वसनीयता में सुधार आदि की परिकल्पना की गई है। प्रौद्योगिकीय ग्रेडोन्नयन/सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ रेलों की क्षमता लगातार बढ़ी है तथा कुशलता संकेतक एक अच्छा रूख दर्शाते हैं।

## पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम

**2196. डा. असीम बाला :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्य के लिए विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र (एन ई एच आर) संबंधी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) भारत सरकार ने पूरे देश में, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र शामिल है, कृषि के विकास में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (चावल)
2. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
3. बागवानी फसलों के विकास के लिए कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम
5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
7. झूम खेती पर नियंत्रण
8. ताजा जल कृषि
9. पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए सहायता
10. स्वैच्छिक संगठनों के जरिये कृषि विस्तार।

(ख) और (ग). उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हेतु भारतोय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा झूम खेती के विकल्प के रूप में कृषि प्रणाली, अधिक, मध्यम और कम ऊंचाई के लिए चावल की किस्मों को वांछित साइट्रस बगानों के पुनरूद्धार के लिए प्रौद्योगिकी, मणिपुर में पशुओं में ब्लैक कार्टर रोगों तथा त्रिपुरा में डक कालेरा के लिए टीके तथा खुंबी की खेती के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता की है। विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करते समय इन प्रौद्योगिकी प्रगति पर ध्यान दिया जाता है।

**[हिन्दी]**

## देश के किसान

**2197. डा. महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु और सीमान्त किसानों की प्रतिशतता लगभग कितनी है;

(ख) क्या इस वर्ग के दो तिहाई किसानों के पास मात्र एक हैक्टेयर या इससे भी कम भूमि है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या कम भूमि होने के कारण इन किसानों की आय अल्प है और खेतीबाड़ी उनके लिए लगातार अलाभकारी सिद्ध हो रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लघु और सीमान्त किसानों हेतु खेतीबाड़ी को लाभप्रद बनाने के लिए क्या वित्तीय और शोधोन्मुख कदम उठाए गए?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) कृषि संगणना 1985-86 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार छोटे और सीमान्त किसान कृषि जोतों की कुल संख्या का क्रमशः 18.4 प्रतिशत और 57.8 प्रतिशत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). ये किसान आधुनिक प्रौद्योगिकी और विभिन्न आदानों जैसे सिंचाई, बीज और उर्वरक तथा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न फसलोन्मुख उत्पादन कार्यक्रमों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ छोटे और सीमान्त किसानों के वास्ते घटक भी शामिल हैं, से काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सहायता की विशेष योजना के अधीन वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान 462.57 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

## विश्व बैंक की सहायता

**2198. श्री राम पूजन पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में सघन कृषि विकास के लिए इस राज्य की सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ख) इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा कोई पूर्व-शर्त रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (घ). भारत सरकार से हुए विचार-विमर्श के आधार पर विश्व बैंक कृषि क्षेत्र में अपनी ऋण कार्यनीति के भाग के रूप में व्यापक कृषि विकास परियोजना शुरू कर रहा है। राजस्थान कृषि विकास परियोजना ऐसी प्रथम परियोजना थी जिसे विश्व बैंक के साथ अंतिम रूप दिया गया तथा असम, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए ऐसी ही परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में फसलोन्पादन, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण सड़क, जल संसाधन का विकास और कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित कार्यकलापों का समेकित पैकेज शामिल है।

ये परियोजनाएं तैयार करने और मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में है। परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विश्व बैंक की सहायता की धनराशि सहित परियोजनाओं के ब्यौरे की जानकारी मिलेगी।

**[अनुवाद]**

## हरित क्रान्ति

**2199. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में, जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, के लिए हरित क्रान्ति के फायदे पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह फायदा केरल राज्य, विशेष रूप से त्रिचूर और एर्णाकुलम जिलों तक पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) स (ग). हरित क्रान्ति का लाभ वर्षा सिंचित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में शामिल हैं :- वर्षा के पानी का संरक्षण और उसके कारगर उपयोग का प्रचार-प्रसार करना तथा उन्नत वर्षा सिंचित कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना। सम्पोषक बायोमास उत्पादन प्रणाली के विकास/प्रगति और देश के विस्तृत वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन की पुनर्स्थापना के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू. डी.पी.आर.ए.) चलायी जा रही है।

25 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में चल रही वर्षा सिंचित क्षेत्रों की राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) में एर्णाकुलम और त्रिचूर सहित केरल के 14 जिलों को कवर किया गया है। इसके अलावा चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-राइस) को केरल में भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चावल आधारित फसल प्रणाली में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाना है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

## इन्दिरा कुंज

**2200. श्री शरत पटनायक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिये "इन्दिरा कुंज" नाम की कोई नयी योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; आर

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया आयेगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). देश के प्रत्येक जिले में आधुनिक और सुसज्जित पौधशालाओं से वानिकी, बागवानी तथा पुष्प कृषि में उपयोगी वृक्ष प्रजातियों की उत्तम पौध उपलब्ध कराने के लिए "इंदिरा कुंज" नाम की एक योजना विचाराधीन है। योजना की रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और समुचित विचार किए जाने तथा सरकार के अनुमोदन के बाद ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

### विवरण

### "इंदिरा कुंज योजना" का प्रस्ताव

पौधशालाओं की इंदिरा कुंज योजना में विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए उत्तम पौध की आवश्यकता को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। ये पौध प्रौद्योगिकीय रूप से उपयुक्त ऐसी पौधशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें मूल वनस्पति और पौध दोनों के उत्तम किस्म के पौधे उगाए जाएंगे। लाभार्थियों को प्रति कुंज एक मिस्ट चैम्बर तथा ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। इस योजना में वानिकी, बागवानी तथा कृषि विज्ञान में स्नातक बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अशिक्षित श्रमिकों, जिन्हें कि इस काम के लिए अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

(क) वानिकी/बागवानी/कृषि में उपाधि प्राप्त बेरोजगार स्नातकों को, उन जिलों में वहां वे सामान्यतया रहते हैं, पौधशालाएं स्थापित करने के लिए योजनान्तर्गत सहायता के लिए चुना जाएगा।

(ख) लाभार्थियों की छानबीन और चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

| | |
|---|---|
| 1. कलेक्टर | -अध्यक्ष |
| 2. परियोजना निदेशक(डीआरडीए) | -सदस्य |
| 3. जिला बागवानी अधिकारी, कृषि अधिकारी | -सदस्य |
| 4. राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (नैव) के क्षेत्रीय केन्द्र का प्रतिनिधि | -सदस्य |
| 5. उप वन संरक्षण अथवा प्रभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वानिकी) | -सदस्य सचिव (संयोजक) |

(ग) आवेदक एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चयन होने पर डीआरडीए उन्हें अधिक विस्तृत तथा वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने में मदद देगा। यह रिपोर्ट पौध की मांग तथा आपूर्ति की प्रजातिवार सर्वेक्षण और किसी उचित समयावधि में भावी योजनाओं से परिपूर्ण होगी।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई पौधशालाओं में वनीकरण, बागवानी तथा प्राकृतिक भू-दृश्यावली लाने में प्रयुक्त होने वाली मिश्रित पौध उगाई जाएगी, जिससे कि लाभार्थी उसका अधिकाधिक विपणन कर सकें और स्वावलम्बी क्षमता प्राप्त कर सकें।

(ङ) आमतौर पर एक जिले में एक इंदिरा कुंज होगा। जहां पौध की मांग ज्यादा हो और पौधशाला इकाईयों की गुणवत्ता और आर्थिक सम्भाव्यता के साथ समझौता किए बगैर एक से अधिक इंदिरा कुंज आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। वहां एक से अधिक इंदिरा कुंज स्थापित किए जा सकते हैं किन्तु किसी भी स्थिति में एक जिले में तीन से अधिक इंदिरा कुंज नहीं होंगे। आगामी 4 वर्षों में 1000 इंदिरा कुंज स्थापित किए जाएंगे अर्थात् औसतन प्रतिवर्ष 250 इंदिरा कुंज।

(च) राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (नैव) परियोजना के साजो-सामान लागत का 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देगा। यह सहायता 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में धनराशि दिए जाने के तौर तरीकों को संपूर्ण योजना तैयार करते समय निर्धारित किया जाएगा। परियोजना की शेष लागत, जिसमें चल पूंजी भी शामिल है, लाभार्थी अपने निजी स्रोतों से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पूरी करेगा। जिला स्तरीय समिति लाभार्थी को ऋण दिलाने में मदद देगी।

(छ) लाभार्थी भूमि और भवन ढांचे को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखेगा (यदि ऋण प्राप्त करने के लिए इसे किसी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखा जाना हो, तो जिला स्तरीय समिति लाभार्थी को इस शर्त से छूट दिलाने के लिए अधिकृत होगी।)

(ज) जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी को बिजली की आपूर्ति और ऐसे अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिनका कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्यमी तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत हकदार हो।

(झ) यदि अपेक्षित हो तो राज्य वन विभाग पौधशाला लगाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगा। प्रशिक्षण की जरूरत का मूल्यांकन और पहचान जिला समिति द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण व्यय, इस संबंध में दिए गए मानदण्डों के अनुसार योजना में से पूरा किया जाएगा।

## चीनी मिलें

**2201. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली नई चीनी मिलों हेतु केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा वर्ष-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए और कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया; और

(घ) इन संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) और (ख). नई चीनी इकाईयों को उनकी अर्थक्षमता एवं निधियों की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वयं आवधिक ऋण उपलब्ध करा रही है।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान (फरवरी, 1995 तक) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश की नई चीनी इकाइयों के मामले में प्राप्त आवेदन/मंजूर सहायता से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। खाद्य मंत्रालय के पास अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनुसार, नई चीनी मिलों को वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के बारे में विचार करते समय भारत के सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा सामान्यतः आर्थिक-प्रौद्योगिक व्यवहार्यता/परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता, प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, प्रस्तावित क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं, गन्ने की उपलब्धता तथा गन्ने के उत्पादन/विकास की संभाव्यता, कच्चे माल (गन्ना) की कीमतें, खुली बिक्री एवं लेवी चीनी की कीमतें, निकट के चीनी मिलों का कार्य-निष्पादन आदि मानदण्डों पर विचार किया जाता है।

### विवरण

### 1992-93, 1993-94, और 1994-95, वर्षों के दौरान (फरवरी, 1995 तक) आई एफ सी आई द्वारा नई चीनी इकाइयों के मामले में प्राप्त आवेदनों/मंजूर सहायता से संबंधित ब्यौरे

| महाराष्ट्र राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1.4.1992 तक नई चीनी मिलों से प्राप्त लम्बित आवेदन | 27 | - | - |
| वर्ष के दौरान प्राप्त | - | - | 10 |
| वर्ष के दौरान मंजूर | - | 17 | 5* |
| वर्ष के दौरान रद्द माने गए आवेदन | - | - | 10 |
| 1.3.1995 तक लम्बित आवेदन | - | - | 5 |

* एक मामले में स्वीकृति पत्र अभी जारी किया जाना है।

| उत्तर प्रदेश | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1.4.1992 तक नई चीनी मिलों से प्राप्त लम्बित आवेदन | 2 | - | - |
| वर्ष के दौरान प्राप्त | - | 1 | 2 |
| वर्ष के दौरान मंजूर | - | 2 | - |
| वर्ष के दौरान रद्द/वापिस लिए गए आवेदन | - | 1 | 1 |
| 1.3.1995 तक लम्बित आवेदन | - | - | 1 |

## विद्युतीकरण

**2202. श्री येल्लैया नदी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आज की तारीख तक कुल कितने कि.मी. रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस समय किन-किन रेल मार्गों पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है; और

(ग) 1995-96 के दौरान राज्य में कितने कि.मी. रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 1357 मार्ग किलोमीटर।

(ख) इस समय निम्नलिखित मार्गों का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है :

1. रेणिगुटा-साकीबांदा (रेणिगुटा-हासपेट परियोजना का भाग) (328 मार्ग कि.मी.)
2. विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम (366 मार्ग कि.मी.)
3. डोरनाकल-सिंगरेनी-शाखा लाइन (26 मार्ग कि.मी.)

(ग) 1995-96 के दौरान निम्नलिखित रेल लाइनों को विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव है :—

1. विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम का भाग 95 मार्ग कि.मी.
2. डोरनाकल-सिंगरेनी-शाखा लाइन 26 मार्ग कि.मी.

## कृषि उत्पाद को कीटों के कारण हुई क्षति

**2203. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के कृषि उत्पादों (कुल खाद्य उत्पादन के करीब 18 प्रतिशत) की हानि हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कीमती खाद्य सामग्री की इस बर्बादी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) महोदय, विभिन्न प्रकार की कृमियों के कारण फसलों को काफी क्षति होती है। सामान्य रूप से फसल, किस्म, कृषि, मौसम और स्थान आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए अनुमानित क्षति 10-30 प्रतिशत तक है। देश में फसल की क्षति की वास्तविक सीमा के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी सह व्यापक समेकित कृषि प्रबंध योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अधीन फसल की क्षति को न्यूनतम करने के कृषि आर्थिक प्रणाली विश्लेषण और समेकित कृषि प्रबंध दृष्टिकोण अपनाने में कृषकों को सक्षम बनाने के लिए समेकित कृषि प्रबंध कृषक क्षेत्रीय विद्यालय की स्थापना करके व्यापक क्षेत्रगत प्रदर्शन तथा कृषकों और राज्य विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

## बाट और माप समिति

**2204. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय अंशाकन प्रणालियों के अनुसरण में समान विधि प्रणाली विकसित करने हेतु विधि प्रणाली सुविधा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक अधिनियम, 1985 के माध्यम से सही बाट और माप प्रदान कर पाना संभव नहीं है;

(घ) क्या वर्तमान बाट और माप अधिनियम के आधार पर गलत बाट और माप के संबंध में किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय विधिक माप-विज्ञान से संबंधित नीतिगत मामलों के बारे में सलाह देने तथा विधिक माप -विज्ञान कानून में संशोधन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु एक शीर्ष राष्ट्रीय मंच गठित कर रहा है।

(ग) से (ङ). बाट तथा माप अधिनियम तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का संशोधन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो समाज को जरूरत, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास तथा सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है।

## मैट्रो रेल

**2205. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो प्रणाली का मैदान से सियालदाह और टालीगंज से गरिया तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). मैट्रो रेल का टॉलीगंज से न्यू गरिया तक विस्तार करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रेलवे निर्माण कार्यक्रम 1995-96 में शामिल कर लिया गया है। परियोजना का शुरू

किया जाना सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

मैट्रो को मैदान से सियालदाह तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

## पश्चिम रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

**2206. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे को कितना घाटा अथवा लाभ हुआ;

(ख) इस जोन में गत तीन वर्षों के दौरान पटरियों के नवीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य विकास कार्य के संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) पश्चिम रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

| वर्ष | (राशि करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1991-92 | 415 |
| 1992-93 | 618 |
| 1993-94 | 751 |

(ख) पश्चिम रेलवे द्वारा रेलपथ के नवीकरण के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार है :—

| वर्ष | उपलब्धियां (पूरे रेलपथ का नवीकरण) |
|---|---|
| 1991-92 | 430 कि.मी. |
| 1992-93 | 350 कि.मी. |
| 1993-94 | 302 कि.मी. |

पश्चिम रेलवे में पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण मार्ग किलोमीटर इस प्रकार है :

| खंड | 91-92 | 92-93 | 93-94 |
|---|---|---|---|
| I. साबरमती | - | 5 | - |
| II. चंदोलिया-गांधीनगर (साबरमती-गांधीनगर खंड का शेष भाग कुल मार्ग 28 कि.मी.) | - | - | 23 |

पश्चिम रेलवे में पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये विकासात्मक कार्य :—

1991-92 कुछ नहीं

1992-93 सवाई माधोपुर-दुर्गापुर एवं नाडियाद-कपडबंज लाइनों का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है और इन्हें खोल दिया गया है। माही पुल का दोहरीकरण पूरा किया गया एवं उसे खोल दिया गया है।

1993-94 दुर्गापुरा-जयपुर-फुलेरा का आमान परिवर्तन पूरा कर दिया है और इसे चालू कर दिया है। माही पुल सं. 624 और बोलई-अकोडिया ब्लाक खंड का दोहरीकरण पूरा किया गया एवं इसे खोल दिया है।

(ग) आगरा-बांदीकुई (151 कि.मी.), बांकानेर-मलिया मियाणा (90 कि.मी.) तथा गांधीधाम-भुज (58 कि.मी.) का आमान परिवर्तन, कोटा और गुर्ला के बीच चंबल पुल सं. 211 का दोहरीकरण तथा बम्बई मध्य एवं बोरीवली के बीच 5वीं तथा 6वीं लाइन के प्रस्ताव को पश्चिम रेलवे पर नई परियोजनाओं के रूप में रेलवे बजट 1995-96 में शामिल किए जा चुका है। गांधीधाम-भुज के आमान परिवर्तन का कार्य योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने पर शुरू किया जाएगा।

(घ) 1995-96 के दौरान परियोजनाओं के लिए 137 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

## हसन इकबाल समिति

**2207. श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पुनर्गठन सम्बन्धी मामले का पता लगाने हेतु गठित हसन इकबाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) हसन इकबाल समिति का गठन रेलों की पुनर्संरचना से संबंधित पहलू की जांच करने के लिए नहीं अपितु लागत और लाभ केन्द्रों का पता लगाने, लेखा प्रणाली के विकास और भारतीय रेलों पर वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण के संबंध में प्रकाश टंडन समिति की सिफारिश के अनुवर्तन में किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) हसन इकबाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) गतिविधि पर आधारित यूनिट लागत प्रणाली की एक नई प्रणाली की सिफारिश की गई है, जिसमें गतिविधियों

की लागत में प्रत्येक स्तर की उपगत लागत को शामिल किया जाना है।

(ii) प्रत्येक स्तर को उस स्तर पर उपगत लागतों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाया जाना है। जिम्मेवार लेखा प्रणाली की संकल्पना शुरू की जानी है।

(iii) रेलों की आमदनी, मंडल आधार पर विभाजित की जानी है।

(ग) इस सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

**[हिन्दी]**

### नई आर्थिक नीति का प्रभाव

**2208. डा. जी.एल. कनौजिया :**
**श्री मंजय लाल :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1995 के "जनसत्ता" में "कृषि पर आर्थिक नीति का प्रभाव" के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकट की गई शंकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उदारीकरण की नई आर्थिक नीति के कारण छोटे किसानों के भूमिहीन मजदूर हो जाने और रोजगार के अवसरों में कमी आ जाने की संभावना के प्रति सचेत किया है। यह उल्लेख किया गया है कि "भारत में कृषि के विकास पर नई आर्थिक नीति के संभावित प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की गयी है। विशेष भय लोगों द्वारा किए जाने वाले निवेश में कमी होना, कृषि ऋण के प्रावधानों के राज्यों का अलग हो जाना और विस्तार सेवाओं में कमी होना है।"

(ग) पिछले साढ़े तीन वर्षों के आर्थिक सुधार से कृषि की तुलनात्मक लाभप्रदता में सुधार आया है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति और कुशलता में सुधार लाने के प्रति सरकार का संकल्प कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए निर्धारित बेहतर सार्वजनिक क्षेत्रीय परिव्यय, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रीय निवेश का मुख्य स्रोत है, कृषि ऋण में की गई ठोस वृद्धि, उत्साहपूर्ण विस्तार समर्थन, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है, और कृषि में घरेलू तथा विदेशी विपणन पर नियंत्रण में कटौती से प्रकट होता है। इन उपायों का उद्देश्य कृषि में रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा छोटे किसानों सहित सभी किसानों की मदद करना है।

### सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन

**2209. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1995 के "जनसत्ता" (दिल्ली) में "टेंडर की शर्तें पूरी ना करने वाली कम्पनी को ठेका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किस कम्पनी को यह ठेका दिया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त कम्पनी की निविदा निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किया गया था;

(घ) क्या कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने निविदा में दी गई राशि को कम करने के लिए संबंधित कम्पनी से अनुरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निविदा के संबंध में जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नए सिरे से निविदा कब आमंत्रित की जाएगी?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। जिस कम्पनी को केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा ठेका दिया गया है, उसका नाम मैसर्स नेशनल फ्रेट कोरियर्स है।

(ग) जी, हां। मैसर्स नेशनल फ्रेट कोरियर्स का विलम्ब से भेजा हुआ टेंडर 30.12.1994 को 4.30 बजे (अपराह्न) प्राप्त हुआ था जबकि इसके लिए निर्धारित समय सीमा उसी दिन 3.00 बजे (अपरान्ह) तक थी।

(घ) जी, नहीं। न्यूनतम राशि (लोएस्ट)/टेंडरकर्ता, मैसर्स नेशनल फ्रेट कोरियर्स, स्वतः ही टेंडर में दी गई ठेके की वार्षिक लागत को कम करके 4 लाख रुपए की वार्षिक छूट देने के लिए सहमत हुआ था। तथापि, पेशकश पर विचार करते समय इसके लिए गठित समिति, जिसमें प्रबंध निदेशक, सदस्य अध्यक्ष भी हैं, ने इच्छा व्यक्त की थी कि यह छूट बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की दी जानी चाहिए, जिससे टेंडर में दिए गए ठेके की वार्षिक कीमत और कम हो जाएगी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### रेल परियोजना

**2210. श्री महेश कनोडिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना निगरानी तंत्र की कमजोरी के कारण कई परियोजनाएं अपनी समय-सीमा में पूरी न की जा सकीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजनाओं के पुनर्वीक्षण हेतु कम्प्यूटर की सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). जी, नहीं। जिन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका है। उनका मुख्य कारण धन की कमी है।

(ग) और (घ). परियोजना पर निगरानी रखने के लिए कम्प्यूटरों को उत्तरोत्तर उपयोग किया जाता है/हुई प्रगति, बकाया कार्य तथा अन्य कार्यों के ब्यौरे को कम्प्यूटरों में फीड किया जाता है तथा इन्हीं के आधार पर स्थिति की जांच की जाती है।

## रेल लाइन को दोहरा करना

**2211. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल लाइन को दोहरा करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). गाजियाबाद-मुरादाबाद लाइन के कहीं-कहीं दोहरीकरण के कार्य को 30 करोड़ रुपये की लागत से 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है। संसद द्वारा बजट पारित कर दिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

## केन्द्रीय विद्यालय

**2212. श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या से भी कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन से तदर्थ नियुक्तियों की प्रणाली को बन्द कर दिया है। अल्प-कालिक/अवकाश रिक्तियों के लिए शिक्षकों को ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

[हिन्दी]

## डी.एम.यू. रेलगाड़ियां

**2213. श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसी और सहरसा तथा बिहार के बीच अन्य भागों में डी.एम.यू. रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रेलगाड़ियां किन-किन रेलमार्गों पर शुरू की जाएंगी?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). 1995-96 के दौरान भागलपुर-बड़हरवा-कटवा और बरौनी-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर मार्गों पर डी.एम.यू/पशु पुल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। बहरहाल, मानसी और सहरसा के बीच फिलहाल ऐसी गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

## बागवान उत्पादन

**2214. श्री गोपी नाथ गजपति :**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी के विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बागवानी के विकास के संबंध में सफलता हासिल करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बागवानी उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) कुल बागवानी उत्पादों के कितने प्रतिशत उत्पादन का वर्ष में निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान बागवानी हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) जी, हां।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा और पांडिचेरी का कार्य निष्पादन अच्छा रहा है।

(ग) जबकि वर्ष 1993-94 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, तथापि 1991-92 और 1992-93 के दौरान मुख्य बागवानी फसलों के उत्पादन इस प्रकार थे :—

| फसल | उत्पादन (मिलियन मी. टन में) | |
|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 |
| फल | 28.63 | 32.96 |
| सब्जियां | 58.59 | 71.00 |
| मसाले | 1.95 | 2.14 |
| नारियल | *6.50 | @7.39 |
| काजू | 0.30 | 0.35 |
| सुपारी | 0.25 | 0.25 |

* 10043 मिलियन गिरी के बराबर

@ 11375 मिलियन गिरी के बराबर

(घ) वार्षिक रूप से निर्यात किए जा रहे कुल उत्पादन का प्रतिशत इस प्रकार है :—

| मद | निर्यात किए जा रहे कुल उत्पादन का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | 1991-92 | 1992-93 |
| मसाले | 7.27 | 6.01 |
| काजू | 23.35 | 17.90 |
| *फल और सब्जियां | 0.57 | 0.49 |

* इसमें सब्जियों के बीज संसाधित फल और सब्जियाँ शामिल नहीं हैं।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**1991-92, 92-93 और 93-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई धनराशि**

निर्मुक्त धनराशि

| राज्य का नाम | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 185.84 | 346.49 | 677.45 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14.67 | 45.59 | 89.92 |
| असम | 38.89 | 79.86 | 105.74 |
| बिहार | 60.15 | 75.57 | 217.55 |
| गोवा | 20.19 | 51.24 | 107.34 |
| गुजरात | 221.55 | 431.67 | 204.63 |
| हरियाणा | 16.18 | 79.23 | 181.12 |
| हिमाचल प्रदेश | 132.75 | 149.91 | 181.80 |
| जम्मू और कश्मीर | 30.25 | 104.74 | 145.78 |
| कर्नाटक | 169.03 | 581.94 | 927.20 |
| केरल | 688.55 | 1027.96 | 1591.40 |
| मध्य प्रदेश | 127.35 | 222.98 | 336.30 |
| महाराष्ट्र | 425.56 | 292.22 | 909.92 |
| मणिपुर | 11.88 | 25.98 | 41.18 |
| मेघालय | 11.17 | 19.04 | 41.86 |
| मिजोरम | 12.57 | 19.28 | 62.02 |
| नागालैण्ड | 8.88 | 23.63 | 38.43 |
| उड़ीसा | 57.20 | 72.41 | 295.08 |
| पंजाब | 41.14 | 109.18 | 158.24 |
| राजस्थान | 92.74 | 143.82 | 137.09 |
| तमिलनाडु | 214.03 | 408.94 | 770.23 |
| त्रिपुरा | 19.52 | 38.30 | 44.89 |
| उत्तर प्रदेश | 144.44 | 204.32 | 305.40 |
| पश्चिम बंगाल | 30.52 | 41.64 | 193.61 |
| सिक्किम | 6.62 | 23.98 | 62.23 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप | 18.62 | 38.21 | 48.19 |
| चण्डीगढ़ | 0.83 | 1.50 | 39.46 |
| दादर एवं नगर हवेली | 0.83 | 6.50 | 18.07 |
| दमण एवं दीउ | 0.25 | 6.50 | 18.07 |
| दिल्ली | 2.65 | 11.17 | 50.99 |
| लक्षद्वीप | 0.68 | 13.06 | 25.07 |
| पांडिचेरी | 5.00 | 17.96 | 37.38 |
| योग | 2810.51 | 4714.82 | 8060.73 |

उपर्युक्त के अलावा प्रत्यक्ष रूप से या राज्य सरकारों के जरिए अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए इन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को भी निधियां दी गई।

**रेलवे स्टेशनों का विस्तार**

**2215. श्री के. मुरलीधरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे जब कभी अपेक्षित होता है, संभाले जाने वाले यातायात के स्तर में वृद्धि होने पर किया जाता है, यह धन की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, तदनुसार, 1994-95 के दौरान, 5 लाख रुपये से अधिक की लागत पर निम्नलिखित कार्यों को केरल राज्य के रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया गया है :-

लागत रुपयों में

| स्टेशन | कार्य | लागत |
|---|---|---|
| अल्लेप्पी | द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार | 11.10 |
| अल्वाय | प्लेटफार्म सं. 1 का विस्तार/चौड़ा करना और उस पर सायबान का विस्तार | 12.06 |
| अंगमलि | प्लेटफार्म सं.1 और 2 पर सायबान का विस्तार | 13.69 |
| कण्णनोर | खाड़ी और द्वीप प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा कक्ष और सायबान के विस्तार की व्यवस्था | 19.11 |
| चालकुड़ी | ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था | 16.16 |
| एर्णाकुलम | प्लेटफार्म सं. 1, 4 और 5 पर सायबान की व्यवस्था/विस्तार | 11.02 |
| एर्णाकुलम टाउन | प्लेटफार्म सं. 1 को चौड़ा करना और प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान का विस्तार | 18.65 |
| इरिंजाल कुडा | प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था/विस्तार | 12.64 |
| काहनगढ़ | प्लेटफार्म सं. 1 पर सायबान का विस्तार | 6.36 |
| करूनागपल्ली | प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था | 7.80 |
| कोट्टयम | प्लेटफार्म सं. 1 की सतह उठाना और प्लेटफार्म सं. 1 पर सायबान का विस्तार | 16.78 |
| मावेलिकेरे | प्लेटफार्म सं. 2 की सतह उठाना और प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान का विस्तार | 21.05 |
| पालघाट | प्लेटफार्म सं. 1 का विस्तार और घुलनीय एप्रैन की व्यवस्था | 18.80 |
| पय्यनूर | प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान का विस्तार और प्लेटफार्म सं. की 1 की सतह उठाना | 5.43 |
| कुइलाण्डि | प्लेटफार्म सं. 1 की सतह उठाना और प्लेटफार्म सं. 2 का विस्तार | 9.55 |
| कोल्लम | प्लेटफार्म सं. 1 और 4 पर सायबान की व्यवस्था/विस्तार | 19.67 |
| शेरटाल्ली | प्लेटफार्म सं. 2 और 3 का विस्तार | 6.30 |
| शोरूवण्णुर | प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर सायबान का विस्तार | 9.64 |
| तेल्लिचेरी | प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था/विस्तार | 11.94 |
| तिरूवल्ला | प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान का विस्तार | 10.85 |
| त्रिचूर | द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था | 9.72 |
| तिरूवनन्तपुरम | द्वीप प्लेटफार्म की सतह उठाना और विश्रामालयों में सुधार करना | 17.74 |
| वडक्कांचेरी | प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान का विस्तार | 7.44 |

**[हिन्दी]**

### प्रदूषण नियंत्रण

**2216. श्री दत्ता मेघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, 1994-95 के लिए विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य राज्य बोर्डों से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| क्र.सं. | राज्य बोर्ड का नाम | मांगी गई राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश | 65.75 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 59.20 |
| 3. | पंजाब | 15.44 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 227.74 |
| 5. | त्रिपुरा | 24.50 |
| 6. | बिहार | 29.06 |
| 7. | तमिलनाडु | 13.04 |
| 8. | मेघालय | 38.00 |
| 9. | गुजरात | 385.55 |
| 10. | दमन और दीव | 07.01 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 16.50 |
| 12. | असम | 36.76 |
| 13. | राजस्थान | 23.32 |
| 14. | महाराष्ट्र | 108.50 |

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों की निधियों के बंटन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से जांच की गई है। निधियों का आबंटन करते समय इन प्रस्तावों की उपयोगिता, संभाव्यता, इन स्कीमों के लिए वित्तीय आबंटन और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के साथ उनके संबंध को ध्यान में रखा जाता है।

**[अनुवाद]**

## राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

**2217. श्री अंकुशराव टोपे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत कितने निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) राज्य-वार यह लक्ष्य अब तक किस हद तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) 1995 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को साक्षर बनाया जायेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग). राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में पूरे देश में वर्ष 1997 तक 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ लोगों को अनिवार्य रूप से साक्षर बनाने के लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से साक्षर बनाए गए लोगों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए अलग से कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

### विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5457275 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 59612 |
| 3. | असम | 908861 |
| 4. | बिहार | 3279783 |
| 5. | गोवा | 71237 |
| 6. | गुजरात | 4232540 |
| 7. | हरियाणा | 185466 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 350668 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 163892 |
| 10. | कर्नाटक | 2731200 |
| 11. | केरल | 1560152 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 2621376 |
| 13. | महाराष्ट्र | 3964624 |
| 14. | मणिपुर | 67371 |
| 15. | मेघालय | 84225 |
| 16. | मिजोरम | 61919 |
| 17. | नागालैंड | 63123 |
| 18. | उड़ीसा | 1214471 |
| 19. | पंजाब | 319989 |
| 20. | राजस्थान | 1953002 |
| 21. | सिक्किम | 13604 |
| 22. | तमिलनाडु | 2946860 |
| 23. | त्रिपुरा | 81387 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 4469253 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 7481440 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 14492 |
| 27. | चंडीगढ़ | 40404 |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 7293 |
| 29. | दमन और द्वीव | 2991 |
| 30. | दिल्ली | 342633 |
| 31. | लक्षद्वीप | 986 |
| 32. | पांडिचेरी | 99965 |
| | | 44782919 |

## दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति

**2218. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं/गाड़ियों के पटरी से उतरने पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को रेलवे अनुग्रह राशि प्रदान करती है और क्षतिपूर्ति नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने तथा क्षतिपूर्ति देने का है जिस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के अंतर्गत यथापरिभाषित रेल दुर्घटनाओं या गाड़ियों के पटरी से उतरने पर हुई दुर्घटनाओं के कारण घायल होने वाले सदाशयी यात्रियों को अथवा जिनकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों को दुर्घटना के तुरंत बाद निर्धारित दरों पर अनुग्रह राशि और बाद में क्षतिपूर्ति दावों का भी भुगतान किया जाता है, जिसकी मात्रा रेल दावा अधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अंतर्गत कृषि सहकारी समितियों का कार्य-निष्पादन

**2219. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की नवम्बर, 1994 में हुई बैठक में कृषि सहकारी समितियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्य-कलापों में विस्तार करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में व्यापक संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की बैठक 16 नवम्बर, 1994 को हुई थी जिसमें इसकी 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखों को अंगीकार किया गया था। वार्षिक रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की गई है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लगी कृषि सहकारी समितियों को दी गयी सहायता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्रियाकलापों में विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में पशुधन, कुक्कुट आहार, औद्योगिक सामान तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलाप-क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित कुछ सेवायें शामिल हैं।

### विवरण

### कृषि सहकारी समितियों की प्रमुख क्रियाकलाप के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गयी सहायता

(लाख रु. में)

| क्र.स. | कार्य कलाप का प्रकार | दी गई वित्तीय सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
| 1. | पौधरोपण फसलें | 51.66 | 341.306 | 309.56 |
| 2. | सहकारी चीनी कारखानें | 7478.30 | 7273.41 | 8346.50 |
| 3. | तिलहन परिसंस्करण | 7097.91 | 1751.65 | 928.66 |
| 4. | खाद्यान्न परिसंस्करण | 16.54 | 133.68 | 66.29 |
| 5. | सहकारी कताई मिले | 9158.00 | 2578.43 | 1197.18 |
| 6. | उर्वरक वितरण | 481.20 | 70.90 | 180.35 |
| 7. | मात्स्यिकी | 6136.00 | 630.00 | 566.00 |
| 8. | डेरी व कुक्कुट पालन | 1310.95 | 568.82 | 3050.97 |
| 9. | समेकित सहकारी विकास परियोजना | 4486.37 | 1036.36 | 7136.34 |
| 10. | सहकारी भण्डारण | 2374.00 | 4054.00 | 876.00 |
| 11. | कृषि उत्पादों का विपणन व परिसंस्करण | 568.00 | 1759.00 | 1683.27 |
| 12. | सहकारी शीत भण्डार | 64.00 | 50.00 | 208.00 |
| 13. | फल एवं सब्जियों का विपणन व परिसंस्करण | 1239.12 | 539.98 | 768.52 |

### रेलगाड़ी शुरू करना

**2220. डा. राजागोपालन श्रीधरण : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूनवेली और बम्बई के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 95 की समय सारणी से तिरूनवेली-मदुरै के रास्ते नगरकोइल और बम्बई के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है।

**[हिन्दी]**

### गुड़ से नियंत्रण हटाना

**2221. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुड़ पर से नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक घोषणा कर देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) सरकार ने गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994 को पहले ही अर्थात 21 मार्च, 1995 को निरस्त कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

### मीठे जल की बड़ी झींगा मछली

**2222. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश एक्वाकल्चर, उड़ीसा और सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरिज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि मीठे जल की बड़ी मछली को कम कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे आस-पास के जल की गंदगी तेजी से कम होती है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उनकी अच्छी कीमत मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने हेतु मीठे जल की झींगा मछली के पालन के लिए पश्चिम बंगाल जैसे तटीय क्षेत्रों के लिए सरकार का कौन-सी योजना शुरू करने का विचार है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां। मीठा जल प्रान (झींगा) मैक्रो-ब्रेधियम रोजेनबर्गी के प्रजनन और संवर्धन के लिए केन्द्रीय मीठा जल मछली पालन संस्थान (सी.आई. एफ.ए.), भुवनेश्वर और अन्तर्स्थलीय मत्स्य प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.एफ.आर.आई.), बैरकपुर ने प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। कम्पोजिट संवर्धन तालाबों में प्रमुख भारतीय कार्प्स के साथ-साथ निम्न घनत्व अनुपात में मीठा जल प्रान (झींगा) का बीज डालने पर प्रान के लिए अतिरिक्त चारे की सामान्य मात्रा देने पर सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। बाजार में बेचने योग्य मीठा जल प्रान 5-6 माह में तैयार हो जाते हैं। मीठा जल प्रान का भारत से निर्यात भी किया जाता है।

(ख) मीठा जल प्रान मछली-पालन कार्यक्रमों को मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ.एफ.डी.ए.) के माध्यम से राज्यों द्वारा कार्यान्वित मीठा जल मत्स्य पालन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। मछुआरों को 5-10 मिलियन तक की क्षमता वाली हैचरी के लिए 50,000/- रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

**[हिन्दी]**

### चावल भरे ट्रकों का गायब होना

**2223. श्री एन.जे. राठवा : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावलों से भरे अनेक ट्रक गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए ट्रान्सपोर्टरों और अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) जी, नहीं। अभी तक गुजरात क्षेत्र से ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

### राजस्थान के विश्वविद्यालय

**2224. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई राशि का उद्देश्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के विस्तार के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनावधि के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान वर्ष दर वर्ष के आधार पर न देकर पूर्ण रूप से आवंटित करता है। पात्र विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अनुदान स्टाफ की भर्ती, पुस्तकें, पत्रिकाएं व उपकरण खरीदने तथा शैक्षिक भवनों व छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। आठवीं योजना-अवधि के लिए राजस्थान में विश्वविद्यालयों को आवंटित योजनागत अनुदानों की राशि निम्नलिखित है :-

| विश्वविद्यालय का नाम | आठवीं योजनावधि हेतु आवंटित अनुदान (रु. लाखों में) |
|---|---|
| 1. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय | 130.00 |
| 2. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय | 115.00 |
| 3. राजस्थान विश्वविद्यालय | 140.00 |
| 4. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय | 75.00 |

(ख) और (ग). राजस्थान में विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं अतः इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, यह उल्लेख है कि संस्थानों में संपूर्ण सुधार की आवश्यकता को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में मुख्य बल विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के समेकन व विस्तार पर दिया जाएगा।

**[अनुवाद]**

## शेड का निर्माण

**2225. श्री जायनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरदीघी स्टेशन पर प्लेटफार्म पर शेड के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग). 1994-95 के दौरान, 9.00 लाख रुपये की लागत पर सागरदीघी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म सायबान के कार्य को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

**[हिन्दी]**

## केन्द्रीय सहायता का वितरण

**2226. श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों में बांटने के लिए मध्य प्रदेश को हाल ही में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस केन्द्रीय सहायता के छोटे से भाग को छोटे और सीमान्त किसानों में वितरित किया गया है और शेष भाग राज्य सरकार के पास बिना उपयोग किया हुआ पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छोटे तथा सीमान्त किसानों में संपूर्ण केन्द्रीय सहायता वितरित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) छोटे और सीमांत किसानों के लिये बुनियादी ढांचे के विकास की योजना के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को 26.22 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 20.13 करोड़ रुपये |
| 1993-94 | 6.09 करोड़ रुपये |
| | 26.22 करोड़ रुपये |

इसके अलावा, इस राज्य में कृषि विकास के लिये अनेक अन्य योजनाएं लागू की जा रही हैं जिनके लिये छोटे और सीमांत किसानों हेतु सभी किसानों के लाभ हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, बागवानी और फसल विकास कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकार को लगभग 44. करोड़ रुपये दिये गये थे।

(ख) से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों के लिये बुनियादी ढांचे के विकास की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 20.13 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर ली है तथा 6.09 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। राज्य सरकार को जोर देकर यह बात कही जा रही है कि विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध किया गया धन पूरा इस्तेमाल करें और उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें।

[अनुवाद]

## डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति

**2227. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल में ब्रह्मपुत्र, कासरगोड़ और कालीकट में डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्रों की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें रखीं गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केरल के ब्रह्मपुरम, कसारकोड तथा कोजीकोड में डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्रों को विभिन्न शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति दी है। निर्धारित शर्तों में समुचित ऊंचाई की चिमनियां स्थापित करना, हरित पट्टी उगाना, आग और विस्फोटों जैसे विभिन्न खतरों के प्रति सुरक्षा उपाय अपनाना, द्रव बहिस्रावों का शोधन, विस्थापितों का पुनर्वास, गैसीय उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों तक सीमित रखना तथा इसी प्रकार की अन्य शर्तें, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान करती हैं, शामिल हैं।

## अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

**2228. श्री पी.सी. चाको : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) से (ग). जी, हां। प्रैस रिपोर्टों के अनुसार, यूनिफेम, पी.एच.डी., परिवार कल्याण फाऊंडेशन, महिला दक्षता समिति आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों ने महिलाओं में उनके बुनियादी अधिकारों और उनके समक्ष आने वाली जैण्डर आधारित समस्याओं के बारे में उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए दिल्ली में 8 मार्च, 1995 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सलाह दी थी कि वे 8 मार्च, 1995 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन महिला कल्याण एवं विकास से सम्बद्ध मुद्दों और विषयों को उजागर करने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके उपयुक्त तरीके से मनाएं। इस सम्बन्ध में विभाग में किसी स्वैच्छिक संगठन से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

## पर्यावरणीय तथा वानिकी परियोजनाएं

**2229. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित पंजाब में कुछ पर्यावरणीय तथा वानिकी विकास योजनाओं की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अब तक आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) निकट भविष्य में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग). वर्ष 1992-93, 1993-94, तथा 1994-95 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित पंजाब में चलाई जा रही पर्यावरणीय तथा वानिकी विकास परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

**विवरण**

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | मुख्य उद्देश्य | निधि की मात्रा | स्थिति | गत तीन वर्षों 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उपलब्धि वित्तीय | भौतिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास | राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास | 100% | जारी | 49.42 | 6 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। |
| 2. | पर्यावरण वाहिनी स्कीम | लोगों की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता सृजित करना | 100% | जारी | 3.56 | 4 पर्यावरण वाहनियां गठित की गईं। |
| 3. | औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद | औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद पैदा करना | 100% | जारी | 180.00 | 2200 है. कवर किया गया। |
| 4. | बीज विकास स्कीम | उत्तम बीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास | 100% | जारी | 26.15 | वित्तीय बंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित |
| 5. | समन्वित वनरोपण तथा पारिविकास परियोजना स्कीम | वनरोपण तथा पारिविकास को प्रोत्साहन देना | 100% | जारी | 212.23 | 740 है. कवर किया गया। |
| 6. | क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम | ईंधन की लकड़ी की कमी वाले अभिनिधारित जिलों में ईंधन की लकडी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना | 50% | जारी | 503.30 | 6465 है. कवर किया गया |
| 7. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य पर्यावरण विभाग को सुदृढ़ बनाना | 100% | जारी | 6.80 | वित्तीय बंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित |
| 8. | केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण | चिड़ियाघरों का दर्जा बढ़ाना | 100% | जारी | 32.96 | 2 चिड़ियाघरों को कवर किया गया। |
| 9. | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम | सतलुज नदी के प्रदूषण का उपशमन | 50% | सतलुज को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया। इस स्कीम को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। | | |
| 10. | राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आसपास पारिविकास | राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक जीविका मुहैया करना | 100% अनावर्ती 50% अनावर्ती | जारी | 13.52 | 3 राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए। |

**आमान परिवर्तन**

2230. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वैली, त्रिपुरा और मिजोरम को सीधी यात्री और माल गाड़ियों की सुविधा प्रदान करने के लिए बदरपुर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से लुम्बडिंग के बीच मीटर गेज रेल लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे।

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) गुवाहाटी-लमडिंग का पहले ही बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जा चुका है। कठिन भू-भाग को देखते हुए इसमें होने वाले भारी खर्च के कारण बदरपुर-गुवाहाटी लाइन का आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लमडिंग-जंक्शन पर यात्रियों और माल के लिए पर्याप्त यानांतरण सुविधाओं का सृजन किया गया है ताकि रेल उपयोगकर्ताओं को कम से कम असुविधा हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## पादप संगरोधन सुविधाएं

**2231. श्री पी. कुमारासामी :**
**श्री जे. चोक्का राव :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पादप संगरोधन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की किसी योजना को हाल ही में मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अधीन निम्नलिखित घटकों पर 46.00 लाख रुपये की रकम खर्च करने का प्रस्ताव है :—

(1) बंगलौर, मंगलौर, काकीनाडा, कांडला और जामनगर में 5 नए पादप संगरोध और धूम्रीकरण केन्द्रों की स्थापना।

(2) अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में पांच वृहत पादप संगरोध और धूम्रीकरण केन्द्रों की स्थापना।

(3) वर्तमान योजनाओं को जारी रखना।

## खाद्यान्नों का निर्यात

**2232. श्री हरिन पाठक :**
**श्री मोहन रावले :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणली के माध्यम से कम बिक्री की समस्या से निपटने हेतु खुले बाजार में कम मूल्य पर खाद्यान्न जारी करने तथा आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के निर्यात के रूप में राजसहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इससे होने वाली विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से बढ़ते हुए मूल्यों में कमी आएगी?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) और (ख). सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में अक्तूबर, 1993 से अप्रैल, 1995 तक 85 लाख मीटरी टन गेहूं और जनवरी, 1994 से सितम्बर, 1995 तक 15 लाख मीटरी टन चावल बेचने के लिए प्राधिकृत किया है। भारतीय खाद्य निगम माह दर माह आधार पर निर्धारित किए गए मूल्यों पर खुली बिक्री जारी रखे हुए है। ये मूल्य सामान्यतया आर्थिक लागत से कम होते हैं। 20 मार्च, 1995 तक खुले बाजार में लगभग 73.27 लाख मीटरी टन गेहूं और 3.95 लाख मीटरी टन चावल बेचा जा चुका है।

भारतीय खाद्य निगम को 1994-95 के दौरान खुले बाजार में से निर्यात के लिए निर्धारित की गई 5 लाख मीटरी टन की निर्यात सीमा के अन्दर अपने स्टाक से गैर-डुरुम गेहूं निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजन के लिए खुले बाजार के मूल्यों अथवा उनसे अधिक मूल्यों पर अपने स्टाक से गेहूं और चावल (बढ़िया और उत्तम किस्म) बेचने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

(ग) से (च). फिलहाल खाद्यान्नों के निर्यात पर सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निर्यातक, खुले बाजार से अथवा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न खरीदने और इसका निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

## उचित दर की दुकानें

**2233. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कितनी उचित दर की दुकानें खोली गई तथा कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुपात में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में समाज के अपेक्षाकृत अधिक गरीब वर्गों के लोगो को और अधिक रियायाती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 28.2.95 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए क्षेत्रों में प्रस्तावित 10,580 अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने के लक्ष्य के मुकाबले, 14,109

उचित दर दुकानें खोली गई हैं। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणली क्षेत्रों में जारी करने हेतु प्रस्तावित 26.76 लाख राशन कार्डों के लक्ष्य के मुकाबले 28-2-95 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 35.87 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण हेतु अभिप्रेत खाद्यान्न विशेष राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी करती है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रुपए प्रति क्विंटल कम होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अंतिम खुदरा मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति किलोग्राम 25 पैसे से अधिक नहीं होने चाहिए। ये उपाय सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के एक बड़े भाग पहुंचाने के प्रयोजन से किए गए हैं।

## आगरा को वाया फतेहाबाद और उद्दीमोड़ से रेल द्वार जोड़ा जाना

**2234. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को फतेहाबाद और उद्दीमोड़ होकर आगरा से जोड़ने की कोई परियोजना थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को छोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना को पुनः शुरू करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उक्त परियोजना को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पुनः आरम्भ किया जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च). फतेहाबाद-बाह-उदी के रास्ते आगरा से इटावा तक एक बड़ी लाइन बिछाने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य इस समय प्रगति पर है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट इस वर्ष में प्राप्त हो जाने की आशा है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

## खाद्य तेल का आयात

**2235. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री तारा सिंह :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1995-96 के लिए खाद्य तेल का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना आयात किया जाएगा;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने वर्ष 1994-95 में आयात के लिए स्वीकृत 30000 टन तेल का उतार लेने का भी निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का विचार इस आयातित तेल को बेच देने का है;

(च) यदि हां, तो उसे बाजार में कब तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है; और

(छ) तेल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए यह किस हद तक सहायक होगा?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) फरवरी, 1995 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20 प्रतिशत की रियायती दर पर यथा शीघ्र 1.5 लाख मीटरी टन खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी जिसमें नारियल तेल, पाम गिरी का तेल, आर.बी.डी. पाम आयल, आर.बी.डी. पाम स्टीरिन शामिल नहीं थे। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाना था।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अनुमत्य खाद्य तेलों को पूरी मात्रा में आयात करने का प्रयास करेगा। अभी तक 34,000 मीटरी टन खाद्य तेल, जिसमें 10,000 मीटरी टन बिनौले का तेल और 24,000 मीटरी टन पामोलीन हैं, के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुबन्ध किया है।

इस पर होने वाला कुल व्यय खाद्य तेलों वास्तविक आयात और अनुबन्ध के समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, अनुमत्य मात्रा पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च). 1994-95 में आयात के लिए अनुमत्य 1.5 लाख मीटरी टन में से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 80582 मीटरी टन खाद्य तेल पहले ही प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड थोक बाजार में खाद्य तेलों की लगातार थोक बिक्री कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अब तक लगभग 60,000 मीटरी टन आयातित खाद्य तेल की बिक्री कर चुका है।

(छ) खाद्य तेलों की मौजूदा बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति दी गयी थी। चार प्रकार के खाद्य तेलों यथा नारियल तेल, आर.बी.डी. पाम आयल, पाम गिरी तेल, आर.बी.डी. पाम स्टीरियन को छोड़कर सभी खाद्य तेलों पर 30 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय से यह आशा की जाती है कि कीमतों में हो रही वर्तमान वृद्धि पर अंकुश लगेगा।

## भीमडोले के निकट दुर्घटना

**2236. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयुक्त ने आन्ध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में भीमडोले के निकट गोदावरी एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य क्षेत्र, सिकंदराबाद ने दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा-राजामुंद्री खंड के भीमडोलु स्टेशन के निकट 8.2.95 को हुई 7008 हैदराबाद-विशाखापत्तनम गोदावरी एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना की दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद सांविधिक जांच की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

## दक्षिण-मध्य रेलों का कार्य-निष्पादन

**2237. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलों के महाप्रबंधक ने उपयोगकर्ता सुविधाओं, नई गड़ियों और गेज परिवर्तन के क्षेत्रों में दक्षिण मध्य रेलों के कार्य-निष्पादन के बारे में अपनी राय तथा मूल्यांकन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का विवरण क्या है;

(ग) क्या रेलवे को उनके कार्यान्वयन के लिए बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). लदान, संरक्षा निष्पादन, 1994-95 के दौरान चलाई गई नई गाड़ियों के चालन में विस्तार आमान परिवर्तन गतिविधियों, मार्गों के विद्युतीकरण आदि जैसी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बैठकों के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य के दक्षिण मध्य रेलवे के कार्य निष्पादन के बारे में एक संक्षेप प्रस्तुत किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिए गए सुझावों की जांच की गई है और जहां व्यावहारिक थी, उन्हें कार्यान्वित किया गया है/किया जा रहा है।

## खाद्य तेल का आयात

**2238. श्रीमती भावना चिखलिया :**
**श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
**श्री तारा सिंह :**

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्य तेल का आयात किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और एजेन्सीवार खाद्य तेल की कितनी मात्रा उपहार स्वरूप मिली या आयात की गयी तथा इसका मूल्य कितना था;

(घ) तेल का आयात किन-किन देशों से किया गया या भेंट के रूप में तेल किन-किन देशों से मिला;

(ङ) क्या देश में खाद्य तेल का उत्पादन यथेष्ट है;

(च) यदि हां, तो तेल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश में तेल का उत्पादन और खपत कितनी थी तथा तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.07 लाख मी.टन आर.बी.डी. पामोलीन का आयात किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों का और आयात 1995-96 के दौरान किया जाएगा।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा मेलेशिया/इन्डोनेशिया से आयात किए गए खाद्य तेलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वित्तीय वर्ष | मात्रा (मी. टन में) | कीमत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1992-93 | 76,870* | 39.44 |
| 1993-94 | 78,965* | 51.04 |
| 1994-95 | 1,07,013 | 188.94 |

* इसमें वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान यू.एस. एड के तहत प्राप्त सोयाबीन तेल की क्रमशः 47,000 मी. टन और 37,000 मी. टन मात्रा शामिल है।

(ङ) से (छ). खाद्य तेलों की कुल मांग और सभी देशीय स्रोतों से उनकी निवल उपलभ्यता के बीच इस समय लगभग पांच से छः लाख मी. टन का अन्तर है।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सरकार ने 1986 में खाद्य तिलहनें और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की थी। प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों का उत्पादन और मांग निम्नवत है। गत तीन वर्षों के दौरान किया गया आयात पहले ही ऊपर भाग (ग) तथा (घ). के उत्तर में सूचित कर दिया गया है।

(मात्रा लाख मी. टन में)

| तेल-वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) | खाद्य तेलों का उत्पादन | खाद्य तेलों की मांग |
|---|---|---|
| 1992-93 | 61.00 | 65.59 |
| 1993-94* | 61.70 | 67.20 |
| 1994-95** | 64.00 | 69.80 |

* अनुमानित

** संभावित

## दिल्ली से रेलगाड़ियां

**2239. श्री अन्ना जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज की सभी रेलगाड़ियां दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से नहीं चलती है और न ही यहां समाप्त होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) और (ख). दिल्ली जंक्शन से अब मीटर लाइन की कोई गाड़ी शुरू/समाप्त नहीं होती है क्योंकि दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली जंक्शन के बीच के खंड की बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।

## व्यावसायिक पाठ्यक्रम

**2240. डा. सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को स्नातक डिग्री स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी सहायता राशि जारी की जायेगी; और

(ग) व्यावसायिक शिक्षा की इस वर्तमान योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994-95 से प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्यक्रम आरंभ किया है। आयोग ने 1995-96 से विद्यमान बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में व्यावसायिक विषय आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों व कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। जो प्रस्ताव 31.1.95 तक प्राप्त हुए थे, विचाराधीन हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थानों का अंतिम चयन मई, 1995 तक होने की आशा है।

(ख) 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 26.00 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। इन विषयों को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध है :—

1. विश्वविद्यालय के मामले में विज्ञान, इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी आधारित विषयों हेतु 7.00 लाख रुपये (अनावर्ती) तथा 2.00 लाख रु. (आवर्ती) तथा कालेज के मामले में 15.00 लाख रु.।
2. दो से तीन विषयों तक 15.00 लाख रु. की सीमा के साथ कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान आधारित विषयों हेतु 2.00 लाख रु. (अनावर्ती) तथा 1.00 लाख रु. (आवर्ती)।
3. विश्वविद्यालय के मामले में (5 विषयों के लिए) कुल सीमा 27.00 लाख रु. तथा कालेज के मामले में दो-तीन विषयों के लिए 15.00 लाख रु. निर्धारित की गई है।

प्रत्येक संस्था को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थायी समिति के परामर्श से पात्र संस्थाओं का पता लगाने के पश्चात् किया जाएगा।

(ग) 1995-96 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं में आरंभ किए जाने वाले संस्तुत व्यावसायिक विषयों की कुल संख्या पर निर्भर होगी।

[हिन्दी]

## मथुरा रेलवे स्टेशन

**2241. डा. साक्षीजी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मथुरा रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (घ). यद्यपि, मथुरा रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना नहीं है। तथापि, स्टेशन इमारत में व्यापक सुधार से संबंधित कार्यों को 131.91 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है जिसके लिए 1994-95 में 34.85 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। इन कार्यों को अंतरिम रूप से 1995-96 में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

## लघु वन उत्पाद में वृद्धि

**2242. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु वन उत्पादों को बढ़ाने के लिए कोई केन्द्र प्रयोजित योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी प्रगति हुई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, हां।

(ख) औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज की शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम राज्य वन विभागों द्वारा 1988-89 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य अवक्रमित वन भूमि तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का सुधार करके औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज के उत्पादन में वृद्धि करना है।

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा प्राप्त उपलब्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

वित्तीयः दी गई केन्द्रीय सहायता
लाख रुपए में (के.स.)
वास्तविकः सम्मिलित क्षेत्र हे. में

| क्र.सं. | राज्य/सं. शा. क्षेत्र | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दी गई के.स. | वास्तविक उपलब्धि | दी गई के.स. | वास्तविक उपलब्धि | 30.3.95 तक दी गई के.स. | वास्तविक लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 72.030 | 1605.000 | 30.000 | 1052.000 | 45.240. | 900.000 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 9.940 | 197.000 | 19.000 | 397.000 | 26.000 | 800.000 |
| 3. | असम | 13.970 | 462.000 | 7.000 | 612.000 | 11.200 | — |
| 4. | बिहार | 43.000 | | 120.000 | 4500.000 | 25.000 | — |
| 5. | गोवा | 2.125 | 50.000 | 7.000 | 145.000 | 1.000 | 155.000 |
| 6. | गुजरात | 47.690 | 874.000 | 103.000 | 1087.000 | 130.500 | 2400.000 |
| 7. | हरियाणा | 32.000 | 640.000 | 33.500 | 970.000 | 147.500 | 1000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 22.500 | 1100.000 | 59.710 | 1100.000 | 183.250 | 3100.000 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 10.750 | 6.000 | 16.000 | 103.000 | 30.000 | 2730.000 |
| 10. | कर्नाटक | 22.790 | 1247.000 | 15.585 | 13.000 | 20.000 | 505.000 |
| 11. | केरल | | | | | | 815.000 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 42.540 | 1609.000 | 77.290 | 1846.000 | 23.870 | 1500.000 |
| 13. | महाराष्ट्र | 27.300 | 325.000 | 30.000 | 154.000 | 26.590 | 824.000 |
| 14. | मणिपुर | 32.500 | 2457.090 | 10.000 | 600.000 | — | — |
| 15. | मेघालय | 56.770 | | 111.370 | 3724.000 | 31.570 | 1234.000 |
| 16. | मिजोरम | 26.500 | 550.000 | 37.600 | 970.000 | 31.690 | 970.000 |
| 17. | नागालैंड | 16.000 | | | 875.000 | — | 300.000 |
| 18. | उड़ीसा | 74.060 | 1700.000 | 144.000 | 1450.000 | 80.000 | 5650.000 |
| 19. | पंजाब | 65.000 | 1100.000 | 52.000 | 1100.000 | 63.000 | 1100.000 |
| 20. | राजस्थान | 18.110 | | 43.000 | 1450.000 | 10.000 | — |
| 21. | सिक्किम | 36.250 | 400.000 | 70.000 | 1300.000 | 25.000 | 1050.000 |
| 22. | तमिलनाडु | 26.230 | 635.000 | 24.310 | 713.000 | 20.000 | 600.000 |
| 23. | त्रिपुरा | 12.740 | 250.000 | 15.530 | 203.000 | 5.000 | 250.000 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | | | 1.533 | | 7.467 | — |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 61.510 | 1195.000 | 54.940 | 1494.000 | 34.000 | 1850.000 |
| | योग | 772.305 | 16402.000 | 1082.368 | 25858.000 | 977.877 | 27742.000 |

[हिन्दी]

### बाल कल्याण योजनाएं

**2243. श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संगठनों द्वारा क्रियान्वित की गई बाल कल्याण योजनाओं से राज्य-वार कितने बच्चे लाभान्वित हुए;

(ख) क्या इन संगठनों के कार्यकरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) :** (क) देश में बाल विकास हेतु सरकार की जिन कुछ प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जाती है, उनमें किशोर बालिका स्कीम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्रों सहित समेकित बाल विकास सेवा स्कीम शामिल है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत लगभग 2.15 करोड़ लाभप्राप्तकर्ताओं, जिनमें 1.76 करोड़ स्कूल पूर्व बच्चे और 0.39 करोड़ माताएं शामिल हैं, को इन दिनों लाभ प्राप्त हो रहा है। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्रों के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 2.29 लाख बच्चों को सेवाएं प्राप्त हो रही हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या 1.53 लाख है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में एक नियमित प्रबोधन प्रणाली कार्यरत है और किसी संगठन के कार्यकरण में, यदि कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो उस संगठन के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है, जिसमें अनुदान बन्द करना एवं ब्लैक लिस्ट करना आदि शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

### रेल लाइनें

**2244. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नई रेल लाइनों बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). केरल में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किए गए और चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| विगत में किए गए सर्वेक्षण विषय | वर्ष | लंबाई (कि.मी.) | लागत (करोड़ रु. में) | प्रतिफल की दर | लिए गए निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. गुरूवायूर-कुट्टीपुरम | 1981 | 55 | 13.99 | 13.90 | कार्य को 95-96 के बजट में शामिल किया गया |
| 2. मदुरै-बोदिना-सक्कानूर आमान परिवर्तन और कोचीन हार्बर तक विस्तार | 1986 | 218 | 115.41 | 0.83 | परियोजना स्थगित |
| 3. कायनकुलम-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल बरास्ता कोट्टरकारा, नेदुमंगाड | 1987 | 128 | 115.24 | -7.94 | परियोजना स्थगित |

| | |
|---|---|
| **1. चालू सर्वेक्षण** | सर्वेक्षणों के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। |
| 1. फैरोक-नीलाम्बूर बरास्ता मावूर और मंजेरी | |
| 2. मैसूर-तेल्लिचेरी | |
| 3. एरूमेलि से अंगमालि तक शाखा लाइन पुनलूर से त्रिवेन्द्रम सेंट्रल तक विस्तार सहित कोट्टयम-पुनलूर बरास्ता एरूमेली और साबरी | |
| 4. तिरूर-गुरूवायूर | |
| 5. सबरीमला-डिण्डीगुल | |
| **1995-96 के बजट में शामिल किए गए नए सर्वेक्षण** | |
| 1. तकाजी-तिरूवल्ला- फतनमतिट्टा | |

## राष्ट्रीय खाद्य नीति

**2245. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री येल्लैया नंदी :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के लिए एक व्यापक खाद्य नीति तैयार करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में एक राष्ट्रीय खाद्य नीति की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख). सरकार की मौजूदा खाद्य प्रबंध नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसमें समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली, संग्रह, संचलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इन खाद्यान्नों का वितरण, बफर स्टाक बनाना और इसका रख-रखाव आदि शामिल है। इस नीति से उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना तो सुनिश्चित हुआ ही है, साथ ही साथ इससे बीते वर्षों में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति करना भी सुनिश्चित हुआ है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

(ग) . जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय खेल प्राधिकरण**

**2246. श्री वी. कृष्णा राव :**
**प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
**श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
**श्री के.जी. शिवप्पा :**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका और प्रभाविता की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : (क) जी, नहीं। फिर भी, टाटा परामर्शदात्री सेवाओं ने सरकार के निर्देशों पर भारतीय खेल प्राधिकरण की मुख्य योजनाओं की समीक्षा की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी**

**2247. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी गोदामों के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रबंधन और स्टाफ के बीच क्या समझौता हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके बीच हुए समझौते को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, नहीं। उन 8 डिपुओं में से, जहां कामगारों ने भारतीय खाद्य निगम कामगार संघ के आह्वान पर कार्य बन्द कर दिया था और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे भुगतान और नियमित किए जाने की मांग की थी, अभी तक केवल तीन डिपुओं नामतः कोचीन, अल्लेप्पी और मवेलीकारा के कामगार, श्रम सहकारी सोसाइटी प्रणाली के अधीन अपने काम पर लौट कर आए हैं।

(ख) और (ग). क्योंकि ये डिपो श्रम सहकारी सोसाइटी प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे थे और यहां कामगारों और भारतीय खाद्य निगम प्रबन्ध के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद नहीं थे, इसलिए इन दोनों के बीच कोई समझौता होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तथापि, आशा है कि अन्य डिपुओं के कामगार भी श्रम सहकारी सोसाइटी प्रणाली के अधीन निगम द्वारा प्रोत्साहनों और रियायतों के रूप में मिलने वाले लाभों को देखते हुए अपने-अपने काम पर लौट आएंगे।

**प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम**

**2248. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रौढ़ शिक्षा पर संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस उद्देश्य से लगाए गए या सहायता प्रदत्त केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी किए गए अनुदान में से खर्च की गई राशि निम्नवत है :—

| वर्ष | किया गया व्यय (रु. लाखों में) |
|---|---|
| 1991-92 | 5.31 |
| 1992-93 | 15.22 |
| 1993-94 | 17.98 |

(ख) केन्द्र आधारित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम को 1.4.91 से बन्द कर दिया गया था। 6-35 आयु-वर्ग के 52,000 निरक्षरों को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ को अक्तूबर, 92 में पूर्ण साक्षरता अभियान अनुमोदित किया गया था। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर नामांकित किए गए 38,000 शिक्षुओं में से 30,113 शिक्षुओं ने तीनों प्राइमरों को पूरा कर लिया है।

**[हिन्दी]**

**रेलवे हाल्टों का निर्माण**

**2249. डा. लाल बहादुर रावल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे हाल्टों का निर्माण किया गया और 1995-96 के दौरान कितने रेलवे हाल्ट, कहां-कहां बनाये जायेंगे;

(ख) किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) प्रस्तावित हाल्टों का निर्माण-कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में दो हाल्ट खोलने का विचार किया गया है। जबकि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल पर रामपुर और

हल्दवानी स्टेशनों के बीच कौशलगंज पर एक हाल्ट स्टेशन 6.5.94 से खोल दिया गया है। उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-टूंडला खंड पर चोला और सिकंदरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच खानपुर गांव के निकट जी जी हट पर एक अन्य हाल्ट का निर्माण कार्य 31.3.95 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 1995-96 के दौरान नए हाल्ट खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### "केयर" की सहायता

**2250. श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों के "केयर" (कोआर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरी वेयर) योजना के अन्तर्गत राज्यों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में उपरोक्त योजना को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (घ).** सूचना/जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

### विश्व बैंक सहायता

**2251. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता से पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क)** उड़ीसा सरकार ने 1984-85 से 1992-93 तक चली राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की थी। इस परियोजना की कुल लागत 196.995 मिलियन रुपये थी। इस परियोजना के तहत प्राप्त होने वाली सहायता प्रत्यक्ष न होकर प्रतिपूर्ति के आधार पर थी। पिछले तीन वर्षों सहित परियोजनावधि के अंत में विश्व बैंक के ऋण की कुल वितरित धनराशि 132.982 मिलियन रुपये थी।

(ख) इस परियोजना में इन्क्रीमेंटल (वर्धमान) कर्मचारियों, भवन निर्माण कार्यों, वाहनों और उपकरणों की अधिप्राप्ति, विभिन्न स्तरों पर विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाने की व्यवस्था की गई थी। विगत तीन वर्षों सहित परियोजना अवधि के अंत तक के लिये इन घटकों के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ). अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों, पोषक तत्वों संबंधी प्रबन्ध, वर्षा, सिंचाई सुविधाओं, ऋण आदि के साथ-साथ विस्तार सेवा भी कृषि उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आदान है। विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में प्रमुख फसलों के सकल उत्पादन आंकड़ों में बढ़ोत्तरी का रूख दिखाई दिया है जैसा कि विवरण-II में दर्शाया गया है।

### विवरण-I

### किये गये काम का ब्यौरा

| क्र.सं. | परियोजना घटक | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | वर्धमान कर्मचारी | 321 | 269 |
| 2. | भवन निर्माण | 3547 | 670 |
| 3. | वाहन | 1090 | 649 |
| 4. | प्रशिक्षण | | |
| | —व्यक्ति | 11365 | 1567 |
| | —पाठ्यक्रम | 4612 | 6778 |

*स्रोत : परियोजना संपूर्ण रिपोर्ट

### विवरण-II

### प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

| क्र.सं. | फसल | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | धान | 210 | 176 | 223 |
| 2. | अन्य अनाज | 75 | 77 | 77 |
| 3. | दलहन | 119 | 125 | 119 |
| 4. | तिलहन | 142 | 155 | 156 |

स्रोत : परियोजना संपूर्ण रिपोर्ट

[हिन्दी]

## आलू का उत्पादन

**2252. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू का वार्षिक उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो देश में आलू का कुल वार्षिक उत्पादन/खपत कितनी है;

(ग) क्या खेती के लिए आलू की नई किस्में विकसित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आलू के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी हां,

(ख) 1993-94 को समाप्त होने वाले त्रिवर्षी के दौरान देश में आलू का औसत वार्षिक उत्पादन 165.5 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। 1992-93 में 5.74 लाख मीटरी टन आलू का निर्यात किया गया था।

(ग) जी हां,

(घ) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने आलू की 27 किस्मों का विकास/निर्मुक्ति किया है। इसके अलावा, हाल में आलू की चार किस्मों यथा जे.एच. 222, जे.आई.5857, पी.जे. 376 और जे. ई. एक्स/सी. 166 का विकास किया गया है और अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना के तहत इन्हें जारी किये जाने की सिफारिश की गयी है।

(ङ) भारत सरकार 2.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल तथा कंद फसलों के विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत आलू के विशुद्ध बीजों (टी.पी.एस.) का उत्पादन करने के लिए 3 मुख्य तथा 7 जैव केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ताकि देश में टी.पी.एस. आलू के विशुद्ध बीजों की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाया जा स.के तथा देश में आलू के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

[अनुवाद]

## उर्दू अकादमी

**2253. कुमारी ममता बनर्जी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-1994 के दौरान देश में कितनी उर्दू अकादमियां स्थापित की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से उर्दू भाषी क्षेत्रों में और उर्दू अकादमियां स्थापित करने का है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). देश में विभिन्न उर्दू अकादमियों में से कोई भी 1992-94 के दौरान स्थापित नहीं की गई है। उर्दू अकादमियां राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाती हैं।

## राष्ट्रीय खेल

**2254. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 के दौरान राष्ट्रीय खेल, 1996 कर्नाटक में बंगलौर और मैसूर में आयोजित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इन खेलों के आयोजन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकार कितनी-कितनी राशि वहन करेंगी;

(घ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र ने अब तक कितनी राशि जारी की है; और

(ङ) बंगलौर और मैसूर में वर्तमान स्टेडियमों का विकास करने और नए स्टेडियमों का निर्माण करने हेतु कितनी राशि मंजूर की जाएगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). राष्ट्रीय खेल, 1996 की मेजबानी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इस विभाग को अभी तक राष्ट्रीय खेल, 1996 के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.), आयोजन समिति अथवा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

## बीजों की आपूर्ति

**2255. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों को दलहनों के अच्छी किस्म के बीज के रूप में कितनी सहायता प्रदान की गई है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्णकुमार) :** एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन पी डी पी) के अंतर्गत बीज घटक के लिए किया गया केन्द्रीय आवंटन**

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 74.00 | 77.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.70 | 2.50 |
| 3. | असम | 9.00 | 10.00 |
| 4. | बिहार | 95.00 | 108.00 |
| 5. | गोवा | 1.70 | 2.00 |
| 6. | गुजरात | 51.00 | 62.00 |
| 7. | हरियाणा | 43.00 | 54.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 8.00 | 9.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 4.00 | 6.00 |
| 10. | कर्नाटक | 75.00 | 22.00 |
| 11. | केरल | 2.50 | 4.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 224.00 | 285.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 130.00 | 170.00 |
| 14. | मणिपुर | 3.00 | 4.00 |
| 15. | मेघालय | 3.00 | 4.00 |
| 16. | नागालैंड | 2.00 | 8.00 |
| 17. | उड़ीसा | 53.00 | 66.00 |
| 18. | पंजाब | 15.50 | 17.00 |
| 19. | राजस्थान | 140.00 | 186.00 |
| 20. | सिक्किम | 4.00 | 7.00 |
| 21. | तमिलनाडु | 62.00 | 80.00 |
| 22. | त्रिपुरा | 3.00 | 4.00 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 200.00 | 230.00 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 20.00 | 20.00 |
| 25. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 1.20 | 1.20 |
| 26. | दिल्ली | 0.50 | 0.50 |
| | योग | 1226.1 | 1499.20 |

**[अनुवाद]**

**स्टालों का आवंटन**

**2256. श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रति प्लेट फार्म/ स्टेशन पर स्टाल लगाने की अनुमति देने हेतु कतिपय मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिमी रेलवे के स्थानीय क्षेत्र के सभी स्टेशनों औ मध्य रेलवे के मुम्बई में इन मानदंडों का अनुपालन किया गया है; औ

(घ) यदि नहीं, तो कितने स्टेशनों में स्टाल के मामले वांछित मानदंडों का अतिक्रमण हुआ और इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) से (ग) प्लेटफार्मों/स्टेशनों पर आवंटित किए जाने वाले स्टालों की संख्य सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा और स्टेशनों प खान-पान सुविधाओं की मांग पर निर्भर करती है। स्थिति क आवधिक समीक्षा की जाती है और यातायात की मात्रा के आधार प सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं जो प्रत्येक स्टेशन प भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**व्यावसायिक शिक्षा**

**2257. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं को व्यावसायिक शिक्ष प्रदान करने हेतु कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक महिलाओं के लिए मुख्य रूप कौन-कौन सी व्यावसायिक शिक्षा योजनाएं चलाई गई हैं और प्रयोजनार्थ सरकार ने राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृ विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से माध्यमि शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना फरव 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चुनि स्कूलों में जमा दो (+2) स्तर पर लड़के तथा लड़कियों दोनों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्ग राज्यों/संघ राज्यों को 1987-88 से संलग्न विवरण में यथानिर्दि अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

## विवरण

## माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

अनुदान की राशि (रु. लाखों में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1987-88 | 1988-89 | 1989-1990 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 562.63 | 730.32 | 177.06 | 886.85 | 1010.235 | 1584.915 | 640.58 | 5592.59 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | 6.355 | — | — | 6.355 |
| 3. | असम | 30.10 | 82.61 | — | 42.62 | 140.28 | 100.246 | 291.54 | 687.396 |
| 4. | बिहार | 136.09 | — | 7.41 | 558.611 | 0.75 | — | 438.51 | 1111.371 |
| 5. | गोवा | 68.53 | 28.47 | 64.59 | 80.630 | 49.65 | 92.562 | 56.93 | 441.362, |
| 6. | गुजरात | — | 236.64 | 1173.31 | 778.031 | 879.375 | 1070.736 | 781.73 | 4919.822 |
| 7. | हरियाणा | 276.12 | 353.04 | 129.87 | 184.83 | 155.00 | 131.44 | 228.18 | 1458.49 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 30.90 | 1.86 | 98.06 | 177.475 | 56.858 | 59.417 | — | 424.57 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | — | — | — | 16.50 | 15.80 | — | 22.55 | 54.85 |
| 10. | कर्नाटक | 93.00 | 244.70 | 49.21 | 156.80 | 324.996 | 727.470 | 1012.695 | 2608.871 |
| 11. | केरल | — | 226.42 | 223.44 | 353.23 | 346.899 | 410.778 | 352.40 | 1913.167 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 57.16 | 745.00 | 1121.48 | 1221.42 | 3.00 | — | — | 3148.06 |
| 13. | महाराष्ट्र | 495.90 | 469.66 | 509.38 | 267.205 | 1230.25 | 2195.333 | 2035.74 | 7203.468 |
| 14. | मणिपुर | — | 11.68 | — | — | 44.00 | 7.183 | 7.40 | 70.263 |
| 15. | मेघालय | — | — | — | 20.75 | — | — | — | 20.75 |
| 16. | मिजोरम | 21.42 | 7.12 | — | 16.68 | — | 24.883 | 21.924 | 92.027 |
| 17. | नागालैंड | 8.00 | — | — | 14.84 | — | — | 1.40 | 24.24 |
| 18. | उड़ीसा | 156.49 | 600.00 | 83.72 | 510.40 | — | 1.22 | 650.00 | 2001.83 |
| 19. | पंजाब | 211.59 | — | 50.25 | 371.71 | 222.25 | 320.62 | 253.74 | 1430.16 |
| 20. | राजस्थान | 58.34 | 159.22 | 72.35 | 561.543 | 323.56 | 340.395 | 385.19 | 1900.59 |
| 21. | सिक्किम | — | — | — | 5.325 | 0.044 | 5.32 | 7.15 | 17.839 |
| 22. | तमिलनाडु | 112.56 | 225.00 | 358.11 | 279.558 | 727.90 | — | 700.16 | 2403.288 |
| 23. | त्रिपुरा | — | — | — | — | — | — | 4.13 | 4.13 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 829.88 | 800.00 | 203.69 | 707.25 | 99.147 | 581.39 | 258.42 | 3479.777 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 40.69 | — | — | — | — | — | — | 40.69 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वी.स. | — | — | *3.24 | 3.238 | — | — | — | 6.478 |
| 27. | चंडीगढ़ | — | *42.70 | 42.70 | 12.34 | 20.77 | 8.65 | 22.77 | 149.93 |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | — | — | — | — | — | 5.25 | 2.79 | 8.04 |
| 29. | दमन और दीव | — | — | — | — | — | — | 3.09 | 3.09 |
| 30. | दिल्ली | *36.52 | — | 4.18 | *42.86 | 0.30 | *46.38 | 105.00 | 235.24 |
| 31. | लक्षद्वीप | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32. | पांडिचेरी | — | — | — | 16.63 | — | — | 17.44 | 34.07 |
| | योग | 3225.92 | 4964.44 | 4372.05 | 7287.326 | 5657.419 | 7714.188 | 8271.469 | 41492.812 |

*दावा नहीं किया

## खाद्यान्न भण्डार

**2258. श्री सुधीर गिरि :**
**प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
**श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूं और चावल का कितना बफर स्टाक और कितना चालू स्टाक तय किया गया है;

(ख) 1994 के अंत तक कुल कितना खाद्यान्न भंडार था;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान स्टाक की स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्टाक का वर्तमान स्तर कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) 1994 में और मार्च, 1995 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बफर स्टाक से कितना खाद्यान्न जारी किया गया है;

(छ) क्या देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी आई है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) बफर स्टाक संबंधी नीति के अंतर्गत गेहूं और चावल के बफर और प्रचालन स्टाक की मात्रा निम्न प्रकार से है :—

(मिलियन मीटरी टन में)

| तारीख | गेहूं | चावल | जोड़ |
|---|---|---|---|
| पहली अप्रैल | 3.7 | 10.8 | 14.5 |
| पहली जुलाई | 13.1 | 9.2 | 22.3 |
| पहली अक्तूबर | 10.6 | 6.0 | 16.6 |
| पहली जनवरी | 7.7 | 7.7 | 15.4 |

(ख) वर्ष, 1994 के अन्त में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का 30.30 मिलियन मीटरी टन स्टाक होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) केन्द्रीय पूल में एक मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों के कुल स्टाक का जो अनुमान लगाया गया है, वह निम्न प्रकार से है :—

(मिलियन मीटरी टन)

| | अनन्तिम |
|---|---|
| चावल | 18.50 |
| गेहूं | 10.17 |
| मोटे अनाज | नगण्य |
| जोड़ | 28.67 |

नगण्य : 5000 मीटरी टन से कम

(घ) और (ङ). जी, हां। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का मौजूदा स्टाक, बफर स्टाक के अधीन निर्धारित स्टाक के मानदण्डों से कहीं अधिक है और इसलिए सरकार का प्रस्ताव है कि स्टाक के वर्तमान स्तर को कम किया जाए।

(च) 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार और अन्य कल्याण उपायों के लिए 53.24 लाख मीटरी टन गेहूं और 81.06 लाख मीटरी टन चावल की मात्रा रिलीज की गई थी।

फरवरी, 1995 तक 10.90 लाख मीटरी टन गेहूं और 14.03 लाख मीटरी टन चावल की मात्रा रिलीज की गई थी।

(छ) और (ज). पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बहुत कम उतार-चढ़ाव हुआ है। 1991, 1992, 1993 और 1994 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 510 ग्राम प्रतिदिन, 468.5 ग्राम प्रतिदिन, 463.0 ग्राम प्रतिदिन और 463.8 ग्राम प्रतिदिन थी।

## खाद्यान्नों का आयात

**2259. श्री राम विलास पासवान** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग पूरा करने के लिए कितने खाद्यान्न के आयात की अनुमानित आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले पांच वर्षों या ऐसी ही अवधि के लिए आयात का वर्ष-वार अनुमान किया गया है, तो वह कितना है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) सरकार अपने पास उपलब्ध स्टाक की स्थिति की समीक्षा करती रहती है और यदि आवश्यक समझती है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने और खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के प्रयोजन से खाद्यान्नों को आयात करने संबंधी निर्णय भी लेती है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्थिति अच्छी बनी हुई है और खाद्यान्नों के स्टाक, बफर स्टाक संबंधी मानदण्डों के अनुरूप रखे जाने वाले न्यूनतम स्टाक स्तर से कहीं अधिक है। अतः फिलहाल अथवा निकट भविष्य में खाद्यान्नों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## दालों का आयात

**2260. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कुल कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया और 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया जाएगा;

(ग) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार दालों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) स (ग). जी, हां। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और इनका मूल्य नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | मात्रा (लाख मीटरी टन में) | मूल्य (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1992-93 | 3.82 | 33437 |
| 1993-94 | 6.27 | 56736 |
| 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94) | 4.39 | 43536 |

(घ) और (ङ). 1993-94 के दौरान 13.10 मिलियन मीटरी टन दालों का उत्पाद हुआ था जबकि 1994-95 के दौरान लगभग 16 मिलियन मीटरी टन की मांग थी। 1994-95 के दौरान 15.50 मिलियन मीटरी टन का उच्चतर उत्पादन होने की आशा है। सरकार इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयोजन से देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

**[अनुवाद]**

## खुला विश्वविद्यालय

**2261. श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खुले विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन को यह पता लगाने हेतु समीक्षा की गई है और वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं अथवा नहीं, तथा औपचारिक प्रणाली के प्रसार को रोकने में क्या वे सहायक हुए हैं;

(ख) क्या खुली शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विशेषकर पॉलीटैक्निक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य की संपूर्ण समीक्षा और मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसके पास प्रादेशिक स्तर पर सुदूर शिक्षा प्रणाली के समन्वय का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी है, द्वारा भेजी गई सूचनानुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक ने पॉलीटेक्निक स्तर पर सामान्य इलैक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया है।

## राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम

**2262. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रारूप में स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि को शामिल करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय पद्धति की परिकल्पना की गई, जिसमें विभिन्न विषय-क्षेत्रों के सामान्य मुख्य घटक शामिल किए गए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण तथा छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाना शामिल किया गया है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधातत्वों को ध्यान में रखकर रा.शै. अनु. व प्र. परिषद् ने 1988 में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्य ढांचे का प्रकाशन किया। इस कार्य-ढांचे में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। इस कार्य ढांचे के आधार पर, रा.शै.अनु. व प्र. परिषद ने वर्ष 1989-92 के दौरान अपनी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया।

3. रा.शै.अनु. व प्र. परिषद की स्कूल पाठ्यपुस्तकों के विषयों में एक विषय परिवार के आकार तथा परिवार कल्याण के बारे में है।

4. रा.शै.अनु. व प्रशिक्षण परिषद की किताबों को राज्य सरकारों में उनकी अपनी सम्बद्ध स्कूल पद्धतियों में अपनाने अथवा रूपान्तरित करने के लिए उनमें व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

**[हिन्दी]**

## स्टॉलों का आबंटन

**2263. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विशेष मामले के रूप में प्रत्येक मंडल में प्लेटफार्मों पर कितने स्टॉल आबंटित किए गए?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान विशेष मामले के रूप में आबंटित किए गए 98 स्टॉल इस प्रकार हैं :—

| रेलवे | आबंटित स्टॉल |
|---|---|
| मध्य | 16 |
| पूर्व | 1 |
| उत्तर | 14 |
| पूर्वोत्तर | 2 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 1 |
| दक्षिण | 11 |
| दक्षिण मध्य | 14 |
| दक्षिण पूर्व | 4 |
| पश्चिम | 35 |

**[अनुवाद]**

## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

**2264. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को गुजरात सरकार से प्राप्त हुए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव किस चरण पर लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) इनके बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (ग). 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा (एन.सी.डी.सी.) गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा उनकी मंजूरी की स्थिति संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

### विवरण

### 1994-95 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

| क्र.सं. | योजना | प्राप्त प्रस्ताव | दि. 24.3.1995 को स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | खाद्यान्न | दिसम्बर, 1994 में प्राप्त 338.88 लाख रुपये को ब्लाक लागत पर गान्धवी तालुक अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति, जिला वलसाद द्वारा पोहवा तथा चावल मिल के लिए प्रस्ताव | एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया है। राज्य सरकार से एन.सी.डी.सी. हेतु ऋण देने वाली एजेंसी नामजद करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उनका निर्णय प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी। |
| 2. | चीनी | जनवरी, 1995 में प्राप्त 3750.00 लाख रुपये की अनुमानित व्यय लागत पर श्री खेधूत सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि. पाण्डवी तालुक, हर्सेट में एक नई चीनी फैक्टरी हेतु राज्य सरकार को 750.00 लाख रुपये के साम्य हिस्सेदारी के लिये 487.50 लाख रुपये के निवेश ऋण को मंजूरी के लिए प्रस्ताव। | राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण मांगा गया। |
| 3. | फल व सब्जी | मार्च, 1995 में प्राप्त गुजरात सहकारी प्याज उत्पादक संघ (यूनीफेड) भावनगर को 9.40 लाख रुपये की मार्जिन धनराशि सहायता की मंजूरी हेतु प्रस्ताव। | इसकी जांच की जा रही है। |
| 4. | समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (आई.सी.डी.पी.) | (i) आई.सी.डी.पी. जिला पंचमहल के लिए 79.399 लाख रुपये के ऋण तथा 1.31 लाख को राजसहायता की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव।<br>(ii) आई.सी.डी.पी., जिला सुरेन्द्र नगर के लिए 123.63 लाख के ऋण तथा 1.25 लाख की राजसहायता की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव। | सहायता दे दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | हथकरघा | हथकरघा वर्कशेड हेतु 4.825 लाख रुपये को निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव | सहायता दे दी गई है। |
| 6. | विपणन | (क) आठ प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के लिए शेयर पूंजी की सहायता हेतु मंजूरी का प्रस्ताव | (क) (i) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों हेतु 15.20 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। |
| | | | (क) (ii) एक समिति के लिए 1.40 लाख रुपये के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |
| | | (ख) व्याद तालुक क्रय एवं विक्रय संघ जिला साबरकांठा को शेयर पूंजी सहायता देने हेतु गुजरात सरकार को 1.00 लाख रुपये को निर्मुक्ति करने हेतु प्रस्ताव। | (ख) सहायता दे दी गई है। |
| 7. | मात्स्यिकी | (क) समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना (आई.एफ.डी.पी.) के लिए 3.295 लाख रुपये निर्मुक्त करने का प्रस्ताव मार्च, 1995 में प्राप्त हुआ। | (क) इसकी जांच की जा रही है। |
| | | (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त 906.811 लाख रुपये को व्यय लागत पर 40 मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा मछली पकड़ने को 159 नौकाओं के यंत्रीकरण हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव। | (ख) 706556 लाख रुपये को ब्लाक लागत पर 33 समितियों के मामले में 138 इकाइयां दिनांक 23.3.95 तक मंजूर की गई हैं। 200.255 लाख रु. सहित शेष सात समितियों के मामले में राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना दि. 20.2.95 तथा 14.3.95 को मांगी गई है। |
| 8. | तिलहन | मार्च, 1995 के दौरान प्राप्त 254.00 लाख रुपये के ब्लाक लागत पर श्री सरदार खेत पेदास प्रसंस्करण सहकारी मंडली लि. द्वारा जिला मेहसाणा स्थित जिले में आधुनिक तिलहन प्रसंस्करण संयंत्र हेतु वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव। | परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाना है। एन.सी.डी.सी. से एक दल द्वारा समिति तथा परियोजना क्षेत्र का शीघ्र ही दौरा किए जाने की संभावना है। |

**[अनुवाद]**

## प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

**2265. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अपने लक्ष्य से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यक्रम को पुनः सक्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग). सम्पूर्ण साक्षरता अभियान उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। जिलों से प्राप्त मानिटरिंग रिपोर्टों के अनुसार, कुछ जिलों में ये अभियान पीछे चल रहे हैं।

कानपुर जिले में यह परियोजना चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में, 1.34 लाख अध्येताओं की परियोजित कवरेज में से 1.11 लाख अध्येताओं का नामांकित किया गया। नामांकित किए गए अध्येताओं में से, 1.10 लाख अध्येताओं के प्राइमर-III स्तर को पूरा करने की सूचना मिली है और इन अध्येताओं के लिए उत्तर साक्षरता कार्यकलाप पहले से ही चल रहे हैं। इस परियोजना के बाह्य

मूल्यांकन का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है। 2.69 लाख की परियोजित कवरेज वाला सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का दूसेरा चरण जिला साक्षरता सोसायटी को संस्वीकृत भी हो चुका है।

हिन्दी-भाषी राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, में साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन के अनुसार, प्रो. अरूण घोष के अधीन विशेषज्ञ समूह ने इन अभियानों की मन्द गति के लिए जिम्मेवार विभिन्न घटकों को बताया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : निरक्षरों की अधिक संख्या, साक्षरों के पूल का अपेक्षाकृत छोटा आकार, जिनमें से स्वैच्छिक निर्देशक लिए जाते हैं, इन राज्यों में अभिनव साक्षरता परम्परा/गति की कमी, सभी संकेतकों में, जिनमें साक्षरता शामिल है, महिलाओं के विरूद्ध लड़के लड़की का फैला हुआ पक्षपात, भिन्न सामाजिक-राजनैतिक, जाति और साम्प्रदायिक तनाव।

साक्षरता के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करना और कार्यान्वयन करने वालों को प्रेरित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा वातावरण तैयार करने में सहायता देने के लिए दिसम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 में भारत ज्ञान विज्ञान जत्था शुरू किया गया था। विभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य अधिकारियों के लिए सुग्राही कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस राज्य में साक्षरता प्रयत्नों को सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में एक विशेष सेल भी स्थापित किया गया।

### ई.एम.यू. रेलगाड़ी

**2266. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सोनीपत और दिल्ली के बीच एक ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या सोनीपत में पुरी और उत्कल एक्सप्रेसों को रोकने की यात्रियों की बहुत समय से विचाराधीन मांग को मानने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) 23.2.1995 से दिल्ली और सोनीपत के बीच तीन जोड़ी मुख्य लाइन बिजली मल्टीपल यूनिट (ई एम यू) गाड़ियां चलाई गयी हैं।

(ख) और (ग). पुरी-अमृतसर उत्कल-कलिंगा एक्सप्रेस का सोनीपत स्टेशन पर ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[हिन्दी]**

### विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा सुविधाएं

**2267. श्री प्रेम चन्द राम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकलांग छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, कल्याण मंत्रालय ने अशक्तता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय संस्थाओं को समविश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के लिए मार्च 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजा था :—

1. मन्दबुद्धि वालों का राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद।
2. दृष्टिहीनों का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून।
3. बधिर व्यक्तियों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, बंबई।
4. विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता।

आयोग ने इन संस्थाओं में अनुदेशन का स्तर, अनुसंधान कार्य की कोटि और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने अपनी अंतिम समेकित रिपोर्ट दिसंबर, 1992 में प्रस्तुत की थी। समिति की रिपोर्ट पर आयोग ने 13 जनवरी, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और भारत सरकार को यह सिफारिश करने की सहमति दी कि एक राष्ट्रीय संस्थान, जिसमें चार मौजूदा संस्थान और इनके कैम्पस शामिल हैं, को समविश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाए। इसके लिए पहले कल्याण मंत्रालय और संस्थानों की स्वीकृति लेना और चारों संस्थानों को एक साथ लाना होगा। कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी भी समय दृष्टिहीन अध्येताओं के लिए 1 प्रतिशत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों के आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा है कि वे नियुक्त किए गए नेत्रहीन शिक्षकों हेतु पाठक भत्ते, ब्रेल की खरीद, रिकार्ड की हुई सामग्री इत्यादि के लिए वार्षिक प्रावधान करें।

**[अनुवाद]**

### चीनी नीति

**2268. श्री संदीपन भगवान थोराट :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान चीनी नीति का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान चीनी नीति के अंतर्गत उपलब्ध परिणामों से लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उदार लाइसेंसीकरण नीति प्रोत्साहित करने और उपलब्ध कराने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सहकारी एककों का वित्तपोषण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस-प्रदत्त नए एककों का (क्षमता सहित) ब्यौरा क्या है और एकक-वार एवं राज्य-वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) कितने नए आवेदन विचारार्थ लम्बित पड़े हैं और उन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) चीनी नीति के विभिन्न पहलू हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) से (घ). वितरण के संबंध में पूर्ण नियंत्रण और आंशिक नियंत्रण की सभी नीतियां विभिन्न समय में आजमाई गई हैं परन्तु दोहरी मूल्य प्रणाली वाली आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति सबकी तुलना में उपभोक्ताओं, गन्ना उत्पादकों और उद्योग के हितों में तालमेल रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावी पाई गई है।

जहां तक लाइसेंसिंग का संबंध है, चीनी उद्योग की लाइसेंसिंग नीति की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ङ) पिछले तीन चीनी वर्षों, अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 75 आशय पत्र जारी किए गए हैं। केवल एक चीनी मिल, अर्थात् नर्मदा शुगर्स लिमिटेड, खलबुजुर्ग, जिला खारगोन (मध्य प्रदेश) ने 22.1.1995 से उत्पादन शुरू किया है। शेष सभी यूनिटें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। आशय पत्र मंजूर होने के पश्चात् नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने में सामान्यतः 3-4 वर्ष का समय लगता है। पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण-I संलग्न है।

(च) 31.1.1995 की स्थिति के अनुसार, खाद्य मंत्रालय में 125 आवेदन विचारार्थ लम्बित थे। लम्बित आवेदनों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण-II संलग्न है। चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति पर फिलहाल की जा रही समीक्षा को अन्तिम रूप दे देने के पश्चात् इन आवेदनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## विवरण I

### पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात्, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 2500 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा

| क्र.सं. | आवेदक का नाम और पता | प्रस्तावित स्थान और जिला |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| . हरियाणा | | |
| 1. | मै. दि हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., एस.सी.ओ. 3011-12, सेक्टर 22-डी, चण्डीगढ़ | गोहाना, जिला-सोनीपत |
| 2. | मै. हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., एस.सी.ओ. 40-41, सेक्टर 17-ए, चण्डीगढ़-160017 | इन्द्री, जिला-करनाल |
| 3. | मै. आई.एस.जी.ई.सी. कोवेम प्लास्टिक्स लि., पारस सिनेमा बिल्डिंग, तीसरा तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 | कमाडा, तहसील-थानेसर जिला-कुरुक्षेत्र |
| 4. | मै. होरीजन एग्रो केमिकल लि., मार्फत यमुना गैसेस एंड केमिकल्स लि., शारदानगर, अम्बाला रोड, जगाधरी-135003 | कोट, तहसील-चचौली जिला-यमुनानगर |
| I. गुजरात | | |
| 5. | श्री संतभाई मगनलाल मेहता, मार्फत सरदार कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि., त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा-390005 | केदाछाला, तहसील-जेतपुर पावी, जिला-वडोदरा |
| 6. | श्री सहदेव बी. चौधरी, श्री सूरत जिला उत्तर पूर्व विभाग सहकारी कारखाना उद्योग मंडली लि., मार्फत जिला पंचायत कार्यालय, पारिया महल, सूरत-395003 | इसार, तहसील-मांडवी, जिला-सूरत |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **III. मध्य प्रदेश** | | |
| 7. | मै. इंडो यूरो इंडस्ट्रीज लि., 77, मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 | बेतुल, जिला-बेतुल। |
| 8. | मै. श्री विद्या पेपर मिल्स लि., पंचक, जी.डी. सोमानी मार्ग, नासिक रोड, महाराष्ट्र | सनवाड़ तहसील-बड़वाहा, जिला-खारगौन। |
| 9. | मै. नर्मदा शुगर्स लि. | खलबुजुर्ग, जिला-खारगौन। |
| **IV. तमिलनाडु** | | |
| 10. | मै. धरानी शुगर्स एंड केमिकल्स लि., नं. 1, वीनस कालोनी, सेकेण्ड स्ट्रीट, मद्रास-600018 | कराइपुंडी, तहसील-पोलर जिला-नार्थ अरकाट। |
| 11. | मै. एस.वी. शुगर्स लि. (अंडर इनकारपोरेशन) मार्फत बाबा इन्टरप्राइजेज, 781, अन्नामलाई, मद्रास-600002 | वालजाबार, फिरका, जिला-चेंगलपट्टु एम.जी.आर.। |
| **V. आन्ध्र प्रदेश** | | |
| 12. | श्री एस. जयराम चौधरी, मै. सुदुलागुंटा होटल्स प्राइवेट लि. (होटल मौर्या) 204 एवं 209, टी.पी. एरिया, तिरूपति-517501 | वधाईनाईडुकंड्रिगा गांव, जिला-चित्तूर। |
| 13. | श्री वाड्डे शोभान्द्रि, 59ए-7-32/2, आर.टी.सी. कालोनी, सेकेण्ड लेन, विजयवाड़ा-520008 | कंचकचेरला गांव, तहसील- कंचकचेरला मंडलम, जिला-कृष्णा। |
| 14. | श्रीमती जी.एस. रामानी, 6-3-1089/1, राजभवन रोड, सोमजीगुडा, हैदराबाद-500004 | अदुरुपल्ली गांव, तहसील-चेजरला मंडल, जिला-नैल्लोर। |
| 15. | श्री डी. रामाकृष्णा रेड्डी, 3-5-1101/1, नारायणगुडा, हैदराबाद-500029 | एस.आर. पुरम, जिला-चित्तूर। |
| 16. | श्री बी. संजीव राव, 2-1-559/ए/2, फर्स्ट फ्लोर, नल्लमकुंटा, हैदराबाद-500044 | थंगलपल्ली, तहसील-सिरसिला जिला-करीमनगर। |
| 17. | मै. श्री वशिष्ठ शुगर्स एंड केमिकल्स लि., भानु टावर्स, भानु डीलक्स अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. 302, अमीरपेट, हैदराबाद-500005 | हजूराबाद, जिला-करीमनगर। |
| 18. | श्री एन.वी.बी. चलमैया, ई-212, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 | कोठाकोट्टा गांव, तहसील-नरसीपतनम, जिला-विशाखापतनम। |
| 19. | मै. कोस्टल पेपर्स लि., 11-10-27, रीवर डेल, जी.टी. रोड, राजमुंद्री। | कोरसावदा, पथापतनम एरिया, जिला-श्रीकाकुलम। |
| 20. | मै. तिरूमाला शुगर्स लि., 307, राघव रत्न टावर्स, चिराग अली लेन, अबिद्स, हैदराबाद-500001 | कदाम, तहसील-कदाम मंडल, जिला-अदीलाबाद। |
| 21. | श्रीमती के. ज्योति रेड्डी, सेवेन्थ फ्लोर, "टोपाज" बिल्डिंग, अमरूथा हिल्स पंजागुट्टा, हैदराबाद-500482 | बीचकौंडा, जिला-निजामाबाद। |
| 22. | मै. एन.सी.एस. इस्टेट प्रा. लि., 405, मिनार अपार्टमेंट्स, डेक्कन टावर्स, बशीर बाग, हैदराबाद-500001 | बूमपल्ली, तहसील-सदाशिवनगर मंडल, जिला-निजामाबाद। |
| 23. | मै. गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., बी-20, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, फोर्थ फ्लोर, कलकत्ता-700069 | दौलताबाद, जिला-मेढ़क। |
| 24. | मै. दि आन्ध्र शुगर्स लि., वेंकटरायापुरम, पोस्ट बॉक्स नं. 102, तनुकु-534215, | बत्तयागुंडेम, जिला पश्चिम गोदावरी। |
| 25. | मै. अम्माना शुगर्स लि., 2-2-547/217, सी.ई. कालोनी, न्यू नल्लाकुंटा, हैदराबाद-500013 | प्रेमनगर, तहसील-गाजवेल, जिला-मेढ़क। |
| 26. | श्री मल्लिकार्जुन राव गांधी, एम.डी., मै. श्री वसावी जूट ट्वाइन मिल्स प्राइवेट लि., राजम-532127 | वीरगत्तम, तहसील-वीरगत्तम मंडल, जिला-श्रीकाकुलम। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| VI. बिहार | | |
| 27. | मै. हैरीसंस मालायम लि., 24/1624, ब्रिस्ट्रो रोड, विलिंगडन आईलैंड कोचीन-682003 (केरल) | ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारन। |
| VII. उड़ीसा | | |
| 28. | इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि., आई.पी.आई.सी.ओ.एल. हाऊस, जनपथ, भुवनेश्वर-751007 | बंकी, जिला-कटक। |
| VIII. कर्नाटक | | |
| 29. | मै. दि महात्मा गांधी एस.एस.के. (नियमित), भल्की-585328, तालुका भल्की, जिला-बिदार | हंजी/हाचीकामत, तहसील-भल्की, जिला-बिदार। |
| 30. | श्री बालासाहेब बी. पाटिल, चीफ प्रमोटर, मै. दि मारकण्डेय कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., बी.सी. 170, हैवलाक रोड (बोगरवस), कैम्प, बेलगाम-590001 | काकती, जिला-बेलगाम। |
| 31. | मै. जामखंडी शुगर्स लि., अरबन कोआपरेटिव बैंक बिल्डिंग, जामखंडी, जिला-बीजापुर | हिरेपदासल्गी, तहसील-जामखंडी, जिला-बीजापुर। |
| 32. | मै. श्री भीमा शंकर एस.एस.के. लि., इंडी एंड सिंडगी, टी.के.-इंडी, जिला-बीजापुर | इंडी एंड सिंडगी, तालुक-इंडी, जिला-बीजापुर। |
| 33. | श्री एस.टी.पाटिल, बी.ई. (सिविल), अध्यक्ष, मै. रायतारा सहकारी साखर कारखाना नियमित, मुधल (पी.ओ.), जिला-बीजापुर | रान्नानगर, तालुक मुधोल, जिला-बीजापुर। |
| IX. महाराष्ट्र | | |
| 34. | श्री चिमनराव कदम, चीफ प्रमोटर, मै. तुलजा भवानी देवी एस.एस.के. लि., (प्रस्तावित), कस्बा-पेठ, फाल्टन, तहसील व जिला-फाल्टन | राजौरी, तहसील-फाल्टन, जिला-सतारा। |
| 35. | श्री उधय सिंह सीताराम पाटिल, मै. सप्तगंगा सहकारी कारखाना लि., वसरप पलशंबी, पोस्ट अस्लाज, तहसील-गगनबावड़ा, जिला कोल्हापुर। | वसरप पलशंबी, तहसील-गगनबावड़ा, जिला-कोल्हापुर। |
| 36. | मि. मनोज मोहनराव शिंदे, मै. मिरज तालुक सहकारी साखर कारखाना लि., 4632, गुरूवार पेठ, मिरज, जिला-सांगली | शिंदेवाड़ी, तहसील-मिरज, सांगली। |
| 37. | डा. पतंगराव कदम, चीफ प्रमोटर, मै. सोहिरा सहकारी साखर कारखाना लि. (प्रस्तावित), भारतीय विद्या पीठ, भारतीय विद्या पीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे | वांगी, तहसील-खानपुर, जिला-सांगली। |
| 38. | श्री उत्तम बी. राठौड, चीफ प्रमोटर, मै. पैनगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. (प्रस्तावित), उहकदेव (मांडवी), तहसील-किन्वत, जिला नानदेड़ | उनकदेव (मांडवी), तहसील-किन्वत, जिला-नानदेड़। |
| 39. | श्री दिलीप पाटिल, चीफ प्रमोटर, मै. भीम शंकर एस.एस.के लि., 1103, गोदावरी, वर्ली शुगर सोसाइटी, वर्ली, बम्बई-400018 | कोठापुर, तहसील-अंबेगांव, जिला-पुणे। |
| 40. | मि. मान सिंह उदयसिंह राव गायकवाड़, चीफ प्रमोटर, स्वेट बसंतराव नाईक एस.एस.के. लि., स्थान और डाक सुपाने, तहसील-शाहुवाड़ी, जिला कोल्हापुर | शाहुवाड़ी, जिला-कोल्हापुर। |
| 41. | श्री रंगनाथराव शिवराम पी. पाटिल, मै. दि श्री रामेश्वर एस.एस.के. लि., सावरखेड़ा, तहसील जाफराबाद, भोकारदन, जिला-जालना | सावरखेड़ा, तहसील-जाफराबाद, जिला-जालना। |
| 42. | श्री हीराजी महाराज शेतकारी एस.एस.के. लि., गणेशपुर, तालुक-कन्नाड़, जिला-औरंगाबाद | पिशोर, तहसील कन्नाड़, जिला-औरंगाबाद। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 43. | श्री अशोक राजाराम पाटिल, (डोन्गांवकर), मै. ग्रिश्नेश्वर एस.एस.के. लि., विरंगुला, 37, शंकर नगर, औरंगाबाद | खुलताबाद, जिला–औरंगाबाद। |
| 44. | श्री अरविंद टी. काम्बले, चीफ प्रमोटर, मै. प्रियदर्शनी शेतकारी एस.एस.के. लि., नई–आबादी, उदगीर, जिला लातूर | तोंडार, तहसील उदगीर, जिला–लातूर। |
| 45. | श्री माधवराव बी. पाटिल, मै. श्री विट्ठल एस.एस.के. लि., मुरुम, तहसील उमरगा, जिला–उस्मानाबाद | मुरुम, तहसील–उमरगा, जिला–उस्मानाबाद। |
| 46. | मै. डोंगाराय सागरेश्वर शेतकारी एस.एस.के. लि., स्थान व डाक खादेपुर, तहसील खानपुर, जिला–सांगली | रायगांव, तहसील खानपुर, जिला–सांगली। |
| 47. | मि. ए.एस. नवानी, चीफ प्रमोटर, मै. सहयाद्री एस.एस.के. लि., स्थान व डाक धमोद, तालुक राधानगरी, जिला–कोल्हापुर | दुर्गमनवाड़, तहसील राधानगरी, जिला कोल्हापुर। |
| 48. | श्री विट्ठलराव जाधव, मै. नंदीग्राम एस.एस.के. लि., 1, एस.आई.जी. कालोनी, नीयर आई.टी.आई. नान्देड़–431602। | सोमेश्वर, जिला नान्देड़। |
| 49. | श्री प्रतापराव बाबूराव भोंसले, मै. किसान वीर एस.एस.के. लि., खंडाला (प्रस्तावित), स्थान, डाक व तालुक खंडाला, जिला सतारा | खंडाला, जिला सतारा। |
| 50. | चीफ प्रमोटर, मै. श्री साईबाबा एस.एस.के. लि., स्थान व डाक तितौली, तालुक जिन्तूर, जिला परभनी। | मनकेश्वर तहसील जिन्तूर, जिला परभनी। |

X. उत्तर प्रदेश

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 51. | श्री महेश विट्ठलदास चतुर्वेदी, मै. ए.टी.वी. प्रोजेक्ट्स इंडिया लि., डी–8, एम.आई.डी.सी., स्ट्रीट नं. 16, मानरोल, अंधेरी (पूर्व), बम्बई–400093 | रायमठ, जिला मथुरा। |
| 52. | मै. जे.के. इंडस्ट्रीज लि., लिंक हाऊस, 3, बी.एस. जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 | मीरगंज, जिला बरेली। |
| 53. | मै. ओसवाल ओवरसीयर लि., जी.टी. रोड, जुगीयाना–142120, जिला लुधियाना (पंजाब) | नवाबगंज, जिला बरेली। |
| 54. | श्री शैलेन्द्र मोहन, जागरण बिल्डिंग, 2, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005 | रसूलपुर, जिला सहारनपुर। |
| 55. | मै. द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., 511, मेकर चैम्बर–5, 221, नरीमन प्वाइंट, बम्बई–400021 | बुंदकी, जिला बिजनौर। |
| 56. | श्री एन.के. श्रीवास्तव, 6, पीरपुर हाऊस, 8, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ | शोहरतगंज, जिला सिद्धार्थनगर। |
| 57. | मै. इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि., बी–2/आई. 3 अफ्रीका एवेन्यू, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 | मैजापुर, जिला गोण्डा |
| 58. | मै. बजाज हिन्दुस्तान लि., सेकेण्ड फ्लोर, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, 226 नरीमन प्वाइंट, बम्बई। | पतारस, जिला बहराइच। |
| 59. | मै. सिम्भौली शुगर मिल्स लि., सिम्भौली–215207 | चिलवारिया, जिला बहराइच। |
| 60. | मै. दि सेकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., पी.ओ. बिसवां, जिला सीतापुर–261201 | बेहटा–रऊसा, तहसील बिसवां, जिला सीतापुर। |
| 61. | मै. यू.पी. कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि., सहकारी चीनी भवन, 9 ए, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001 | बहेरी ब्राह्मण, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद। |
| 62. | मै. गोमती शुगर मिल्स लि., प्राइवेट लि., 111, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110002 | जे.बी. गंज, जिला लखीमपुर खीरी। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 63. | श्री बी.एस. दीवान, पी.बी. नं. 143, रिठानी, दिल्ली रोड, मेरठ-250002 | अगवानपुर, जिला मुरादाबाद। |
| 64. | मै. वारेन टी लि., 31, चौरिंघी रोड, कलकत्ता-700016 | रूपापुर, जिला हरदोई। |
| 65. | मि. सुधीश प्रकाश, 118-बी, न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर | तिकौला, जिला मुजफ्फरनगर। |
| 66. | मै. कस्तूरी शुगर मिल्स लि., 108, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 | उन, तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर। |
| 67. | मै. ओसवाल एग्रो मिल्स लि., सेवेन्थ फ्लोर, अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 | जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर। |
| 68. | श्री सतीश जैन, मै. शिव पेपर मिल्स, 14, अलीपुर रोड, दिल्ली-110054 | टांडा, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर। |
| 69. | मै. सरयू शुगर मिल्स लि., स्काईलाइन हाऊस, 85, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 | अकबरपुर, जिला फैजाबाद। |
| 70. | श्री रतनलाल परसरामपुरिया, मित्तल टावर, "ए" विंग, थर्ड फ्लोर, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 | भुदाना, जिला-मुजफ्फरनगर। |
| 71. | श्री एस.एन. चतुर्वेदी, प्रपोज्ड पब्लिक लि., कं., 210/211, अरोड़ा टावर, एम.जी. रोड, पुणे-411001 | सिकन्द्राराव, जिला अलीगढ़। |
| 72. | मै. एसोसिएटेड शुगर मिल्स लि., पी.बी.न. 209, रामबाग, मुजफ्फरनगर-251001 | थोई गांव, जिला हरिद्वार। |
| 73. | श्री विपिन गोयल, राम हाऊस, कीरतपुर, जिला बिजनौर | चंडाक, जिला बिजनौर। |
| 74. | मै. गुलशन शुगर एंड केमिकल्स लि., जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 | दौलाना, जिला गाजियाबाद। |
| 75. | मै. सोमैया आर्गनिक्स (इंडिया), लि., सोमैया नगर, देवा रोड, बाराबंकी-225123 | महाराजगंज, जिला महाराजगंज। |

**विवरण-II**

**विचारार्थ लम्बित आवेदनों (31.01.1995 की स्थिति के अनुसार) की राज्यवार संख्या**

| क्र.सं. | राज्य | विचारार्थ लम्बित आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 72 |
| 2. | महाराष्ट्र | 16 |
| 3. | पंजाब | 4 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | 3 |
| 5. | कर्नाटक | 9 |
| 6. | तमिलनाडु | 6 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 12 |
| 8. | उड़ीसा | 1 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 10. | नागालैंड | 1 |
| | जोड़ | 125 |

**आई.आई.टी. के शुल्कों में वृद्धि**

**2269. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**
**श्री गुरुदास कामत :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए इस समय कितना शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने आई.आई.टी. के शुल्कों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फिलहाल लिए जाने वाले शुल्क की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। तथापि, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 33(2) (ख) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के परिनियमों के संशोधित खंड 22 में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अपनी परिषद को शिक्षा शुल्क ढांचे को संशोधित करके लगभग चार गुना करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षा शुल्क में किसी भी/संशोधन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् का अनुमोदन अपेक्षित है।

**विवरण**

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फिलहाल लिए जाने वाले शुल्क की राशि**

| विवरण | बी.टेक/ 5 वर्षीय समेकित एम.एस.सी. | एम.एस.सी. (2 वर्ष) | एम.टेक. | एम.एस. | पी.एच.डी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **क. दाखिले के समय** | रु. | रु. | रु. | रु. | रु. |
| 1. प्रवेश शुल्क | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 2. ग्रेड कार्ड | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3. पहचान पत्र | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4. अनन्तिम प्रमाण पत्र | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5. परीक्षा शुल्क | - | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6. संस्थान सुरक्षा जमा (लौटाया जाने वाला) | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 7 पुस्तकालय सिक्योरिटी डिपोजिट (लौटाया जाने वाला) | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| **ख. वार्षिक** | | | | | |
| 8. संस्थान का वार्षिक समारोह | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| **ग. प्रति सेमेस्टर** | | | | | |
| 9. जिमखाना | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 10. शिक्षा शुल्क | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 11. चिकित्सा शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 12. चिकित्सा निधि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13. छात्रावास सीट किराया | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 14. पंखा/बिजली/पानी प्रभार (केवल छात्रावास में रहने वालों के लिए) | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 15. छात्र कल्याण निधि | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 16. पंजीकरण शुल्क | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
| **घ. ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम** | | | | | |
| 17. शिक्षा शुल्क | 40.00 प्रति लेक्चर पाठ्यक्रम | | | | |
| 18. छात्रावास आवास | 50.00 | | | | |
| 19. बिजली/पानी प्रभार (केवल छात्रावास में रहने वालों के लिए) | 50.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **क सामान्य** | | | | | |
| *20. अनुपस्थित होने पर डिग्री/डिप्लोमा | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 21. प्रवास प्रमाण पत्र | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 22. डिग्री/डिप्लोमा/ग्रेड | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| कार्ड की दूसरी प्रति | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23. प्रतिलिपि | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 24. पहचान पत्र की दूसरी प्रति | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

* यह राशि देश में रहने वाले छात्रों के लिए है। बिदेश में रहने वाले छात्रों के लिए 150/- रु.।

### शैक्षिक संस्थान

**2270. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने कालेज और समतुल्य डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थान हैं, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अंग नहीं हैं और सीधे केन्द्र सरकार के प्रबंधन में चल रहे हैं तथा इनका विभागवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय संस्थान कौन-कौन से हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) 1994-95 के लिए ऐसे कालेजों और राष्ट्रीय संस्थानों का बजटीय आवंटन कितना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### रेलवे में भेदभाव

**2271. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1994 के "दैनिक जागरण" में "रेल भाड़े में आम व्यापारी के साथ भेदभाव की शिकायत" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) व्यापारिक समुदाय के साथ भेदभाव रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी, हां।

(ख) निवेश लागतों में वृद्धि को संतुलित करने के वास्ते 1993-94 और 1994-95 के रेल मालभाड़े की दरों में समायोजन किए गये थे। रेल मालभाड़े की दरें सभी ग्राहकों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होती हैं। इन ग्राहकों के लिए, जो अधिसूचित शर्तों को पूरा करते हैं, छूट और प्रोत्साहन दिये जाते हैं। 15.12.1993 से द्रुत परिवहन सेवा योजना समाप्त कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### भोपाल गैस त्रासदी

**2272. श्री गुरुदास कामत :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भोपाल में फिर से गैस रिसाव त्रासदी की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले निरोधक कदमों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

### महिलाओं को अधिकार

**2273. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार की तरह महिलाओं को सम्पत्ति में पर्याप्त अधिकार तथा नौकरियों में आरक्षण देकर उन्हें समर्थ बनाने हेतु व्यापक उपाय शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने सन 1988 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर ली थी, जो कि भारतीय महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, विकासात्मक प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों, सिद्धान्तों एवं दिशा-निर्देशों से निर्देशित, दीर्घकालिक समग्र दिशा-निर्देशों का नीति दस्तावेज है। इस योजना का उद्देश्य सभी महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करते हुए उन्हें अर्थ व्यवस्था की मुख्य-धारा में शामिल करना और उनका सर्वांगीण विकास करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में 353 सिफारिशें की गई हैं जो कि ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार और प्रशिक्षण, समर्थन सेवाओं, ईंधन, चारा, जल, शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, विधायन, राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने, प्रचार तथा प्रसारण और स्वैच्छिक कार्यों के संवर्धन, सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किए जाने तथा केन्द्रीय और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अधिकाधिक शामिल किए जाने से संबंधित है। इनमें से कुछ सिफारिशों के दीर्घावधि तथा अल्पावधि नीति और वित्तीय फलितार्थ हैं, जबकि कुछ अन्य सिफारिशें विधायन के मुद्दों से संबंधित हैं। महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इन सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

12.01 म.प.

**लोक सभा 12.01 म.प. पर पुनः समवेत हुई।**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)**

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ...**(व्यवधान)**

12.01 ½ म.प.

**इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।**

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : सभा 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.02 म.प.

**तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

---

2.01 म.प.

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.01 म.प. पर पुनः समवेत हुई।**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और वहां लोग मतदान के लिए लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लगे हुए लोगों पर प्रेज़ीडेण्ट्स रूल लागू किया गया है। क्या चार घंटे बाद यह लागू नहीं कर सकते थे? यानी, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर यह सारा काम चला हुआ है। आप चार घंटे बाद प्रेज़ीडेण्ट्स रूल लागू नहीं कर सकते थे? क्यों आपने ऐसा किया? आज भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आज पूरे देश में यह बात फैल गई कि एक कांस्पिरेसी के चलते उन पर प्रेज़ीडेण्ट्स रूल इंपोज कर दिया गया। लगातार जो बात हम कहते आए हैं, आज वह मुकम्मल तौर पर साबित हुई है कि यह सारा काम ...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो परिस्थिति बन चुकी है, उस परिस्थिति के चलते आज जो स्थिति बनी हुई है, इस बारे में हमने आपसे अभी चैम्बर में यह बात कही थी लेकिन सवाल यह है कि यह चार घंटे या पांच घंटे बाद भी लागू किया जा सकता था। यानी पांच घंटे तक सरकार इंतजार नहीं कर सकती थी? और यदि यह इंपोज किया तो क्या इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे? सारे मतदाता लाइन में खड़े हैं और उस समय प्रेज़ीडेण्ट्स रूल को इंपोज करना कौन सी बात को वाजिब करता है? ये प्रेज़ीडेण्ट्स रूल क्या चार-पांच घंटे बाद इंपोज नहीं कर सकते थे? हम कहना चाहते हैं कि यह बाकायदा एक कांस्पिरेसी के तहत हुआ है। प्रेज़ीडेण्ट्स रूल लागू करना था और इसी तरह से सारी चीजों को बढ़ाने का काम चला और इसी के चलते ये सारी चीजें हुई। ...**(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह जनतंत्र की हत्या है और मेरा सीधा भारत सरकार के ऊपर चार्ज है और नरसिंहराव सरकार पर चार्ज है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, लगातार तीन-चार दिन से इस सदन में बिहार के चुनाव के संबंध में चर्चा चल रही है और हम लोगों ने शुरू से कहा कि ...**(व्यवधान)***

आज जबकि संसद में वोट ऑन अकाउंट रुका हुआ है, बजट रूका हुआ है, रेलवे बजट रुका हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई हैं, उसके

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बावजूद भी सरकार दिन में 12 बजे जबकि वहां चुनाव चल रहा है, प्रेज़ीडेण्ट्स रूल लगाने का काम करती है। इससे सरकार की मंशा साफ है और मैं आपको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि सरकार जान-बूझकर बिहार में कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज उत्पन्न करना चाहती है तो यह कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पूरे देश में उत्पन्न होगा और मजाल नहीं है कि सरकार यहां वोट ऑन अकाउन्ट पास करा ले। हम लोगों को आप मार्शल से निकलवाइये। हाउस नहीं चलेगा, वोट ऑन अकाउन्ट पास नहीं होगा। ...**(व्यवधान)** वोट ऑन अकाउन्ट पास नहीं होगा। हाउस नहीं चलने देंगे। ...**(व्यवधान)**

**2.04 ½ म.प.**

**इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।**

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय :** सभा 4 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

**2.05 म.प.**

**तत्पश्चात् लोक सभा 4 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**4.00 म.प.**

**लोक सभा 4.00 बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई।**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर परिस्थिति है। ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लिया जाएगा।

---

**4.01 म.प.**

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### वर्ष 1995-96 के लिए कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री सीताराम केसरी की ओर से, मैं वर्ष 1995-96 के लिए कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7250/95]

### वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री एन. के.पी. साल्वे की ओर से, मैं वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7251/95]

### वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री अजित सिंह की ओर से, मैं वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7252/95]

### वर्ष 1995-96 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री पी. ए. संगमा की ओर से, मैं वर्ष 1995-96 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7253/95]

### वर्ष 1995-96 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री कमल नाथ की ओर से, मैं वर्ष 1995-96 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7254/95]

### वर्ष 1995-96 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें तथा उसका एक शुद्धि पत्र

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :** महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7255/95]

## मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7256/95]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7257/95]

## भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7258/95]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7259/95]

(5) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 14 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7260/95]

(7) (एक) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7261/95]

(9) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7262/95]

(11) (एक) जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1987-88 से 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड, श्रीनगर के वर्ष 1987-88 से 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7263/95]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) गोआ मीट काम्पलेक्स, पणजी के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोआ मीट काम्पलेक्स, पणजी के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7264/95]

**विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7265/95]

(3) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7266/95]

(5) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोस्फ़िकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोस्फ़िकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7267/95]

(6) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1993-94

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7268/95]

(8) वर्ष 1995-96 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7269/95]

---

**4.02 म.प.**

**इस समय, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।**

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

**4.03 म.प.**

**तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 1995/8 चैत्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---